खण्ड-113, अंक-1
मंगलवार, 11 अग्रहायण, शक संवत् 1874
(2 दिसम्बर, 1952 ई0)

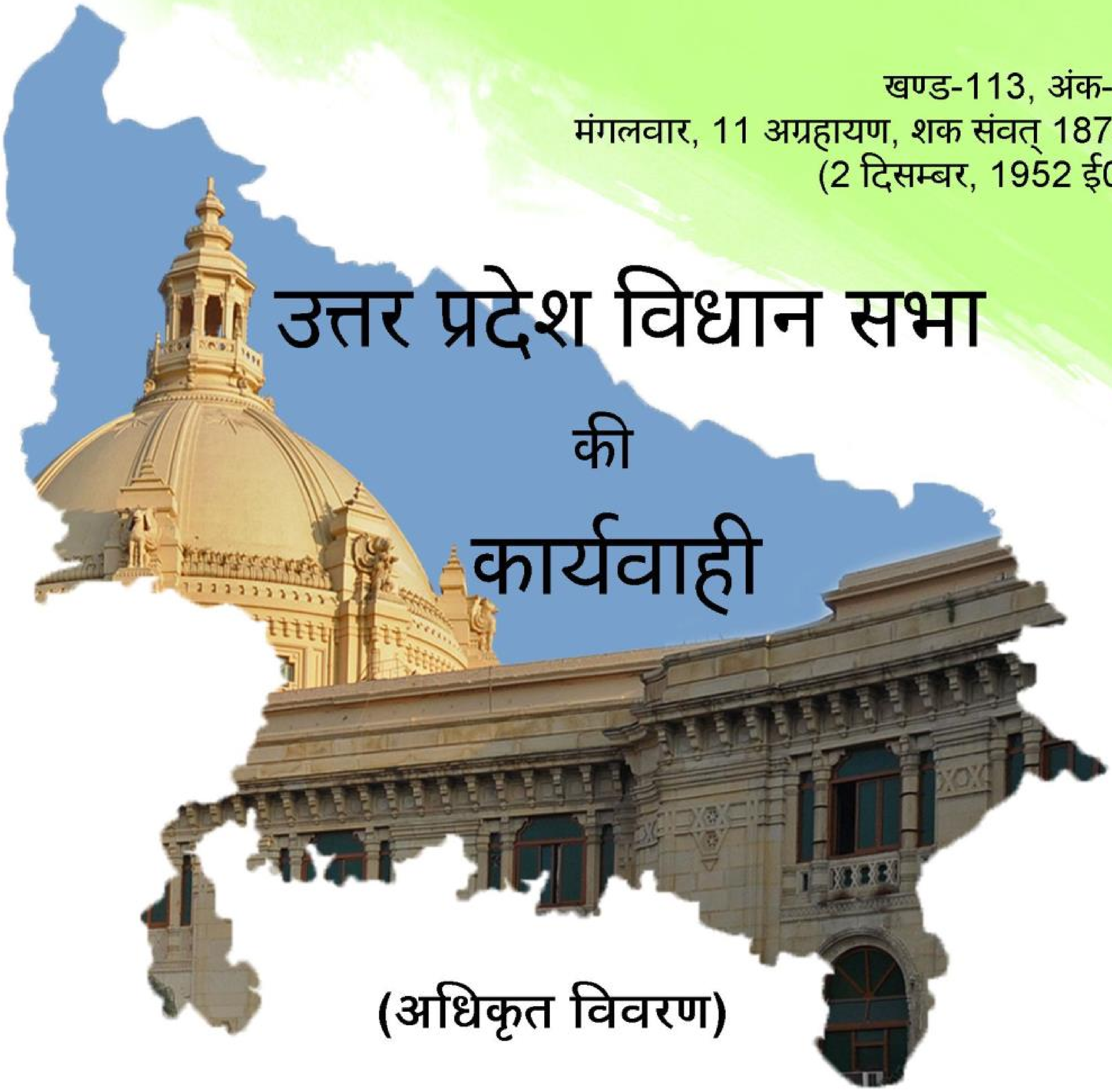

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 113 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विधान पुस्तकालय
१ अप्रैल १९५८
81023
उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २ दिसम्बर, १९५२

विधान सभा की बैठक, सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३२५)

अक्षयवर सिंह, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
कालिका सिंह, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरु प्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्दवल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल बाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री

चित्तर सिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देव दत्त मिश्र, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिन बिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री

उत्तर प्रदेश सभा

बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन मिश्र, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ़्फ़र हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फ़ारूक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुनाप्रसाद, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजनारायण, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
राम अनन्त पाण्डेय, श्री
राम अवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ तिवारी, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री

रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
वाशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रविक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शिवकुमार पांडेय, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शुगनचन्द्र, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र बाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

*१-२--श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)--[१६ दिसम्बर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

*३-४--श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--[१६ दिसम्बर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

कठकुइयां चीनी मिल सम्बन्धी अनशन तथा रायबरेली के विद्यार्थियों पर २६ नवम्बर, १९५२ को पुलिस द्वारा लाठी चार्ज के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री अध्यक्ष--मेरे पास दो कामरोको प्रस्ताव आये हैं। पहला यह है कि कठकुइयां चीनी मिल से, वहां के नेता, कुछ झगड़ा हो जाने की वजह से अनशन कर रहे हैं और उनकी हालत खराब है, इस वास्ते उस पर विचार करने के लिये इस सदन का कार्य स्थगित किया जाय। इस संबंध में मेरे पास भी एक तार इस क़िस्म का आया है कि उनके जीवन को खतरा है, उसको बचाया जाय। मैं इस तरह के जो अनशन हुआ करते हैं उनको इतने महत्त्व की बात नहीं समझता कि कार्य-स्थगन किया जाय। इसमें कोई विशेषता नहीं बतलाई गई है कि कितनी वहां परिस्थिति बिगड़ गई है। इसलिये मैं इस कामरोको प्रस्ताव की अनुज्ञा नहीं देता।

दूसरा है रायबरेली के विद्यार्थियों पर २६ नवम्बर, १९५२ को पुलिस द्वारा जो लाठी चार्ज हुआ। इसमें भी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि २६ नवम्बर को जो परिस्थिति गुजर चुकी है उससे आजकल की परिस्थिति में क्या अन्तर पड़ा है। क्या परिस्थिति बिगड़ती चली जा रही है। ऐसी कोई चीज इसमें नहीं है। मैं समझता हूं कि अब यह इतने महत्त्व और अजन्सी का नहीं रह गया। इसलिए इसकी भी मैं इजाजत नहीं देता।

अधिष्ठाता-मंडल के सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष--सदन प्रोरोग हो जाने की वजह से यह अधिष्ठाता मंडल ही समाप्त हो चुका। इसलिये नया अधिष्ठाता मंडल कार्य आरम्भ हो जाने के पहले ही हो जाना चाहिये। उसको मैं फिर से इस प्रकार नियुक्त करता हूं--

(१) श्री बेचनराम गुप्त।
(२) श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)।
(३) श्री कैलाश प्रकाश।
(४) श्री जयपाल सिंह।
(५) श्री निहालदीन।
(६) श्रीमती प्रकाशवती सूद।
(७) श्री राधाकृष्ण अग्रवाल।
(८) श्री सुल्तान आलम खां।
(९) श्री सुरेश प्रकाश सिंह।
(१०) श्री हरिश्चन्द्र बाजपेयी।

याचिका-समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष--इसी प्रकार याचिका समिति भी समाप्त हो गई और उसके निम्न सदस्य अब भी होंगे --

श्री हरगोविन्द पन्त उपाध्यक्ष--सभापति ।
श्री विष्णुशरण दुब्लिश ।
श्री बाबूराम गुप्त ।
श्री इतिजा हुसैन ।
श्री नारायण दत्त तिवारी ।
} सदस्य

विशेषाधिकार-समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष--दूसरी समिति है विशेषाधिकार । यह भी समाप्त हो चुकी है । इसके लिये नये सदस्य फिर चुनने हैं । ये हैं --

श्री हरगोविन्द पन्त, उपाध्यक्ष--सभापति ।
श्री चरण सिंह ।
श्री फूल सिंह ।
श्री जुगल किशोर ।
श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव ।
श्री राधामोहन सिंह ।
श्री अब्दुल मुईज खां ।
श्री गेंदा सिंह ।
महाराजकुमार बालेन्दु शाह ।
श्री लालधर अष्ठाना ।
} सदस्य

परामर्शदात्री स्थायी समितियों के निर्वाचन का कार्य-क्रम

श्री अध्यक्ष--अब मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि परामर्शदात्री समितियां जो स्थायी समितियां हैं, उनके चुनाव के संबंध में इस प्रकार कार्यक्रम होगा ।

नाम निदेशन प्राप्त करने की अंतिम तिथि और समय . . . ९ दिसम्बर, सन् १९५२ ई० के ३ बजे तक ।

नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा . . . १० दिसम्बर, १९५२ ई० को २ बजे तक ।

नाम वापस लेने की अंतिम तिथि तथा समय . . १३ दिसम्बर, १९५२ ई० को ३ बजे तक ।

निर्वाचन की तिथि तथा समय और स्थान, यदि आवश्यकता हुई तो, बाद में सूचित किया जायगा ।

उत्तर प्रदेश वाद और व्यवहार स्थगित करने का (मिर्जापुर) विधेयक, १९५२ ई०

श्री अध्यक्ष--मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश वाद और व्यवहार स्थगित करने के (मिर्जापुर) विधेयक, १९५२ ई० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १० जुलाई, सन् १९५२ ई० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १९ जुलाई, १९५२ ई० की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल की अनुमति २१ सितम्बर, १९५२ ई० को प्राप्त हो गई और वह १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश का २०वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई०

श्री अध्यक्ष--मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई० पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ३० जुलाई, १९५२ ई० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २७ अगस्त, सन् १९५२ ई० की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति की अनुमति २६ सितम्बर, १९५२ ई० को प्राप्त हो गई और वह १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश का २१ वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई०

श्री अध्यक्ष--मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २८ अगस्त, १९५२ ई० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १७ सितम्बर, १९५२ ई० की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति की अनुमति ३० सितम्बर, १९५२ ई० को प्राप्त हो गई और वह १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश का २२वां अधिनियम बन गया ।

यू० पी० कंट्रोल आफ सप्लाईज (कन्टीन्यूएंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई०

श्री अध्यक्ष--मैं घोषणा करता हूं कि यू० पी० कंट्रोल आफ सप्लाईज (कन्टीन्यूएन्स आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २ सितम्बर, १९५२ ई० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १९ सितम्बर, १९५२ ई० की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति की अनुमति ३० सितम्बर, १९५२ ई० को प्राप्त हो गई और वह १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश का २३वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश (अस्थायी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड एविक्शन (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई०

श्री अध्यक्ष--मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश (अस्थायी) कंट्रोल आफ रेंट ऐंड एविक्शन (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ९ सितम्बर, १९५२ ई० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २९ सितम्बर, १९५२ ई० की बैठक में पारित किया किया था, राष्ट्रपति की अनुमति ३० सितम्बर, १९५२ ई० को प्राप्त हो गई और वह १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश का २४वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई०

श्री अध्यक्ष--मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २९ अगस्त, १९५२ ई० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ६ अक्तूबर, १९५२ ई० की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल की अनुमति १९ अक्तूबर, १९५२ ई० को प्राप्त हो गई और वह १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश का २५वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई०

श्री अध्यक्ष--मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ५ सितम्बर, १९५२ ई० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ६ अक्तूबर, १९५२ ई० की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति की अनुमति २८ अक्तूबर, १९५२ ई० को प्राप्त हो गयी और वह १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश का २८वां अधिनियम बन गया ।

आगरा यूनिवर्सिटी अध्यादेश, १९५२ ई०

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डाक्टर सीताराम)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से आगरा यूनिवर्सिटी अध्यादेश, १९५२ ई० की प्रतिलिपि मेज पर रखता हूं ।

(इस कार्यवाही में छापा नहीं गया है ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—मैं एक विधान का प्रश्न उठाना चाहता हूं और वह यह है कि यह जो आगरा यूनिवर्सिटी अध्यादेश, १९५२ ई० हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है विधान के अनुसार इसको इस सदन के सामने प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उसको पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष—इसको वह मेज पर रख रहे हैं विचार करने के लिये नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—यह मेज पर भी नहीं रखा जा सकता है। मैं इसको आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं—

"If and so far as an Ordinance under this article makes any provision which would not be valid if enacted in an Act of the Legislature of the State assented to by the Governor, it shall be void."

[यदि और जहाँ तक इस अनुच्छेद के अन्तर्गत कोई अध्यादेश ऐसा उपबन्ध करे जो राज्यपाल द्वारा अनुमोदित राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम में विहित होने पर विधि संगत न होता, तो वह अनियमित होगा।]

तो यह जो आगरा यूनिवर्सिटी सम्बन्धी अध्यादेश है, वह केवल इसी प्रान्त से सम्बन्धित नहीं है बल्कि जो दूसरा पार्ट बी और पार्ट सी स्टेट्स हैं उनसे भी सम्बन्धित है। मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि और जो राज्य प्रमुख और लेफ्टिनेन्ट गवर्नर आदि के दूसरे भाग हैं उनसे भी आगरा यूनिवर्सिटी का सम्बन्ध है। तो क्या सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के विधान के अनुसार क्या हमारी सरकार या हमारे राज्यपाल कोई ऐसा आर्डिनेन्स जारी कर सकते हैं जिसका सम्बन्ध अपने प्रदेश के अतिरिक्त दूसरे भागों से या दूसरी स्टेट्स से भी है।

श्री अध्यक्ष—यह तो आप आर्डिनेन्स जारी करने या न करने के विषय में कह रहे हैं। अब तो प्रश्न यह है कि अध्यादेश जारी हो चुका है और अब इस सदन को सूचना दी जाती है और उसकी प्रतिलिपि मेज पर रखी जाती है। तो आप कृपा कर के यह बतलावें कि आप यह कैसे कहते हैं कि सूचना देने का अधिकार नहीं है। यदि कोई ऐसा आक्षेप हो सकता हो कि मंत्री महोदय को सूचना देने का अधिकार न हो तो वह आप बतावें कि इस कानून के अनुसार सदन को माननीय मंत्री की ओर से सूचना न दी जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी—मेरा निवेदन यह है कि मेज पर रखने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि उनको इसका अधिकार नहीं है। इस प्रदेश की सरकार को दूसरे प्रदेशों अथवा स्टेट्स .....

श्री अध्यक्ष—मैं इस आपत्ति को इस समय उचित नहीं समझता। जब बिल सदन के सम्मुख विचार के लिए आवेगा उस समय सदन को इस प्रकार का सवाल उठाने का मौका मिलेगा। जो चीज गुजर चुकी और हो चुकी उस पर आपत्ति करने की मैं इजाजत नहीं देता हूं। विधान के अनुसार यदि आप बतला सकें तो आप बतलायें कि किस तरह से इसको मेज पर नहीं रखा जा सकता।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आप बोलते हैं तो माननीय सदस्य अपने स्थान पर बैठते भी नहीं हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—जब मैं कुछ कहने खड़ा हुआ करूं तो आप कृपा करके बैठ जाया करें। अगर धायड भी मान लिया जाय तो भी अगर मेज पर रखा गया और इत्तिला दी गई तो आप कोई ऐसी चीज बतला सकते हों तो बतलावें कि जिसके अनुसार मेज पर रखने का भी अधिकार नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--मेरा निवेदन यह है कि मेज पर रखने का तो प्रश्न ही नहीं उठता जबकि आर्डिनेन्स ही ठीक नहीं है। मैं आपका ध्यान ३७२ (१) की ओर दिलाना चाहता हूं जिसके अनुसार यह सदन इसके लिए काम्पीटेन्ट ही नहीं है .....।

श्री अध्यक्ष--इस प्रकार की चीज पर विचार करने की मैं इजाजत नहीं देता, क्योंकि आप तो मेरिट्स पर जा रहे हैं। मैं इसकी इजाजत नहीं देता और आपकी आपत्ति अनुचित है।

उत्तर प्रदेश फायर सर्विस (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई०

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--मैं उत्तर प्रदेश फायर सर्विस (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई० की प्रतिलिपि, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, मेज पर रखता हूं।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६१ पर)

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई०

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)--मैं उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई० की प्रतिलिपि, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, मेज पर रखता हूं।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६४ पर)

आगरा यूनिवर्सिटी (अनुपूरक) विधेयक, १९५२ ई०

शिक्षा मन्त्री के सभा सचिव (डाक्टर सीताराम)--मैं आगरा यूनिवर्सिटी (अनुपूरक) विधेयक, १९५२ ई० की प्रतिलिपि, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, मेज पर रखता हूं।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८३ पर)

उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का विधेयक, १९५२ ई०

माल मन्त्री (श्री चरण सिंह)--मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने के विधेयक, १९५२ ई० की प्रतिलिपि, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा संशोधित हुआ है, मेज पर रखता हूं।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ८५ पर)

उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजिशन (कन्टीन्यूएंस आफ पावर्स) संशोधन विधेयक, १९५२ ई०

अन्न मन्त्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजीशन (कन्टीन्यूएंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई० पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ९४ पर)

उत्तर प्रदेश फैमिन रिलीज फण्ड (संशोधन) विधेयक, १९५२

वित्त मन्त्री (श्री हाफिज महम्मद इब्राहीम)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश फैमिन रिलीफ फंड (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई० पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ९५ पर)

उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ विधेयक, १९५२ ई०

माल मन्त्री (श्री चरण सिंह)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ विधेयक, १९५२ ई० पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ९७ पर)

उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई०

स्वशासन मन्त्री (श्री मोहनलाल गौतम)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई० पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिए नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ १०४ पर)

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई०

माल मन्त्री (श्री चरण सिंह)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई० पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिए नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ११२ पर)

दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अश्वेत के भेद को समाप्त करने के सम्बन्ध में संकल्प

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसके पूर्व कि कोई और बिल लिये जावें, आपकी अनुमति चाहता हूं कि जो प्रस्ताव आज के कार्यक्रम में साउथ अफ्रीका के बारे में दिया गया है उसे यहां प्रस्तुत करने और उसके बारे में वाद-विवाद करने का अवसर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--माननीय मुख्य मन्त्री जी इस प्रस्ताव को उपस्थित करें।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं।

"उत्तर प्रदेशीय विधान सभा दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी, प्रवासी भारतवासी तथा अन्य अश्वेत निवासियों द्वारा मानवोचित अधिकारों के प्राप्त करने के लिये शान्तिमय सत्याग्रह के प्रति प्रशंसा तथा सहानुभूति प्रकट करती है और दक्षिण अफ्रीका की सरकार द्वारा रंगभेद नीति तथा उस सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ की अवहेलना को विश्व-शान्ति के लिये भयावह समझते हुए उससे आग्रह करती है कि वह अपने प्रदेश से श्वेत अश्वेत के अन्तर को समाप्त कर दे"।

यह प्रस्ताव जो मैंने भवन के सामने प्रस्तुत किया है यह असाधारण महत्त्व का है। इसका सम्बन्ध केवल हमारे स्वत्वों और स्वतन्त्र भारत की मान मर्यादा और प्रतिष्ठा से ही नहीं है वरंच मानव के मौलिक अधिकारों से है। इस सभ्य जगत् में जबकि दुनिया सिकुड़ती जाती है, जो आविष्कार वैज्ञानिकों ने किये हैं उनके फलस्वरूप दूरी करीब करीब निबट सी जाती है और दुनिया वैज्ञानिकों के आविष्कारों द्वारा एक होती जाती है ऐसी अवस्था में भी क्या कोई देश या किसी देश के निवासी ऐसे उन्मत्त हो सकते हैं कि सिद्धान्त को छोड़कर मनुष्य मनुष्य के बीच में भेद पैदा करें। यू०एन०ओ० ने एक चार्टर आफ ह्यूमन राइट्स बनाया है और उसमें सभी वर्ण, सभी देश और सभी मनुष्यों के लिये जो मौलिक अधिकार होने चाहिएं उनको निर्धारित किया है। जहां तक साउथ अफ्रीका और भारतवासियों का सम्बन्ध है वे सत्याग्रह की कई लड़ाइयां लड़ चुका है। आज से ४५ वर्ष पूर्व महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की दुन्दुभी वहां पहिले पहल बजाई थी और वहां पर ही पहिले पहल सत्याग्रह का अस्त्र अजेय साबित हुआ था। उसके बाद महात्मा गांधी ने दूसरी मर्तबा फिर वहां सत्याग्रह किया और उनकी फिर विजय हुई। ये बातें तब हुई जबकि दुनिया पिछड़ी हुई समझी जाती थी।

उसके बाद दो युद्ध संसार में हुए और इस बात को बड़े जोर से कहा गया कि वे युद्ध मानोवोचित अधिकारों को प्राप्त करने और उनके उपभोग करने के लिये किये जा रहे हैं। परन्तु जो अवस्था साउथ अफ्रीका में १९०७ या १९१२ में थी इधर उससे भी बदतर हो गयी है। सन् १९४६ में कुछ कानून बने और उसके बाद वहां सत्याग्रह शुरू हुआ जो ४८ तक चला। फिर यू० एन० ओ० अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सामने यह प्रश्न गया और कुछ दिनों के लिये यह स्थगित कर दिया गया, परन्तु डाक्टर मलान और उनके अनुयायी पहिले से भी ज्यादा विप्लवकारी हो रहे हैं और बजाय ऊपर उठने के नीचे गिरते ही गये। नये नये कानून वहां पर बनाये गये। ग्रूप एरिया ऐक्ट, कम्यूनल रिप्रेजेन्टेशन ऐक्ट और सप्रेशन आफ कम्यूनिज्म ऐक्ट वहां पर पास किये गये और हजारों की तादाद में वहां के निवासी और उनके साथ ही साथ हिन्दुस्तानी भी इस सत्याग्रह में जेलों में गये तथा अब भी बड़ी भारी संख्या में वहां पर यातना भोग रहे हैं।

साउथ अफ्रीका वह देश है जिसको हिन्दोस्तानियों ने बनाया। कुछ को यहां से बहका कर ले जाया गया और कुछ लोग वहां से व्यापार के लिये गये। सफेद रंग के लोग उनको यहां से काम के लिये ले गये और जो कि एक बिल्कुल जंगल था और मनुष्यों को जहां पर कोई भी सामग्री नहीं मिलती थी उसको हिन्दुस्तानियों ने अपने श्रम से बनाया। वहां जो भी सुख, संवृद्धि और दौलत पैदा हुई वह हिन्दोस्तानियों के श्रम के बल से ही पैदा हुई, लेकिन उसका परिणाम यह हुआ कि जिनकी इस दौलत से लोगों को फायदा पहुंचा, उनकी मेहनत से फायदा पहुंचा, वे स्वयं आज अपने तमाम अधिकारों को खो बैठे हैं तथा जिन लोगों ने उस दौलत से फायदा उठाया उन्होंने अपने ही हितैषियों को आफत में डाल रखा है। यहीं तक नहीं जो अधिकार प्रत्येक देश में साधारण मनुष्यों को प्राप्त होते हैं उनको भी कुचल दिया गया है। उनके अपनी ही जमीन में खेती करने के अधिकारों को छीन लिया गया है। उनको अपने बनाये हुए मकानों में रहने और अपने ही एरिया में व्यापार करने का भी अधिकार नहीं है। जो वेटिंग्स रूम हिन्दुस्तानियों के लिये हैं वहीं पर उनको जाने दिया जाता है लेकिन गोरे रंग के लोगों को जाने के स्थानों में उनको नहीं जाने दिया जाता। डाकखाने के काउन्टर्स गोरों के लिये अलग हैं और हिन्दुस्तानियों के लिये अलग, हिन्दुस्तानी वहां नहीं जा सकते। टैलीफोन्स के स्थान भी गोरों के लिये और साउथ अफ्रीकन्स तथा हिन्दुस्तानियों के लिये अलग अलग हैं। आज जो यह सत्याग्रह वहां हो रहा है वह कोई हिन्दुस्तानियों के अधिकारों को प्राप्त करने के लिये नहीं हो रहा है। आज तो बड़ा प्रश्न उससे भी अधिक है और वह यह है कि साउथ अफ्रीका के निवासियों को जो कई हजार वर्षों से वहां रहते आ रहे हैं, जो वहां के मूल नागरिक हैं और उनके तमाम अधिकारों को छीन कर और उनको और देशों से भी बदतर बनाकर, इस तरह से जकड़ कर, उनका इस तरह से तिरस्कार करके और उनकी बेइज्जती करके ही रहने का ही मौका उनको नहीं मिल सकता, इस ढंग से वहां ज्यादती हो रही है। आज हमारे सामने प्रश्न यह है कि जो यह रंग भेद की नीति साउथ अफ्रीका में मलान गवनमेंट की तरफ से हो रही है, क्या इस नीति को हम या संसार सहन कर सकता है? संसार ने, सभ्य जगत ने अपना फैसला इस बार म दे दिया। यू० एन० ओ० ने एक मर्तबा नहीं बल्कि कई मर्तबा यह फैसला कर दिया कि यह बात अनुचित है और साउथ अफ्रीका को ऐसा नहीं करना चाहिए।

कुछ ही हफ्ते हुए, सदन के सदस्यों को याद होगा कि यह प्रश्न वहां पेश हुआ था और साउथ अफ्रीका को छोड़कर किसी ने भी इस सिद्धांत को मन्जूर नहीं किया। और यू० एन० ओ० ने भी यह कहा कि इस तरह की बर्बता इस युग में किसी का करना सर्वथा असहनीय है। इतना होने पर भी मलान ने अपना तरीका नहीं छोड़ा बल्कि और सख्ती बरती और नये नये कानूनों को बना दिया। यही नहीं कि यू० एन० ओ० ने ही इस चीज को घृणा की दृष्टि से देखा हो बल्कि सभ्य जगत के सभी लोगों ने इसको घृणा की दृष्टि से देखा है और इसके विरुद्ध अपना मत प्रगट किया है। यही नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट के कानून को वहां की अदालतों ने ही गलत बतलाया है, वहां की सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को वहां के विधान के विरुद्ध ऐलान करके हर तरह से गैर-कानूनी करार दिया। फिर भी मलान की

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

की नीति गलत ही रही और उन्होंने एक पार्लियामेंटरी कोर्ट की नयी ईजाद की। वहां का पार्लियामेंटरी कोर्ट भी फिर वहां गैर कानूनी करार कर दिया जा चुका है। गरज यह कि इस नीति को सभ्य जगत ने हर तरह से ठुकराया है। इसके साथ ही साथ वहां की जो वहीं के विधान से बनी हुई अदालतें साउथ अफ्रीका में हैं उन्होंने भी इसको विधान के विरुद्ध बतलाया है। परन्तु बावजूद इन सब बातों के यह सिलसिला फिर भी कायम है। मलान का जो नशा चढ़ा हुआ है वह उतरा नहीं है और आज जो आवाज हम उठाते हैं उसमें मुख्यतः तो हमारे एक आदर्श की रक्षा की बात विशेष है कि हम साउथ अफ्रीका के निवासियों को साउथ अफ्रीका में सबसे अधिक स्वाभाविक स्वतन्त्रता और सम्मान के साथ रहने का अधिकारी समझते हैं। इस तरह से साउथ अफ्रीका के जो निवासी हैं उन्हें हम समझते हैं कि वे अपने देश को जिस ढंग से ढालना और बनाना चाहें इसका उन्हें अधिकार है और जो भारत की नीति है वह भी बहुत साफ है और वह यह कि भारतीय जो अन्य देशों में हैं उनको उन देशों के निवासियों के स्वत्वों की सबसे अधिक परवाह करना है।

वह जो कुछ भी वहां करें, उससे उस देश के निवासियों का हित होना चाहिये। हम किसी भी देश में वहां के देशवासियों के हित को दबाकर फायदा उठाना नहीं चाहते।

हम प्रत्येक देश के नैसर्गिक अधिकारियों के अधिकारों को बढ़ाना चाहते हैं और जो साउथ अफ्रीका में आज सत्याग्रह हो रहा है उसे मुख्यतः साउथ अफ्रीका के ही निवासी कर रहे हैं, हमारे भारतवासी भी साथ हैं और यह बड़े संतोष की बात है कि सभी जोकि वहां गोरे नहीं हैं मिल जुल कर आज मनुष्य के इन मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिये शान्तिमय और सभ्यतापूर्ण उपायों से संग्राम कर रहे हैं। जो लोग अपने को तहजीबयाफ्ता कहते हैं, जो अपने को सभ्य कहते हैं, आज वे इस तरीक़े पर बर्बरता की बात को कर रहे हैं। वे मनुष्य के जो साधारण जीवन के लिये आवश्यक बातें हैं, उनमें भी दखलंदाजी कर रहे हैं और दूसरी ओर से जिनको ये लोग असभ्य कहते थे, वे सभ्यता की सर्वोच्च नीति को दिखला रहे हैं। शान्तिमय उपायों के द्वारा अपने स्वत्वों को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, जो लोग अदालतों में जब मुक़द्दमे होते हैं जमा होते हैं, उनके देखने को उनके ऊपर डंडे बरसाये जाते हैं, जो जेलों में रखे जाते हैं, उन्हें वहां होजपाइप से पीटा जाता है, पर फिर भी सब शान्ति के साथ अपना सारा काम करते हैं। यह सभ्यता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। एक तरफ से तो इस तरीक़े पर हिंसा की जाय, मनुष्यों के ऊपर हर तरह से अनादर करके, उनके स्वत्वों का अपहरण करके उसको व्यावहारिक रूप से गिराने की इस तरह से एक शैली बरती जाय और दूसरी तरफ से जिनके ऊपर ऐसे अत्याचार हों, जिनसे भड़कने की हर तरीक़े से गुंजायश हो सकती है, वह शान्तिमय उपायों को हर तरह से अपने लिये उचित समझें और शान्ति को किसी तरीक़े से छोड़े नहीं, यह सभ्यता का एक चमकीला नमूना है और हमें इस बात का गर्व है कि हमारे पूर्वीय देशों के लोग चाहे वे साउथ अफ्रीका में हों, चाहे जब भारत का संग्राम हो रहा था, भारत में थे, उन्होंने शान्ति को सर्वोच्च स्थान दिया और उन्होंने शान्ति की लड़ाई लड़ी और अमन को क़ायम रखा है, अपने ऊपर दुख और कष्ट को लेकर लड़े और जीते।

इसी तरह से आज हमें पूरा भरोसा है कि साउथ अफ्रीका के लोग विजयी होंगे और मलान की नीति संसार में चल नहीं सकेगी। साउथ अफ्रीकन्स की तादाद वहां के योरोपियन्स के मुक़ाबिले में चौगुनी से भी ज्यादा है। एक मुट्ठी भर लोग यह चाहें कि जब्र करके, ज्यादती करके, वहीं के रहने वाले लोगों को अपना गुलाम बना कर रहें, उनको कहीं भी बैठने की इजाजत न हो, जिस जगह पर चाहें वहां न बैठ सकें, उनको डाकखानों में जाकर हर जगह टिकट खरीदने की इजाजत न हो, उनको रेलों में जाने, डिब्बों में बैठकर किराया दे कर जाने की भी इजाजत न हो, उनको व्यापार करने का अधिकार न हो, उनको खेती करने का अधिकार न हो, उन जगहों में, जिनको वहां की सरकार सीमित कर दे, यह असहनीय बात है, यह दुनिया गवारा नहीं कर सकती। आज हम साउथ अफ्रीका के निवासियों को बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हैं, उन्होंने

जो एक उच्च आदर्श को प्राप्त करने के लिये सभ्यता के सर्वश्रेष्ठ तरीक़ों को अपने लिये क़ायम किया और उन्हीं पर वह डटे रहे। आज हमको इस बात का गर्व होता है कि भारतवासी और साउथ अफ्रीका के निवासी एक दूसरे से सहयोग करते हुये, प्रेमपाश में बंधकर उन जंजीरों से जिनसे उनको गुलामी के बदतर तरीक़ों में जकड़ने की कोशिश की जा रही है, तोड़ने में दत्तचित्त हैं। महात्मा गांधी ने पहले इसे आरम्भ किया था। उन्हीं का अस्त्र इन्होंने भी सम्हाला है और इसमें कुछ भी शंका नहीं कि इनकी विजय होगी। ये कामयाब होंगे। जो सत्य को लेकर खड़ा होता है, जो एक सही बात को करने के लिए खड़ा होता है जो मनुष्य के अधिकारों को दलने वाले हैं उनको उससे रोक कर उनका विरोध करके शान्तिमय तरीक़े पर संघर्ष करके मनुष्य के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सब प्रकार का तपस्या और कष्ट को झेलने को तैयार होता है, उसको दुनिया में कोई शक्ति नहीं जो दबा सके और जीतने से रोक सके। ये अवश्य विजयी होंगे। खेद यह है कि इस तरह के साउथ अफ्रीका की कार्यवाही से मानव समाज में आपस में एक वैमनस्य, आपस में संघर्ष, आपस में अविश्वास और बदमजगी पैदा होने का अंदेशा है। आज एशिया और अफ्रीका वे नहीं रहे जो पहले ज़माने में थे। आज एशिया में और अफ्रीका में हर जगह जागृति है। अफ्रीका में ही ट्युनिस मोरक्को, इजिप्ट सभी देशों में आत्मसम्मान के लिए वास्तविक स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए यज्ञ हो रहा है और यह समझना कि साउथ अफ्रीका के लाखों इन निवासियों के ऊपर इस तरह से जब्र किया जा सकेगा कि यह मूर्खता की बात है। इसकी संभावना नहीं हो सकती है। यह कुछ तसल्ली की बात है कि वहां के प्रतिष्ठित कुछ गोरे भी अब यह समझने लगे हैं कि मलान की यह नीति सर्वथा अनुचित है। उससे हर तरह की हानि होगी।

आपको मालूम होगा कि साउथ अफ्रीका के जो एक गवर्नर जनरल रहते थे उनके लड़के ने हाल में एलान किया है कि वह इस कम्पेन में शरीक होंगे और गवर्नमेंट के खिलाफ सत्याग्रह में हिस्सा लेंगे। चूंकि वह समझते हैं कि इससे गोरे रंग के लोगों का सबसे बड़ा नुक़सान होगा। एशिया की जनसंख्या के मुक़ाबले में यूरोप की जनसंख्या बहुत कम है। अमरीका को भी मिला कर इनकी संख्या बहुत कम रहती है। तो इस तरह से एक जातिवाद को फैला कर यूरोप और सफेद रंग के लोग जहां हों उनको एक टोली में अलग करके जो भारत के यह और गैर सफेद, अश्वेत लोग हैं, उनमें उनके खिलाफ एक माद्दा पैदा करना यह श्वेत वर्ण के लोगों के लिए भयावह है। यह उनके लिए खतरनाक बात है। इसको भी अब साउथ अफ्रीका के रहने वाले कुछ लोग समझने लगे हैं और वह इस बात को कहने लगे हैं।

आपने पढ़ा होगा एक अखबार में जो कि हाल ही में छपा है—

"Mr. Patric Duncan, eldest son of the late Sir Patric Duncan who was the first South African to become the Governor General of the Union in 1936 announced yesterday his decision to participate in the defiance compaign.

He will join a batch of Indian Congress resisters in Johannesburg on December 8, he said in a statement.

South Africa, Mr. Duncan declared, was facing the greatest crisis of its history. It was no longer in the power of white South Africans to impose on non-Whites discrimination based purely on colour.

If White South Africa tried to preserve the present caste system, it would be responsible for a race war that would probably destroy the country, Mr. Duncan added."

[स्वर्गीय सर पैट्रिक डंकन, प्रथम दक्षिण अफ्रीकी थे, जो १९३६ में संघ के गवर्नर जनरल हुए थे, उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री पैट्रिक डंकन ने कल अपना निश्चय घोषित किया कि वे अवज्ञा-अभियान में भाग लेंगे।

उन्होंने एक वक्तव्य में कहा कि वे ८ दिसम्बर को जोहेन्सवर्ग में एक भारतीय कांग्रेस प्रतिरोधियों के जत्थे में सम्मिलित होंगे।

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

श्री डंकन ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका अपने इतिहास के महत्तम संकट का सामना कर रहा है। यह श्वेत दक्षिण अफ्रीकियों की शक्ति के बाहर है कि वे अश्वेत लोगों पर केवल वर्ण मूलक भेदभाव आरोपित करें।

श्री डंकन ने कहा कि यदि श्वेत दक्षिण अफ्रीका ने वर्तमान जाति-प्रथा को बनाये रखने का प्रयत्न किया तो वह एक ऐसे जाति-युद्ध के लिए उत्तरदायी होगा, जिससे कि सम्भवतः समस्त देश का नाश हो जायगा।]

यह वहीं के एक सम्मानित नागरिक ने जोकि कुछ बुद्धि रखते हैं, इस बात को स्वीकार किया है, यह कह कर कि इससे साउथ अफ्रीका बरबाद हो जायगा। इस तरह के वर्णभेद के जरिये, अगर यह सिलसिला जारी रहा, तो साउथ अफ्रीका का नाश हो जायगा। जो लोग वहां इस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, वे साउथ अफ्रीका को बरबाद करने वाले हैं। यह दिखलाई देता है कि सत्याग्रह का प्रभाव वहां के निवासियों पर पड़ने लगा है और समझदारी आने लगी है और अब वहां के लोग धीरे-धीरे यह देखने लगे हैं कि डाक्टर मलान की जो नीति है, वह सर्वथा साउथ अफ्रीका के गोरों के लिये हानिकारक है।

हमें इस बात का गर्व है कि फिर हमारे देश के रहने वाले और साउथ अफ्रीका के रहने वाले, जोकि असभ्य कहलाते थे, उन्होंने दिखला दिया कि पूर्वी देशों की वास्तविक जो मौलिक सभ्यता है इसका आधार बड़ा गहरा है और वह संसार को ऊंचा उठाने वाली है। उनके पास चाहे नैसर्गिक और पार्थिव पदार्थ काफ़ी न हों, चाहे उनके पास आराम, सुख के साधन न हों, परन्तु उनके हृदयों में वही पुरानी ज्योति का अब भी आभास होता है और वे मनुष्य के आध्यात्मिक स्वत्वों को सबसे अधिक स्थान दे कर, उनकी रक्षा हर तरह की तकलीफ, मुसीबत और परेशानी को उठाकर भी कर सकते हैं। यह हमारी जो विशेष प्रकार की बधाई है, वह हम साउथ अफ्रीका के निवासियों को देते हैं। आज भारतवासी साउथ अफ्रीकनों के लिये और एक समुचित स्थान प्राप्त करने के लिये यह युद्ध कर रहे हैं और यह हमारे लिये भी अधिक संतोष की बात है कि आज कोई भारतीयों के स्वत्व का साउथ अफ्रीका में खास प्रश्न नहीं है, बल्कि साउथ अफ्रीका के निवासियों के नैसर्गिक अधिकारों का प्रश्न संसार के सामने है। इस ऊंचे आदर्श को हर तरह से प्राप्त करने में बल देना, उसकी शक्ति को बढ़ाना यह हम सब का कर्त्तव्य है। हमारी इस सदन में पहले से अभिलाषा थी कि हम इस तरह के प्रस्ताव को यहां उपस्थित कर सकें, परन्तु तब नहीं हो सका। आज हमें यह अवसर मिला है और हम अपने भाइयों को बधाई देते हुए भगवान् को धन्यवाद देते हैं कि फिर सभ्यता के सर्वोच्च सत्याग्रह के द्वारा मनुष्योचित अधिकारों की, मानवोचित मौलिक स्वत्वों की रक्षा की जा रही है और उसके लिये मनुष्य तपस्या के द्वारा मानव समाज को ऊंचा करने के लिये अपने ऊपर कष्ट, व्यथा और वेदना को ले रहे हैं।

मैं आशा करता हूं कि हमारे देश निवासी सब इस कार्य में यथासम्भव सहायता पहुंचायेंगे। हमारे देश में सब जगह इस बारे में सभाएं सभी की हो चुकी हैं। बिना किसी राजनीतिक या सामाजिक या और किसी प्रकार के मतभेद के सभी ने मिलजुल कर इन सभाओं में मलान की नीति को घृणा से देखा है और अपना यह भी संकल्प प्रकट किया है कि वह साउथ अफ्रीका के लोग, जो वहां भारतवासी हैं और जो पहले वहां भारतवासी प्रवासी थे, उनकी संतान हैं, वह भी एक तरह से साउथ अफ्रीकन ही हैं, उनको हम, यथासंभव, जहां तक हम से होगा, सहायता पहुंचायेंगे।

हमारी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट आफ इंडिया, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के सूत्रधार और जोकि उसके संचालन कर्त्ता हैं, हमारे प्रधान मंत्री, वे भी हर तरह से इस कार्य को सम्पादित करने के लिये जोकि तरीक़े एक स्वतंत्र देश के हो सकते हैं, उनको निरंतर काम में ला रहे हैं, जिससे की मानवता का पतन न हो और मानव अब इस सभ्य जगत में अपने उच्च आदर्श को प्राप्त करने में सफल हो सके। मैं आशा करता हूं कि यह सदन इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार करेगा।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री द्वारा उपस्थित संकल्प के अन्त में निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं--

"साथ ही यह विधान सभा भारत सरकार से सिफारिश करती है कि रंगभेद संबंधी अमानवीय नीति पर ब्रिटेन और आस्ट्रेलिया के निन्दनीय रुख को देखते हुये यह राष्ट्र मंडल यानी कामनवेल्थ से भारत का तुरन्त सम्बन्ध विच्छेद करले।"

श्री अध्यक्ष (मुख्य मन्त्री से)--क्या आप कोई वैधानिक आपत्ति उठाना चाहते हैं।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--जी हां, मैं समझता हूं कि यह जो संशोधन उपस्थित किया गया है, इसके साथ जुड़ता नहीं और यह एक नया विषय कि सम्बन्ध अलग करले, इसमें लाता है जोकि इसके स्कोप को भी बढ़ा देता है। इसलिये यह आ नहीं सकता है।

श्री अध्यक्ष (श्री राजनारायण से)--जो आपत्ति उठाई गयी है, उसके संबंध में आप कुछ कहना चाहते हैं?

श्री राजनारायण--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री की यह आपत्ति मैं समझ सकने में असमर्थ हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी का जो संकल्प है, वह बहुत ही सुन्दर है और जिन भावनाओं को उन्होंने व्यक्त किया है, वे भावनाएं भी सराहनीय हैं। उसमें जो मेरा संशोधन है माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रस्ताव की भावना को मूर्तिमान स्वरूप देने के लिये ही है। इसलिये यह कहना कि यह संशोधन इसकी सीमा को बढ़ाता है, मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है। अगर माननीय मुख्य मंत्री जी देखें तो ठीक तरीक़े से उन्होंने दक्षिणी अफ्रीका के शांतिमय सत्याग्रह के प्रति प्रशंसा प्रकट की है और सहानुभूति प्रकट की है। दक्षिण अफ्रीका की सरकार की जो रंगभेद नीति है तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की जो अवहेलना हुई है, उससे विश्व शांति के लिये एक खतरा उपस्थित हो गया है, इन तमाम बातों का वर्णन माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रस्ताव में है। सचमुच आज खतरा उपस्थित है, मगर केवल मौखिक सहानुभूति उपस्थित करने से खतरा दूर नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष--आप मेरिट्स पर जा रहे हैं।

श्री राजनारायण--मैं आप के द्वारा माननीय मुख्य जी से सादर साग्रह निवेदन करूंगा कि जो हमारा यह संशोधन है, बहुत ही उचित संशोधन है। इस संशोधन को उनको स्वीकार कर लेना चाहिये। इस संशोधन में जो भावना व्यक्त की गयी है, उन भावनाओं को पूरा करने के लिये ही कारगर तरीक़े से रखा गया है। मैं समझता हूं कि जो प्रस्ताव उपस्थित किया गया है अगर वह इस संशोधन के साथ नहीं जाता है तो वह बिलकुल अधूरा ही रह जायगा और उसमें जो भावनाएं व्यक्त की गयी हैं वे केवल मौखिक भावनाएं ही रह जायंगी और जो हमारी सक्रिय सहायता हो सकती है वह हम नहीं कर पायेंगे। इसलिये मैं आप से इजाज़त चाहूंगा कि मैंने जो संशोधन उपस्थित किया है उस संशोधन पर ठीक तरीक़े से वादविवाद होने दिया जाय क्योंकि यह उसके बाहर नहीं जाता है।

श्री अध्यक्ष--एक वैधानिक आपत्ति यह उठायी गयी है कि जो संकल्प इस भवन के सामने पेश किया गया है और जो संशोधन पेश है उसका कोई संबंध नहीं जुड़ता और उसके स्कोप को बढ़ा देता है और साथ ही तुक भी नहीं मिलती है। जहां तक संशोधन के संबंध में नियम १७७ में दिया हुआ है, वह यह है कि यदि कोई संशोधन अगर मंजूर कर लिया जाय और वह मूल संकल्प के बिल्कुल विरोध में जाता हो तो वह संशोधन अनियमित हो जायगा या जो असम्बद्ध सा हो। ऐसी कोई चीज मुझे इस संशोधन में नहीं दिखायी देती कि यदि यह पास हो जाय या स्वीकार कर लिया जाय तो मूल प्रस्ताव के विपरीत चला जाय। स्कोप के बढ़ाने का जहां तक संबंध है, वह प्रश्न केवल तभी उठ सकता है, जब कि कोई विधेयक भवन के सामने मौजूद हो उसकी परिधि या उद्देश्यों के विपरीत जाता हो। संकल्प में तो स्कोप बढ़ाया जा सकता है। चूंकि संकल्प एक ऐसी चीज है जो कि नया विचार सदन के दिल में आये, कोई महत्त्वपूर्ण विषय सामने हो तो उस सम्बन्ध में यह सदन यह भी संकल्प

[श्री अध्यक्ष]

कर सकता है कि उसको अधिक बढ़ा दिया जाय और बहुत अधिक स्कोप बढ़ाने का भी पूर्ण अधिकार इस सदन को है। मूल संकल्प ही में समझता हूं जो साधारण विधान में इस सदन को अधिकार है, उस अधिकार के बाहर जाता है क्योंकि हमको सिफारिश करनी पड़ती है केन्द्रीय सरकार द्वारा एक विदेशी सरकार से कोई चीज़ करने के लिये। यदि यह सिफारिश करने का अधिकार इस सदन को है, तो यह कोई बात नहीं है कि दूसरे क़िस्म की सिफारिश क्यों न करें। इसलिये स्कोप बढ़ने से भी कोई आपत्ति उसमें उठ नहीं सकती। मैं समझता हूं यह संशोधन विधान के विपरीत नहीं है और नियमानुकूल है।

श्री राज नारायण--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन उपस्थित किया है उसके सम्बन्ध में पहिले ही आपके द्वारा इस सदन को निवेदन किया था कि यह संशोधन अगर नहीं पास किया जाता है और मुख्य मंत्री जी द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है तो उपर्युक्त माननीय मुख्य मन्त्री जी के द्वारा जो संकल्प उपस्थित किया गया है वह अधूरा रह जायगा। आज जब सारी दुनिया में एक मानव-समाज की लहर पैदा हुई है, आज बिल्कुल मानवीय गुण प्रशस्त होकर प्रगट हो गये हैं और मानवीय मर्यादायें क्या हैं उसको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है, उस समय रंगभेद पर कोई सरकार चले यह कितना निन्दनीय है उसकी जितनी भी निन्दा की जाय वह कम है। मगर हम जिस तरीके से अपनी संभावना, सहानुभूति और प्रशंसा, दक्षिणी अफ्रीका के सत्याग्रहियों को भेज रहे हैं, वह हमारी सद्भावना तथा प्रशंसा उस शांतिमय सत्याग्रह के प्रति सक्रिय रूप में नहीं जायेगी, यदि आज अपनी केन्द्रीय सरकार के पास इस उत्तर प्रदेश का यह सदन जोकि हमारे भारतवर्ष के सबसे बड़े विशाल प्रान्त की विधान सभा है उसका यह संशोधित संकल्प नहीं भेजते हैं। उत्तरी भारत का जो इतना बड़ा क्षेत्र है उसकी जो विधान सभा है, उस विधान सभा के सम्मानित सदस्य आज केन्द्रीय सरकार से निवेदन करते हैं कि अगर इस रंगभेद की नीति को समाप्त नहीं किया जाता है जिससे सारे विश्व की शान्ति के लिये खतरा है तो हम उतनी दूर भी जाने के लिये तैयार हैं जिससे राष्ट्र मंडल से हमारा सम्बन्ध विच्छेद हो।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कामनवेल्थ से सम्बन्ध विच्छेद होने की बात कोई नई बात नहीं है। महात्मा गांधी का जो हमने अफ्रीका के सत्याग्रह के सम्बन्ध में नाम लिया, हमारे मुख्य मन्त्री जी ने नाम लिया, उसकी सार्थकता इसी में है कि हमारा संशोधन स्वीकार हो। यदि हम अपनी आजादी की लड़ाई के मूल को देखते हैं तो उस समय अगर हम ख्याल करें तो हमने ब्रिटिश कामनवेल्थ से बारबार अलग होने की मांग की है और सदन का प्रत्येक सम्मानित सदस्य इस बात को जानता है। मैं समझता हूं कि अब वह समय आ गया है, जबकि हमें समझना चाहिए कि ऐसे एक गुट में, ऐसे राष्ट्र मंडल में, जिसमें कि रंग भेद की नीति चलाने वाली सरकारें भी शामिल हों उसमें रहना हमारे लिये कलंक की बात है। जहां ब्रिटेन क्या कहता है और उसी के साथ-साथ आस्ट्रेलिया क्या कहता है? जब मलान सरकार की नीति के सम्बन्ध में हम टीका टिप्पणी-करते हैं, सक्रिय कदम उठाने की बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्रसंघ में उस बात को आगे बढ़ाने की बात कहते हैं तो ब्रिटेन की ओर से, आस्ट्रेलिया की ओर से एक दबी हुई सी नीति रखी जाती है और उनके कार्यों से मलान सरकार को अपनी रंगभेद की नीति को कार्यान्वित करने में सहायता मिला करती है। क्या कारण है कि ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया जब-जब सन् ४६ और सन् ४८ में मलान सरकार की नीति को दबाने की बात आयी, तब तब उक्त राष्ट्र संघ में तटस्थ रहे। भारतीय सरकार ने अपना सम्बन्ध-विच्छेद तो मलान सरकार से किया ही है और सम्बन्ध विच्छेद किये हुए काफी समय भी हो गया है। अब तो यह अवसर आगया है कि वहां जब इस तरह की दमन नीति जारी है जब इस तरीके से मानवता को कुचलने की भावना जारी है, तो इस भावना को जारी रखने देने में जो राष्ट्र सहायक हों, उनसे भी हमारा अब तक का रिश्ता टूटे। हम

ब्रिटिश राष्ट्र मंडल में क्यों बने हैं ? यह बात समझ में नहीं आती है। इसलिये हमें अपनी दृष्टि खोलनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि हम अपनी आजादी प्राप्त करके आज सारी दुनिया में विश्व शान्ति के लिये अग्रदूत का जो काम करना चाहते हैं, उस काम को कर रहे हैं या नहीं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये से माननीय मुख्य मन्त्री जी से और सदन के सम्मानित सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि यह हमारी विधान सभा केन्द्रीय सरकार के हाथ मजबूत करे और यह कहे कि अब वैदेशिक नीति में घपलेबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। भारत इस तरह से अपने चरित्र को ऊंचा करना चाहता है, भारत का आत्मबल संगठित है, भारत की यह परम्परा है कि भारत जाति भेद वाली नीति को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता है।

जब हम विश्वशान्ति की बात करते हैं तो हम इस बात को साफ कर देना चाहते हैं कि दुनिया में शान्ति किस तरह से कायम रह सकती है। इस बात को अगर भारत आगे लेकर नहीं चलेगा तो फिर कौन चलेगा ? भारत की मर्यादा गौर परम्परा बतलाती है और उसका आवाहन करती है कि भारतवर्ष विश्व-शान्ति की बात उठावे। लेकिन आज अमेरिकन सरकार और ब्रिटिश सरकार जो नीति चला रही है और आस्ट्रेलिया जिस नीति का समर्थन कर रहा है उससे विश्वशान्ति नहीं स्थापित होगी। एक तरफ रूस अपनी ओर खींचातानी कर रहा है दूसरी तरफ अमेरिका, अपनी ओर खींचातानी कर रहा है। इस तरह से आज दुनिया के भिन्न-भिन्न देश दो टुकड़ों में बटे हुए हैं केवल हम तृतीय शक्ति की स्थापना द्वारा विश्वशान्ति की बात करते हैं। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि हमारी यह विधान सभा केन्द्रीय सरकार से कहे और केन्द्रीय सरकार अन्तर्राष्ट्रीय जगत में मजबूत कदम उठावे। इसके माने होंगे कि हम स्पष्ट तरीके से कहें कि सारे विश्व के लिये एक तरह की राजनीतिक व्यवस्था हो, एक तरह की आर्थिक व्यवस्था हो और सारे विश्व के आर्थिक विकास की एक संस्था हो। तब तो सारे देश के लिये एक समुचित कानून बनाया जा सकता है, समानता का कानून बनाया जा सकता है।

यदि आज हम भारतवर्ष की ओर से यह आवाज उठायें तो यह आवाज हमारी मर्यादा के अनुकूल है। यह हमारी मर्यादा और गौरव को सुरक्षित करने वाली है। इसलिये हम ज्यादा समय न लेकर माननीय मुख्य मन्त्री जी से अपील करेंगे कि हमने उनके संकल्प में संशोधन प्रस्तुत किया है वह जो उनके संकल्प से उद्देश्य निकलता है उसकी पूर्ति में साधक है, बाधक नहीं है और इस उद्देश्य की पूर्ति हो नहीं सकती जब तक कि मन्त्री जी हमारे इस संशोधन को कबूल नहीं करेंगे। इसलिये मुख्य मन्त्री जी इसको अच्छी तरह से समझ-बूझ लें। हम न तो उनके संकल्प के स्कोप (दायरे), को बढ़ा रहे हैं और न हम संकल्प के उद्देश्य से ही बाहर जा रहे हैं, बल्कि उसी की पूर्ति के लिये हम चाहते हैं कि आज भारतवर्ष स्पष्ट शब्दों में घोषित करे कि अगर इस तरह की नीति रही तो ब्रिटिश कामनवेल्थ से हमारा कोई नाता नहीं रह जायगा। आज मलान सरकार के प्रतिनिधि भी राष्ट्रमंडल में बैठे हुए हैं, हम भी बैठे हुए हैं और आस्ट्रेलिया तथा कनाडा ऐसे देशों के प्रतिनिधि भी बैठे हुए हैं। रंगभेद की नीति चलती है इसके क्या मानी हैं ? मैं प्रधान मन्त्री के प्रति आदर और श्रद्धा रखते हुए भी कहूंगा कि पंडित जी की वैदेशिक नीति कहने के लिये तटस्थ है लेकिन वह आज तटस्थ नहीं रह गयी है बल्कि वह डावांडोल रहती है। एक तरफ रूस की ओर जाने के लिये प्रेरित होती है तो दूसरी तरफ अमेरिकन गुट में जाने के लिये प्रेरित होती है।

मैं पूछना चाहता हूं कि अगर हम सक्रिय तटस्थता की नीति को आरम्भ से ही कार्यान्वित किये होते और वह राष्ट्र जो विश्वशान्ति को लेकर दुनिया में समानता, बराबरी और भाई चारे के सिद्धांत को लेकर के चलने की प्रतिज्ञा करते हैं, उनको अपने साथ ले चले होते तो आज हम कितना आगे पहुंचे होते।

श्री अध्यक्ष--माननीय सदस्य को, जो संकल्प सामने है उसी पर अपने को सीमित रखना चाहिये ।

श्री राज नारायण--आज जो संकल्प माननीय मुख्य मन्त्री जी ने उपस्थित किया है, उसमें विश्वशान्ति को खतरे की चर्चा की गई है, उसमें कितनी कमी हुई होती हमें उसके कहने में हिचकना नहीं चाहिए। अगर १५ अगस्त, सन् १९४७ ई० से जब से भारत स्वाधीन हुआ तब से इस तरह की नीति को चलाया होता तो क्या मलान सरकार की यह हिम्मत पड़ती कि इस तरह से अपने देश के निवासियों को नागरिकता के अधिकारों से वंचित करने की कोशिश करती ? कदापि कोशिश न करती। आज हिन्दुस्तान में एक खेतिहर के पीछे सवा एकड़ जमीन पड़ती है जबकि रूस के एक खेतिहर के पीछे तीस एकड़ जमीन और अमेरिका में सत्तर एकड़ जमीन पड़ती है। हमारी ओर से इस तरह की भी मांग क्या नहीं हो सकती कि जहां पर मानव समाज की बात होती है, जहां पर विश्व मस्तिष्क की बात होती है, विश्व पार्लियामेंट की बात होती है, वहां जहां घनी आबादी है (जैसे हिन्दुस्तान और चीन) उस देश के लोग दूसरे देशों में जाकर बस सकते हैं। आस्ट्रेलिया में जाकर बस सकते हैं। आज आस्ट्रेलिया में इस तरह का सवाल किया जाता है कि वहां काले मजदूर काम करने नहीं पायेंगे। क्यों नहीं करने पायेंगे ? जो काले मजदूर काम करते हैं उनको नागरिकता के अधिकार क्यों प्राप्त नहीं होंगे ? यह सवाल विचारणीय है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं और आपके द्वारा माननीय सदस्यों से अपील करना चाहता हूं कि यदि आज वे अपनी विदेशी नीति में ठोसपन नहीं लाते, मजबूती नहीं लाते तथा सक्रिय तरीके से, शुद्ध तरीके से यह ऐलान नहीं करते कि भारत उस विश्व पार्लियामेंट का अंग बनेगा जो विश्व पार्लियामेंट एक मानव-समाज की स्थापना करे, बराबर के समाज की स्थापना करे और उसके साथ साथ समानता के समाज की स्थापना करे, सारे मुल्कों की समान आर्थिक पद्धति हो, समान राजनीतिक पद्धति हो और सारे विश्व की एक खाद्य मन्डी हो, तो भारत अपने कर्तव्य से च्युत होता है। अगर भारत में अकाल है तो उस देश से जहां कि अनाज का भन्डार है वहां से भारत को अन्न आने के लिये कोई सौदेबाजी की आवश्यकता नहीं है। भारत को विचार विमर्श करने के लिये लम्बी-चौड़ी अवधि बढ़ाने के लिये आवश्यकता नहीं है। मानव समाज की रक्षा के लिये, मानवता के उद्धार के लिये हमको एक ईकाई के समान अधिकार लेने हैं, तब जाकर विश्व मस्तिष्क के जरिये विश्व पार्लियामेंट स्थापित हो सकती है, वर्ना नहीं हो सकती है।

इसलिये आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्य मन्त्री और इस सदन की चाहे जो कुछ भी भावनायें हों, पंडित नेहरू के वैदेशिक नीति के प्रति, मगर उत्तर प्रदेश की विधान सभा और उत्तर प्रदेश की विधान सभा के सम्मानित सदस्यों को यह प्रस्ताव पेश करना चाहिए कि विश्वशान्ति के लिये जो भयावह खतरा उपस्थित हो रहा है, श्वेत और अश्वेत रंग भेद की नीति के कारण मलान सरकार की उस नीति के कारण और बढ़ता जा रहा है। उसको देखते हुए भारत एलान करता है कि वह ब्रिटिश कामनवेल्थ से, राष्ट्र मन्डल से अपना सम्बन्ध विच्छेद करता है, हमारे इस काम से आदरणीय अध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी की आत्मा को भी शान्ति मिल सकेगी, महात्मा गांधी का नाम हम बार-बार लेते हैं, महात्मा गांधी ने अफ्रीका में शान्ति का सत्याग्रह आरम्भ किया था, शान्ति का सन्देश दिया था, उसी शान्ति के सन्देश और सत्याग्रह को लेकर भारत में आने के बाद महात्मा जी के पद चिन्हों पर चल कर हमने अपने राष्ट्र की आजादी प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है, हम अपने प्रति तथा महात्मा गांधी के प्रति तभी वफादार हो सकते हैं, जब हमारा काम अफ्रीका के उन लोगों को आजादी दिला सके जो अपने मानवीय अधिकारों की रक्षा के लिये लड़ाई लड़ रहे हैं।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश कर रहा हूं। शब्द ये हैं--

तीसरी लाइन में "प्रगट करती है" वाक्य के पश्चात् "एवं जिन थोड़े श्वेत लोगों ने उक्त आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया है अथवा हमदर्दी जाहिर की है, उन्हें हार्दिक धन्यवाद देती है" जोड़ दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मुख्य मन्त्री ने अपने व्याख्यान में कहा है कि और अखबार पढ़ने वाले लोग जानते हैं कि वहां अत्याचार से पीड़ित होकर अश्वेत ही नहीं श्वेत भी परेशान हैं। उन्होंने हमारा साथ देने के लिये कहा है। एक गवर्नर साहब के पुत्र ने कहा है "मैं भी सत्याग्रह करूंगा और जेल जाऊंगा। सत्याग्रह वह बड़ा नहीं है जो दुश्मन को हरा दे, बल्कि वह बड़ा है। सत्याग्रही तो दुश्मन को भी जीत लेता है और वह जीतता है उसको दोस्त बनाकर। इसी सफलता का चिन्ह हम अपने देश में स्वयं देख रहे हैं। इस कारण जो वहां पर रंगभेद की नीति बरती जा रही है और उसमें जो श्वेत हमारा साथ दे रहे हैं और भारतीयों का साथ दे रहे हैं और सहानुभूति दिखा रहे हैं, तो उनके लिये हमारा कर्त्तव्य है कि हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकाशित करें। जिस समय रावण और राम में युद्ध चल रहा था तो उस समय लंका से विभीषण राम के पास आया था। उस समय सबने कहा कि यह रावण का दूत है और भेद लेने आया है लेकिन राम ने उसको लंकेश कह कर पुकारा था और उसका वेलकम किया था। तो हमारी संस्कृति तो यही कहती है कि हम दोस्त बनाकर उन पर विजय प्राप्त करें। हमारा हिन्दुस्तान अब वह हिन्दुस्तान नहीं रहा है हिन्दुस्तानियों ने वह करिश्मा दिखा दिया है और दुनिया के सामने एक नई हिस्ट्री रख दी है। संसार की हिस्ट्री में कोई ऐसी मिशाल नहीं मिलती है कि जिसने बिला किसी तलवार के क्रान्ति की हो, लेकिन हिन्दुस्तान ने बिला किसी हथियार के ही उस क्रान्ति को कर दिया। जिसने यह क्रान्ति की उसने कुर्सी को ग्रहण भी नहीं किया और "रघुपति राघव राजाराम" के सहारे ही सब काम कर दिया। यही नहीं, जिसने मुखालफत की उसको कुर्सी दी गई और उसी को गवर्नर जनरल बनाया गया। अन्य देश में वे स्वयं कुर्सी पर बैठे, जैसे कमालपाशा आदि, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं किया गया। इस कारण हमारा कर्त्तव्य है कि अफ्रीका में जो अश्वेतों के साथ भेद बरता जा रहा है, वह दूर हो और वहां पर बराबरी का दर्जा अश्वेतों को प्राप्त हो। यह एक सत्य बात है और दुनिया की सहानुभूति हमारे साथ है। इस कारण यह हमारा कर्तव्य है कि हम उनके साथ सहानुभूति प्रगट करें, जो श्वेत लोग वहां पर अश्वेतों का साथ दे रहे हैं।

श्री शम्भुनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री ने जो दक्षिण अफ्रीका के सम्बन्ध में प्रस्ताव आज इस सदन में रखा है और जो उद्गार प्रगट किये वह हमारे हृदय की आवाज है, किन्तु इस प्रस्ताव का अन्तिम भाग कुछ मुझे असंगत सा मालूम होता है। प्रस्ताव में कहा गया है कि हम दक्षिणी अफ्रीका की सरकार से आग्रह करते हैं कि वह अपने प्रदेश से इस रंगभेद की नीति को समाप्त कर दे। जिस सरकार ने हमारी बातों को बार-बार ठुकराया है। उससे फिर इस तरह बात करें और उसके सामने आरजू लेकर जायें तो यह मुझको अपने देश की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल मालूम होता है। इसलिये मैं यह छोटा सा संशोधन यहां पर उपस्थित करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि वह स्वीकार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष—आपने संशोधन की कोई नकल मेरे पास नहीं भेजी है।

श्री शम्भुनाथ चतुर्वेदी—मैं आपके पास भेज दूंगा। मैं यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि "संयुक्त राष्ट्र संघ की अवहेलना को विश्वशान्ति के लिये भयावह समझते हुए" के बाद यह शब्द बढ़ा दिये जायं, "संघ के सब राष्ट्रों से आग्रह करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रतिष्ठा व मानवोचित अधिकारों की रक्षा के हेतु वह ऐसे उपाय अमल में लावे जिससे दक्षिणी अफ्रीका की सरकार अपने देश से श्वेत और अश्वेत के भेद को समाप्त करने के लिये विवश हो।"

यह संशोधन मैंने इसलिये रखा है कि आज दक्षिणी अफ्रीका में संघर्ष चल रहा है और उसके रोकने के लिये जो बात की गई उसको सुना नहीं गया। अब उस सरकार से कुछ नहीं कहना है।

[श्री शम्भुनाथ चतुर्वेदी]

जो कुछ हम कहना चाहते हैं वह राष्ट्र संघ से कहें और उसके सामने यह प्रश्न आ भी चुका है जिसने कोरिया में जाकर एक देश की स्वाधीनता की रक्षा के लिये शस्त्र उठाये, क्या वह मानवता के अधिकारों की रक्षा के कोई उपाय काम में नहीं ला सकती? इसलिये यह मैं समझता हूं कि यह संशोधन बहुत ही उपयुक्त है। इस नीति से यही नहीं कि केवल मानवता के अधिकारों का हनन हो रहा है बल्कि विश्वशान्ति को खतरा पैदा हो गया है और राष्ट्र संघ को भी खतरा उत्पन्न हो गया है।

अगर यह श्वेत अश्वेत की समस्या राष्ट्र संघ के द्वारा हल न हो सकी तो यह निश्चय है कि राष्ट्र संघ थोड़े दिनों में छिन्न-भिन्न (डिसइन्टीग्रेड) हो जायगा और उसकी कोई प्रतिष्ठा न रह जायेगी। इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे संशोधन को स्वीकार किया जाय।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो तीन संशोधन मूल प्रस्ताव में पेश किये गये हैं, मैं उन तीनों संशोधनों का विरोध करता हूं और मैं मूल प्रस्ताव में एक अपना संशोधन पेश करना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष--आप कृपा करके अपना संशोधन मेरे पास भेज दीजिए। मैं अन्य माननीय सदस्यों को बतलाना चाहता हूं कि इसके बाद जो सदस्य संशोधन पेश करने वाले हों वे संशोधन लेकर न खड़े हों। मैं संशोधन भेजने के लिये ५ मिनट का समय देता हूं, उसमें जिनको संशोधन भेजना हो वे मेरे पास भेज दें, अगर कोई संशोधन इस समय में मेरे पास न आयेगा तो मैं उसको पेश करने की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री नेकराम शर्मा--मेरा संशोधन इस प्रकार है कि "शान्तिमय सत्याग्रह के प्रति प्रशंसा" के पश्चात् "हर प्रकार की उचित सहायता" शब्द और जोड़ दिये जायं।

अध्यक्ष महोदय, हमारे विरोधी दल के नेता ने जो अपना संशोधन सदन के सामने पेश किया है कि कामन वेल्थ से सम्बन्ध विच्छेद कर दिया जाय और उन्होंने जो अपने प्रस्ताव के समर्थन में कहा है कि वह भारत की विदेशी नीति से सहमत नहीं हैं और उन्होंने जो उस पर आक्रमण किया है उसको मैं ठीक नहीं समझता। हमारे भारतवर्ष की विदेशी नीति की सभी ने प्रशंसा की है। हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ही नहीं बल्कि देश के सभी नेताओं ने उसकी प्रशंसा की है और जो हमारी नीति है वह एक सफल नीति है और रहेगी। इसके सम्बन्ध में यह कहना कि हमारे भारत की विदेशी नीति असफल रही है यह मैं मानने को तैयार नहीं हूं। हमारे विरोधी दल के नेता को यह मालूम होना चाहिए कि अमरीका जैसा शक्ति शाली राष्ट्र एक जमाने तक सन् १८९९ ई० तक एक अपनी तटस्थ नीति को अपनाता चला आया और उसका यह नतीजा है कि वह आज इतना शक्तिशाली राष्ट्र दुनिया का है। हां, यह बात सही है कि मलान सरकार की इतनी हिम्मत न पड़ती और न वह इतनी जुल्म की नीति को अपना ही सकती थी अगर उसके पीछे एंग्लो अमरीकन ग्रुप का हाथ न होता। यू० एन० ओ० में रंगभेद और जाति-भेद के विरुद्धप्रस्ताव आया, परन्तु वह एंग्लो अमरीकन ग्रुप उस प्रस्ताव के विरुद्ध छिपे तौर से मलान सरकार की मदद कर रहा है और जिससे भारत एंग्लो अमरीकन ग्रुप में शामिल हो जावे। और अकेले उस सरकार की इस तरह की कभी हिम्मत नहीं पड़ती। उनका हाथ मलान सरकार की इस नीति में जरूर है। माननीय चतुर्वेदी जी ने कहा कि हमें अब मलान सरकार से आग्रह नहीं करना चाहिए इससे मैं सहमत नहीं हूं। महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह का यह उसूल था और उनका यह ढंग था कि जो जुल्म करता हो उसके पास ही फरयाद लेकर जाना चाहिए और उसके ऊपर प्रेशर डालना चाहिए कि वह इस प्रकार की नीति को बदले।

लेकिन उसका असर तभी हो सकता है जबकि दूसरे देश, एंग्लो-अमेरीकन ग्रुप, यह जानें कि हिन्दोस्तान में भी शक्ति है। "भय बिन होइ न प्रीति" ऐसा कहा गया है। यह कामनवेल्थ का जो प्रस्ताव है यह वास्तव में हमारे देश की वैदेशिक नीति से संबंध रखता है

और हमारे वैदेशिक मंत्री हैं, जो एक सफल नेता हैं, जो तटस्थ की नीति अपना रहे हैं और कार्यरूप में सफल परिणत कर रहे हैं, उसके विषय में दो राय नहीं हो सकती। हमारी केन्द्रीय सरकार ने साउथ अफ्रीका के साथ व्यापार करना बन्द ही नहीं कर दिया, बल्कि हर उचित क़दम उठाने को तैयार है। फिर विदेशी नीति की निन्दा करना कहां तक उचित है मैं नहीं समझता। एक स्वतंत्र देश के नाते हम उनसे चाहते हैं कि मलान सरकार अपना रवैया बदले। यदि उसने अपना रवैया नहीं बदला, तो जैसा कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा है, उन्होंने मूल प्रस्ताव में इसका संकेत किया है, दुनिया में एक युद्ध आ सकता है जिससे ये जातिवाद, रंगभेद तथा पूंजीवाद भी समाप्त हो जावेंगे। मैं इन तीनों प्रस्तुत प्रस्तावों का विरोध करते हुये माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसमें शब्द "प्रशंसा" के बाद 'हर उचित सहायता" शब्द जोड़ कर इस प्रस्ताव को हाउस के सामने पेश करें और मुझे विश्वास है कि हाउस इसका समर्थन करेगा।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)--अध्यक्ष महोदय, मैं संयुक्त दल की ओर से माननीय मुख्य मंत्री जी के संकल्प का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हमारे मुख्य मंत्री जी ने साउथ अफ्रीका की घटनाओं का वर्णन विस्तारपूर्वक और ऐतिहासिक रूप से दे दिया है। उस सम्बन्ध में मेरा कुछ कहना आवश्यक नहीं है। जैसा हमारे मुख्य मंत्री जी ने कहा, दिन ब दिन दुनिया सिकुड़ती जाती है। जो पहले एक दूर विदेश था वह आज हमारा पड़ोसी देश सा बन गया है। दक्षिण अफ्रीका और हिन्दुस्तान में अब समुद्र का कोई विशेष फासला नहीं रहा है। फिर भी यह आश्चर्य और दुख की बात है कि वहां भारत के निवासियों पर आज इतने अत्याचार हो रहे हैं, जैसा हमारे मुख्य मंत्री जी ने कहा। भारत सरकार की ओर से हमेशा यह संकेत दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों को दिया जाता रहा है कि वहां की सरकार बुरा न समझे, क्योंकि जब तक वे साउथ अफ्रीका में रहते हैं वहां की सरकार उनकी सरकार है। जो संशोधन श्री राजनारायण जी ने पेश किया है उसके बारे में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि यदि उनका संशोधन मान लिया जाता है तो वह भी अधूरा ही रह जाता है। यदि वह यह चाहते हैं कि चूंकि कामनवेल्थ के देश हमारे साथ सहानुभूति नहीं दिखाते हैं किन्तु हमारे विरोध में हैं तो पांडेचेरी में फ्रांस की सरकार भी हमारा विरोध कर रही है और गोआ में पोर्चुगीज सरकार कुछ हद तक हमारे विरोध में है और सीलोन में भी हमारे भाइयों को सताया जा रहा है, तो इन देशों के साथ भी हम अपना राजनीतिक संबंध तोड़ दें। यह उनका ग़लत विचार है कि राजनीतिक संबंध तोड़ने से ही उसका उपाय मिलेगा।

किन्तु यह आश्चर्य प्रकट करना मुनासिब समझता हूं, विशेषकर अपने भारत के मान्य और प्रमुख नेताओं के सामने और उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे इस प्रश्न का सही उत्तर ढूंढ़े कि आज सारी दुनिया भारतवासियों के पीछे क्यों पड़ी है? कामन वेल्थ के नेशन्स हमारे पीछे पड़े हुए हैं, गोआ में पोर्चुगीज की सरकार, सीलोन में सीलोन की सरकार और साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका की सरकार भारतवासियों के पीछे पड़ी हुई है। हमें इसका कोई सही उत्तर और सही जवाब निकालना आवश्यक है। अन्त में मैं यही कहूंगा कि भारतवर्ष के प्रत्येक निवासी की यह आशा है और ईश्वर से यह प्रार्थना है कि दुनिया में जो रंग-भेद यानी सफेद और काले के बीच में जो अंतर किया जाता है वह दूर हो, ईश्वर मनुष्यों में ऐसी भावना पैदा करे कि वे हर इंसान को भाई भाई समझने लगें। चाहे कोई सफेद हो, चाहे कोई काला हो या लाल हो। उन सबको वे समझें कि वे सब इंसान हैं, सब उसी एक प्रभु के बनाये हुए हैं और मनुष्यों के नाते भाई भाई हैं।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मूल संकल्प का समर्थन करता हूं। प्रश्न यह है कि साउथ अफ्रीका में आजकल जिस डमोक्रसी की रूप-रेखा रखी जा रही है वह बीसवीं शताब्दि के लिये कहाँ तक उपयुक्त है। साउथ अफ्रीका में यह कहा जा रहा है कि वहां के गोरों ने जो नीति अपनाई है वह प्रजातान्त्रिक है। लेकिन यह कौनसा प्रजातंत्र है जिसका उद्देश्य यह हो कि शासन की बागडोर और

[श्री शिवनाथ काटजू]

मानव अधिकार केवल गोरों के हाथ में हो और जो इस रंग के न हों उनको दासता के रूप में रखा जाय। आज से २० हजार वर्ष पूर्व ग्रीस में इस प्रकार की डैमोक्रैसी थी, लेकिन आज बीसवीं सदी में यह कहना कि वही जनता वहां पर अधिकार पाने की अधिकारी है जो गोरी है, यह बात कहां तक मानी जायगी? मलान साहब की शिकायत है कि जो आन्दोलन हो रहा है उसमें भारतवासियों की सहानुभूति है। मुझे इस बात का गर्व है कि आज संसार को यह मालूम हो रहा है कि जहां तक मानव अधिकारों की समस्या है वहां हिन्दुस्तानियों की आवाज जब जब उठी तब तब मानव अधिकारों के पक्ष में ही उठी। मलान साहब ने अभी अपनी विज्ञप्ति में बड़ा रोष प्रकट किया था। उन्होंने कहा कि सारी शरारत हिन्दुस्तानी कर रहे हैं और उन्हीं की वजह से दक्षिण अफ्रीका में यह आन्दोलन हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि हिन्दुस्तानी हमको सीख दे रहे हैं, वे पहले अपने घर को तो देखें कि वहां क्या हो रहा है। उन्होंने हैदराबाद की समस्या पर प्रकाश डाला, काश्मीर की समस्या पर प्रकाश डाला और यह कहा कि भारत में दलित लोगों के साथ क्या हो रहा है, वे पहले उसको सुधार लें। लेकिन मलान साहब अगर देखें कि भारत का विधान क्या है, अगर मलान साहब इस सदन में आ जायं तो उनको मालूम होगा कि यहां पर दलित जातियों और डिप्रेस्ड क्लासेज को क्या अधिकार प्राप्त हैं और अफ्रीका में जिस सभ्यता का दिग्दर्शन किया जा रहा है वह किसी भी प्रकार से और किसी भी तरह से इस बीसवीं शताब्दि की सभ्य जातियों के लिये उपयुक्त नहीं है।

आज वह वहां जो नकशा सामने रख रहे हैं, उसका ध्येय यही है कि सिर्फ गोरे लोग शासन करें और काले लोग जिनमें हिन्दुस्तानी भी शामिल हैं उन्हें इस प्रकार से रखा जाय कि उनको कोई राजनैतिक अधिकार न दिया जाय। उनके रहने के लिये एक सीमित मुहल्ला और सीमित स्थान रखा जाय। वे कोई ऐसा धंधा न कर सकें, जिसमें कि अपने आप को उठा सकें, उनकी शिक्षा के लिये ठीक तरह से प्रबन्ध न हो। यह चीज आज बीसवीं शताब्दी में नहीं चल सकती। और अगर हिन्दुस्तान की आवाज उठती है कि ऐसी बात ठीक नहीं है और हमारी सहानुभूति उनके साथ है तो यह हिन्दुस्तान के लिये एक शोभा की बात है। आज वहां के हिन्दुस्तानी भी इस सत्याग्रह में शामिल हैं लेकिन वे हिन्दुस्तानी के नाते नहीं हैं, बल्कि वे साउथ अफ्रीका के रहने वाले हैं वहां के सब्जेक्ट हैं और अगर हम यहां से सहानुभूति भेजते हैं तो इस नाते से नहीं भेजते हैं कि किसी समय पहले वे हिन्दुस्तान में थे। हम तो मानवता के नाते अपनी सहानुभूति भेजते रहे हैं और हमें यह फख्र है कि इस आन्दोलन की नींव कुछ साल पहले स्वयं महात्मा गांधी जी ने वहीं रखी थी और आज उन्हीं के कदमों पर हिन्दुस्तान के लोग और उनके साथ साथ साउथ अफ्रीका के और लोग भी चल रहे हैं।

मुझे दुख है कि संकल्प के संबंध में जो संशोधन रखा गया वह एक प्रकार से मुनासिब नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा अपने माननीय मित्र श्री राज नारायण जी से कहूंगा कि उन्होंने एक प्रकार से बेसुरा आलाप उठाया है। जो बात उन्होंने अपने संशोधन में रखी वह एक दूसरा प्रश्न है और इस संबंध में यहां इस समय वाद-विवाद करना उचित नहीं है कि कामनवेल्थ से हमारा संबंध रहे या वहां से हम हट जायं। यह एक दूसरा प्रश्न है और जिस समय यह प्रश्न देश के सामने था तो उस पर काफी गौर किया गया था और बहुत सोच-समझ कर हिन्दुस्तान कामनवेल्थ में गया था। आज यू० एन० ओ० में साउथ अफ्रीका भी है और भारत भी है तो इस तरह से आप यह भी सोच सकते हैं कि चूंकि साउथ अफ्रीका उसका सदस्य है इसलिये हम वहां से वापस चले आवें। कामनवेल्थ में रहना या न रहना यह एक दूसरा प्रश्न है, लेकिन जो मूल संकल्प रखा गया है वह हर प्रकार से मुनासिब है, हर तरह से ठीक है और केवल मानवता के नाते भारतवर्ष के दिल में जो भाव है उसे वह सही तरीके से, उचित रूप से, प्रकट करता है और मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना (जिला इलाहाबाद)--अध्यक्ष महोदय, जो संकल्प माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस सदन के समक्ष रक्खा है, मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूं। उस

संकल्प के संबंध में जो कुछ भी संशोधन (एमेन्डमेन्ट्स) आये हैं, उनके संबंध में बहुत कुछ कहा जा चुका है। हमारे माननीय मित्र श्री राज नारायण जी के एमेन्डमेन्ट के संबंध में तो मुझे सिर्फ दो-तीन बातें कहनी हैं। पहली बात यह कि वह एमेन्डमेन्ट अपनी जगह पर सही तरह से बैठता नहीं इसलिये कि देहली की सरकार की वैदेशिक नीति के संबंध में हम कोई विषय, कोई बात इस सदन में कर भी नहीं सकते और न उनके ऊपर राय देने का कोई सवाल ही है। क्योंकि वह तो हमारे स्कोप से बाहर है। हमारा इस सदन में उस विषय पर राय देना, वैदेशिक नीति के संबंध में दखल करना होगा जोकि मुनासिब नहीं है। हमारे प्रतिनिधि, हमारे प्रान्त की जनता के प्रतिनिधि देहली की पार्लियामेंट में बैठकर सरकार को वहां राय दें यह मुनासिब बात होगी। बहरहाल, यह तो रही अपनी बात, लेकिन जहां तक कामन-वेल्थ का प्रश्न लेकर भाई राज नारायण प्रस्तावित संकल्प को संशोधित करना चाहते हैं, उन्हें मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारा कामनवेल्थ में रहना तो इसलिये है कि हर मुल्क इस जमाने में अपने देश के फायदे को मद्देनजर रखकर किसी भी स्थान में रहना या न रहना मंजूर करता है। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं उस जमाने की जब पं० जवाहर लालजी सन् १९३६ से लेकर १९३९ तक चीन में हुये उन कारनामों के खिलाफ जो जापान ने किये थे आवाज उठाई थी और तरह तरह के अत्याचारों और दमन के खिलाफ जो अबीसीनिया वगैरह में हुये थे उनके खिलाफ आवाज उठाई थी। लेकिन जिस वक्त सरकार की बात आती है दुनियादारी वसूलों को मद्देनजर रखते हुये ही तो उसको हर काम करने होते हैं। और जब उन दुनियादारी बातों पर देश के हित और अहित का जो सवाल है और जो मुख्य प्रश्न है वह आता है तब उन बातों पर पूर्ण विचार करके ही सरकार कोई क़दम उठाती है। जर्मनी के हिटलर के साथ रूस के साम्यवादी स्टालिन का नात्सी के साथ समझौता हो सकता है और उनका गठबन्धन हो सकता है। तो कोई वजह नहीं है कि हिन्दुस्तान अगर किसी वजह से कुछ हद तक कामनवेल्थ में रहकर अपना लाभ उठा सके तो क्यों न उसमें रहे, लेकिन वह प्रश्न तो आज विचारणीय नहीं है।

इसके अतिरिक्त दूसरी बात हम उनको यह भी याद दिलाना चाहते हैं कि हिन्दुस्तान की राजनीति में महात्मा गांधी ने यह बुनियादी बात हमें देन रूप में छोड़ी है, कि 'हेट दि सिन बट नाट दी सिनर'। बापू का यही बुनियादी वसूल था उसी के मुताबिक किसी भी देश में जो बुरा काम है उस बुरे काम को हम घृणा की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन बुरा काम करने वाले से घृणा का प्रश्न नहीं उठता। वही आज किया जा रहा है। फिर इसके अलावा रूस का दृष्टान्त लीजिये वह यू० एन० ओ० से हट जाता है। इसलिये कि चीन का 'मुनासिब रिप्रेजेन्टेटिव' सिक्योरिटी कौंसिल में नहीं बैठने पाता है। लेकिन जब रूस देखता है कि कोरिया का मामला ऐसा रूप न लेता जैसा उसने लिया यदि वह रूस सिक्योरिटी कौंसिल में उपस्थित होता तो रूस दौड़कर उसी सिक्योरिटी कौंसिल में फिर स्वयं बैठता है। जिसमें कि आज भी नेशनलिस्ट चायना का वही रिप्रेजेंटेटिव, जिसे वह कल गद्दार बताता था, बैठा हुआ है। यह क्यों है? यह दूसरा सवाल नहीं है। इसलिये मैं भाई राज नारायण जी से यह कहना चाहता हूं कि नामों के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। हमारे मुख्य मंत्री जी ने कहा, बुनियादी सवाल को लेकर, महात्मा जी के बुनियादी उन सिद्धान्तों को लेकर, कि जो चीज मानवता के लिये भयावह है उससे हमें नफरत है और घृणा है।

इसीलिये हमारे मुख्य मंत्री जी के शब्दों में, आम जनता के शब्दों में रंगभेद की जो नीति आज दक्षिणी अफ्रीका में बरती जा रही है वह घृणित है और मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं और अपने भाई राज नारायण जी और हमारे सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि यह कोई अकेले दक्षिणी अफ्रीका की समस्या नहीं है। यह तो दुनिया के अन्दर एक नये युग का प्रारम्भ होने जा रहा है, जिसकी पहली चेष्टा के फलस्वरूप आज दबे हुये अफ्रीका के निवासी, पूर्व एशिया, मध्य एशिया की जनता एक करवट लेने की कोशिश में है और उसी करवट में बहुत सारी पुराने युग की धारणायें और बातें, जैसे

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना]

साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, वगैरह वगैरह खत्म होने वाली चीजों में शामिल हैं। जब तक इन देशों की शोषित जनता के उठने के प्रयास की बातों के अन्तर्गत सत्य है, अहिंसा है, प्रेम है, दया है और मानवता के प्रति अपना कर्त्तव्य निभाने और अपने कारनामों के द्वारा दुश्मन के हृदय को जीतने की क्षमता है, निरन्तर उसी आग्रह पर, सत्य के आग्रह पर और उस आग्रह के द्वारा शोषक के हृदय को जीतने का निश्चय है, तब तक उसके साथ हमारा हृदय रहा है और रहेगा और जब इन बुनियादी वसूलों को मद्देनजर रखते हुये हम इस संकल्प को पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि बहुत ही सुन्दर तरीक़े से गढ़ा हुआ यह संकल्प हमारी उक्त भावनाओं और विचारों का प्रतीक है। उसमें एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो बदलन के क़ाबिल हो। उसमें मलान सरकार से आग्रह करने का सवाल आया है ठीक उसी तरीक़े से जैसे की गांधी जी निरन्तर जिन्ना साहब से आग्रह करते रहे और अंग्रेजों से आग्रह करते रहे और चूंकि हम सत्याग्रही थे, इसलिये आग्रह करते रहे। वे मानने वाले न थे तब भी आग्रह करते रहे। आज इस संकल्प द्वारा हम भी उसी तरीक़े से मलान सरकार से आग्रह करते हैं। हम युक्त प्रान्त के साढ़े पांच करोड़ रहने वाले इन्सान भी आज दुनिया के सामने आवाज उठाते हैं और मुख्य मंत्री जी और प्रत्येक माननीय सदस्य, जोकि आज जनता का प्रतिनिधित्व करता है, आवाज उठाता है, उस नीति के विरोध में जिसकी जड़ में मानव के 'स्व' की हिंसा है, पर वह भाव डाक्टर मलान के व्यक्तित्व के विरोध में नहीं है, अफ्रीका के विरोध में नहीं है। अफ्रीका के रहने वालों के पक्ष में है, हिन्दुस्तान के पक्ष में नहीं, क्योंकि वहां के नागरिकों को हिन्दुस्तानी कहने से मैं इन्कार करता हूं। एक जमाना रहा हो जब उनके पूर्वज हिन्दुस्तानी थे। एक जमाना था जबकि वे हिन्दुस्तानी थे। आज वे अफ्रीका के निवासी हैं। आज उन्हें अफ्रीका की जमीन से मुहब्बत है। अफ्रीका उनका देश है। अफ्रीका का प्रत्येक रहने वाला, चाहे उसके बाप-दादा सदैव से अफ्रीका में रहते थे अथवा आज पचास या सौ वर्षों से अफ्रीका के नागरिक हुये हैं। अफ्रीका उसे अवश्य प्यारा है। इसलिये जब जब वह अफ्रीका में बनी हुई हर एक उस सरकार का विरोध करेगा जो अन्याय के ऊपर, अत्याचार के ऊपर, साम्राज्यवाद के ऊपर और बरबरता के ऊपर अपनी सत्ता स्थापित करना चाहेगी। हमारा रोयां रोयां भी, हमारे देशवासियों का रोयां-रोयां भी उनके साथ होगा। हमारा हृदय उनके साथ होगा क्योंकि हमने अपनी आजादी की जंग से यही सीखा है। हमने अबीसीनिया के साथ हमदर्दी जाहिर की थी और उस वक्त के राष्ट्रसंघ को कांग्रेस के प्लैटफार्म से चेतावनी दी थी कि तुम खतरे से खाली नहीं हो, अगर तुमने टोजो, मसोलिनी और हिटलर की नीति का विरोध नहीं किया। उस चेतावनी को टालने का फल संसार को भुगतना पड़ा और दुनिया ने उसका मजा महायुद्ध में चखा। आज हमारा देश अपनी सरकार द्वारा आजाद मुल्कों के साथ बैठकर हर मसले पर अपनी सही राय देता है। उन सभी जगहों पर बैठकर चाहे वह कामनवेल्थ कान्फ्रेन्स हो, चाहे वह यू० एन० ओ० हो, चाहे यूनस्को हो या किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की कोई भी बैठक हो, जिसमें समस्त स्वतन्त्र देशों की सरकारों के प्रतिनिधि बैठते हैं। और आज फिर इस सदन के द्वारा जब हमने उसी आवाज को अपने मुख्य मंत्री के इस संकल्प द्वारा प्रसारित किया है, तो इसके लिये मैं उनको, इस सदन को और इस प्रान्त के रहने वालों को मुबारकबाद देता हूं और एक बार फिर आशा करता हूं कि यह सदन अपनी सामूहिक आवाज उस अन्याय के विरोध में उठायेगा, जिसका हमने बराबर विरोध किया है और करते रहेंगे। ताकि मानवीय स्वत्वों का खून न हो। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री द्वारा दक्षिणी अफ्रीका की मलान सरकार की रंगभेद की नीति के विरुद्ध उपस्थित किये हुये संकल्प का समर्थन करता हूं और आशा करता कि सदन इसे एकमत से स्वीकार करेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--श्रीमन्, मैं माननीय मुख्य मन्त्री द्वारा प्रस्तावित संकल्प में निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं--

प्रथम पंक्ति में जो शब्द "अश्वेत" है वह हटा दिया जाय और चौथी पंक्ति में शब्द "उससे" हटा दिया जाय तथा अन्तिम पंक्ति में "वह अपने प्रदेश से" और "कर दे" शब्दों को हटाकर अन्त में यह जोड़ दिया जाय --

"करने के हेतु वे सभी संभव व शीघ्र कार्यवाही करें"।

अन्त में इसका रूप यह होगा। "और दक्षिणी अफ्रीका की सरकार द्वारा रंगभेद नीति तथा उस संबन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ की अवहेलना को विश्व शान्ति के लिये भयावह समझते हुए आग्रह करती है कि श्वेत अश्वेत के अन्तर को समाप्त करने के हेतु वे सभी संभव व शीघ्र कार्यवाही करे।"

श्रीमन्, मैं सर्वप्रथम आपके द्वारा माननीय मुख्य मन्त्री को इस बात के लिये बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जो इस प्रदेश की जनता की इस भावना को, जो कि दक्षिण अफ्रीका के निवासियों के सत्याग्रह के सम्बन्ध में करने की यहीं पर चेष्टा की और यह संकल्प यहां पर प्रस्तुत किया, सदन के बाहर हम लोगों ने, सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों ने दक्षिण अफ्रीका के दिवस के अवसर पर इस प्रकार की भावनाओं को व्यक्त किया था जो कि आज इस संकल्प में समाविष्ट हैं।

जहां तक संशोधनों का प्रश्न है और विशेषरूप से जहां तक हमारे विरोधी दल के नेता के संशोधन का सम्बन्ध है, मैं इस सम्मानित सदन के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि हमारे संशोधन को वस्तुस्थिति के अनुसार देखा जाय। यहां पर हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात का भ्रम प्रगट किया कि अगर हम कामन वेल्थ से सम्बन्ध-विच्छेद करने की बात कहते हैं और ब्रिटेन तथा आस्ट्रेलिया की निन्दा करते हैं, उनकी रंग भेद की नीति के बारे में विचार प्रगट किये तो इसके यह अर्थ नहीं हैं कि हमने अपनी सत्याग्रह की नीति को छोड़ दिया या महात्मा गांधी के सिद्धांत वाली बात को छोड़ दिया। हमारा सम्बन्ध विच्छेद करना ही एक प्रकार का आग्रह है। क्या हम भूल गये कि इस प्रकार का निश्चय करने में आज से ढाई साल पहले हमारी केन्द्रीय सरकार ने यह निश्चय किया था कि हम साउथ अफ्रीका से सम्बन्ध विच्छेद कर लें। जहां तक सम्बन्ध विच्छेद का प्रश्न है, हमारा आज हाई कमिश्नर दक्षिणी अफ्रीका में नहीं है, वह वहां से वापस बुलाया जा चुका है। माननीय विरोधी दल के नेता ने जो संशोधन रखा है वह दूसरा कदम है कि हम कामन वेल्थ से अपना सम्बन्ध विच्छेद करें और यू० एन० ओ० से सम्बन्ध विच्छेद करना तीसरा कदम है। माननीय शिव नाथ काटजू ने कहा कि हम यू० एन० ओ० से क्यों न वापस चले आयें, तो हम तो कहते हैं कि यह हमारा तीसरा कदम होना चाहिए कि हम यू० एन० ओ० से सम्बन्ध-विच्छेद कर लें। श्रीमन्, मैं तो यह समझता हूं कि हमारा जो प्रथम कर्त्तव्य था, जो आग्रह, और जो हमारा विरोधाभास था वह दक्षिणी अफ्रीका से सम्बन्ध-विच्छेद करने पर प्रकट हुआ।

दूसरा कदम कामन वेल्थ से सम्बन्ध-विच्छेद करने से प्रकट होना चाहिए और तीसरा जो अन्तिम कदम है, जो आग्रह के रूप में हो सकता है और विरोधाभास को एक सत्याभास के रूप में प्रगट करने से हो सकता है, वह यू० एन० ओ० से अपने प्रतिनिधि को वापस लेने में हो सकता है। तो जहां तक हमारी इस व्यवस्था का प्रश्न है, इस सत्याग्रह का प्रश्न है, हमारा यह स्टेप किसी माने में, किसी अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से और किसी दृष्टि कोण से भी भी अव्यवस्थित नहीं कहा जा सकता। आखिर यह कामन वेल्थ इस रंगभेद की नीति को स्पष्ट करने के लिये या कामन वेल्थ की नीति इस बारे में क्या है उसको बतलाने का प्रयास क्यों नहीं करती? अगर वास्तव में वह वही कामन वेल्थ है जिसकी लन्दन कांफ्रेन्स में व्याख्या की गयी तो क्या हम उस कामन वेल्थ से यह आशा न करें कि वह कामन वेल्थ साउथ अफ्रीका के मामले में और रंगभेद की नीति में अपना एक दृष्टिकोण रखें, भले ही दक्षिणी अफ्रीका के एक सदस्य की, जो उसके सदस्य हैं, उनकी कोई आपत्ति क्यों न हो, कम से कम कामनवेल्थ को इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर, जिसमें भारत, पाकिस्तान, अफ्रीका, आस्ट्रेलिया इत्यादि सम्बद्ध हैं, अपनी राय स्पष्ट करनी

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

चाहिए। विशेषरूप से वह सरकारें और खास तौर पर ब्रिटेन की सरकार, जो सब मामलों में नेतृत्व ग्रहण करती है वह अपना रुख स्पष्ट क्यों नहीं करती? इस अस्पष्टता को लाने के लिये आवश्यक है कि हम इस बात की सिफारिश अवश्य स्वीकार करें और इस बात का प्रयास करें कि कामन वेल्थ इस बारे में अपनी स्पष्ट राय को दे।

माननीय बहुगुना जी की आपत्ति थी कि यह मामला वैदेशिक नीति का हो गया, हम वैदेशिक नीति की आलोचना नहीं कर सकते, स्कोप को नहीं बढ़ा सकते। पर हम तो श्रीमन् स्कोप को बढ़ा कर चुके हैं। जब हम इस प्रस्ताव में कहते हैं कि "संयुक्त राष्ट्र संघ की अवहेलना को भयावह समझते हुए उससे आग्रह करती है" तो यहां पर यू० एन० ओ० की पालिसी तक की आलोचना हो जाती है। मैं समझता हूं कि कामनवेल्थ तो थोड़े से मुल्कों का संगठन है, पर यू० एन० ओ० तो सारे मुल्कों का संगठन है। तो हम तो संयुक्त राष्ट्र संघ की भी आलोचना कर चुके हैं। अब यदि हम ब्रिटेन और आस्ट्रेलिया की भी आलोचना कर लेते हैं तो हम किसी तरह से इस स्कोप को आगे नहीं बढ़ाते और मैं समझता हूं कि यह किसी तरह से नहीं कहा जा सकता कि इस प्रकार से संशोधित संकल्प को स्वीकार करने से हम स्कोप के बाहर जाते हैं।

श्रीमन्, जैसा कि हमारे मुख्य मन्त्री ने कहा कि दक्षिणी अफ्रीका में यह हो रहा है तो उसी प्रकार कीनियां की ओर हमारी दृष्टि जाती है। कीनियां में जब पार्लियामेंट के प्रतिनिधि हैनरी ब्राडबे और लेजली हेली वहां गये थे तो वहां पर जो हालत उन्होंने देखी कि किस प्रकार से मऊ मऊ की आतंकवादी प्रवृत्ति को दमन करने के बहाने के क्यू के जो ड्राइव वहां का है उनको परेशान किया जा रहा है। यहां तक कि जानवरों और भेड़ों तक को जब्त किया जा रहा है। यह सब आतंकवादी मनोवृत्तियों को कुचलने के नाम पर हो रहा है। कीनियां में जिमोकिनियां साहब की पैरवी करने के लिये दीवान चमन लाल जा रहे हैं। तो दक्षिणी अफ्रीका में जो मलानशाही प्रवृत्ति है वह केवल दक्षिणी अफ्रीका तक ही सीमित नहीं है। हम तो देखते हैं कि आज भी इंगलैन्ड के अन्दर आलिवर और चर्चिल सरकार की जो नीति है उससे तो यह स्पष्ट होता है कि रंगभेद की नीति में मलानशाही ही शामिल नहीं है, बल्कि आज चर्चिल सरकार का भी उतना ही अप्रत्यक्ष हाथ है। कीनियां में मऊमऊ के दबाने के नाम पर अश्वेत निवासियों पर कितना अत्याचार किया जा रहा है। तो कीनियां में ब्रिटिश कालोनिलिज्म का रूप जो हम देखते हैं और उसकी तुलना जब हम मलानशाही से करते हैं तो कीनिया में ब्रिटेन की नीति में और दक्षिण अफ्रीका में मलान सरकार की नीति में कोई विशेष भेद नहीं पाते हैं। इस कीनिया के उदाहरण को सामने रखते हुए मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि वे इस सिफारिश को अवश्य स्वीकार करें।

मैंने अपने संशोधन में "अश्वेत" शब्द के हटाने की बात कही है। इसमें आप यह देखेंगे कि "दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी, प्रवासी भारतवासी तथा अन्य अश्वेत निवासियों" दिया हुआ है। इस तरह तीन प्रकार की श्रेणियां हम इसमें रख रहे हैं। यदि प्रस्ताव में यही रहता है कि "दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी, प्रवासी भारतवासी तथा अन्य निवासियों द्वारा" तो भी तीनों प्रकार की कैटेगरीज आ जाती हैं। इसके साथ-साथ जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि वहां डंकिन साहब खुद सत्याग्रह करना चाहते हैं और एक बड़ी तादाद में वहां के श्वेत निवासी सत्याग्रह में शामिल हो रहे हैं। इसलिये हम अपनी तरफ से यदि 'श्वेत' या "अश्वेत" की बात अपने संशोधन में रखें तो यह शोभा नहीं देता है और यदि हम अश्वेत शब्द को हटा देते हैं तो माननीय शुक्ल जी का संशोधन भी उसमें आ जाता है।

इसके साथ साथ जो हमारा अन्त वाला संशोधन है उसकी आवश्यकता इसलिये है कि हम दक्षिण अफ्रीका के सरकार से ही नहीं आग्रह कर लेते हैं बल्कि यू० एन० ओ० से भी आग्रह कर लेते हैं कि वह जल्दी कदम उठाये। इसमें एक ओर हम यू० एन० ओ० की आलोचना कर रहे हैं कि यू० एन० ओ० ने विश्व शान्ति के भय को न देखते हुए दक्षिण अफ्रीका के मामले में अवहेलना की है, तो जब हम यू० एन० ओ० की आलोचना कर सकते हैं तो उससे आग्रह भी कर सकते हैं। इस संशोधन के द्वारा हम पहिला आग्रह दक्षिण अफ्रीका की सरकार से कर रहे

हैं दूसरा आग्रह यू० एन० ओ० से करने जा रहे हैं कि यू० एन० ओ० और आगे अवहेलना रंगभेद की नीति के बारे में न करे बल्कि इस रंग भेद की नीति को समाप्त करने के लिये शीघ्र कार्यवाही करे। इस प्रकार हमारा आग्रह दोमुखी हो जाता है। मुझे आशा है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी मेरे इस अश्वेत शब्द के हटाने के संशोधन को और संयुक्त राष्ट्र संघ से आग्रह करने के संशोधन को स्वीकार करेंगे और साथ ही माननीय विरोधी दल के नेता के संशोधन को भी स्वीकार करेंगे। विशेषरूप से जैसा कि मैंने कहा कि कीनियां में ब्रिटिश साम्राज्यशाही का जिस प्रकार तारतम्य चल रहा है उसका विरोध प्रगट करने के लिये या सिफारिश और संशोधन का स्वीकार होना आवश्यक है।

श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी (जिला लखनऊ)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव हमारे नेता माननीय मुख्य मन्त्री जी ने इस भवन के सम्मुख उपस्थित किया है मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं और समर्थन करते हुये यह कहना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव के पीछे केवल इस सदन के सदस्यों की ही भावना नहीं है बल्कि इस प्रदेश के समस्त निवासियों की भावना इस प्रस्ताव के अन्दर मौजूद है। केवल इस प्रदेश के निवासियों की ही नहीं बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि इस प्रस्ताव में माननीय मुख्य मन्त्री ने समस्त भारतवर्ष की भावना व्यक्त की है। प्रत्येक निवासी चाहे वह किसी जाति का हो, चाहे वह किसी भाग का निवासी हो और चाहे वह किसी राजनीतिक विचार का हो आज इस प्रस्ताव के साथ है और भारतवर्ष के नर नारी, भारतवर्ष के नवयुवक और भारतवर्ष के सभी निवासी आज अपनी सहानुभूति दक्षिण अफ्रीका के उन भारतीय निवासियों के साथ प्रकट कर रहे हैं जो कि सत्याग्रह के अस्त्र को उठाकर श्वेत और अश्वेत के भेदभाव को मिटा कर संसार के अन्दर समानता का व्यवहार लाना चाहते हैं।

मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि माननीय अध्यक्ष महोदय, कि इस प्रस्ताव के अन्दर यह तो बात मौजूद है ही कि समस्त देश की भावना इसमें मौजूद है परन्तु प्रस्ताव के अन्दर यह कहा गया है कि हम प्रसंशा करते हैं इस भेदभाव के नीति के विपरीत, जो सत्याग्रह दक्षिणी अफ्रीका में चल रहा है, उसकी। प्रस्ताव में शब्द "प्रसंशा" लाया गया है। प्रसंशा हम क्यों करते हैं? प्रसंशा हम इसलिये करते हैं कि आज दक्षिणी अफ्रीका निवासी भारतीय शान्तिमय उपायों और अहिंसा का अस्त्र उठाकर यह जो अत्याचार और अन्याय, जो भेदभाव की भावना है उसको हमेशा के लिये दक्षिण अफ्रीका में खत्म कर देना चाहते हैं और संसार में यह लाना चाहते हैं कि वे सभी निवासी चाहे जहां के भी निवासी हों एक समान हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं रखा जा सकता है और किसी को ऊंच नीच नहीं समझ सकते और कोई भी इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं कर सकता जैसा कि दुर्व्यहार भारतीयों के साथ दक्षिणअफ्रीका में आज किया जा रहा है।

हम जानते हैं कि ४०-४५ वर्ष पूर्व यह अहिंसा का अस्त्र दक्षिण अफ्रीका में उठाया गया था, हमारे पूज्य नेता महात्मा गांधी ने दक्षिणी अफ्रीका में इस अस्त्र को उठाया था और आज उसी रास्ते के ऊपर चल कर वहां जो भारतीय निवासी रह रहे हैं वे आज फिर उसी अस्त्र को उठा कर तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं और हमेशा के लिये इस अन्याय का दमन करना चाहते हैं, इस नीति को मिटाना चाहते हैं और हमेशा के लिये समानता की भावना लाना चाहते हैं। इसीलिये प्रस्ताव में सराहना की गयी है कि जो संकल्प उन्होंने किया है वह सराहनीय और प्रशंसनीय है। दूसरा शब्द जो इस प्रस्ताव में प्रयोग किया गया है वह यह है कि हम उनके साथ सहानुभूति करते हैं। "सहानुभूति" का शब्द इस लिये है कि जो श्वेत और अश्वेत का दुर्व्यवहार है उसके साथ में हमारी सहानुभूति है और जो सत्याग्रह इस अन्याय और अत्याचार के विपरीत चल रहा है उसके प्रति हमारी सहानुभूति है। हम जानते हैं कि किस तरीके से वहां लोग दबाये जा रहे हैं, हम यह जानते हैं कि किस तरीके से उनको जेलों में कष्ट दिया जा रहा है, हम जानते हैं कि किस तरीके से गोलियां और तमंचे उठ रहे हैं, हम यह जानते हैं कि किस तरीके से सत्याग्रहियों के साथ, जो शान्तिमय उपाय द्वारा समानता का व्यवहार संसार में लाना चाहते हैं, दुर्व्यवहार साउथ अफ्रीका में हो रहा है। मलान सरकार ने शायद यह सोचा होगा कि हम भारतीयों की इस भावना को कुचल देंगे। परन्तु वह यह नहीं जानती कि जितना ही सत्याग्रहियों के प्रति दुर्व्यवहार किया जाता है और जितना ही दमन नीति का पालन

[श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी]

किया जाता है उतनी ही तेजी के साथ यह युद्ध आगे बढ़ता है। इस लिये इस प्रस्ताव में दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रहियों के प्रति सहानुभूति प्रगट की गई है।

श्रीमान्, यदि मैं इस प्रस्ताव को लिखता, तो जब इस तरीक़े से दमन नीति जारी है, जब इस तरीक़े से श्वेत और अश्वेत के भेदभाव बढ़ाने की भावना जारी है तब मैं भारत सरकार से प्रार्थना करता कि दक्षिणी अफ्रीका की सरकार के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दे। इस युद्ध की घोषणा से हमारा तात्पर्य यह नहीं है कि यह युद्ध कोई अस्त्र शस्त्रों द्वारा हो, कोई बन्दूक चलें, तमंचे चलें, तोप चलें या बमबाजी हो बल्कि हमारा मतलब यह है कि भारत सरकार दक्षिणी अफ्रीका की सरकार के विरुद्ध एक शान्तिमय युद्ध की घोषणा कर दे। यदि यह घोषणा कर दी जाय तो मेरा ख्याल है कि यहां के नर और नारी लाखों और करोड़ों की संख्या में इस युद्ध को जारी करने के लिये तथा अपने भाइयों की सहायता करने के लिये तत्पर हो जायेंगे। भारतवर्ष के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक एक लहर दौड़ेगी और तेजी आयेगी और जनता तैयार हो जायगी कि दक्षिणी अफ्रीका की सरकार की दुर्नीति पर विजय प्राप्त करे।

मेरी तो यह इच्छा है, यह भावना है जबकि संसार के अन्य देश हिंसा का युद्ध जारी करके विजय प्राप्त करते हैं तब हमारा भारतवर्ष, महात्मा गांधी का यह देश संसार के समस्त देशों को दिखा दे कि हिन्दुस्तान अहिंसा का युद्ध करके अपने भाइयों के अधिकारों को प्राप्त करता है और संसार में समानता लाने में सफल होता है। भारतवर्ष की सरकार इस तरह के युद्ध की घोषणा कर दे तो वह एक बड़े हर्ष की बात होगी। दुनियां जानेगी और संसार जानेगा कि संसार के अंदर एक भारतवर्ष ही ऐसा है जो अस्त्र शस्त्रों से अपने अधिकारों को प्राप्त नहीं करना चाहता है बल्कि महात्मा गांधी जी द्वारा बतलाये हुये अहिंसा के युद्ध से अपने भाइयों के उचित अधिकारों को प्राप्त करना चाहता है। यदि ऐसी बात इस प्रस्ताव में रखी गई होती तो मुझे बड़ा हर्ष होता।

मैं इस प्रस्ताव की इस हालत में भी सराहना करता हूं और इसका समर्थन करता हूं क्योंकि सम्भव है इस प्रस्ताव के इस प्रदेश से जाने के बाद दक्षिणी अफ्रीका की मलान सरकार यह जान ले कि समस्त भारतवर्ष का हृदय दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह के साथ है। लेकिन मैं कहूंगा कि संबंध विच्छेद तो हो चुका है और अब समय आया है जब युद्ध की शीघ्र ही घोषणा की जाय और वह घोषणा एक शान्तिमय युद्ध की हो। हम चाहते हैं कि आज दुनिया का प्रत्येक निवासी देखे कि किस तरह से शान्तिमय युद्ध किया जाता है और अपने अधिकार प्राप्त किये जाते हैं। इस तरह के युद्ध से हमारा अभिप्राय यह कभी भी नहीं है कि हम दक्षिणी अफ्रीका पर क़ब्ज़ा कर लें बल्कि हम केवल समानता के अधिकार प्राप्त करने और मलान सरकार के अन्याय को मिटाने के लिये अहिंसात्मक युद्ध जारी किए। यह युद्ध जारी किए जाने का मैं पक्षपाती हूं। इस प्रस्ताव के अंतिम अंश में यह कहा गया है कि हम प्रार्थना करते हैं, आग्रह करते हैं दक्षिणी अफ्रीका की सरकार से कि वह अपनी इस भेदभाव की नीति को तुरंत वापस ले ले और जो सत्याग्रहियों का उद्देश्य है उसको स्वीकार कर ले। इस तरीक़े से आग्रह किया गया है। हमारा आग्रह जारी है। दक्षिणी अफ्रीका के भारतीयों का आग्रह जारी ही है। अगर हमारा आग्रह होता रहे तो अच्छी बात है। मैं उसका भी पूर्णतया समर्थन करता हूं। हमारा यह आग्रह जारी है और मैं यह कह देना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव के साथ अब भी यदि मलान सरकार होश में नहीं आ जाती, अपनी नीति को दुरुस्त नहीं करती, अब भी यदि अपनी नीति में परिवर्तन नहीं करती और यदि भेदभाव की नीति को जारी रखती है तो समस्त भारतवर्ष अपनी आवाज उठाकर एक साथ दक्षिणी अफ्रीका के इस शान्तिमय संग्राम के अन्दर साथ देने के लिये तत्पर रहेगा। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष—मेरे पास दो संशोधन बाकी हैं। एक उमाशंकर जी का है और दूसरा झारखंडेराय जी का। झारखंडे राय जी का जो संशोधन है उसका अर्थ राजनारायण जी

के संशोधन में आ जाता है और जिन शब्दों में उन्होंने संशोधन पेश किया है उससे वह मिलान नहीं खाता क्योंकि वह भाषा ठीक नहीं बनती। इसलिये मैं उनको इजाजत नहीं दूंगा। लेकिन वह राज नारायण जी के संशोधन का समर्थन कर सकते हैं या उसके संबंध में अपने विचार प्रकट कर सकते हैं।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से मूल प्रस्ताव में संशोधन पेश कर रहा हूं।

तीसरी पंक्ति में "रंगभेद नीति तथा" के आगे "सत्याग्रहियों पर जघन्य अत्याचार करने का दोषी ठहरा कर उसकी निन्दा करती है" और चौथी पंक्ति में "संयुक्त राष्ट्र संघ की" के आगे "उदासीनता" शब्द और पांचवीं पंक्ति में "अपने प्रदेश" के स्थान पर "राष्ट्र मंडल के प्रदेशों". जोड़ दिया जाय और पांचवीं पंक्ति के अन्त का "दे" निकाल कर उसके स्थान पर "ने को अपने जीवन मरण का प्रश्न बनावे" बढ़ा दिया जाय।

इस तरह मूल प्रस्ताव में पढ़कर, जो संशोधित होगा, सुनाये देता हूं--

"उत्तर प्रदेशीय विधान सभा दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी, प्रवासी भारतवासी तथा अन्य अश्वेत निवासियों द्वारा मानवोचित अधिकारों को प्राप्त करने के लिये शान्तिमय सत्याग्रह के प्रति प्रशंसा तथा सहानुभूति प्रकट करती है और दक्षिण अफ्रीका की सरकार द्वारा रंगभेद नीति तथा सत्याग्रहियों पर जघन्य अत्याचार करने का दोषी ठहरा कर उसकी निन्दा करती है और उस संबंध में संयुक्तराष्ट्र संघ की उदासीनता को विश्व-शान्ति के लिये भयावह समझते हुए उससे आग्रह करती है कि वह राष्ट्र मंडल के प्रदेशों से श्वेत अश्वेत के अन्तर को समाप्त करने को अपने जीवन मरण का प्रश्न बनावे।"

श्रीमान् जी, मूल प्रस्ताव के संबंध में मुख्य मंत्री जी ने जो भाषण दिया है, मेरा संशोधन अगर मान लिया जाता है तो संशोधित (संकल्प) मुख्य मंत्री जी के भाषण के अनुरूप हो जायगा। इसलिये मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हमारे संशोधन को माननीय मुख्य मंत्री जी अवश्य मानेंगे। दूसरे सदन के जो सदस्य बोले हैं, उनके भाषण सुनने पर भी यह मालूम हुआ है कि इस सदन का मलान सरकार के प्रति काफ़ी रोष है, लेकिन जो मूल प्रस्ताव है उसकी भाषा बहुत बूढ़ी है, जो माननीय मुख्य मंत्री जी की ही उम्र की है और अगर माननीय मुख्य मंत्री जी मेरे संशोधन के मान लेते हैं तो उसमें इस सदन के थोड़े नवजवानों के भी शब्द आ जाते हैं और मलान सरकार को एक चेतावनी मिल जाती है। आप गौर करेंगे तो मालूम होगा कि दुनिया में आज कल जो कुछ हो रहा है वह तथा कथित मानवता की रक्षा के लिये, रूस ने आज दुनिया भर में अपनी एजेन्सी क़ायम कर रक्खी है, इसलिये कि हम मानवता की रक्षा कर रहे हैं। और उसने दुनिया के बड़े भारी भूभाग पर क़ब्ज़ा कर रक्खा है और अपनी खास क़िस्म की साम्राज्यवादी मनोवृत्ति का प्रचार नाम बदल कर कर रहा है और वहां का शासक वर्ग मौज उड़ा रहा है।

दूसरी ओर इंगलैंड और अमेरिका हैं, जो दूसरे भूभाग खाली पड़े हैं उनको हड़पे हुए हैं। हमारा प्रयत्न होगा कि दुनिया के आदमी जो घनी आबादी में बसे हुए हैं, उनके लिये दरवाजा खुले, वे आस्ट्रेलिया, अफ्रीका, रूस के मैदानों में निर्द्वन्द्व रह सकें। उन पर मानव जाति की रक्षा के नाम पर जो जुल्म हो रहा है, वह बंद हो। आप देखेंगे कि रूस के शासक कितने बड़े भूभाग पर क़ब्ज़ा किये हुये हैं। आबादी के हिसाब से वहां पर एक मील में ५० आदमी बसते हैं, इंगलैंड और अमेरिका के लोग जिस दुनियां के बहुत बड़े भाग पर क़ब्ज़ा किये हुये हैं उनकी आबादी तो और कम है। देशों में अगर कुछ बाहर से आदमी चले जाते हैं तो वहां पर उनके साथ जुल्म अत्याचार किया जाता है। हमारी आबादी को आप देखें तो यहां पर एक वर्ग मील में ३०० आदमी हैं, जब कि रूस में ५० और आस्ट्रेलिया में ११ आदमी प्रतिवर्ग मील में हैं। वहां पर जो अन्याय हो रहा है वह जिस दिन हिन्दुस्तान के लोग विचार करेंगे उसी दिन दूर हो जायगा, लेकिन अभी तक हिन्दुस्तान ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई थी। हमारा उत्तर प्रदेश हमारे मुल्क में अगुआ हा है और इस प्रस्ताव को उपस्थित करके उसने फिर अगुआई ले ली, इस लिये मैं माननीय

[श्री उमाशंकर]

मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई है। दुनियां में हिन्दुस्तानियों तथा अन्य पिछड़े हुये लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, यह खत्म होगा तथा मानवता के नाम पर जो अन्याय हो रहा है, उसका जल्दी ही परदाफाश होगा। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इस संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)---आपकी अनुमति से मैं माननीय मुख्य मंत्री को उनके इस बहुत ही सुन्दर और संयत प्रस्ताव के लिये बधाई देना चाहता हूं। मुझको सदन में इस निर्दोष प्रस्ताव पर जो विवाद सुनने को मिला उससे मुझे कुछ ऐसा लगा कि इस प्रस्ताव की मर्यादा के अनुकूल तो यह होता कि हम बिना किसी संशोधन के और बिना किसी विवाद के इसको स्वीकार कर लेते, किन्तु कुछ माननीय मित्रों को इस संबंध में गलत-फहमी भी है।

वास्तव में स्थिति क्या है? दक्षिण अफ्रिका का जो संघ है उससे संघ में जो ४ प्रदेश हैं उनमें ट्रान्सवाल, आरेंज फ्री स्टेट, केपटाउन और एक और है। इन चार प्रदेशों को मिलाकर उसकी आबादी आज १ करोड़ १२ लाख है। उस १ करोड़ १२ लाख की आबादी में जो श्वेत और अश्वेत का प्रश्न माननीय नारायण दत्त जी ने उठाया है उसका हल भी निकलता है। उस १ करोड़ १२ लाख की आबादी में करीब २३ लाख ७५ हजार यूरोपियन हैं और वहां बहुत से जो यूरोपियन, हिन्दुस्तानी और कुछ दूसरे लोग हैं इनसे पैदा हुये लोग हैं जो जारज हैं। इसलिये वे पारिभाषिक शब्दों "कलरड" लोग कहे जाते हैं। जिनकी संख्या ९ लाख ५५ हजार के करीब है। इसके अतिरिक्त वहां के आदिम निवासी ७७ लाख ३५ हजार हैं। भारतीयों की संख्या ३ लाख ८२ हजार है। इस प्रकार से कुल मिलाकर १ करोड़ ८२ लाख होते हैं। यह संख्या इन चार प्रदेशों की है। श्रीमन्, हम यह दावा जो करते हैं कि वहां पर इन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, उसका कुछ कारण भी है। आज इतने बड़े प्रदेश में केवल एक करोड़ एकड़ भूमि में खेती है जिसमें से भारतीयों ने क़रीब ५० लाख एकड़ जमीन पर खेती करायी है और वही पैदावार प्राप्त करते हैं। वहां की उन्नति का कारण वे ही हैं और आज यदि हम यह दावा कर दें कि भारतीयों के अधिकार छीने जा रहे हैं तो उसका भी यही कारण है।

माननीय राज नारायण जी की कामन वेल्थ की समस्या का इससे कोई सामंजस्य नहीं होता। हमने तो यहां तक किया कि दक्षिण अफ्रीका से अपना व्यापारिक सम्बन्ध छोड़ दिया और उन को यह भी मानना ही होगा कि ऐसा करने से भारत सरकार को हानि ही हुई है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने इसकी कोई परवाह नहीं की। कामनवेल्थ को छोड़ देने की बात तो सभी देशों के साथ लागू हो सकती है। हमारे मित्रों को मालूम होना चाहिये कि इस समय कामन-वेल्थ का प्रधान इंगलैंड है और वहां भारतीयों के प्रति कैसा व्यवहार होता है। ३१ दिसम्बर, सन् १९५१ को इंगलैंड में भारतीयों की संख्या १ लाख ३७ हजार थी और इतनी बड़ी तादाद में आप को एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो किसी प्रकार की शिकायत वहां उनके साथ दुर्व्यवहार की करता हो।

आस्ट्रेलिया और कनाडा की नीति का भी जिक्र किया गया। मैं कहना चाहता हूं कि कनाडा में भी ऐसी कोई शिकायत नहीं है। यह दक्षिण अफ्रीका की भी जो शिकायत है वह केवल आर्थिक अधिकार की है और हम समझते हैं कि ७७ लाख आदिम निवासी, ३ लाख भारतीय और ९ लाख दूसरे वहां के ही निवासियों की यह समस्या है और किसी अन्य पर आघात करने वाली नहीं है और इसीलिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव किया है वह सब बातों को कवर कर लेता है और जिन दिशाओं के द्वारा अधिकारों का प्रतिपादन हो सकता है वह सब इससे कवर हो जाती हैं। कहा जाता है कि यू० एन० ओ० में कामनवेल्थ के देशों ने दुर्बलता की नीति को बरता है। यदि ऐसी बात है तो हमको भी उस पर विचार करने का अधिकार है। माननीय राज नारायण जी ने भूमि का जो औसत पेश किया है

उनका वह औसत बिलकुल गलत है। उन्होंने जो पौन एकड़ भूमि का औसत भारत के लिये बताया है वह केवल उस भूमि का है कि जिसमें खेती होती है, जिसमें खेती करने वालों का औसत पौन एकड़ पड़ता है। रूस की १९ करोड़ की आबादी है और वहां का क्षेत्रफल भारत से बहुत बड़ा है और वहां खेती का बिना लिहाज किए एक औसत रखा गया है। इसलिए रूस का औसत भी गलत है और ९ सौ आदमी फी मील का जो औसत हमारे एक मित्र ने बताया है मैं उनसे निवेदन करूंगा कि संभव है कि उनके प्रस्ताव में कुछ जान हो, लेकिन उनके बतलाये औसत में कोई जवानी नहीं है, क्योंकि वह तो दो तीन जिलों की गणना के हिसाब से निकाला गया था और बाकी बहुत से जिले हैं जहां दो सौ आदमी फी मील का औसत भी नहीं आ सकता।

हमारे इस प्रस्ताव के साथ एक उसूल है वह आर्थिक, सामाजिक और सैद्धान्तिक है। आर्थिक यह कि हम वहां पर ५० लाख एकड़ भूमि के मालिक हैं, हमने जा कर उसको बोया जोता है और इसीलिए हम वहां सामाजिक अधिकार चाहते हैं। सैद्धान्तिक अधिकार यह है कि श्वेत अश्वेत के भेद को हम वहां से हटाना चाहते हैं।

यदि यू० एन० ओ० ने कोई क़दम नहीं उठाया तो हम नैतिक बल से कुछ कर सकें तो करें वर्ना यह कहना कि कामनवेल्थ को छोड़ देने से कल्याण होगा, यह तो वैसी ही बात है कि "शापादपि, शरादपि" अर्थात् यदि आप से काम चल सके तो शर का प्रयोग क्यों किया जाय। इसलिए मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह इस प्रस्ताव को एक स्वर से और एक ही ढंग से स्वीकार करे और वह माननीय मुख्य मंत्री महोदय को अधिकार दे कि समूचे प्रदेश की इस आवाज को केन्द्रीय सरकार तक पहुंचा दें।

[इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी) की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।]

श्री नौरंगलाल (जिला बरेली)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय मुख्य मंत्री जी ने हाउस के सामने उपस्थित किया है मैं उसका थोड़े से शब्दों में समर्थन करने के लिये आया हूं। प्रस्ताव के शब्द बिलकुल ठीक हैं। हमें मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिये कि उन्होंने हमें अपने विचार इस संबंध में प्रकट करने का अवसर इस प्रस्ताव को यहां लाकर दिया। जो संशोधन इस प्रस्ताव में आये उन्हें नहीं आना चाहिये था क्योंकि यह प्रस्ताव इस हाउस से बिलकुल एक मत होकर जाना चाहिये था। इसके एक मत से पास करके निकालने में ही हाउस की इज्जत और शान है।

एक बात यह है कि आजकल का जमाना ऐसा है कि हर देश इस बात की कोशिश करता है कि वह अपने दुश्मन देशों को दुनिया के देशों से अलग कर दे जिससे कि उसकी आवाज में वह शक्ति न हो जो दूसरे देशों के साथ मिलकर हो सकती है। इस नीति को अंग्रेजी में पालिसी आफ आइसोलेशन कहते हैं। इसी पृथक्करण की नीति के अनुसार आज चीन को जो इतना बड़ा देश है, यू० एन० ओ० में शामिल नहीं होने दिया जा रहा है। इसलिये हमारे विरोधी पक्ष का संशोधन कि हम कामनवेल्थ से निकल जावें, उचित नहीं है। होना तो यह चाहिये था कि चूंकि अफ्रीका ने संघ की बात नहीं मानी इसलिये उसे कामन वेल्थ से निकाल देना चाहिये। उस देश ने ऐसा काम किया जो कोई सभ्य देश नहीं कर सकता। हम क्यों इस बात को मानें कि कामनवेल्थ में ब्रिटिश गवर्नमेंट का बोलबाला है, क्यों माने कि हम वहां कमजोर हैं और हमें वहां से निकल जाना चाहिये। कामनवेल्थ में पाकिस्तान, सिलोन, हिन्दोस्तान और ऐसे कई देश हैं जिनमें गोरे लोग नहीं बसते हैं। यह हमारे लिये कमजोरी की बात होगी यदि हम यह कहें कि हम वहां से निकल जावें। हमें चाहिये कि चूंकि साउथ अफ्रीका ने रंगभेद की नीति अपनाई है इसलिये उसे वहां से निकलवाने का प्रयत्न करें। इसलिये मैं विरोधी पक्ष की ओर से जो प्रस्ताव आया है उससे सहमत नहीं हूं। मैं यह मश्विरा नहीं दे सकता कि हाउस उस प्रस्ताव को माने।

[श्री नौरंग लाल]

इसके अतिरिक्त दो तीन संशोधन और आपके सामने पेश हुए हैं और उनमें से कई बेगुनाह हैं और कुछ ऐसे हैं जिनमें कुछ शब्दों की फेर बदल कर दी गयी है। मिसाल के तौर पर पेश किया गया है कि जिन सफेद लोगों ने इस सत्याग्रह में सहायता दी है उन लोगों के प्रति भी हमारी सहानुभूति है और हम उन लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। अगर इस प्रस्ताव को मान लिया जाता है तो खुफिया तरीक़े से हम रंगभेद को मान लेते हैं जिसके विरुद्ध कि हम संघर्ष ही करने जा रहे हैं। रंगभेद की दृष्टि से हमें कोई भी काम नहीं करना है। हमें तो जो कोई भी सहायता करता है उन सब के साथ हमारी सहानुभूति है, चाहे वह श्वेत हो या श्याम। अतः अगर हम इस आधार पर अपना प्रस्ताव पास करते हैं तो उसमें गलती हो जायगी। इसलिये जो प्रस्ताव शुक्ल जी ने रखा है अगर हम उसको मान लेते हैं तो हमारा आधार ही समाप्त हो जाता है।

इसी तरीक़े से और भी संशोधन हमारे सामने हैं। उनमें एक संशोधन यह है जो देखने में तो बहुत ही अच्छा मालूम होता है, वह यह है कि हम साउथ अफ्रीका के सामने क्यों जायें। हमें तो यू० एन० ओ० के सामने जाना चाहिये, और मुल्कों के पास जाना चाहिये। मैं अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं हमारे सामने केवल दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता तो तलवार का है। अगर हम में ताक़त है तो हमें अवश्य ही अपने अपमान का बदला तलवार से लेना चाहिये। तलवार का मतलब यह है कि हम या तो अपने दुश्मन को मार दें या मर जायं। यह एक रास्ता है और दूसरा रास्ता महात्मा गांधी का है। उसका आधार क्या है? उसका आधार केवल यह है कि दुश्मन के साथ में ऐसा व्यवहार करो कि वह तुम्हारा मित्र बन जाय, जब हम इस आधार पर चलते हैं और महात्मा गांधी को अपना गुरु मानते हैं तो फिर आप कैसे कहते हैं कि हम साउथ अफ्रीका के पास नहीं जायेंगे। अगर आप इस भावना के साथ काम करेंगे तो आपका मक़सद कैसे पूरा हो सकता है। आप किसी से दुश्मनों जैसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं। सत्याग्रह की नीति का तो यही नतीजा है कि जो ज़ुल्म करता है वह आपके सामने आकर माथा टेकता है। इसलिये अगर आप साउथ अफ्रीका से आग्रह नहीं करते तो आप महात्मा गांधी के रास्ते से दूर जाते हैं। इसलिये हमें साउथ अफ्रीका से ही आग्रह करना है और किसी से कुछ कहना नहीं है। अब साउथ अफ्रीका में चाहे मलान हों चाहे कोई और हो। आज अगर वे हिन्दोस्तानियों को वहां से निकाल देने की कोशिश कर रहे हैं, हिन्दोस्तानियों पर ज़ुल्म कर रहे हैं लेकिन कल वे ही हिन्दोस्तानियों की इज्ज़त करेंगे, हिन्दोस्तानियों से हाथ मिलायेंगे और कहेंगे कि हिन्दोस्तानी हमारे दोस्त हैं, हम दोनों एक ही साउथ अफ्रीका देश के रहने वाले हैं और साथी हैं।

अगर यह संशोधन मान लिया जायगा कि हम साउथ अफ्रीका के पास आग्रह के लिये न जायं तो इस रिज्योल्यूशन का असली उद्देश्य ही खतम हो जायगा और इस तरह से हम महात्मा गांधी जी के उसूलों के खिलाफ जाकर, जो रिज्योल्यूशन कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने रखा है उसको नष्ट कर देंगे। इसलिये अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मेरा निवेदन इस हाउस से यह है कि वह इस संशोधन को पास न करे। इसी तरह से जो तीन चार संशोधन रखे गये हैं उनमें से किसी को भी पास न किया जाय यह रिज्योल्यूशन जो आपके सामने आया है वह निहायत प्रशंसनीय है और जो संशोधन आपके सामने रखे गये हैं उनका मैं विरोध करता हूं तथा मूल संकल्प, जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने आपके सामने रखा है, उसका जोरदार समर्थन करता हूं।

हमारी जो नीति है वह यह है कि साउथ अफ्रीका से रंगभेद की चीज दूर हो लेकिन उसके साथ ही हमको अपने अछूत भाइयों की तरफ भी ध्यान देना चाहिये। यह हमारे पुराने पापों का ही नतीजा है कि हम इस चीज को आज भुगत रहे हैं। हमें अपने देश से छुआछूत के भेद को दूर करना चाहिये जिससे मलान को या किसी दूसरे को यह कहने का मौका नहीं मिले कि पहले तुम अपने देश से छुआछूत के भेद को दूर करो फिर दूसरे के लिये कहना। बिना अपने यहां से इस चीज को

R.F. 190

दूर किये हुए दूसरे से ऐसा कहने का तुम्हें क्या हक है। अस्तु, मेरा निवेदन इस हाउस से यही है कि हमें इन अछूत भाइयों के साथ इस तरह का व्यवहार करना चाहिये जिसमें दूसरों को कुछ कहने का मौका न मिले। हिन्दुस्तान ने सत्याग्रह के जरिये निहत्थे आजादी प्राप्त की उसी तरह से आप दुबारा फिर सत्याग्रह के जरिये निहत्थे दुनियां को यह दिखला दें कि इस प्रकार से रंग का भेदभाव भी दूर किया जा सकता है। इन शब्दों के साथ जो संकल्प माननीय मुख्य मंत्री जी ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा (जिला गोंडा)--माननीय ऐक्टिंग प्रेसीडेंट महोदय, मैं अपने माननीय मुख्य मंत्री जी के संकल्प का समर्थन करने के लिये यहां उपस्थित हुआ हूं। मैं तो यह न कहूंगा कि यह बिलकुल निर्दोष ही है, परन्तु यह कहूंगा कि यह बहुत ही शुभ संकल्प है। मुझे बड़ा हर्ष हुआ कि आखिर यह संकल्प इस सदन के सम्मुख उपस्थित किया गया। मैं तो बहुत दिनों से इस चीज को चाहता था। उदाहरण के लिये मैं आपसे कहता हूं कि संवत् २००६ में हरद्वार के कुम्भ मेले में मैंने एक वेद-मंत्र की व्याख्या करा कर जिसकी व्याख्या १६ सफे में है और जिसकी प्रतिलिपि मेरे पास मौजूद है, बंटवाया था। वह वेद मंत्र यह है--

"ओइम्! तन्तुं तन्वन् रजसो भानुमन्विहि
ज्योतिष्मतः पथो रक्षधिया कृतान्।
अनुल्वणं वयत जोगुवामपो
मनुर्भव जनया दैव्यं जनम्।

संसार का ताना बाना बुनते हुए यानी गृहस्थाश्रम में रहते हुए बुद्धिमानों ने जो रास्ता बनाया है उस पर चले और उस रास्ते पर जो कर्म और बुद्धि से बनाया गया है और उलझन रहित है, चलते हुए मनुष्य बनो और देवताओं की सी सन्तान उत्पन्न करो। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी के हृदय में परमात्मा ने यह संकल्प उत्पन्न किया और उन्होंने उसे इस सदन के सामने उपस्थित किया और जो संशोधन पेश किये गये हैं उनके ऊपर कुछ न कह कर मैं यों ही छोड़ देता हूं। हमारी संस्कृति और सभ्यता एक अरब ९७ करोड़ वर्षों के पूर्व तक की मिली है कि हम हमेशा से केवल अपने घर, अपने परिवार और अपने देश के लिये ही नहीं बल्कि किसी भी मनुष्यमात्र की वृद्धि चाहते हैं।

इसी तरह से हमारे दूसरे ग्रन्थों में भी देख लीजिये। दुर्गा सप्तशती में भी यह आया है

"या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः
पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः।
श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा,
तां त्वां नताः स्म परिपालय देवि विश्वम्॥"

हे देवी! मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि समस्त जगत का पालन करो। तो हमारी तो यह सभ्यता और संस्कृति रही है। हमको तो यह देख कर बड़ा कष्ट होता है जब हम कहते हैं कि हम क्लासलेस सोसाइटी बनाना चाहते हैं, तो यह असम्भव सी बात है, क्योंकि कोई सोसाइटी होगी उसमें प्रधान मंत्री भी होगा और उनका अर्दली भी होगा। अगर हमारे यहां वे आयें तो दोनों को हम वैसे ही माला पहनाएं, एक ही तरह से स्वागत करें तो यह तो शायद सम्भव नहीं है। परन्तु यह सम्भव होगा कि हम व्यवहार सब के साथ समानता का करें। तो हमको यह देखकर कष्ट होता है कि जातीयता और प्रान्तीयता बहुत ज्यादा जागृत हैं। वह हमारी स्वतन्त्रता के बाद नष्ट हो जानी चाहिए। वह और प्रफुल्लित हैं यहां तक कि विद्यालयों में भी उसका कुछ अंश विद्यमान है। यह हमारी सभ्यता और संस्कृति रही है कि हमने सदव मानवता की सेवा की है।

[श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा]

मैंने आपके सम्मुख जो प्रस्ताव महामान्य राज्यपाल के संबोधन पर किया था, चरित्र निर्माण के लिए, उस रोज तो यहां कुछ लोगों को बड़ी हंसी आयी थी। परन्तु जो चीज मैंने यहां २२ मई को रखी थी वही बात १६ नवम्बर को हमारे माननीय राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में कही थी कि लड़कों का चरित्र-निर्माण होना चाहिये और धार्मिक शिक्षा पर होना चाहिए। वही चीज हमारे डा० राधाकृष्णन ने जब वह इंग्लैन्ड से लौटे तो बम्बई में कही कि चरित्र-निर्माण की अत्यन्त आवश्यकता है। तो मैं तो यह समझता हूं कि चरित्र-निर्माण और नैतिक-उत्थान पर ही हमारे देश का भविष्य निर्भर है।

इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)-- अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव इस भवन के सम्मुख प्रस्तुत किया है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। प्रस्ताव पर बोलते समय माननीय मुख्य मंत्री जी ने काफी विस्तार के साथ जो दक्षिणी अफ्रीका की स्थिति है और जो वहां के हालात हैं और उस समस्या को सुलझाने के लिए हमारी भारत सरकार ने जो जो कदम अब तक उठाए हैं उस पर काफी प्रकाश डाला है। मैं समझता हूं कि शायद ही इस देश में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिस को कि महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव का जो मूल उद्देश्य है और जिस भावना से प्रेरित होकर इस प्रस्ताव को इस भवन के सामने लाया गया है उससे उसका विरोध हो। इसी-लिए मेरा यह विचार था कि यह प्रस्ताव यह भवन सर्वसम्मति से पास करेगा, परन्तु मुझे खेद है कि ऐसा नहीं हो सका। इस प्रस्ताव के ऊपर सब से महत्वपूर्ण संशोधन विरोधी दल के नेता जी ने पेश किया है और यदि मैं कह सकता हूं तो संशोधन तो पेश हुआ लेकिन उस संशोधन का मूल प्रस्ताव से कोई तुक नहीं बंधता। इसीलिए यदि उसको बेतुका कहा जाय तो मैं समझता हूं कि ज्यादा गैर मुनासिब बात नहीं होगी। लेकिन इस संशोधन पर कोई विशेष आश्चर्य भी मुझ को नहीं हुआ क्योंकि पिछले पांच छः महीने से जो इस भवन में मैं बैठा हूं मैंने विरोधी दल के नेता जी को समझने की चेष्टा की है। उनका शायद ऐसा विचार है कि अगर वह ट्रेजरी बैंचों की तरफ से जो कोई भी प्रस्ताव पेश हो अगर उसमें थोड़ा बहुत विरोध न करें तो उनका अस्तित्व ही मिट जाता है। तो यदि इस विचार धारा को लेकर अस्तित्व को कायम रखने के लिये विरोध करना लाजिमी है और इसलिये एक ऐसा संशोधन पेश करना ही था तब तो मुझे इसके लिये कुछ कहना नहीं है। साथ ही साथ कोई नई चीज नहीं है। जब से कामनवेल्थ की सदस्यता भारतवर्ष ने स्वीकार की तब से ही समाजवादी पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने इस बात को ठीक नहीं समझा है। उन्होंने हमेशा कहा कि कामनवेल्थ के अन्दर शामिल होना भारतवर्ष के लिये अपमान की बात है। तो उसी अपमान की बात को लेकर विरोधी दल के नेता ने इस अवसर का फायदा उठाते हुये यह सोचा कि इस बहाने उनको भारत सरकार की विदेश नीति पर टीका-टिप्पणी करने का अवसर मिल जायगा और इसलिये उन्होंने यह संशोधन पेश कर दिया। अगर उस संशोधन की मेरिट को देखा जाय तो मेरी समझ में नहीं आया कि कामनवेल्थ के जितने नेशन्स हैं उनको हम छोड़ दें यह ज्यादा अच्छी बात है या उन सबको साथ में लेकर जो हमारे सामने वर्तमान प्रश्न है या यह जो रंगभेदी नीति है उसको संसार से मिटाना अच्छी बात है। उन सबका सहयोग लेकर ही समस्या को हल करना ज्यादा अच्छा होगा बजाय इसके कि वे देश जो हमारी भावनाओं से सहमत हैं, जो हमारी विचारधारा से सहमत हैं उनको भी हम छोड़ दें और अपने आप को आइसोलेट (विरक्त) कर लें। इसके बाद दूसरे संशोधन द्वारा माननीय चतुर्वेदी जी ने यह बताया कि हमारे देश के लिये बड़े अपमान की बात है कि हम किसी भी सरकार से जो हमको बराबर ठुकराती रही है बार बार आग्रह करें कि वह इस निति को बदल दें और बजाय इसके कि हमको यू० एन० ओ० से अपील करनी चाहिये।

जहां तक यू० एन० ओ० का सम्बन्ध है उसके जो अब तक के कारनामे हैं उसको देखते हुये ज्यादा आशा नहीं होती है। जो मसले उसके सामने पेश किये गए उनमें भी कोई ज्यादा सफलता प्राप्त नहीं हुई। काश्मीर का मसला है आप जानते हैं कि उसको किस हद तक खटाई में डाल रखा है। यू० एन० ओ० के सामने जो मसले हैं उनमें भी कुछ हो नहीं रहा है। फिर यह मसला भी यू० एन० ओ० के सामने है ही प्रस्ताव की भाषा बड़ी सरल है उसमें आवेश की बात नहीं है। उसमें बुनियादी बात है और मानवता की बात है। इसी आधार को लेकर यह प्रस्ताव सामने रखा गया है मैं समझता हूं कि दक्षिणी अफ्रीका के जो लोग हैं वह इसी देश के बच्चे हैं और हमारे भाई हैं। पर इसके अलावा इसका एक दूसरा पहलू भी है वह यह कि वह दक्षिणी अफ्रीका के नागरिक हैं और इसलिये भी कि वह मानव हैं हमें उनके साथ सहानुभूति होनी चाहिये। इस दृष्टि से यह प्रश्न केवल भारत का न रह कर सारे विश्व का ही प्रश्न हो जाता है। इन चन्द शब्दों के साथ मैं इस सदन से अनुरोध करूंगा कि जो मूल प्रस्ताव मुख्य मंत्री जी ने पेश किया है उसको बिना संशोधित किये ही यह सदन पास करे।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---माननीय चेयरमैन साहब, जहां तक मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तावित संकल्प के मूल भाव का सम्बन्ध है उससे मुझे कोई मतभेद नहीं है, लेकिन मेरी समझ में यह संकल्प कुछ अधूरा सा रह जाता है, अगर मेरे इस संशोधन को माननीय मुख्य मंत्री जी अस्वीकार कर देंगे। इन शब्दों के साथ मैं आपके सामने अपना अमेंडमेंट पेश करता हूं --

"अगर दक्षिण अफ्रीका की मलान सरकार इन मानवोचित अधिकारों एवं मानव-भावनाओं को ठुकराती है..

अध्यक्ष महोदय---आपका जो संशोधन था उसको तो सुबह हमारे अध्यक्ष महोदय ने अस्वीकार कर दिया था। अतः मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता कि आप उस संशोधन को मूव करें। यदि आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं, लेकिन संशोधन नहीं पेश कर सकते।

श्री झारखंडे राय---माननीय चेयरमैन महोदय, मैं माननीय विरोधी पक्ष के नेता द्वारा प्रस्तुत अमेंडमेन्ट के समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं कि आज सारी दुनियां में साम्राज्यवाद के खिलाफ और इंसानियत के शत्रुओं के खिलाफ, जो जगह-जगह मानवता के पुजारियों का जीवन-मरण संग्राम चल रहा है, जिसकी एक झलक दक्षिणी पूर्वी एशिया के वीतनाम के एक बहुत बड़े हिस्से में दिखलाई पड़ती है, जिसकी एक दूसरी झलक मलाया के छापेमार दस्तों के स्वातंत्र्य संघर्ष दिखलाई पड़ती है। जिसकी तीसरी झलक बर्मा के एक तिहाई हिस्से पर कब्जा किये हुए वहां के देशभक्तों की आजादी एवं जनतंत्र की लड़ाई में दिखलाई पड़ती है, उसी की एक झलक हमको साउथ अफ्रीका में भी वहां के सत्याग्रह के द्वारा दिखलाई पड़ती है।

आज सारा संसार दो हिस्सों में बंटा हुआ है। एक वह हिस्सा है, जो मानवता का पुजारी है, जो संसार में चिरशान्ति और मानवता के राज्य के लिये प्रयत्नशील है, दूसरा वह है, जो आज की व्यवस्था को कायम रख कर सारी इंसानियत को गुलाम बनाकर, मुट्ठी भर शोषकों और शासकों के लिये उसको सुरक्षित रखना चाहता है। इन दो हिस्सों में, दुनियां के इन दो शक्ति-गुटों में दुनियां के इन दो सिद्धान्तों में आज जिन्दगी मौत का आखिरी संग्राम चल रहा है। उसी का एक टुकड़ा, उसी का एक हिस्सा हमको अफ्रीका में भी देखने को मिलता है। अफ्रीका में जो संघर्ष चल रहा है उसके रूप से, उसके प्रकार से चाहे किसी को मतभेद हो सकता है जैसा कि मुझे है, लेकिन मैं महसूस करता हूं कि अफ्रीका की दलित जातियां अफ्रीका के सभी दलित लोग चाहे वह श्वेत हों या अश्वेत हों, चाहे भारतवासी हों या दूसरे लोग। आज जिस तरीके से मलान सरकार के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में, केनिया में, ट्यूनिशिया में, मिश्र में हर जगह उठ खड़े हुए हैं वह एक बात का इशारा करता है कि

[श्री झारखंडे राय]

दक्षिणी पूर्वी एशिया की ही तरह एक दिन अफ्रीका में भी जल्दी ही वह आग लगने वाली है जो दुनिया के साम्राज्यवाद को एक चुनौती देगी और उसकी ध्वंसलीला के बाद ही वह समाप्त होगी ।

माननीय चेयरमैन महोदय, जहां तक कि माननीय मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत संकल्प का विषय है उसकी अन्तिम पंक्ति में "आग्रह" शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मैं समझता हूं कि किसी से आग्रह की बात केवल दबाव की राजनीति है। हृदय-परिवर्तन में मेरा विश्वास नहीं है । मैं नहीं समझता कि ऐसे कामों और अपीलों से किसी का हृदय-परिवर्तन हो सकता है। महात्मा गांधी ऐसे मनीषी और मानवता के पुजारी के जरिये भी आज तक किसी एक अंग्रेज का, एक शोषक व्यक्ति का (भी) हृदय-परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिये मैं इस "आग्रह" शब्द से यही समझता हूं कि आग्रह एक दबाव की राज-नीति है एक प्रकार से जोर देना है और साथ ही दुनिया के जनमत को जाग्रत भी करना है। इसी अर्थ में माननीय मंत्री ने आग्रह शब्द का इस्तेमाल किया होगा । ऐसा मैं समझता हूं जो दबाव की राजनीति इस शब्द से प्रकट होती है वही हमारे विरोधी पक्ष के नेता द्वारा प्रस्तुत अमेंडमेंट के जरिये भी होती है। क्योंकि उसमें भी अपने राजनीतिक सम्बन्ध को कामनवेल्थ आफ नेशन्स से तोड़ने की बात कही गयी है राष्ट्र मंडल से "ब्रिटिश" शब्द हटा कर अंग्रेजों ने अपनी कूट नीतिज्ञता का, अपने मायावी जाल का परिचय दिया है । यह संशोधन भी केवल एक दबाव देता है और वह बड़े जोरदार तरीके से जो 'आग्रह' शब्द से दबाव पड़ता है उससे अधिक जोरदार तरीके से। माननीय चेयरमैन महोदय अगर इस संशोधन को माननीय मुख्य मंत्री मान लेंगे तो उनके इस संकल्प की अधूरी बात केवल पूरी ही नहीं होगी बल्कि अंग्रेज सरकार के ऊपर एक जबर्दस्त दबाव पड़ेगा और मेरा विश्वास है कि मलानशाही की इस दरिन्दगी के पीछे अंग्रेजों का छिपा हुआ हाथ है । यह कोई साधारण तौर पर समझ में आने वाली बात नहीं कि जिस राष्ट्रमंडल में पाकिस्तान भी हो जिसके भीतर हिन्दोस्तान भी हो और पाकिस्तान की फौज चाहे वह किसी भी नाम से पुकारी जाय, जब काश्मीर पर हमला करती है तो कामनवेल्थ क्यों चुप रह जाता है ?

आज काश्मीर की समस्या जटिल होती चली जा रही है । मुमकिन है कि दुनिया के अंतिम संघर्ष के साथ ही इस समस्या का भी हल हो । इसका आज कोई संतोषजनक हल नहीं निकल रहा है बावजूद इसके कि ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में हिन्दोस्तान भी है और पाकिस्तान भी है । इसी प्रकार इसकी कोई वजह नहीं है कि राष्ट्रमंडल में हम रहें भी और हमारे ही देश के कभी के निवासी या उनके वंशज जो पददलित और पीड़ित मानवता के हिस्से हैं उसी राष्ट्रमंडल में रहने वाली सरकार के मातहत एक जानवर की जिन्दगी बिताने के लिये मजबूर किये जायं । इसलिये मैं समझता हूं कि इस संशोधन के जरिये उस सरकार के ऊपर बहुत जोर पड़ेगा । यदि आज अंग्रेज चाहें, ब्रिटिश समाज्यवादी और चर्चिल चाहें तो निश्चित समझिये कि एक मलान सरकार क्या दस मलान सरकारें झुक सकती हैं, लेकिन अगर यह संशोधन नहीं माना जाता है, यह बात नहीं मानी जाती है, तो केवल 'आग्रह' करना मैं समझता हूं कि यह "पायस विश" एक सदेच्छा के अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकती। इसके जरिये कोई खास जोर नहीं पड़ सकता है अंग्रेजी हुकूमत पर, मलान शाही पर या विश्व के जनमत पर, क्योंकि राष्ट्र संघ आज केवल अमरीका की एजेंसी का कार्य रहा है और अमरीकी जंगखोरों की प्रसार-नीति के लिये एक आवरण सिद्ध हो रहा है। इसलिये माननीय चेयरमैन महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से अपील करूंगा कि वे विरोधी पक्ष की इस मांग को स्वीकार करें और उनके प्रस्ताव में जो कमी है उसको दूर करने की चेष्टा करें।

माननीय चेयरमैन महोदय, हमारे एक माननीय साथी ने इस प्रस्ताव पर बोलते हुये और तमाम अमेंडमेण्ट्स का विरोध करते हुये अपने एक नये अमेंडमेंट के जरिये कुछ बातें कही ह। उन्होंने भारत सरकार की 'तटस्थ' नीति और 'स्वतंत्र' नीति का भी जिक्र किया है। मैं समझता हूं कि भारत सरकार की दोमुखी नीति किसी तरह भी देश को नहीं रख रही है। न तो इससे कोई लाभ हो रहा है और न इससे हमारा कोई हित सम्पादन ही हो रहा है। एक साथ ही भारत सरकार या दुनियां की कोई सरकार मानवता की रक्षा करने वालों के साथ और मानवता का शिकार करने वालों के साथ दोस्ती नहीं रख सकती। मलाया के देश भक्तों के साथ चाहे वह एटली की लेबर सरकार रही हो, चाहे आज वह चर्चिल की टोरी सरकार है, जो नृशंस अत्याचार हो रहा है, उसको देखते हुये मलाया के देश भक्तों के साथ और उनको मारने वाले अंग्रेज साम्राज्यवादियों के साथ हमारी दोस्ती साथ ही साथ नहीं चल सकती। इसी प्रकार वीतनाम में उन देश भक्तों के साथ जो पिछले ७ सात वर्षों से फ्रांसीसी दरिन्दों से अपने देश को आजाद कराने के लिये लड़ रहे हैं और फ्रांसीसी शासकों के साथ हमारी दोस्ती एक साथ नहीं चल सकती है। वर्तमान सरकार ने फ्रासीसियों द्वारा अपने हवाई अड्डों को इस्तेमाल करने के लिये जो हुक्म दे दिया है कि उनके ऊपर उड़ते और नीचे उतरते हुये आराम के साथ वे हवाई जहाज वीतनाम के जो देश भक्त हैं उनके ऊपर बम्बारी करने के लिये फ्रांस से जायं। यह दोमुखी नीति नहीं चल सकती है। हमारे देश से दक्षिण कोरिया को मेडिकल मिशन भेजना हमारी तटस्थ नीति का द्योतक नहीं है। यदि हमें मेडिकल मिशन भेजना ही था तो नेहरू सरकार को यह करना चाहिये था कि मेडिकल मिशन दोनों कैम्पों में भेजा गया होता। इस प्रकार केवल दक्षिण कोरिया में मेडिकल मिशन भेजना हमारी टतस्थ नीति का चिन्ह नहीं है। बरमा की सरकार को हमारे यहां से जो सहायता वहां की जनता को कुचलने को दी गयी है या दी जा रही है यह हमारी तटस्थ नीति का कतई द्योतक नहीं है। यह दोमुखी नीति हमारे देश को कहीं भी नहीं रखेगी, न अमरीका के कैम्प का और न सोवियट कैम्प का। सोवियट यूनियन के बारे में यह विचार यहां अभी प्रकट किया गया है कि वह दुनियां के एक तिहाई हिस्से पर अपना साम्राज्य कायम किये हुये हैं। मैं समझता हूं कि यह असलियत से आंख मूंदना होगा। यह असलियत नहीं है। सोवियट यूनियन मानवता का पुजारी, अलम बरदार और रक्षक है। उसकी उन लोगों से तुलना करना जो मानवता के दुश्मन जंग खोर साम्राज्यवादी और नर भक्षक है, यह किसी भी मेम्बर को शोभा नहीं देता है। मेरा मत है कि हम सत्याग्रहियों की प्रशंसा करें, अपनी हमदर्दी प्रगट करें, लेकिन ....

श्री सीताराम शुक्ल--क्या माननीय मेम्बर टू दि प्वाईन्ट बोल रहे हैं।

अधिष्ठाता--माननीय झारखंडे राय विषय पर ही बोलें।

श्री झारखंडे राय--माननीय चेयरमैन, मैं आपसे अपील करूंगा कि सदन में जो विषय उठाये गये हैं उनमें भारत की विदेशी नीति भी आ चुकी है और अनेक विषय भी आ चुके हैं। अगर माननीय सदस्य को आपत्ति उठानी थी तो उस समय उठानी चाहिए थी। लेकिन अब किसी विरोधी पक्ष के आदमी के बोलने में आपत्ति करना उचित नहीं है। खैर, अन्त में मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से अपील करूंगा कि वह विरोधी पक्ष के नेता के संशोधन को मान लें और अपने संकल्प की कमी को पूरा करते हुए पूरे सदन को और इस प्रदेश की प्रगतिशील जनता को उसकी भावनाओं की इज्जत करने का परिचय दें।

श्री जगन्नाथ बख्श दास (जिला बाराबंकी)--आदरणीय चैयरमैन, जो संकल्प माननीय मुख्य मन्त्री जी ने उपस्थित किया है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैंने श्री झारखंडे राय जी की तकरीर सुनी और मुझे दुख होता है कि आपके द्वारा इस भवन के सामने यह कहते हुये कि उन्होंने जो बात हमारे सामने पेश की उससे हम लोगों का कोई संबंध नहीं है। मुख्य मन्त्री जी का प्रस्ताव तो बहुत ही सीधा सादा है और वह अपनी राय का इजहार करता है एक विषय के ऊपर, एक हरकत के ऊपर जो साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट वहां के

[श्री जगन्नाथ बख्श दास]

लोगों के साथ कर रही है। वैदेशिक नीति की बात करना जिससे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है, बेकार है। यह बात हमारे समझ में भी नहीं आती है, क्योंकि फारेन पालिसी की बात हमारे अख्तियार की बात नहीं है। इसलिये यह कहना कि वह सही है या गलत, ठीक नहीं है। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो हम यह कर देंगे वह कर देंगे, यह उचित नहीं है। यह तो केवल एक भाव का प्रदर्शन करता है। जो हमारे हिन्दुस्तानी भाई एक शान्तिमय युद्ध कर रहे हैं उनसे हमारी सहानुभूति है और साथ ही उस सरकार को सलाह है कि वह ऐसी हरकत न करें जिससे भारतीयों के प्रति भेदभाव की बात जाहिर हो। हमारा यह कहना है कि फारेन पालिसी से हमारा न कोई सम्बन्ध है और न मतलब ही है। हम तो केवल विचार कर रहे हैं जो आदरणीय मुख्य मन्त्री जी का प्रस्ताव है वह बिल्कुल स्पष्ट और साफ है। इस बात को कहने के लिये कि हम उनके साथ सहानुभूति रखते हैं और वहां की सरकार से आग्रह करते हैं कि वह ऐसा दुर्व्यवहार न करें जिससे हमें मजबूर होकर कोई ऐसा कदम उठाना पड़े जो हमारी वैदेशिक नीति इजाजत दे। जहां तक वैदेशिक नीति का सम्बन्ध है, जो इस तरफ हमारे भाई बैठे हैं उनकी पूरी सहानुभूति है और उसके फुल एग्रीमेंट में हैं। अगर हमारी सरकार जिसको अधिकार है वह ठीक समझे इसमें कुछ करें तो हमें एतराज नहीं होना चाहिए। हम अपनी सरकार के हाथ बांधना नहीं चाहते हैं। इन शब्दों के साथ मैं अनुरोध करूंगा कि जहां तक संशोधन का संबन्ध है वह ध्यान न दे और मूल संशोधन पर ही सदन ध्यान दे।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

अधिष्ठाता—मेरा विचार है कि इस प्रस्ताव पर काफी वाद-विवाद हो चुका है। यदि संकल्प उपस्थित किया जाय तो अच्छा है।

प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गोविंद वल्लभ पन्त—चेयरमैन महोदय, जो प्रस्ताव मैंने पेश किया था उससे तो वस्तुतः सभी सहमत होंगे और जो उसका सिद्धांत है, जो उसमें सुझाव रक्खा गया है वह सबको मान्य है। उसके बारे में कोई मतभेद नहीं है, परन्तु फिर भी ४, ५ बल्कि ६ संशोधन यहां उपस्थित किये गये हैं। उनमें से कुछ तो शब्दों के रूपान्तर के बारे में हैं। राज नारायण जी का संशोधन एक महत्त्व का प्रश्न उठाता है। उन्होंने यह सुझाव दिया है कि इस संशोधन में यह शब्द जोड़े जायं जिनसे कि इस बात का आग्रह किया जाय कि कामन वेल्थ से भारत अलग हो जाय। उन्होंने यह नहीं बतलाया कि अगर हम इसे पेश कर दें तो फिर साउथ अफ्रीका का मसला कैसे हल हो जायगा। उसके पास होने से डाक्टर मलान अपनी नीति को वापस ले लेंगे या जो इस वक्त उनकी शैली है, जो उनका दिमाग फिरा हुआ है वह ठीक हो जायगा या फिर उसमें और ज्यादा खराबी होने की गुंजाइश बढ़ सकती है। अगर वह यह कहते कि साउथ अफ्रीका से हिन्दुस्तान लड़ाई ठान ले तो कोई बात समझ में आ सकती। उन्होंने एक तरीका बतलाया, वह तरीका हो सकता है या नहीं यह तो दूसरी बात है। अगर वह यह समझते कि हिन्दुस्तान इस विषय में लड़े और उन्हें हराये तो बात समझ में आ सकती है, अगर यह कहना कि हम कामनवेल्थ से हट जाय, इससे मलान ठीक हो जायगा यह बात समझ में आई नहीं। न उन्होंने इसके बारे में कुछ बतलाया कि हट जाने से कैसे रंगभेद की जो नीति साउथ अफ्रीका में चल रही है वह खत्म हो जायेगी। उन्होंने विश्व बन्धुत्व की बातें कहीं। उन्होंने कहा कि सारे संसार को एक राष्ट्र बनाया जाय, इस बारे में भी उन्होंने कुछ अपने विचार प्रगट किये। तो क्या विश्व बन्धुत्व बढ़ाने और संसार को एक करने का रास्ता यह है कि जो एक साथ इस वक्त हैं वे भी एक दूसरे से अलग हो जायं। अगर यह तरीका एक होने का है कि जो एक हैं वे भी बिखर जायं तो

यह जो उनकी विचार शैली है वह दिखलाती है कि उनका जो सुझाव है वह युक्तिसंगत नहीं है।

उमाशंकर जी ने कहा कि साहब मैं तो इसमें जवानी का पुट देना चाहता हूं। जवानी का पुट अच्छा होता है मगर जवानी जवानी पैदा नहीं होती, वह सिर्फ इतने से मामला हल नहीं हो जाता। मैं समझता हूं कि हमें जरा गौर से इन मसलों को देखना चाहिए। विदेशी नीति का जहां तक सम्बन्ध है, विदेशी देशों से सम्बन्ध रखने वाली चीजें हैं उनमें जवानी का जोश काम करता है। अब कहा जाता है कि कामनवेल्थ से अलग हो जाना चाहिए। कामनवेल्थ क्या चीज है, कामनवेल्थ का हम पर क्या दबाव है। आखिर कामनवेल्थ से हमने कोई ऐसा समझौते की बात कही है जिससे कि हमारी आजादी में कोई फर्क आये। आज अगर हम साउथ अफ्रीका से लड़ना चाहें तो इसको कामनवेल्थ रोक सकती है या नहीं यह मैं नहीं जानता।

हम जानते हैं कि पाकिस्तान के बीच में हमारा हिन्दुस्तान है। उसके साथ हमारी लड़ाई हुई हो या नहीं मगर एक जमाना था कि जब काफी खूंरेजी हुई और उस समय दोनों तरफ की फौजें एक दूसरे के खिलाफ थीं, लेकिन तब भी हम कामनवेल्थ के अन्दर रहे और उसका कुछ असर एक दूसरे पर पड़ा। परन्तु जो प्रश्न है उसको समझना चाहिए। असल में हिन्दुस्तानी का कोई खास सवाल नहीं है। सवाल है दुनियां से जाति वाद को खत्म करना और सवाल है रंगभेद को दूर करना। काले और गोरे का प्रश्न दुनियां में न रहे। यह चीज सारी दुनिया से ताल्लुक रखती है। अफ्रीका से ताल्लुक रखती ही है लेकिन दूसरी तरफ योरोप के बहुत बड़े हिस्से से ताल्लुक रखती है, नार्थ अमेरिका से ताल्लुक रखती है। यद्यपि साउथ अफ्रीका में हिन्दुस्तानी लोग हैं, दूसरे मुल्कों के लोग भी हैं, सीलोन के हैं, पाकिस्तान के हैं, बर्मा के लोग भी हैं। इन सबने मिल कर ही इस प्रश्न को यू० एन० ओ० में साउथ अफ्रीका की नीति की निन्दा की नजर से देखा। तो फिर आज कामनवेल्थ से अलग होने के मायने क्या हैं? क्या हम पाकिस्तान से अलग हो जायं, सीलोन से अलग हो जायं और बर्मा से भी अलग हो जायं जिन सब ने मिलकर इस सवाल को उठाया। ये सब देश कामन वेल्थ के अन्दर हैं और इन सब ने अफ्रीका की नीति की निन्दा की है और इन सब ने मिलजुल कर ही इस रंगभेद की नीति को अलग करने का निश्चय किया है। अगर हम इन देशों से अपने को अलग कर लें तो इसमें कौन सी बुद्धिमत्ता है और क्या इससे हमारा बल बढ़ सकता है यह मेरी समझ में नहीं आता है। शायद उनको यह ख्याल रहा हो कि यूनाइटेड किंगडम में उतना उत्साह नहीं दिखाई देता है जितना दिखाई देना चाहिए और जो और देशों ने दिखाया। मगर उनको यह याद रखना चाहिए कि यू० एन० ओ० में यूनाटेड किंगडम ने इसका विरोध नहीं किया। उनको यह मालूम होना चाहिए कि क्या हम अपने को सब से आईसोलेट कर लें।

पाकिस्तान और सीलोन हमारे पड़ोसी मुल्क हैं जो कि यूनाइटेड किंगडम से जुड़े हुए हैं। तो क्या हम सबसे अलग होकर अपने को अलग कर डालें? क्या इससे हमारी शक्ति बढ़ेगी? क्या इससे हम किसी मसले को हल कर लेंगे? इसलिये गुस्से की बात से सिर्फ काम नहीं चल सकता है। हमको यह भी याद रखना चाहिए कि एक जमाना था कि जब हम अंग्रेजों से लड़ते थे मगर आज किस कांटेक्स्ट में हम अपना काम करते हैं और उसमें हम क्या चीज करते हैं यह सोचने की बात है। इसलिये यह समझ में नहीं आया कि इस प्रस्ताव से क्या असर होगा और उससे क्या फायदा होगा? इसको मैं यह समझता हूं कि सोचा नहीं गया है। हमको दुनिया से जाति वाद को अलग करना है और इस रंग भेद की नीति को अलग करना है। हमको यह जानना चाहिए कि यूनाइटेड किंगडम उनमें से आज है, जिन्होंने इस नीति को छोड़ दिया है। हमारे सैकड़ों डाक्टर इंगलिस्तान में प्रैक्टिस करते हैं। वहां पर जीनियोलोजी में भी काम करते हैं। इस वक्त हमारे हजारों विद्यार्थी वहां पर ट्रेनिंग पा रहे हैं और शिक्षा पा रहे हैं। हमारे ट्रेडर्स भी वहां पर हैं जो कई तरह का काम करते हैं। आपको याद होगा कि जब हम उनकी मातहती में थे तो डाक्टर दादाभाई वहां की पार्लियामेंट के सदस्य थे। अभी हाल ही में जो चुनाव हुआ है उसमें एक भारतीय भी पार्लियामेंट के लिये

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

खड़े हुए थे। उन्होंने रंगभेद की नीति को छोड़ दिया है। जब इन देशों ने रंगभेद की नीति को छोड़ दिया है तो फिर उनसे अलग होना कहां की बुद्धिमत्ता है। शक्ति बढ़ाने की बात यह किस तरह से हो सकती है यह तो मैं समझ नहीं सका और आज सिर्फ एक बात से नाराज होकर कोई ऐसी बात करें, चूंकि किसी के पैर में कांटा लगा इसलिये सिर में पत्थर मार डालो, यह कोई अक्लमन्दी की बात नहीं है। यह ठीक है कि पैर के कांटे को अलग करना चाहिए, लेकिन सिर के साथ खामख्वाह लड़ जाय कि पैर में कांटा क्यों लगा यह कोई समझ में आने की बात नहीं है। आखिर आज बात क्या है? हम एक नैतिक प्रश्न पर लड़ रहे हैं और यह तो एक मारल ईशू है, यह तो केवल रंगभेद का ही सवाल है और अगर हम इस प्रकार के सवालों को हल करके दुनिया की मारल ओपीनियन को हारनेस कर सकते हैं और हमने इसमें कामयाबी हासिल की है और हमारा सारे संसार ने साथ दिया है।

आज हम विग्रह करके सारी दुनिया की शक्ति को बिखेर दें और साउथ अफ्रीका की हिम्मत को और बढ़ा दें और उन्हीं का तिरस्कार करें कि जिन्होंने रंग नीति को छोड़कर आज हमारे ही देशवासियों को अपने देश में पूर्ण स्वतन्त्रता के अधिकार दिये हैं। मेरी समझ में इसमें कोई अक्लमन्दी की बात नहीं मालूम होती। फिर कामनवेल्थ क्या चीज है? हमने कहा कि हम क्वीन को नहीं मानेंगे, हम रिपब्लिक हैं, हम राजा को नहीं मानते। इस पर कामन-वेल्थ ने कहा कि आप जो चाहे करो हम उसमें कोई जब्र नहीं करते। आज हमारे कई सौ करोड़ स्टर्लिंग इंगलैण्ड में हैं और हमारे उनसे बीसों तरीके के सम्बन्ध हैं, आर्थिक सम्बन्ध हैं, व्यापारिक सम्बन्ध हैं और राजनीतिक सम्बन्ध हैं, क्या उन सब को छोड़ कर हम कामनवेल्थ से अलग हो जायं? सीलोन से, बर्मा से, पाकिस्तान से सभी से तो ताल्लुक है किसी ने नहीं कहा कि कामन वेल्थ को छोड़ दिया जाय।

इस साउथ अफ्रीका के मसले पर कामन वेल्थ से अलग होने की बात की तो कोई तुक ही नजर नहीं आती। मैं समझता हूं कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिस पर हमें सोचना पड़े और मैं आशा करता हूं कि श्री राज नारायण जी अपने संशोधन को वापस ले लेंगे क्योंकि ऐसे विषयों में जहां तक हो सके हमें एक ही होकर चलना चाहिए। इसमें कोई भेदभाव की बात नहीं है। कामन वेल्थ से अलग होने का प्रश्न अगर करना ही हो तो वह अलग सामने लाया जा सकता है, लेकिन इस सम्बन्ध में वह बिल्कुल बेतुका मालूम होता है और इसका कोई आधार नहीं है और किसी तरह से भी उसका इस प्रस्ताव से मेल नहीं हो सकता है और उसका असर तो और उल्टा पड़ता है। ऐसा करने से कि जिन्होंने अपने यहां भेद भाव की नीति को छोड़ दिया है जिनके साथ मिल कर हम काम कर रहे हैं उनको ठुकरा दिया जाय, उनसे अलग हो जायं, इससे कोई लाभ नहीं हो सकता। कामन वेल्थ छोड़ने के मानी हैं सीलोन, बर्मा सब से अलग हो जाना जो सब हमारे साथ रंगभेद की नीति के विरुद्ध मिलकर चल रहे हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि इस तरह से कामन वेल्थ से अलग होने का सवाल कहीं पर नहीं आता।

इसी सम्बन्ध में कुछ बातें वैदेशिक नीति के बारे में भी कही गयीं। मुझे खेद है कि यह प्रश्न इस मौके पर यहां उठाया गया। कुछ लोगों ने कहा कि भारत की नीति दुर्बलता की है। मैं आपसे हिम्मत और फख्र के साथ कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान ने जिस शान, जिस हिम्मत और जिस निर्भीकता के साथ वैदेशिक नीति को कायम किया है और जिस पर वह डटा है वह संसार के लिये एक मिशाल और उदाहरण है। जिसके पास कोई फौज नहीं, कोई ध्वंसकारी अस्त्र नहीं वह दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतों से कहता है कि हम धर्म पर डटे रहेंगे हमें किसी ताकत के साथ अपने को विलीन करना नहीं है और हमारा धर्म जो हम से कहेगा हम वही करेंगे आप चाहे जो करें इससे ज्यादा बढ़कर और क्या वैदेशिक नीति हो सकती है? इसको कौन दुर्बलता की नीति कह सकता है? क्या यही सबलता की नीति है कि दो ब्लाक्स में से एक में जज्ब हो जाओ। उसमें खत्म हो जाय

और अपनी स्वतंत्रता को छोड़ दे। और इस बात को भी छोड़ दे कि क्या सही है और क्या ग़लत है। बल्कि रूस के साथ अपने को बांध डाले या अमेरीका के साथ बांध ले ताकि जो इनमें से कोई देश कहे वही करे। मेरी समझ में नहीं आता कि राजनारायण जी किसके साथ अपने को बांधना चाहते हैं क्योंकि जहां तक मुझे मालूम है न तो वे रूस के साथ और न अमेरिका के ही साथ अपने को बांधना चाहते हैं। और इंग्लैंड जरा सोशलिस्ट हुआ था, लेकिन अब फिर नहीं रहा। तो फिर वह कहां जावें ? उनके पास कोई जगह नहीं है। वह चाहते हैं कि न तो हम कम्यूनिस्ट में और न कैपिटलिस्ट में हों। तो जो आप चाहते हैं वही रास्ता हमारा भी है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कामनवेल्थ रिलेशन्स और डिप्लोमैटिक रिलेशन्स को एक ही बात समझते हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--मैं मानता हूं कि नारायण दत्त जी बहुत बारीक बातों को जानते हैं मगर मैं तो मोटी बातों को जानता हूं और उन्हीं को कहना पसन्द करता हूं। उनके जितना मेरा तजुर्बा नहीं है। बहुत से सदस्य मेरी बातों को समझते हैं और अगर वह नहीं समझते तो मुश्किल है।

श्री झारखंडे राय जी ने कहा कि राजनारायण जी का प्रस्ताव ठीक है। मगर राजनारायण जी का डर यह है कि कहीं कम्यूनिस्टों का पाया न बढ़ जाय, चूंकि कम्यूनिस्ट और सोशलिस्ट नहीं मिल सकते। और श्री झारखंडेराय जी कहते हैं कि उन्हीं के प्रस्ताव का वह समर्थन करते हैं। तो वह तो एक ही बात चाहते हैं कि जितना हम इंग्लैंड और अमेरिका से झगड़ा करेंगे उतना ही रूस को मदद मिलेगी। मगर हम न तो इंग्लैंड को और न रूस को या अमरीका को ही अपना दुश्मन समझते हैं। हम तो चाहते हैं कि शान्ति बनी रहे और इंडिविजुअल लिबर्टी बनी रहे क्योंकि मनुष्य का सारा उद्धार इन्हीं चीजों पर निर्भर है। यदि इन दो बातों को मानते हुये झारखंडे राय जी कम्युनिज्म को किसी तरह से बढ़ावें तो हमें किसी तरह की आपत्ति नहीं है। आप अब देखिये कि जो हिन्दोस्तान सैकड़ों बरस से पिछड़ा पड़ा था और जिसे अभी स्वतंत्र हुये ५ साल भी नहीं हुये उसके एक प्रस्ताव पर दुनिया में हलचल मच गई और सारी दुनिया के लोग कहने लगे कि हां, अब संसार के उद्धार का ज़माना आ गया है। यदि भारत ने कोई सबसे बड़ी चीज पाई है स्वतंत्रता के बाद तो वह अंतर्राष्ट्रीय जगत् में आदर है और इसका श्रेय हमारी वैदेशिक नीति को है। आज यदि रूस हिन्दोस्तान की क़द्र करता है या अमेरिका हमारी क़द्र करता है तो केवल इसीलिये कि कहीं हिन्दोस्तान एक को छोड़ दूसरे से न मिल जाय, जो कि अब तक अलहदा रहा है। इंग्लैंड भी समझता है कि हिन्दोस्तान इतना बड़ा देश है वह कहीं रूस के साथ न चला जाय। हमारी स्वतंत्रता के मानी हैं कि हमारा स्वराज्य क़ायम रहे और हम हमेशा गांधी जी के बतलाये रास्ते पर चलें और आध्यात्मिकता को ऊंची जगह देकर सच्ची बात कहें और विश्वशान्ति बनाये रखने में सहयोग दें। जो बात उचित है, न्याययुक्त है, सही है उसी को हम उचित कहेंगे, और उसी पर अमल करेंगे तथा उसके लिये अपना सारा ज़ोर लगा देंगे, इससे बढ़कर वैदेशिक नीति और क्या हो सकती है ? मैं समझता हूं कि इस नीति के बारे में थोथी बातें कहने से कोई परिणाम नहीं निकल सकता।

दूसरे संशोधनों के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो नारायण दत्त जी का संशोधन है उसमें उन्होंने 'अश्वेत' शब्द को अलग कर देने की बात कही है। अगर उसको अलग कर दिया जाय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि उस सत्याग्रह में जो भी शरीक होता है हम सब को बधाई देना चाहते हैं चाहे वह कोई भी क्यों न हो।

दूसरा संशोधन श्री शंभुनाथ चतुर्वेदी जी का है, मैं उसको भी स्वीकार करने को तैयार हूं क्योंकि उससे मूल प्रस्ताव के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परन्तु एक डायरेक्ट अपील साउथ अफ्रीका से न होकर सारे संसार के देशों से हो तो वह उसके क्षेत्र को और विस्तृत कर देता है। इसलिये इससे मुझे कोई हानि नहीं दिखाई देती। इसलिये

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

इन दो संशोधनों के साथ संशोधित होकर अगर यह प्रस्ताव भवन के सामने आता है तो मैं आशा करता हूं कि वह एक मत होकर इसको स्वीकार करेगा।

एक बात और कहना चाहता हूं कि केवल जबानी बात करने से काम नहीं चलता, इसलिये हमें इस काम में मदद देना है। हमारी पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने थोड़े से धन से हमें सहायता देने की कोशिश की है। मैं इस भवन के सदस्यों से निवेदन करता हूं और उनके द्वारा मैं अपने प्रदेश के रहने वाले सब भाइयों से निवेदन करता हूं कि अगर वे इस काम में सहानुभूति रखते हैं और मानवता को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो वे इस कार्य में हमारी यथा-शक्ति सहायता करें।

अधिष्ठाता--अब मैं जो संशोधन उपस्थित किये गये हैं उन्हें एक एक करके लेता हूं। पहला संशोधन माननीय राजनारायण जी का है। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या वे अपना संशोधन वापस लेना चाहते हैं ?

श्री राज नारायण--श्रीमान्, मैंने पहले ही निवेदन किया था कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है वह हमारे संशोधन के बिना निस्सार हो जाता है उसके प्रति हमें शंका है। भाषण का समय नहीं है, नहीं तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बताता कि हमारा संशोधन कितना महत्त्वपूर्ण है। इसलिये मैं चाहता हूं कि उस पर वोट ले लिया जाय।

अधिष्ठाता--प्रश्न है कि संकल्प के अन्त में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय--

> "साथ ही यह विधान सभा भारत सरकार से सिफारिश करती है कि रंग भेद संबन्धी अमानवीय नीति पर ब्रिटेन और आस्ट्रेलिया के निन्दनीय रुख को देखते हुए वह राष्ट्र मंडल (कामन वेल्थ) से भारत का तुरन्त संबंध विच्छेद कर ले'।"

(प्रस्ताव उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

अधिष्ठाता--दूसरा संशोधन श्री सीताराम जी का है। वह अपना संशोधन वापस ले लेना चाहते हैं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

अधिष्ठाता--अब श्री शम्भुनाथ चतुर्वेदी का संशोधन आता है जिसे माननीय मुख्य मंत्री ने स्वीकार कर लिया है।

प्रश्न यह है कि संकल्प की पंक्ति ४ में "भयावह समझते हुए" शब्दों के बाद निम्न-लिखित शब्द बढ़ा दिये जायं--

> "संघ के सब राष्ट्रों से आग्रह करती है कि वे संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रतिष्ठा तथा मानवता के अधिकारों की रक्षा के हेतु ऐसे उपाय अमल में लायें कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार अपने प्रदेश से श्वेत-अश्वेत के भेद को समाप्त करने के लिये विवश हो।" और संकल्प के शब्द "उससे आग्रह करती है.....समाप्त कर दे" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अधिष्ठाता--अब श्री नेकराम शर्मा जी का संशोधन आता है। क्या नेकराम जी अपना संशोधन वापस लेने को तैयार हैं ?

श्री नेकराम शर्मा--मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

अधिष्ठाता--अब श्री नारायण दत्त जी का संशोधन आता है। इसका एक अंश तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है और बाकी जो तीन अंश रह जाते हैं उनको क्या तिवारी जी वापस लेने के लिये तैयार हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--श्रीमान्, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यू० एन० ओ० से आज्ञा लेने के संबंध में उनकी क्या राय है ?

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--जो कुछ मुझे कहना था, मैंने कह दिया ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--तो मैं उसे वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन का अन्तिम भाग वापस लिया गया ।)

अधिष्ठाता--जो संशोधन माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है मैं उसे उपस्थित करता हूं ।

प्रश्न यह है कि संकल्प की प्रथम पंक्ति में से "अश्वेत" शब्द हटा दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अधिष्ठाता--श्री उमाशंकर जी, क्या आप अपना संशोधन वापस लेना चाहते हैं ?

श्री उमाशंकर--मैं संशोधन वापस ले लेता । मुझे बहुत उम्मीद थी कि माननीय मुख्य मंत्री जी इसको मान लेंगे क्योंकि मैं देखता हूं कि इस संशोधन को वापस ले लेने पर प्रस्ताव निष्प्राण है । इसलिये मैं उसे वापस नहीं लेता ।

अधिष्ठाता--तो यह संशोधन इस तरह से है, उसे मैं लेता हूं ।

प्रश्न यह है कि संकल्प की तीसरी पंक्ति में "नीति तथा" के आगे "सत्याग्रहियों पर जघन्य अत्याचार करने का दोषी ठहरा कर उसकी निन्दा करती है" और चौथी पंक्ति में "संयुक्त राष्ट्र संघ की" के आगे "उदासीनता" शब्द और पांचवीं पंक्ति में "अपने प्रदेश" के स्थान पर "राष्ट्र मंडल के प्रदेशों" जोड़ दिया जाय और पांचवीं पंक्ति के अन्त का "दे" निकाल कर उसके स्थान पर "ने को अपने जीवन मरण का प्रश्न बनावें" बढ़ा दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

अधिष्ठाता--अब मैं संशोधित संकल्प को लेता हूं ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेशीय विधान सभा दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी, प्रवासी भारतवासी तथा अन्य निवासियों द्वारा मानवोचित अधिकारों के प्राप्त करने के लिये शान्तिमय सत्याग्रह के प्रति प्रशंसा तथा सहानुभूति प्रकट करती है और दक्षिण अफ्रीका की सरकार द्वारा रंग भेद नीति तथा उस सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ की अवहेलना को विश्व शान्ति के लिये भयावह समझते हुए संघ के सब राष्ट्रों से आग्रह करती है कि वे संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रतिष्ठा तथा मानवता के अधिकारों की रक्षा के हेतु ऐसे उपाय अमल में लायें कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार अपने प्रदेश से श्वेत-अश्वेत के भेद को समाप्त करने के लिये विवश हो ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

* जौनसार-बावर भौमिक अधिकार सुरक्षा तथा भौमिक अभिलेख विधेयक, १९५२

माल मन्त्री (श्री चरण सिंह)--माननीय चैयरमैन साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जौनसार-बावर भौमिक अधिकार सुरक्षा तथा भौमिक अभिलेख विधेयक, १९५२ पर विचार किया जाय ।

जौनसार-बावर एक पहाड़ी इलाका देहरादून जिले में स्थित है और देहरादून जिले में दो तहसीलें हैं । एक तहसील इसी इलाके की है । इसके दो हिस्से हैं, जौनसार और बावर । जौनसार दक्षिणी हिस्से का नाम है जिसमें चकराता का क़स्बा भी है और बावर उस हिस्से का नाम है जो कि उत्तर में है । तो यह इलाका शिडयूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स में अब तक था । १८७० के शिडयूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऐक्ट के मातहत यहां शासन चलता था और १९३५ के बाद यह पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया

* १३ अक्तूबर, १९५२ की कार्यवाही में छपा है ।

[श्री चरण सिंह]

करार दिया गया। जब यह हमारा कांस्टीटयूशन यहां नाफिज हुआ है, उसके पहले अब तक यहां जो हमारे कवानीन प्रदेश के दूसरे हिस्से में जारी थे वहां वे जारी नहीं थे और उन्हीं को कुछ संशोधन के साथ हस्ब जरूरत गवर्नर अपने नोटीफिकेशंस के साथ उनको वहां नाफिज कर देता था। तो वहां का इलाक़ा बहुत से मामले में उत्तर-प्रदेश के दूसरे हिस्सों से बिलकुल भिन्न है। यहां अगरचे पहाड़ बहुत ऊंचे-ऊंचे नहीं हैं लेकिन फिर भी पहाड़ों की इन चोटियों की तादाद बहुत ज्यादा है और इसमें क़ाबिल काश्त इलाके बहुत कम हैं। लेकिन बावजूद इसके जेरकाश्त या काबिले काश्त एरिया कम है। फिर भी ज़मीन के लिये वहां भूख नहीं है, वहां लैंड हंगर नहीं है जैसी कि हमारे देश और प्रदेश के दूसरे हिस्सों में है। उसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि वहां बहुपति अर्थात् पालीऐंडरी का रिवाज है और उसका नतीजा यह है कि वहां आबादी बहुत थोड़ी-थोड़ी बढ़ती है, बहुत थोड़ी रफ्तार के साथ बढ़ती है।

उस इलाके की कुल आबादी ५६ हजार के क़रीब है और रक़बा जो जेरे काश्त है वह २८ हजार एकड़ है। वहां के लोग बहुत पिछड़े हुये हैं। वहां तालीम की अब तक बहुत बड़ी कमी रही है और लोग बहुत सीधे सादे हैं। आम तौर पर वहां के गांवों को हम सेल्फ सफाईसिंग गांव कह सकते हैं। अपने लिये कपड़ा खुद बुन लेते हैं और प्रायः अपने जीवन भर का अन्न भी पैदा कर लेते हैं। बहुत थोड़ा अन्न उनको बाहर से मंगाना पड़ता है और बहुत थोड़ी चीजें वे बाहर भेजते हैं। वहां व्यापार नहीं है, दूकान वहां शायद कोई देखने को मिले क्योंकि उनका रहन सहन हमारे यहां से बिलकुल अलग है और रिवाज भी अलग है। यहां तक कि हमारा एक्साइज का जो क़ानून है वह भी वहां लागू नहीं है। वहां शराब बनाने और पीने की खुली इजाजत है। तो उस इलाक़े में अब तक जैसे कि हमारे यहां बंदोबस्त है उस तरह का बंदोबस्त नहीं है। वहां जो काम चल रहा है वह वहां १८५१ में वहां के रिवाजों को कोडीफाई किया था उनका जो दस्तूरुलअमल है, जो रौस के दस्तूरुलअमल के नाम से प्रख्यात है, उसके हिसाब से काम चल रहा है।

सन् १८७६ में एक सरसरी से वहां बन्दोबस्त भी हुआ और सन् १८८३ में वहां मालगुजारी क़ायम की गयी। वहां मालगुज़ारी एक अजीब तरीक़े से क़ायम होती है। वहां मालगुज़ारी सिर्फ ज़मीन की हैसियत या ज़मीन के रक़बे के हिसाब से नहीं है। ज़मीन तो देखी जाती है लेकिन साथ ही जितने आदमी उस खान्दान में काम करने वाले हैं, कितने मवेशी उनके पास हैं, एक प्रकार से हैसियत टैक्स कह सकते हैं। लेकिन वही वहां मालगुज़ारी कहलाती है और जैसे कि हमारे यहां काग़ज़ात हैं इस तरह के काग़ज़ात भी वहां नहीं हैं। वहां ३९ हक हैं। वह इलाक़ा ३९ हिस्सों में तक़सीम है और हर एक हिस्से को हक़ कहते हैं। हक़ वहां की इकाई है। उन हक़ों में हरीपुर व्यास को छोड़ कर बाकी हिस्सों में जैसे हमारे खतौनी खेवट वगैरह हैं इस तरह से कोई रेवेन्यू रेकार्ड्स नहीं हैं। केवल दो काग़ज़ात होते हैं। एक का नाम फाटबन्दी है और दूसरे का नाम स्याहा है। फाटबन्दी में काश्तकार दर्ज है, कितने मवाजे हैं, यह दर्ज है और कितना रक़बा है, यह दर्ज है। स्याहा में यह दर्ज होता है कि कितनी उसने मालगुज़ारी दी और कितनी वाजिब है। बाकी कोई रेवेन्यू रेकार्ड जैसे कि हमारे यहां हैं वहां नहीं हैं।

वहां एक सयानाचारी कहलाता है जो कि हर एक हक़ के ऊपर होता है। उसको सदर सयाना भी कह सकते हैं। आम तौर पर जो मुखिया काम करता है, ये दोनों काम वह करता है। वह गवर्नमेंट की तरफ से खेत पर जो मालगुज़ारी मुक़र्रर है और खेत के अन्दर जितने गांव हैं की गांव कितनी मालगुज़ारी आये इसको बांटने का काम इस खेत सयाने को है जिसको सदर सयानी भी कहते हैं। फिर गांव में भी एक सयाना होता है। वैसे सयाना के मानी होशियार के हैं और शायद इसी से यह शब्द बना है। तो गांव का सयाना सदर सयाना की इमदाद से अपने गांव के किसानों पर मालगुज़ारी तय करता है और वैसे

तो वह सदर सयाने के मातहत रहता है। सदर सयाना मालगुजारी इकट्ठा करता है। आपस के झगड़े भी निबटाता है और मालगुजारी वसूल करने का कमीशन पांच फीसदी के हिसाब से पाता है, जिसको भुसाटा कहते ह। छोटे–छोटे फौजदारी के मुक़द्दमे भी तय करता है और जुरमाने का भी उसको अधिकार है। जुरमाने का आधा खुद ले लेता है और आधा दूसरे फरीक को देता है।

वह बहुत बअसर आदमी है। लेकिन धीरे धीरे उसके अख्तियारात कम हो रहे हैं। वहां कुछ और वर्ग कोलटा, बाजगी और दूसरे नाम से हैं जो कि बहुत पिछड़े हुए हैं। उनको बहुत से वाजिबुलअर्ज के मुताबिक बहुत से गांवों में जमीन की मिल्कियत हासिल करने का अख्तियार नहीं है। केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय ही जमीन रखते हैं और ये कोलटा–बाजगी लोग, जो बैकवर्ड क्लासेज हैं, जो बहुत दबे हुए हैं, वह लोग बराबर उनके यहां काम करते हैं। एक दफा कर्जा ले लिया, बाप–दादा–परदादा किसी ने ले लिया वह अदा नहीं होता और उसके एवज में अपने जमींदार के यहां मय बच्चों और औरतों के काम करते रहते हैं। वे काबिल इन्तकाल भी हैं। हस्तांरित भी हो जाते हैं। उनको एक जमींदार दूसरे जमींदार को बेच भी सकता है। यह बिलकुल दासता तो नहीं कही जा सकती, लेकिन दासता के निकट सन् १९४० तक इनकी दशा थी।

उसके बाद धीरे–धीरे उसकी अवस्था कुछ सुधरनी शुरू हुई है। वैसे अदालतें आम तौर पर इस तरह के रिवाज को मानती नहीं हैं जिसके जरिये कोलटा को कोई जमीन रखने का अख्तियार नहीं है और कुछ ऐसे हैं जो जमीनों के मालिक हैं और शिक्षा के विस्तार के साथ और प्रसार के साथ उनमें जागृति आ गयी है। मैं उसकी तफसील में न जाकर यह और कहना चाहता हूं कि कोलटा की आबादी १९ फी सदी है। ५६ हजार कुल आबादी है, जिसके १९ फीसदी यानी ११ हजार के करीब ऐसे हैं जो कोलटा, बाजगी आदि कहलाते हैं।

तो यह जो बिल पेश किया गया है, इसके दो–तीन उद्देश्य हैं, एक तो यह कि वहां रेवेन्यू रेकार्ड्स तथा अधिकार अभिलेख जो कहलाते हैं, इनका काम हो रहा है, लेकिन जब लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, वहां नाफिज नहीं है, ऐप्लिकेबिल नहीं है इसलिये वह रेवेन्यू रिकार्ड्स अगर अफसर तैयार कर भी दें, जिसका अभी काम करीब–करीब खत्म हो चुका है, तो उनकी कोई कानूनी मान्यता नहीं होगी। इसलिये उन रिकार्ड्स को एक लीगल स्टेटस देने के लिये यह बिल लाया गया है। दूसरा यह कि वहां काश्तकार की कोई सेक्योरिटी नहीं है। कोई उनका अधिकार नहीं है। जब जमींदार चाहे, स्वेच्छानुसार उनको निकाल सकता है। तो इस तरह की बेदखिलयों को रोकने का उद्देश्य भी इस बिल का है। कोलटा और बाजगी जो जातियां हैं उनको लाभ इसके नतीजे के तौर पर होगा।

माननीय चैयरमैन साहब, मेरी मन्शा कहने की यह है कि इस विधेयक को बजाय इसके कि सेलेक्ट कमेटी वगैरह में भेजा जाय इस पर आज ही विचार कर लिया जाय। बहुत सरल, सीधा सा विधेयक है और ऐसा है जिसमें मैं समझता हूं कि कोई विवाद की गुंजाइश ज्यादा नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव को पेश करता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)––माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय राजस्व मन्त्री ने जो जौनसार–बावर भौमिक अधिकार सुरक्षा तथा मौमिक अभिलेख विधेयक हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया, मैं समझता हूं कि यह बहुत ही बिलम्ब में प्रस्तुत हुआ। इसको सन ४६ में, सन् ४७ में जब पहिली कांग्रेस मिनिस्ट्री बनी, आना चाहिए था। जो कुछ भी आज किया जा रहा है वह जौनसार–बावर कमेटी रिपोर्ट के अनुसार किया जा रहा है, जो कि २३ मार्च, १९३९ ई० को सबसे पहिली कांग्रेस मिनिस्ट्री ने स्थापित की थी। यह कमेटी एफ० डब्ल्यू० डब्ल्यू०, बैंक्स आई० सी० एस० की अध्यक्षता में हुई और माननीय हर गोविंद सिंह आज के शिक्षा मन्त्री और श्री खुरशीद लाल उसके सदस्य थे। अंग्रेज तो क्या उसकी रिपोर्ट

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

को लागू करते, लेकिन जिस प्रकार की सामन्तशाही और पिछड़ा हुआ एक प्रारूप जो एक इतना विकृत रूप हो और विकृत चित्रण हो जैसा कि माननीय राजस्व मन्त्री जी ने स्वयं पेश किया, वहां आज सन् ५२ तक कोई लेजिस्लेशन, किसी प्रकार का कोई कानून हमारी सरकार न बना सकी यह बड़े ही दुःख की बात है। स्वयं राजस्व मन्त्री ने बतलाया कि सन् ५० में लैन्ड रिकार्ड्स का अभिलेख शुरू हुआ। जहां पर आज तक किसी प्रकार का कोई लैन्ड रिकार्ड न हों, जहां पर एक जातिवाद के सिद्धांत के ऊपर वाजिबुलअर्ज में दर्ज किया जाता रहा हो, केवल ब्राह्मण और राजपूतों के अलावा कोई और जमीनों के ऊपर काबिज न हों, जहां पर दासता, स्वयं राजस्व मन्त्री के कथनानुसार इतने साल से चली आ रही हो वहां तो सरकार का पहिला कर्त्तव्य था कि ऐसे विधेयक और कानून लाती जिससे वहां की पिछड़ी हुई हालत कम होती।

आगरा यूनिवर्सिटी के बारे में तो एक महीने की जब मोहलत रहती है, असेम्बली मिलने वाली है तब भी आर्डिनेन्स निकाल दिया जाता है, लेकिन जहां पर इतनी पिछड़ी हुई हालत है और जहां कि हरिजन वर्ग और जो पिछड़ी हुई जातियां हैं इतनी दबी हुई हैं वहां पर छः-सात साल तक हमारी सरकार कोई ध्यान इस तरफ न दे और आज अगर कोई विधेयक आये भी तो इतना अधूरा ? मैं तो इसे बिलकुल अधूरा विधेयक कहूंगा और वह किस प्रकार अधूरा है यह मैं अभी साबित करूंगा। यह इतना अधूरा विधेयक है जिससे कोई अधिकार नहीं मिलता। मैं तो कहूंगा कि इस विधेयक से किसी प्रकार का अधिकार नहीं मिलता है, सिर्फ इतना ही होता है कि सन् ५० के जो रिकार्ड्स बना लिये हैं वह सही हो जाते हैं, जिन पर लैन्ड से रेवेन्यू ऐक्ट लागू नहीं होता, वह हो जाता है और वह सही मान लिये जाते हैं और कानूनी दृष्टि से मुकम्मिल हो जाते हैं। इतनी बात जरूर है, लेकिन अगर राजस्व मन्त्री जी यह समझते हैं कि इससे कोलटों को या बाजगियों को या डोमों को या चमारों को, जो ११ हजार जनता जौनसार-बावर में बसती है उसको कोई रिलीफ मिलता है तो मैं ऐसा नहीं समझता। मैं इसका विश्लेषण आपकी आज्ञा से करना चाहता हूं।

उद्देश्य और कारण में लिखा हुआ है कि "देहरादून जिले के परगना जौनसार बावर में भौमिक अधिकार अब तक रूढ़ि जनित विधि के रूप में थे जो कि अधिकार दस्तूरुल अमल में वर्णित हैं और कुछ दशा में तो लिपिबद्ध भी नहीं है।" इसमें स्पष्ट है कि जितनी भी आज तक खराबियां लैन्ड या भौमिक अधिकार में रूढ़िवादिता से उत्पन्न हुई वह दस्तूरुल अमल में दर्ज है। लेकिन इस विधेयक में कहीं पर भी दस्तूरुल अमल को खत्म नहीं किया गया। और यह लिखा गया है कि दस्तूरुल अमल में जो विधियां हैं वे इस विधेयक के पास होने के बाद अब दस्तूर में लागू नहीं होंगी। क्योंकि धारा ३ में लिखा हुआ है कि "किसी विपरीत विधि के होते हुए भी, कोई भी काश्तकार अपने खाते से अथवा उसके किसी भाग से निम्नलिखित में से एक अथवा दोनों आधारों के अतिरिक्त अन्य किसी आधार पर बेदखल न किया जायगा।" लेकिन काश्तकार की परिभाषा देखें कि कौन सा काश्तकार है। काश्तकार की परिभाषा इस विधेयक की जान है। माननीय राजस्व मन्त्री ने बतलाया कि कोलटा, बाजगियों की हालत इतनी खराब है। उन्होंने यह भी बतलाया कि वहां कर्जा परम्पराओं से चला आता है और खानदान के खानदान कर्जदार हैं और उसको चुकाने के लिये वह सेवा के रूप में या गुलामी के रूप में जमीन में काम करते हैं, कर्जदार होने की हैसियत से जमीनों में काम करते हैं और शायद माननीय मन्त्री जी इतना अवश्य ही मानेंगे कि इसके अलावा वहां लीज सिस्टम भी है जो धारा ४ में दिया है कि बहुत सी जो खास तौर से नौतोड़ भूमि वहां की लीज में है वह भी कोलटा बाजगियों के नाम से लीज तो है, लेकिन उनको कोई आकुपेन्सी राइट्स नहीं है। सन् १९३९ के ऐक्ट के अनुसार दखीलकार काश्तकारों का अधिकार मिला हुआ था वह भी इस तरह के टेनेन्ट को नहीं मिलेगा। तो मैं इतना कह कर काश्तकार की परिभाषा को प्रस्तुत करूंगा।

धारा २ की उपधारा (घ) देखी जाय तो, "काश्तकार के अन्तर्गत जौनसार बाबर के दस्तूरुल अमल में माने गये मौरूसी काश्तकार या गैर मौरूसी काश्तकार हैं अथवा ऐसा काश्तकार जिसके पास भूमि सेवा के उपलक्ष में हो।" तो दस्तूरुल अमल भी ऐसा, जिसको खुद स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स ऐन्ड रीजन्स में स्वयं माननीय राजस्व मन्त्री ने रूढ़िवाद बताया है, वही दस्तूरुल अमल की काश्तकार की परिभाषा इसमें मानी गयी है। अब जो भूमि उसे मिली हो वह सेवा के उपलक्ष्य में हो, "इन लियू आफ सर्विस" (सेवा के स्थान पर)। वहां या तो कर्जदारी के उपलक्ष्य में है या लीज के उपलक्ष्य में। मेरे पास दस्तूरुल अमल की नकल भी है। उसमें रास साहब ने जो लिखा है वह मैं पढ़कर सुनाता हूं--

"But no Doma, Bajgi, or any such caste can get possession of such land. Only Brahmins and Rajputs can, and they can only hold it on a *gair mouroosee* tenure."

[किन्तु कोई डोम बाजगी या ऐसी कोई अन्य जाति ऐसी भुमि पर अधिकार नहीं रख सकती केवल ब्राह्मण और राजपूत ही रख सकते हैं और वे भी केवल गैर मौरूसी पट्टे पर रख सकते हैं]

दस्तूरुल अमल की परिभाषा मानी गयी है। इसमें मौरूसी काश्तकार और गैर मौरूसी काश्तकार माने जा सकते हैं और कौन हो सकते हैं। इसके बारे में दस्तूरुल अमल में साफ लिखा हुआ है कि –

"There are two kinds of cultivators, one *mouroosee* and the other *gair mouroosee*. Cultivators are of the Brahmans and Rajput caste and have the power to sell or otherwise dispose of their lands. They have in every way a right and title to their villages but the *gair mouroosee* cultivators have no right to sell or otherwise dispose of their lands; but the Zamindar whose land they cultivate, they pay rent in money, this payment is called *Kara*'."

यानी मौरूसी काश्तकार या गैर मौरूसी काश्तकार केवल ब्राह्मण और राजपूत हो सकते हैं, कोई कोलटा और बाजगी नहीं हो सकता है। यह दस्तूरुल अमल में दर्ज है और जो सेवा के उपलक्ष्य में हैं उसमें कोलटा और बाजगी आ जायंगे। लेकिन कमेटी की रिपोर्ट में देखें कि उसमें स्पष्ट है कि कोलटा और बाजगी की मांगे क्या थीं। जब कमेटी ने कहा तो उन्होंने कहा कि जो जमीन हमारे पास है उसमें हमको आकूपेन्सी राइट्स दिये जायं और जो जमीन कर्जदार को कर्जे के ऐवज में दी जायेंगी तो वह जमीन हमसे न ली जाय यानी कर्जे के चुकाने की हैसियत में जो काबिज हैं उसमें भी काश्तकार माने जायं। मौरूसी और गैर मौरूसी काश्तकार की जो लीज में हैं उनको भी काश्तकार माना जाय। तब तो पिछड़ी जाति के लोगों को कुछ रिलीफ मिल सकती थी।

अब मैं एक उदाहरण बतलाना चाहता हूं कि लोग कर्जे से किस तरह से परेशान हैं। मैं आपके सामने उस कमेटी की रिपोर्ट का एक उदाहरण देना चाहता हुं। कर्जे के सम्बन्ध में एक कोलटा इस कमेटी के सामने गवाही देने के लिये आया। यह कितना रोमांचकारी है। एक कोलटा ने बयान दिया है कि---

"I am Madho's Kolta. My great grandfather must have taken a loan. We have worked for him for five generations. They have now beaten me and turned me out. I had prepared two water mills, which the *Sayanas* have now claimed."

[मैं माधो का कोलटा हूं। मेरे प्रपितामह ने अवश्य कोई कर्ज लिया होगा। हम लोगों ने उसके लिये पांच पीढ़ियों तक काम किया। उन्होंने मुझे पीट कर निकाल दिया। मैंने दो पनचक्कियां तैयार की थीं जिन्हें सयानों ने अब अपनी बताया है।]

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

यह एक कोलटा का बयान है। पांच परम्पराओं से वह कर्जदार था, अब दूसरा लीजिए वह कहता है कि—

"We have worked for four generations. My great grand-father had taken a loan of Rs. 222."

यानी चार पुश्त पहले २२२ रुपये उधार लिये थे। आज तक वह काम करते चले आ रहे हैं, लेकिन कर्ज अदा नहीं हुआ। इस प्रकार की व्यवस्था के बारे में अंग्रेजों ने भी कहा है कि—

"In fact the problem is somewhat to be "Begar" taken by the Zamindars in the plains but on a much bigger scale."

[वस्तुतः यह समस्या बेगार के समान ही है जिसे जमींदार मैदान में लेते हैं, किन्तु बहुत बड़े पैमाने पर।]

यह कमेटी रिपोर्ट की वरडिक्ट है कि जिसने एक दफा कर्जा ले लिया फिर उसको सारे कुटुम्ब, खानदान और पांच पुश्त तक को काम करना पड़ता है। उनके लिये इस बिल में कुछ भी नहीं है। मैंने दस्तूरुल अमल को टटोला, बाजिबुल अर्ज को देखा लेकिन यह चीज मुझे कहीं भी नजर नहीं आई। इस लिये इस बिल के स्टेटमेंट एन्ड आब्जेक्ट्स में कहा गया है उसमें तमाम जोतने वालों के लिये कहा गया है। काश्तकार की परिभाषा में कहीं भी नहीं है। इसमें लिखा है कि "अतएव भूमि जोतने वाले किसानों की सुरक्षा के निमित्त भौमिक अधिकारों से सम्बद्ध विधि को स्थिर करने तथा इस क्षेत्र के अधिकार अभिलेखों को नियमित करने के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।" यानी काश्तकार की परिभाषा में यह कहीं नहीं लिखा है कि जिसके पास भूमि सेवा के उपलक्ष्य में हो। जहां पर हम कहते हैं कि उस पर दो वर्ष से अधिक का लगान बाकी है वहां सयाना लगान की कोई रसीद नहीं देता है। मैं माननीय राजस्व मन्त्री का ध्यान जरा आपके द्वारा आकृष्ट करना चाहता हूं। अगर कोई मान लिया लगान दे भी दे तो लगान की रसीद सयाना नहीं देता है। अब यह सयाना के ऊपर है कि वह यह माने या न माने कि उसने लगान दिया है या नहीं दिया है। रसीद का वहां सिस्टम ही नहीं है। इसके अवाला वहां लगान इन कैश ही नहीं दिया जाता है, इन काइन्ड भी दिया जाता है। जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने स्वयं कहा कि वहां लगान सर्कम्सटांसेज और प्रापर्टी टैक्स के रूप में है। वहां गायों पर टैक्स है और तमाम चीजों पर है, जैसा इसमें दिया हुआ है—

'Revenue assessment was settled as long ago as 1884, and approximates more to a circumstances and property tax than to a regular settlement, having been based not only on the amount of cultivable land, but also on the number of men in the family able to cultivate and on the number of cattle, sheep and goats owned.'

बहुत पहिले सन् १८८४ में कर निर्धारण हो गया था और अनुमानित कर नियमित बन्दोबस्त की अपेक्षा स्थिति और सम्पत्ति पर लगाया गया था। वह केवल कृषि योग्य भूमि पर ही नहीं, अपितु परिवार के पुरुषों पर भी लगाया गया था, जो खेती करने योग्य थे, तथा मवेशी, भेड़ और बकरियों पर भी था, जो उनके पास थीं। ऐसा जब लगान है तो जो व्यवस्था आपने धारा ४ में की है कि अगर दो साल का लगान बकया रह जाय तो वह निकाल दिया जायगा। तो भला बताइये कि कैसे मालूम होगा कि वह काश्तकार बेचारे ने लगान दिया, तो क्या दिया? कैश में दिया या काइंड में दिया या जो दिया उसकी रशीद मिली या नहीं मिली। जब तक इसका बन्दोबस्त नहीं होगा तब तक वह हमेशा बेदखल होता रहेगा। इस लिये उन काश्तकारों की सुरक्षा के लिये यह आवश्यक था कि कम से कम यह रखा जाता कि काश्तकार को रसीद देना सयाना के लिये आवश्यक होगा। वहां के बहुत पिछड़े हुए लोग हैं। पढ़ना लिखना तो दूर रहा, वहां के लोग इतना पिछड़े हुए हैं कि उनसे यह उम्मीद करना कि वह कानूनी माहिर हो जायेंगे गलत है। वहां के लोग तो वकीलों को भी नहीं पसन्द करते हैं। कमेटी की रिपोर्ट में यह

लिखा है कि वहां के लोगों ने कहा है कि हम वकील पसन्द नहीं करते हैं। तो जो इतना पीछे हटे हुए हैं उनके लिये कम से कम यह रखना आवश्यक था कि लगान की रसीद सयाना के लिये देना आवश्यक होगा और हर रसीद कि वह नक्ल रखेगा और जब वह बेदखली का दावा करेगा तो वह लगान की रसीद भी दिखलायेगा और तब कहीं बेदखली का प्रश्न उठेगा। कम से कम माननीय मन्त्री जी ने जब कमेटी के रिपोर्ट को देखा होगा तो उसकी सिफारिशों को भी देखा होगा। रिपोर्ट की सिफारिश में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि दस्तूरुल अमल और वाजिबुल अर्ज जो हैं उनको तो कह दीजिए कि यह बिलकुल बलाये ताक में रख दिये गये हैं। जब तक वाजिबुल अर्ज को आप किसी प्रकार भी मानेंगे तब तक कोई सुधार नहीं हो सकता है क्योंकि वाजिबुल अर्ज के लिये रास साहब ने अलग अलग कान्फ्रेन्स बुलायी थी और उस कान्फ्रेन्स में कुछ विशेष जाति के लोग बुलाये गये थे। उन्होंने एक ऐसा वाजिबुल अर्ज बतलाया कि जैसा मैंने आपके सामने अर्ज किया कि गैर मौरूसी काश्तकार मौरूसी काश्तकार हो सकता है।

हां, एक बात मैं कहना भूल गया। वहां का नौतोड़ जमीन का सिस्टम अलग है। जिसकी जहां तबीयत आती है वह वहीं जमीन तोड़ लेता है गो कि और जगह नौ तोड़ जमीन का रजिस्टर रहता है। वहां एक आदमी जहां रहता है वहां से दस मील पर जमीन जोतता है। आज भी वहां ऐसा है कि एक आदमी जिस गांव में रहता है वहां से दस मील पर उसकी जमीन है। कमेटी ने यह कहा कि वहां के लोगों ने लैण्ड रिकार्ड्स आपरेशन की मुखालिफत की और उनका यह कहना था कि अगर आपने सेटिलमेंट किया और उनको पहिले अधिकार नहीं दिया तो इतना गड़बड़ होगा जिसकी हद नहीं है। मुझको यह डर है कि जैसा यह विधेयक है यदि माननीय मन्त्री जी ने हमारे संशोधनों के द्वारा या स्वयं अपने संशोधनों के द्वारा इसके आधार को नहीं बदला तो वहां बहुत झगड़ा बढ़ेगा। वहां वैसे ही पिछड़े हुए लोग हैं वे समझेंगे कि दस मील पर हमारी जमीन है, कौन लिये जा रहा है। वे कहेंगे कि हमारा वाजिबुलअर्ज में हक है। वह अब भी लागू है। आपने इस वाजिबुलअर्ज को मान लिया है और विधेयक भी लागू कर दिया। यह दोनों परस्पर विरोधी चीजें हैं। वाजिबुल अर्ज जितना पिछड़ा हुआ एक कानून और एक इतना आगे इतना बढ़ा हुआ यह कानून दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। फिर जबकि वाजिबुल अर्ज को आपने इसमें मान लिया है, जैसा कि एक जगह इसमें लिखा हुआ है, धारा ५ की उपधारा (ख) देखिए इस प्रकार नियुक्त अधिकारियों की प्रक्रिया को विनियमित कर सकती, किन्तु इस प्रकार नहीं जिससे कि ऐसे किसी क्षेत्र में समय विशेष पर प्रचलित किसी विधायन (enactment) के व्यापार (operation) में रुकावट पड़े। यानी अफसर कोई चीज वाजिबुलअर्ज के खिलाफ नहीं कर सकता। वह अफसर कुछ करना भी चाहे, कुछ रुकावटें डालना भी चाहें तो नहीं डाल सकता। वाजिबुलअर्ज को आपने इसमें प्रधानता दी है। इस प्रकार कोई भी अफसर इस धारा के अनुसार प्रचलित रिवाज के खिलाफ नहीं चल सकता। जौनसार-बाबर के रिवाज इतने बरबर हैं, प्रतिक्रियावादी हैं और उनके खिलाफ अगर कोई अफसर नहीं जा सकता तो यह विधेयक क्या करेगा और अफसर क्या करेगा यह सोचने की बात है। पुराना जो वाजिबुल अर्ज है उसको खत्म करना चाहिए था और नये सिरे में एन ऐक्टमेंट करना चाहिए था। यह करना चाहिए था कि पुरानी सब बातें खत्म, अब नये सिरे से काम हो रहा है। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक कोई फायदा नहीं होगा। नये सिरे से जो सेटिलमेंट हो रहा है उसमें कितनी दिक्कतें आ रही हैं इसे माननीय राजस्व मन्त्री स्वयं जानते हैं। कमेटी रिपोर्ट में कहा गया है--

"Our Committee was at first almost unanimous in thinking that the only way to avoid ever increasing litigation was to have boundaries demarcated between all villages, by a special officer. Subsequently, however, we found that though opinions varied the greater body of local sentiment is strongly opposed to this. Such a demarcation would be very difficult to carry out in practice, with nothing to guide the demarcating officer apart from local opinions and his own discretion.

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

It would arouse a mass of inter-village friction even in places where none exists at present and it would almost certainly involve hardship to certain villages which have little or no available land close by."

हमारे पहाड़ में ऐसा होता है कि धार होती है। धार में एक गांव एक ओर दूसरा गांव दूसरी ओर होता है। जो गांव नजदीक पड़ता है वह कहेगा कि यह हमारी जोत में होना चाहिए, इस पर हमारा हक है। लिहाजा जब सेटिलमेंट का सवाल आयेगा तो कितना झगड़ा मचेगा, लेकिन अगर आप इस बात की पहले घोषणा कर देंगे कि जो लोग खेती को जोतते चले आ रहे हैं, जो लोग १० मील के अन्दर हैं और पुरानी जमीन जोतते चले आ रहे हैं उनको इस विधेयक के द्वारा आप अधिकार देना चाहते हैं। लेकिन बिना पुराने रिवाज को खत्म किये, पुराने वाजिबुल अर्ज को खत्म किये, आपने सेटिलमेंट को शुरू कर दिया तो इससे झगड़ा और बढ़ेगा और इतना झगड़ा मचेगा कि वे बेचारे आपस में लड़ मरेंगे। मैं समझता हूं कि पुलिस भी वहां कुछ न कर सकेगी। सयाना ही वहां के डिक्टेटर होते हैं, वही सब कुछ होता है। वहां क्या हालत होगी इसे राजस्व मन्त्री ही समझ सकते हैं। इस कानून से वहां की हालत और खराब होगी। इसके साथ ही साथ जिन सिफारिशों की बाबत मैंने निवेदन किया, वे सिफारिशें सन् ३९ में वहां डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और कमिश्नर, देहरादून ने सरकार के सामने पेश कर दी थीं। उन्होंने वहां के बारे में ५ सुझाव दिये थे एक तो यह था कि नौतोड़ जमीन जो है उसको कोई भी जोत सकता है। उन जमीनों को कोलटा लोग ही जोतते हैं अगर कोई अन्य जाति के लोग उसको जोतते हैं तो वे उनसे छीन लेते हैं। इसलिये पहिले आप यह करें कि नई तोड़ जमीन का एक रजिस्टर बनाया जाय। मगर इस विधेयक में उसका कहीं भी जिक्र नहीं है।

दूसरी बात यह थी कि वहां पर जो सयाना लोग हैं उनके अधिकार कम किये जायं, उनकी ताकत को कम किया जाय। बिना उनकी ताकत कम हुए वहां पर कोई काम आगे नहीं बढ़ सकता है। वहां पर आप पञ्चायत कायम करना चाहते हैं' यह ठीक है, लेकिन उनकी ताकत को भी कम कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी निरंकुशता और बढ़ेगी और वहां के झगड़े और बढ़ेंगे। इस लिये इस बात की जरूरत है कि सयानाओं की ताकत को कम किया जाय।

तीसरी बात कर्जे की है कि उनके कर्जे को कम किया जाय और जो सिस्टम वहां पर चला आता है उसको तोड़ा जाय। आप कर्जे को माफ करने के लिये बड़े बड़े विधेयक बनाते हैं, लेकिन उनके लिये कुछ नहीं किया जाता है तो उनके लिये भी कुछ ध्यान होना चाहिए। वहां के जो पुराने रिवाज हैं उनमें यह है कि वहां पर जो जमींदार हैं वे ही हर तरह से उसके जिम्मेदार होते हैं। अगर किसी का विवाह होता है तो उसका सारा खर्चा वे सयाना लोग देते हैं और जितना खर्चा होता है वह सब उनके कर्जे के रूप में उनके नाम लिख दिया जाता है और उनके ऊपर और कर्ज चढ़ जाता है। इस कारण जब तक वहां पर यह कर्जे का सिस्टम कायम है और यह अमर है तब तक कोई काम वास्तव में वहां पर नहीं हो सकता है।

इसके अलावा जो जमीन वहां पर लीज पर उठी हुई है कोलटा लोगों को या और जो दबी हुई जाति के लोग हैं उनको जो अधिकार आकुपेन्सी राइट सन् १९३९ के ऐक्ट में था वह इस विधेयक की धारा ४ में उनको देना चाहिए। उसके सिलसिले में कमेटी ने जो रिपोर्ट जौनसार-बावर के बारे में लिखी है उसको मानना चाहिए। सरकार उसी कमेटी की रिपोर्ट को अमल में लाना चाहती है और उसके मुताबिक काम करना चाहती है। तो अब उसी के मुताबिक जो उसने कहा है कि सरकार को काम करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जो हमारा उद्देश्य है उसको भी पूरा नहीं करते हैं। इन बातों को मैं समझता हूं कि भूमि जोतने वालों की रक्षा के निमित्त राजस्व मन्त्री अवश्य स्वीकार करेंगे। मैंने इन बातों को आपके सामने सही समझकर रखा है। किसी विरोध के कारण नहीं रखा है जो वास्तविक स्थिति है और तथ्य है उसको भी समझकर रखा है। अगर कोई शब्द मेरे गलत हों, जो कि

मैंने कहे, तो बात दूसरी है अन्यथा इसमें कोई भी बात वास्तविकता से परे नहीं है। जो वाजिबुलअर्ज दर्ज है उनको ओर आपको ध्यान करना चाहिए। अगर काश्तकार की परिभाषा में कोई खामी हो तो राजस्व मन्त्री जी को उस पर पुनर्विचार करने के लिये कोई एतराज नहीं होना चाहिए। वहां पर जो ये दबे हुए लोग हैं, पीड़ित हैं अगर उनकी रक्षा के निमित्त आप ध्यान देंगे तो इससे मानवता के एक अंश को राहत मिलेगी।

कुछ सांत्वना मिले और उनको भी उनके जन्मसिद्ध अधिकार मिलें जो कि इस प्रदेश की जनता ही ने नहीं, बल्कि संसार ने और मानवता ने स्वीकार कर लिए हैं। मैं आशा करता हूं कि जौनसार बावर के क्षेत्र पर भी अब मंत्री जी कृपा करेंगे। अब बहुत देर हो चुकी है। सन् ४० से आज १३ साल के क़रीब हो चुके हैं और अब एक-एक दिन की देर खल रही है और आवश्यक है कि अब इसके लिए जल्द ही आर्डिनेन्स आवे। इसके बाद मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे पुनः विचार करके इस बिल को वापिस ले लें और कमेटी की रिपोर्ट में फिर से संशोधन करके इसको संशोधित रूप में लाने की कृपा करें।

वन उपमंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)—माननीय सभापति जी, इस विधेयक पर माननीय नारायण दत्त जी ने बहुत सी बातें कहीं। मैं यह नहीं कहूंगा कि उन्होंने कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके विरुद्ध कहा या यह कि उनकी जो भावना है, वह किसी प्रकार बुरी है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि उनके मस्तिष्क में इस विषय में कुछ भ्रम अवश्य है, क्योंकि उनका सब से पहला आरोप सरकार पर यह था कि सन् ४० में जब यह कमेटी बैठी तो उसने इसको उसी वक्त कार्यान्वित क्यों नहीं किया? आपको इस रिपोर्ट में ही मालूम हो जायगा कि हमारे जितने उसमें कांग्रेसी सदस्य थे, वे युद्ध के छिड़ने पर उस कमेटी से हट गए, वे थे श्री खुरशेद लाल, श्री हरगोविन्द पन्त और श्री महावीर त्यागी। इसके बाद जब सन् ४६ में मिनिस्ट्री आई तो फौरन ही उस वक्त सेटिलमेंट आफ़िसर मुक़र्रर किए गए और वहां सेटिलमेंट का काम शुरू किया गया और वह काम अब तक चलता रहा। बाद को पता चला क्योंकि उस वक्त एडेप्टेशन वगैरह हो रहा था, उसमें दिक्क़तें मालूम हुईं कि अब उन नोटिफिकेशन्स से काम नहीं चल सकता, और उसके लिए अलग विधेयक लाना पड़ेगा और उसी के अनुसार काम होगा। यह बिल उसी के अनुसार सोच-समझ कर सदन के सामने लाया गया है। आप कहते हैं कि इन सुधारों को अमल में लाने की इतनी आवश्यकता थी कि आर्डिनेन्स लाना चाहिये था, इतनी जल्दी होनी चाहिए थी। और अब जो यह बिल लाया गया है तो उसमें आप कह देते हैं कि इसमें यह खामियां हैं और यह ठीक नहीं है। इसलिए इसको वापिस ले लिया जाय। लेकिन जो चीज भी बहुत सोच-समझकर क. जायगी, उसमें तो समय लगेगा ही। आप जल्दी भी चाहते हैं और चाहते हैं कि वह सर्वांगपूर्ण भी हो, कोई त्रुटि न हो, तो यह दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकतीं। सरकार ने उद्देश्य तथा (एम्स ऐण्ड आब्जेक्ट्स) में दिया है, वही इसकी भावना है और वही आप-हम भी चाहते हैं। आप भ्रम में इस लिए पड़े हैं कि कोलटा जो हैं, वह क़रीब ११ हजार हैं और बड़ी दुर्दशा में हैं। क्योंकि वे रिवीजन भूमि में काश्तकार नहीं हो सकते। ५६ हजार आबादी में से केवल ३९ सयाने हैं चाहे उनको चतुर कहिए या कुछ भी कहिए, आर्थिक दृष्टि से उनकी कुछ भी दशा हो, बाकी आप ने कमेटी की रिपोर्ट में पढ़ा होगा कि जौनसार का मसला केवल उन कोलटा, बाजगी और चमारों के उत्थान का ही नहीं है, बल्कि सब मौरूसी और गैर मौरूसी काश्तकार, जिनको जमींदार भी कहते हैं, उनकी भी सोचनीय दशा है और उनकी समस्या भी उतनी ही महत्त्व की है।

आप ने रिपोर्ट में पढ़ा होगा कि उन पर कितना क़र्जा है। वहां २८ हजार एकड़ के क़रीब जमीन काश्त में है, इसमें से एक हजार एकड़ कोलटा, चमार और बाजगियों के पास है। अब ३४ हजार एकड़ टोटल हो गई है, जिसमें से ४ हजार के क़रीब कोलटा बाजगियों के पास है। इस औसत से आबादी के अनुपात से ५ हजार के क़रीब कोलटा, बाजगियों का

[श्री जगमोहन सिंह नेगी]

होना चाहिए। जो अब नये आंकड़े आये हैं और जिन्हें शायद माननीय मंत्री जी उपस्थित करेंगे, उनमें ४,००० एकड़ भूमि इन भूमिहीन दलितों के पास दिखलाई गई है। तो उनकी आबादी के अनुपात से क़रीब करीब ठीक ही है। तो बावजूद इसके कि जो सिफारिशें कमेटी की थीं, वे काम में नहीं आईं। मगर जो सैटिलमेंट होता रहा, उसमें इसी वाजिबुलअर्ज के आधार पर उनका नाम दर्ज होता रहा और जिसको अब इस विधेयक से लीगैलाइज किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि जो बात आप कह रहे हैं वह उनके हित की नहीं है। आप तो एक ही सांस में ३-४ बातें एक दूसरे के विपरीत कह रहे हैं कि या तो आर्डिनेंस बना डालो या इस बिल को वापस ले लो। मगर यह तो उनके हित में है कि यह विधेयक इसी रूप में, जिस रूप में यहां पेश किया गया है, स्वीकार किया जाय। इससे जो सेटिलमेंट किया गया है, वह वैध किया जा रहा है ताकि वह कार्य क़ानूनी रूप धारण करने के बगैर रुका न रहे। अगर आप रिपोर्ट में देखें तो हजारों क़िस्म की चीजें इसमें हैं। जंगल के मामले और क़र्ज़े के मामले भी इसमें हैं। हमारे कुमायूं डिवीज़न में भी पहले जो किसी तरह का शिकमी न हो या हिस्सेदार के साथ में बांट पाने वाला न हो, उसे भी कोई नौ तोड़ ज़मीन लेने का हक़ नहीं था। जब ३६-३७ में कांग्रेस मिनिस्ट्री आई तो सबसे पहले यह बात उन लोगों के लिये की गई कि सबसे पहले हक़ उनका है, जिनके पास कोई भी भूमि नहीं है। इसी प्रकार यहां पर भी यह बात की जा रही है। यद्यपि आप नहीं समझ रहे होंगे, मगर वाक़या यह है कि नौतोड़ ज़मीन पर सर्वप्रथम हक़ उन्हीं का है, जौनसार बावर में जिनके पास क़तई ज़मीन नहीं है।

मैं तो कहता हूं कि जब आप किसी चीज़ को आधार नहीं मानना चाहते तो दलितों के नाम पर कोई भूमि दर्ज कैसे हो सकती है? आप दलितों के नाम पर भूमि दर्ज काहे में से करेंगे? कुमायूं में भी केवल एक ही चीज़ लिखी जाती है जो दाखिलखारिज की है। आप तो कहते हैं कि वहां के लोग बिलकुल बे पढ़े-लिखे हैं और वे रसीद नहीं दे सकते, परन्तु आग्रह भी करते हैं कि उन्हें क़ानूनन रसीद लिखने के लिए बाध्य किया जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या नयाबाद ऐक्ट जौनसार बावर में लागू होता है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—हां, वह फारेस्ट की मातहती में है। मगर मैं इसके लिये नहीं कह रहा हूं। आप देखें कि सन् ३५ में जब वहां के रिफार्म्स कमिश्नर ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से लिस्ट मांगी तो वह नहीं मिल सकी। मालूम तो ऐसा होता है कि आप स्वयं कन-फ्यूज्ड (भ्रम में) हैं, क्योंकि एक ओर तो आप कहते हैं कि रसीद दिलाई जाय और दूसरी तरफ आप स्वयं कहते हैं कि वहां के लोग बिलकुल बेपढ़े-लिखे हैं। तो आप ही बतलाइये कि बिना लिखे रसीद कैसे दी जायगी? आप कमेटी की रिपोर्ट देखिये। आप देखेंगे कि उन्होंने भी कहा है कि वह इस बात को चाहते हैं, मगर यह वास्तव में पेपर बात ही रह जायगी। असल में कोई रसीद नहीं देगा, क्योंकि वे लिखना जानते ही नहीं। आपको मालूम नहीं है कि हमारी सरकार ने इन लोगों को शिक्षित बनाने के हेतु कई पाठशालायें खोलीं और उच्च शिक्षा के लिए जूनियर हाई स्कूल जबकि प्रान्त में उक्त वर्ष में किसी ज़िले को कोई जूनियर हाई स्कूल नहीं दिया गया। केवल आप अपोजीशन में हैं, इसलिये आपको कोई बात कहना है तो बात दूसरी है। वैसे हम आपको कहने से रोकते नहीं हैं, आपको सब कुछ कहने का हक़ है और इसी से आप अपनी उपस्थिति को सिद्ध कर सकते हैं तो कहिये जो मन में आवे, लेकिन मैं इतना अवश्य कह देना चाहता हूं कि सब लोगों के हित में यही है कि यह विधेयक अविलम्ब स्वीकृत किया जाय। मौरूसी और गैर-मौरूसी लोगों में से भी हैं यद्यपि इनकी अपेक्षाकृत अवस्था खराब है, लेकिन अधिकतर ज़मींदार काश्तकारों की दशा इन कोलटे, बाजगियों और चमारों से कम खराब नहीं है।

आपकी दूसरी जो मांग है, वह यह है कि उनको एक ही जगह पर भूमि दे दी जाय। १० मील दूर नहीं होनी चाहिये, लेकिन पहाड़ों पर चकबंदी हो नहीं सकती और न चकबंदी

करने से वहां के लोगों की कोई भलाई ही हो सकती है। अगर आपका ऐसा ख्याल है कि इससे वहां के लोगों की भलाई हो सकती है तो मैं कहूंगा कि आपका यह ख्याल ग़लत है। वहां तीन प्रकार की भूमि होती है। अगर किसी को कुल पहाड़ी का ढाल और पथरीला भाग मिल गया, जो किसी काम का नहीं होता, तो क्या वह उस भूमि को लेकर अपनी तक़दीर को फोड़ेगा? इससे तो वह यह अच्छा समझेगा कि एक अच्छा खेत उसको १० मील पर दे दिया जाय। इसी विधेयक में सब बातें ले आना है, यानी जंगलों के कष्ट की बात, रसीद देने की बात, क़र्ज़े की बात और कैंसालिडेशन की बात तब तो अवश्य यह अपूर्ण बिल है। आज जिस रूप में विधेयक लाया जा रहा है, उसमें देर करने से वहां के ग़रीब लोगों का कोई लाभ नहीं हो सकता। हां, आपकी इस बात से हम लोग सहमत हैं कि अगर इस प्रकार का विधेयक और जल्दी उपस्थित कर दिया जाता तो बहुत अच्छा होता।

हम यह भी जानते हैं कि कुमायूं डिवीज़न का बिल हम अभी तक उपस्थित नहीं कर पाये हैं, लेकिन जहां बहुमत का ज्यादा लाभ होता है वहां हम अल्पसंख्यकों का ख्याल बारी-बारी से करते हैं। इसलिये सबसे पहिले हम जमींदारी अबालीशन बिल को लाये और अब अरबन एरिया का लाना चाहते हैं। यह हम जानते हैं कि कुमायूं डिवीज़न बहुत पिछड़ा हुआ है, लेकिन इन महत्वपूर्ण कार्यों के कारण सब काम अटका हुआ था। अवसर मिलते इसके महत्व के अनुसार इस विधेयक को अब लाया गया, इसलिये इस बिल को अपटू डेट बनाने की मंशा के नाम पर बात करते हैं, वे एक प्रकार से उनके मार्ग में बाधक होंगे और कोई भलाई उन लोगों की नहीं कर सकेंगे। यह विषय राजस्व मंत्री जी का था मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी मगर चूंकि इस इलाक़े से मुझे विशेष जानकारी थी इसलिये मैंने दो-चार शब्द आपके सामने कहे। जैसे जैसे आवश्यकता होगी वैसे वैसे हम उसको संशोधित कर सकते हैं। जब कि आपको वहां की बहुत सी बातों की पूरी तौर पर जानकारी नहीं है तो कैसे एक डिफेक्टलेस (निर्दोष) बिल बनाने की बात करते हैं? आप समझिये कि १८१५ से आज तक वहां पर कोई क़ानून नहीं था, केवल नोटीफिकेशन्स थे तो फिर वहां पर एकाएक बिना आधार और बिना फाउंडेशन के मकान बना देना किसी के बल-बूते की बात नहीं है। इसलिए उन सब नोटीफीकेशन्स वाजिबुलअर्ज़ आदि को आधार बनाकर ही बिल पेश करना था, परन्तु जहां पर रिवाज और वाजिबुलअर्ज़ में दर्ज बातें अच्छी नहीं हैं और उन्नति के मार्ग में बाधक हैं तो उन बातों के लिए वे आधार नहीं माने जावेंगे। इसलिये ज़रूर कमी हो सकती है, मगर जहां तक गवर्नमेंट कर सकती है, मैं समझता हूं कि उन्होंने बहुत सोच-समझ कर इसको बनाया है। और इसके बाद ज्यों ज्यों अनुभव हम को होते रहेंगे, अनुभव प्राप्त करते रहेंगे और जो कमियां रह गयी हैं वे संशोधन द्वारा ठीक होती जायंगी। इस लिये मैं विशेष कर विरोधी दल के सदस्यों से यह प्रार्थना करूंगा कि वे इस विधेयक को शीघ्रातिशीघ्र पारित कर दें और उनके लिये जो कार्यवाही हुई है, उसे वैध बनावें।

श्री राम लखन मिश्र (जिला बस्ती)—आदरणीय चेयरमैन महोदय, मैं इस विधेयक में कुछ विशेषता देखता हूं। इस विधेयक का प्राण स्वरूप यह प्रश्न है कि जिस दिन यह अधि-नियम हो जायगा, किसान बेदखल हो सकेंगे या नहीं। इस विधेयक में स्पष्ट रूप से धारा ३ में है कि कोई काश्तकार बेदखल नहीं होगा, जब तक कि उसके ऊपर दो वर्षों का लगान बकाया न हो। तो मैं नहीं समझ पाता कि उसे और क्या चाहिये। मौरूसी और गैरमौरूसी का प्रश्न तो बाद में आयेगा। मेरा जहां तक अनुभव है पर्वतीय प्रदेश के लोग निहायत ईमानदार होते हैं, वहां झगड़े की कोई बात नहीं होती। आज से ५२ वर्ष पीछे जायं तो पाते हैं कि लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ को वहां लागू करने की ओर अब संकेत है, कब्ज़े के आधार पर। यह तो डिप्यूटेड आफिसर पर निर्भर करता है कि वहां का अधिकारी कैसा निर्धारित किया जाता है। यह विधेयक तो बहुत ही आवश्यकीय था, जिसमें लैंड रेवेन्यू ऐक्ट के आधार पर, क़ब्ज़े के आधार पर किसानों के नाम दर्ज हो जायंगे, उनका लगान दर्ज हो जायगा, उनकी काश्तकारी दर्ज होगी। तो ऐसे विधेयक में मैं कोई नुक़सान की बात तो नहीं देखता हूं, जिससे कोई ऐसी रुकावट हो कि

[श्री रामजतन मिश्र]

इसको वापस ले लिया जाय और इसे प्रस्तुत न किया जाय। मेरा विचार है कि यह विधेयक बहुत पहले ही आ जाना चाहिये था। इसके आ जाने से वे भी समान स्तर पर प्रदेश के साथ हो जायंगे।

श्री गंगा सिंह (जिला देवरिया)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो श्री नारायण दत्त जी ने हमारे सामने यह विचार रखा कि इस बिल को वापस ले लेना चाहिये, मैं समझता हूं कि यह बहुत मुनासिब बात है। और मैंने भी इस बिल को पढ़ने की कोशिश की। उसी के साथ साथ आज से कई वर्ष पहले जब कि इस सूबे में कांग्रेस की पहली हुकूमत बनी थी तो उस वक्त उसने एक कमेटी मुक़र्रर की थी जौनसार बावर इलाके की जांच करने के लिये, मैंने उसकी रिपोर्ट भी थोड़ी बहुत देखने की कोशिश की। उस कमेटी ने बहुत से पहलुओं पर विचार किया और उसने बहुत सी बातों पर अपने विचार प्रकट किये। यह हो सकता है कि इस बिल में उन सब बातों का समावेश न हो सकता हो, लेकिन जिन बातों का समावेश करने के ऊपर कम से कम लैफ्टेन्यीर, पर उन्होंने अपनी जैसी राय जाहिर की थी, मेरे ख्याल में उन बातों को भी पूरा नहीं किया जा सका। यह बिल एक बहुत ही अच्छे मौक़े पर पेश हुआ और खासतौर से उस वक्त जब कि इस सदन में हम लोगों ने दक्षिण अफ्रीका के निवासियों के संबंध में और यहां से जाने वाले भारतीय, जो वहां मौजूद हैं उनके संबंध में विचार किया है, उनके साथ सहानुभूति प्रकट की है और मलान सरकार की नीति की कड़ी टीका की, उनकी बहुत निन्दा की।

हम यह तो नहीं कहते कि मलान सरकार की तरह से हमारी यू० पी० की सरकार की जौनसार बावर के इलाके के लोगों के साथ उदासीनता है या कोई बुरा भाव है, परन्तु यदि प्रदेश के किसी भाग में दक्षिण अफ्रीका से मिलता जुलता भेदभाव वाली नीति देखने को मिले तो यह बड़ी शर्म की बात है। जिस वक्त हम देखा करते थे क़ानून की पुस्तकें कि जौनसार बावर परगना जो है, उसको इन क़ानूनों से फायदा नहीं उठाने दिया जाता था तो हम सोचते थे कि जौनसार बावर के लोग ऐसे हैं जो ज्यादा अच्छी हालत में हैं जिससे इस क़ानून से दूर रखे जा रहे हैं या यह कि क़ानून की मुसीबत से बचाये जा रहे हैं। लेकिन अब हमने यह देखा कि जो क़ानून इस सूबे में बने और कांग्रेस सरकार ने ही बनाये उन क़ानूनों के फायदे से उनको महरूम रखा। तो क्या मैं ऐसा समझूं कि जौनसार बावर के इलाके के लोगों के साथ हमारी कांग्रेसी हुकूमत का रुख अच्छा नहीं रहा है। और एक ऐसा छोटा सा हिस्सा इस सूबे में बना कि जिसके मुक़ाबिले में हम ढूंढ़ें तो शायद सारे भारतवर्ष में कोई इलाका इस प्रकार संकटग्रस्त और पिछड़ा हुआ न मिले। जो हालत वहां के लोगों की है माननीय नेगी जी के कहने से भिन्न है। कोलटा और बाजगी लोगों की जो हालत माननीय नेगी जी बतलाते हैं वैसी नहीं है। यद्यपि मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव मेरा नहीं है, मेरी निजी जानकारी जौनसार और बावर जिले के इलाके के लोगों की नहीं है और इस संबंध में मैं माननीय नेगी जी का लोहा मानने को तैयार हूं, क्योंकि वे पर्वतीय इलाके के रहने वाले हैं और वे जौनसार बावर इलाके के लोगों की हालत मुझसे ज्यादा जान सकते हैं, लेकिन जहां तक जौनसार बावर इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट है उससे मालूम होता है कि इस इलाके के लोग मानवीय अधिकारों से भी वंचित हैं। मालूम होता है कि वह हिन्दुस्तान में रहते ही नहीं हैं और यहां के नागरिक ही नहीं हैं। चाहे वह सयाने हों और चाहे वे सुपरिंटेंडेंट हों, चाहे नहीं हों अछूत के नाम से हों ऐसा मालूम पड़ता है कि वहां वह चीजें जारी हैं, जो देश के दूसरे भाग में नहीं है। यह हो सकता है कि इस क़ानून से थोड़ा बहुत उपचार हो जाय, लेकिन उस उपचार से उस इलाके को कोई कल्याण होने वाला है, ऐसी बात नहीं।

मैं तो माननीय राजस्वमंत्री से आग्रह करता अगर वहां के बारे में मुझे कोई विशेष जानकारी पहिले से होती, तो मैं उनका दरवाजा खटखटाता कि माननीय राजस्व

मंत्री जी के लिये यही एक्सपेरीमेंट का मौक़ा है। जौनसार बावर में जैसा कि कुमारप्पा साहब की रिपोर्ट है इस तरह की चीजें जैसे कलेक्टिव फार्मिंग वगैरह लागू की जाय। जौनसार बावर जांच समिति की रिपोर्ट तो इस सूबे की है, लेकिन उसमें लिखा है कि सारे हिन्दुस्तान में इतनी सहनशीलता का परिचय जितनी सहनशीलता का परिचय जौनसार बावर के इलाके के लोगों ने दिया और कहीं नहीं दिया है। मैं तो समझता हूं कि जो कठिनाइयां माननीय राजस्व मन्त्री जी ने भूमि के बटवारे के संबंध में, कलेक्टिव फार्मिंग के संबंध में, कोआपरेटिव फार्मिंग के संबंध में उत्तर प्रदेश के और भागों में बतलाते हैं, वह यहां पर कम हैं। मेरा ख्याल है कि यह उनके मंत्रित्व काल में बहुत अच्छा नमूना होगा। और जैसी कि रिपोर्ट है कुमारप्पा साहब की है जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की ओर से डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद साहब ने जिस कमेटी को बैठाया था उसके अनुसार जहां भी कोई नई जमीन आबाद की जाय वहां पर कलेक्टिव फार्मिंग की जरूर कोशिश की जाय। रिपोर्ट से यह बात मालूम हुई है कि वहां आजकल यह बताना कठिन है कि कौन कौन से क़ानून वहां पर लागू हैं। यह सही है कि दस्तूरुल अमल और वाजिबुलअर्ज़ वहां का सबसे प्रचलित क़ानून है। लेकिन यह भी कहना मुश्किल है कि इसके अलावा कितने क़ानून वहां पर लागू हैं। मुक़द्दमों के फैसलों के संबंध में तो कमेटी की यह राय है कि कोई क़ानून काम नहीं करता, बल्कि ज्यादातर मुक़द्दमे इस तरह से फैसला होते हैं जैसे कि पिछले मुक़द्दमे फैसल हुए हैं। उन्हीं के आधार पर मुक़द्दमे फैसल कर दिये जाते हैं। मेरे कहने का मतलब यह था कि इस जगह पर हम को एक एक्स-पेरीमेंट करने का अवसर था। जहां के लोग इतने सीधे हैं, जहां के लोग क़ानून के दांवपेंच को कम जानते हैं। जहां पर बहुत सी सहूलियतें हम को हासिल हैं कि जिसे हम करना चाहते हैं, जिस चीज के लिए आज सारे देश में मांग है उसको हम वहां कर सकते थे।

इस बिल में सिवा इसके कि जिन लोगों ने जमीन जोती है उनके नाम दर्ज कर दिये जायं और उसके बाद क्या भौमिक अधिकार होंगे, उस पर भी कुछ रोशनी डाली गयी है और कुछ नहीं है। इससे मैं मान सकता हूं कि कुछ थोड़ी सी सहूलियत पद दलितों को तो जरूर मिलेगी। परन्तु वह नगण्य होगी। जिस हालत में कोलटा, बाजगी, डोम और चमार हैं उनकी हालत बहुत थोड़ी सुधरेगी। लेकिन हमारा कोई ख़ास आदर्श तो नहीं होगा। जब कि हम वहां बहुत अच्छी तरह से अपना एक्सपेरीमेंट कर सकते थे जोकि हमारे मस्तिष्क में है। हम और जगह भूमि के बटवारे की बात करने में कठिनाई समझते हैं, हमें क्लेक्टिव और कोआपरेटिव फार्मिंग की बात में भी कठिनाई मालूम होती है। समाजवादी धारा तो आखिर उनके दिमाग़ में भी है, यद्यपि वे कहते हैं कि मैं समाजवादी नहीं हूं, लेकिन वह समाजवादी धारा के गुणों को समझते हैं और वे उसी रास्ते पर चलने का भी दावा करते हैं। तो ऐसी हालत में हमें वहां एक नया ढांचा तैयार करने का मौका है। मैं बहुत शुक्रगुजार होता यदि माननीय राजस्व मंत्री जी अगर वैसा ढांचा तैयार करने की कृपा करते। ख़ास तौर से अगर हम उनको मान लें कि टिनेंट्स ऐट विल हैं तो जिस तरह से बम्बई की सरकार ने टेनेंट्स ऐट विल के अधिकारों की रक्षा की है यह हमारा क़ानून उस तरह से नहीं कर पाता। यह क़ानून उससे बहुत पीछे है। इस क़ानून के जरिये हम बहुत थोड़े अख्तियारात उनको दे पाते हैं जो जमीन के अधिकारी हैं। हां, यह जरूर हो जायगा कि उनके नाम दर्ज हो जायंगे, वहां स्थापित स्वार्थ मजबूत नहीं हैं, लेकिन थोड़े से स्थापित स्वार्थों के कारण उन के अधिकारों की रक्षा करने में हम समर्थ नहीं हो पा रहे हैं इस क़ानून के द्वारा। इसलिए मैं तो समझता हूं कि जिस तरह से बम्बई में टिनेंट्स ऐट विल की हिफाजत की गयी है उसी तरह वे भी कुछ करने का यत्न करें। जौनसार-बावर इलाक़े के लोग किस तरह से उन्नति कर सकते हैं वहां के लोगों को साधारण मानवता के अधिकार किस प्रकार दिला सकते हैं। इन सब बातों पर विचार करने के लिए उस पुरानी कमेटी की रिपोर्ट से काम न लेकर कुछ नई जानकारी और अध्ययन के आधार पर क़ानून बनाया जाय। वह रिपोर्ट सन् १९४० ई० की है। उसमें जैसा कि माननीय नेगी जी ने कहा कि तीन कांग्रेस के सदस्य थे। वे तीनों इस्तीफ़ा दे कर चले गये। कुछ लोग आई० सी० एस० आदि थे। जिन्होंने रिपोर्ट तैयार की है। मैं नहीं जानता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने किस आधार पर यह क़ानून बनाया

[श्री गेंदा सिंह]

है। अपनी निजी जानकारी के आधार पर बनाया है अथवा उस रिपोर्ट के आधार पर। अगर उस रिपोर्ट के आधार पर बनाया है तो मैं समझता हूं कि उसमें गलती अवश्य रहेगी।

मैं इस बात को बिलकुल मानने के लिये तैयार हूं कि माननीय हरगोविन्द पन्त जी, स्वर्गीय खुशीदलाल जी या तीसरे साहब जो महावीर त्यागी साहब थे, ये तीनों आदमी बराबर उस कमेटी की मीटिंग में हिस्सा लिये होते, इन्क्वायरी में हिस्सा लिये होते, सारी जानकारी में हिस्सा लिये होते और उनकी राय से रिपोर्ट लिखी गयी होती तो यह रिपोर्ट बहुत ही कीमती होती और उनकी राय आज हमारे लिये बहुत ही कारगर होती और खासकर माननीय राजस्व मंत्री जी के लिये बहुत ही कारगर साबित होती। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वह इस कमेटी में नहीं रहे। जो रिपोर्ट आयी वह ऐसी है कि जिस को आदि से अन्त तक पढ़ जायें तो उसमें ऐसी चीजें भी मिलेंगी कि जिनको आप किसी हालत में भी पसन्द नहीं करेंगे। अभी माननीय नेगी जी ने कहा कि वाजिबुल अर्ज और दस्तूरुल अमल यह दोनों चीजें आज भी लागू हैं और लागू होते हुये उसमें यह साफ लिखा हुआ है, आप अगर मुनासिब समझें तो उस सैक्शन को पढ़ करके आप की खिदमत में पेश कर दूं कि डोम, चमार या बाजगी जो हैं वे किसी तरह से खेतों पर मौरूसी हक़ नहीं पा सकते और ब्राह्मणों और राजपूतों को इस तरह के हक़ हासिल हैं। जो साहब इसको देखना चाहें मैं उनसे अर्ज करूंगा कि २१ वां पेज पर यह साफ लिखा हुआ है :

"But no Dom, Bajgi or any such caste can get possession of such land. Only Brahmins and Rajputs can and they can only hold it on a *Ghair Mourcosee* tenure."

[किन्तु कोई डोम, बाजगी या ऐसी कोई अन्य जाति ऐसी भूमि पर अधिकार नहीं रख सकती। केवल ब्राह्मण और राजपूत ही रख सकते हैं और वे भी केवल गैर मौरूसी पट्टे पर रख सकते हैं]

यह वाजिबुल अर्ज और दस्तूरुल अमल का हाल है। यह दोनों आज तक लागू हैं और संभव है कि वे आगे भी चलें, क्योंकि बिल में उन्हें रद्द कर देने का कोई जिक्र नहीं है। मैं बहुत तफसील में इस समय इस मामले में जा नहीं सकता इसलिये कि जो लोग जौनसार बावर के संबंध में ज्यादा जानकारी रखते हैं वह इस पर ज्यादा रोशनी डाल सकते हैं। मैंने इस रिपोर्ट को पढ़ा और इस विधेयक को पढ़ने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा और मैं यह मुनासिब समझता हूं कि किसी आर्डिनेंस के जरिये या किसी और तरीक़े से उन किसानों की, जो कि खेत के जोतने वाले हैं, हिफाजत करने के लिये माननीय राजस्व मंत्री जी कोई उपाय करें। दस दिन के लिये, पांच दिन के लिये या हफ्ते भर के लिये माननीय राजस्व मंत्री जी को जौनसार बावर का दौरा करना चाहिये। वे स्वयं दौरा करें या कुछ लोग जिनके ऊपर उनका अटूट विश्वास हो उनसे दौरा करायें और इस १५ वर्ष पुरानी रिपोर्ट पर आधारित न हो करके उस जगह को देखें और इस पर गौर करें कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम हर आदमी को जमीन दे करके ऐसी खेती करा सकेंगे जैसी खेती के ढंग के लिये आज सारे हिन्दोस्तान में और एशिया में पुकारा जा रहा है और फिर वैसी खेती करा करके हम अपना गुजारा कर सकेंगे। यदि वहां पर हम ऐसी चीज को लागू कर सकते हैं तो इसमें कोई विशेष देर की बात नहीं है। माननीय नेगी जी ने यह जरूर कहा कि जल्दी में कोई चीज नहीं हो सकती और गवर्नमेंट का जो तरीक़ा है उस तरीक़े से वह अपने काम को करती है। मेरी बदकिस्मती है कि माननीय नेगी जी नहीं हैं। मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता था कि सन् १९३९ में कमेटी बनी थी, २३ मार्च सन् १९३९ को, उसके बाद उसकी रिपोर्ट कुछ समय के बाद आ गयी। हमने माना कि लड़ाई आयी और लड़ाई आने के बाद हमारी कांग्रेस की हुकूमत को इस्तीफा देना पड़ा और इस्तीफा देने के बाद एक तारीख मैं याद जरूर दिलाना चाहता हूं, माननीय नेगी जी को। बिलकुल ठीक तारीख तो मुझे याद नहीं आ रही है कि सन् १९४६ में वह कब आये थे, लेकिन

मुझे याद है कि सन् १९४६ ई० में वह इन कुर्सियों पर फिर तशरीफ लाये थे। सन् १९४६ के बाद यह सन् १९५२ है, ६ वर्ष तक कोलटा, बाजगी याद नहीं आये, जौनसार बावर का इलाका याद नहीं आया। मैं माननीय नेगी जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हम इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हो सकते कि दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति यहां है और न हम इसे बर्दाश्त कर सकते। हम इस बात को भी मानने के लिये तैयार नहीं हैं कि हमारे सूबे के एक कोने में ऐसे लोग पड़ रहे हैं जिनकी हालत जानने के बाद हमको शर्म आवे।

मैं यह भी समझता हूं कि इतनी जोरदार भावना जो हमारे अन्दर है वह नेगी साहब के अन्दर भी है और उतनी ही माननीय राजस्व मंत्री के अन्दर भी है। मेरी प्रार्थना है कि आप इस बात को सोचकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। यह बड़ी देर हुई और जिस परिस्थिति में देर हुई वह हुई ही लेकिन अब सप्ताह या १० दिन का समय और लगाकर कुछ विशेषज्ञों की एक कमेटी बना दी जाय जो इस सम्बन्ध में जौनसार बावर के लिये ऐसा क़ानून बनाये जिससे उनकी हिफाजत हो सके और उनकी जो अर्द्धदासता है उससे उनको छुटकारा दिला सके और दूसरों को कुछ भी मिले। अगर वास्तव में आपको ख्वाहिश है कि उनका फायदा हो तो तीन आदमियों की या चार आदमियों की एक कमेटी बना दी जाय और राजस्व मंत्री जी भी उसमें जायं। उसको देखकर कोई ऐसी चीज़ ले आयें जिससे उनकी हिफाजत हो सके और सचमुच जो बदनामी की चीज है वह फिर बदनामी का कारण न रहे।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)—माननीय चेयरमैन महोदय, आज विरोधी दल ने एक विचित्र मांग इस सदन के सामने उपस्थित की और वह मांग यह है कि जौनसार बावर से संबद्ध भौमिक अधिकार सुरक्षा विधेयक को वापस लेकर और विचार करके दूसरा एक विधेयक लाया जाय जिसमें बहुत सी उन बातों का समावेश हो सके जो कि विरोधी दल ने सदन के सामने रखी हैं। माननीय राजस्व मंत्री ने जब इस विधेयक को सदन के सामने रखा तो उन्होंने स्पष्टरूप से इस बात को स्वीकार किया कि जौनसार बावर का जो इलाका है वह एक पददलित लोगों का इलाका है जिसकी सुरक्षा का प्रबन्ध किया जाना परमावश्यक है। यह भी स्वीकार किया गया कि इस संबंध में देर हुई और उस देरी के बहुत से कारण भी इस सदन के सामने बताये गये। जहां तक विरोधी दल का संबंध है उन्होंने भी यह स्वीकार किया कि यह इलाका बहुत पददलित है और यहां पर सुधार की आवश्यकता बहुत अधिक है और ऐसी है कि जिसकी पूर्ति यह विधेयक नहीं करता है। जहां तक सुधार होने का प्रश्न है सभी सदस्य इससे पूर्णरूप से सहमत हैं। लेकिन वह सुधार किस प्रकार किया जाय केवल इतना सा प्रश्न है। उस सुधार करने के लिये कोई विधेयक हो तो उसके लिये साउथ अफ्रीका के प्रश्न को मिलाकर और इस सरकार की जो सुधार करने की इच्छा है उसको साउथ अफ्रीका के साथ मिलाकर रखना यह कहां तक युक्तिसंगत है, यह माननीय गेंदासिंह जी विचार कर सकते हैं। प्रश्न सीधा है। मानवता को कुचलने का प्रश्न विधान द्वारा हल किया जाना दूसरी बात है जैसा कि साउथ अफ्रीका में किया जा रहा है। कुचली हुई मानवता को विधान द्वारा ऊंचा उठाने का प्रश्न और है, इन दोनों बातों का साम्य अगर कोई करे तो फिर इस संबंध में मैं क्या कहूं।

दूसरी आपत्ति इस विधान के संबंध में माननीय नारायण दत्त जी ने या गेंदासिंह जी ने इस सदन के सामने रखी उस पर ये दोनों सज्जन ही अधिक विस्तार से विचार कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि यदि ये मेरी इस बात पर विचार करेंगे तो जो बातें उन्होंने कहीं हैं उनको वापस लेने पर तैयार हो जायेंगे। मेरा निश्चित मत है कि माननीय नारायण दत्त जी को इस संबंध में बहुत ही भ्रम है। जहां तक कमीशन की रपोर्ट का संबंध है और जो उन्होंने इस सदन के सामने रखीं और चाहा कि यह सदन इस रिपोर्ट के आधार पर आगे बढ़े मैं निश्चित रूप से यह विश्वास करता हूं कि उनका शायद ख्याल यह है कि यह विधेयक वाजिबुल अर्ज की बात को लेकर चलता है और जो इस विधेयक में डिफाइन किया गया है।

[श्री लक्ष्मी रमण आचार्य]

यह धारा २ (ग) के अंग में जो विधि को डिफाइन किया है तो शायद उनका विचार यह है कि यह विधि के डिफाइन हो जाने का तात्पर्य यह हुआ कि यह विधेयक इस विधि का प्रतिपादन करता है या स्वीकार करता है। विधि जिस प्रकार से डिफाइन की गई है। विधि की जो परिभाषा है वह खंड (ग) इस प्रकार है "विधि के अंतर्गत कोई भी आदेश, अध्यादेश, नियम, विनियम, रिवाज अथवा प्रथा है जिसे जौनसार बावर में विधि का बल प्राप्त हो।" मेरे मित्र का सम्भवतः यह विचार है कि इस परिभाषा को यह प्रतिपादित करता है यानी इसी के आधार पर यह विधेयक बनाया गया है। मैं उनका ध्यान धारा ३ की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। "किसी विपरीत विधि के होते हुये भी कोई भी काश्तकार अपने खाते से अथवा उसके किसी भाग से निम्नलिखित में से एक अथवा दोनों आधारों के अतिरिक्त अन्य किसी आधार पर बेदखल नहीं किया जायगा।' अथवा यह विधि जिसका संबंध धारा २ के खंड (ग) से जो परिभाषा दी गई है उससे है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि यूसेज या रिवाज इसके विपरीत है तो भी कोई काश्तकार इन कारणों के अतिरिक्त और किसी कारण से बेदखल नहीं किया जायगा। सारे विधेयक में मैंने विधि को किसी और स्थान पर नहीं पाया। निश्चित रूप से जो परिभाषा धारा २ में है वह इसी के लिये समाविष्ट की गई। यद्यपि जौनसार बावर के इलाके से मेरा सिवाय इससे कि प्रत्येक क़ानून में हमने यह देखा है कि यह जौनसार बावर से लागू नहीं होगा और कोई संबंध न पहले था और न अब भी है। विधि का प्रयोग और कहीं नहीं है। वाक़ई में एक प्रकार से बहुत स्पष्ट रूप से वहां पर जो यूसेज प्रचलित हुये उनके द्वारा ऐसे काश्तकार उत्पन्न हो गये जिनके लिये इस क़ानून की आवश्यकता पड़ी।

जहां तक विधि की परिभाषा का ताल्लुक़ है तो मेरे माननीय मित्र श्री नारायण दत्त जो इसको देखकर जो उनको भ्रम है उसको दूर कर देंगे। श्री नारायण दत्त जी ने धारा ५ के (ख) अंग को पढ़ लिया और विचित्र रूप से ख्याल किया कि इस विधि का अर्थ यह है कि इस विधि के द्वारा जो बुराइयां आ गई हैं यह विधेयक उनको प्रतिपादित कर देगा। उन्होंने इस तरह से पढ़ा कि "इस प्रकार नियुक्त अधिकारियों की प्रक्रिया को विनियमित कर सकती है किन्तु इस प्रकार नहीं जिससे किसी क्षेत्र में समय विशेष पर प्रचलित किसी विधायन (इनऐक्टमेंट) के व्यापार (आपरेशन) में रुकावट पड़े।" मेरे मित्र विधायन को विधि पढ़ गये। मेरा विचार है कि विधि का अर्थ रहेगा कि जो यूसेजेज, जो वाजिबुल अर्ज़, या दस्तूर देही या दस्तूरुल अमल है जहां तक उनका आपरेशन होता है उनमें रुकावट नहीं डालेंगे। मैं उनसे कहूंगा कि यह उनका भ्रम है। विधि को डिफाइन कर दिया गया है। विधायन के आगे "इनैक्टमेंट" को ब्रेकिट में डाल दिया गया है और यह एनऐक्टमेंट जिसका जिक्र इसमें है या जो एनऐक्टमेंट्स प्रचलित होंगे और इस समय जो प्रचलित हैं वे बिलकुल विपरीत, बिलकुल दूसरी चीज़ है और विधि दूसरी चीज़ है। जो एनऐक्टमेंट प्रचलित है उनके आपरेशन में कोई बाधा नहीं डाली जायगी।

मेरे मित्र नारायण दत्त जी ने जो बात कही उसका अर्थ यही है जहां तक मैं उनके वाद-विवाद को समझ सका। उनको शायद इसी प्रकार का भ्रम निश्चयपूर्वक रहा और उनका यह तर्क अन्त तक रहा कि यदि इस प्रकार से यह विधेयक स्वीकार किया जायगा तो वहां जो दासता की प्रथा है या दस्तूरअमल है उसको निश्चयपूर्वक प्रश्रय मिलेगा और दासता की प्रथा आगे बढ़ती चली जायगी। इसलिये मैं उनका ध्यान उद्देश्य और कारणों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें स्पष्टरूप से कहा गया है कि यह प्रथा अधिक दिनों तक प्रचलित नहीं रहेगी क्योंकि वहां पर जो दास्ता के द्वारा ऊंची कौमों ने छोटी कौमों पर अधिकार पा रक्खा है, जो प्रथा वहां प्रचलित है उसको समाप्त किया जा सके। मैं आपको उसे पढ़ कर सुनाये देता हूं, "इन विधियों ने एक ऐसे वर्ग का निर्माण कर दिया है जिनमें अधिकतर कोलटा और बाजगी हैं जो दास्ता के स्तर तक गिर गये हैं"। तो मैं तो बहुत स्पष्ट रूप से अपने मित्र से यह कहूंगा। उद्देश्य और कारण इस विधेयक के जो इसमें वर्णित हैं उसके अनुसार

भी इस विधि, इस प्रथा और इन यूसेज के द्वारा वहां जिस वर्ग का निर्माण हुआ उसको दासता से निकालना ही इसका उद्देश्य है जिसके लिये यह विधेयक इस सदन के समक्ष लाया गया है। मेरे मित्र गेंदा सिंह जी का तर्क जैसा होना चाहिये था वैसा ही है। यदि उनका तर्क लिया जाय तो मुझे कहना पड़ेगा कि समस्त प्रान्त में वह तर्क लागू होता है और वह तर्क स्पष्टरूप से यह है और यही हम चाहते हैं कि इस विधेयक के द्वारा इस विधेयक की धारा २, उपधारा (३) जो अध्याय दो में वर्णित है उसके द्वारा हम उसके अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं। मेरे मित्र का कहना है कि प्रथा के द्वारा दस्तूरुलअमल के द्वारा और मानव ने अपने अत्याचारों के द्वारा वहां पर ऐसे वर्ग का निर्माण कर दिया है जिसके पास खाने के लिये कुछ नहीं और जो ज्यादातर दासता की श्रृंखला में बंधे हुए हैं। उनका कहना है कि इस विधि से आप उनको भूमि नहीं दे सकते, बाहर नहीं निकाल सकते। उनके ज़िले की बात तो मैं जानता नहीं अपने ज़िले की बात कहता हूं, उनके ज़िलों की वे जानें। निम्न वर्ग के लोग जो हैं उनमें से कितनों के पास ज़मीन है, बहुत कम व्यक्तियों के पास ज़मीन हैं। आज दिन भी ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं, राजस्व मंत्री यह बतलायेंगे कि जिनके पास आवश्यकता से अधिक ज़मीन है लेकिन किसी विधेयक के द्वारा वह भूमि उनसे छीन ली गई हो, अब तक ऐसा कोई नियम नहीं बना जिससे आप उनसे वह अधिक भूमि निकाल सकते और दूसरों को जिनको उसकी आवश्यकता है, दे सकते। हां, सन्त विनोवा भावे देश-देश में पैदल यात्रा करते हुए भूमि का दान लेते हैं। उसके लिये यह सदन विधेयक ला रहा है कि इस तरह से ली हुई ज़मीन को भूमिहीन लोगों को बांटा जाय।

ऐसा बिल इस सदन के सामने आया है। इस वक्त इस पर सदन विचार करे और आगे भी करे कि इसके अतिरिक्त और कौन सा मार्ग श्री गेंदा सिंह जी ने सदन को दिखाया। अब तक कोई मार्ग उन्होंने नहीं दिखाया, सम्भव है कि भविष्य में कोई मार्ग निकल आए लेकिन आज तक कोई मार्ग नहीं निकला है। यह जो निम्न वर्ग के लोगों, कोलटा या बजागियों की समस्या है, जिनके पास भूमि नहीं है, इस समस्या का हल आप के प्रान्त के पास कुछ भी नहीं है और आप के कुल देश के पास भी नहीं है। इसलिए इसका हल केवल ४ दिन पैदल यात्रा करने से हो जायगा या कोई बिल ला कर हो जायगा, यह असम्भव है। इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। आप स्पष्ट-रूप से सन् ५० से रिकार्ड का काम करा रहे हैं .....

श्री गेंदा सिंह--मैं एक प्वाइंट आफ एक्सप्लेनेशन लाना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि वहां जमीन की कमी नहीं है ऐसा रिपोर्ट कहती है।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--मैं आपने मित्र का आभारी हूं कि उन्होंने स्मरण दिलाया कि वहां जमीन की कमी नहीं है। वहां ५६ हजार की आबादी है और २८ हजार एकड़ के करीब वहां भूमि है लेकिन इससे भी कोई अन्तर नहीं पड़ता। मैं तो केवल सदन के सामने यह रख रहा था कि कोई विधेयक आप ऐसा नहीं ला रहे हैं कि ५६ हजार व्यक्तियों के पास आधा या तीन चौथाई या उससे कुछ कम या कुछ ज्यादा एकड़ जमीन तक की काश्तकारी हो। उनके पास अगर २८ हजार एकड़ जमीन है और वह स्वेच्छा से भूमि देना चाहते हैं जिसको आप कोलटा और बाजगियों में बांटना चाहते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है और न हो सकती है जबतक कि आप कोई आमूल परिवर्तन नहीं करते हैं और जब तक केन्द्रीय विधान की धाराओं में परिवर्तन नहीं होता है या जबतक कोई क्रान्तिकारी अधिनियम सदन में ला कर पास नहीं करती है। मैं केवल सिद्धान्त की बात कहता था कि इस बिल को रोकने का महत्व क्या है यह तो एक निर्दोष सा बिल है। मुझे वहां का ज्ञान नहीं है, जिनके पास आज कुछ भूमि है क्या कोई यह चाहता है कि वह भी उनसे निकल जाय अगर विधि के बारे में ऐसा चाहा जाता है तो मैं इसको गलत नीति कहूंगा। यह तो निश्चित रूप से लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करती है। इस विषय में मैं अपने दोस्तों का ध्यान जिसमें श्री

[श्री लक्ष्मी रमण आचार्य]

नारायण दत्त जी भी सम्मिलित हैं, धारा ११ की ओर दिलाना चाहता हूं और उनसे कहूंगा कि उन्होंने जो मांग रसीद के सम्बन्ध में की वह सब इस धारा में मौजूद है। अगर वह ध्यान से पढ़ें तो मैं कहूंगा कि प्रान्तीय सरकार को अधिकार है कि वह इस बिल के उद्देश्य को पूरा करने के लिए वह और बहुत सी धाराएं प्रचलित कर सकती है और नियम बना सकती है और उनका स्थान अधिनियम में वही होगा, जो कि किसी भी धारा का किसी भी विधेयक में होता है। यानी उनका भी स्थान एनऐक्टमेंट के रूप में हो जाता है। अगर धारा ११ के बाद भी रह जाय तो मैं विशेषरूप से अन्तिम खंड 'ग' की ओर आप का ध्यान दिलाऊंगा कि "अन्य कोई विषय जिसके सम्बन्ध में राज्य सरकार के मतानुसार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए व्यवस्था की आवश्यकता हो।" इसमें सभी निहित हैं। मान लीजिये कि आपको अभिलेख को ठीक करने के लिये कुछ नियम बनाने पड़ें, तो राज्य सरकार को अधिकार है कि वह नियम बना सकती है। इस विधेयक के अन्तर्गत बहुत से नियमों को प्रचलित किया जा सकता है। मैं मित्रों से प्रार्थना करता हूं कि यदि उन्हें इस सम्बन्ध में कोई भ्रम है तो उसे वह स्पष्ट करें और इस विधेयक को पूर्णरूप से स्वीकार करें। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ,
२ दिसम्बर, १९५२।

कैलास चन्द्र भटनागर।
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिए पीछे पृष्ठ ९ पर)

उत्तर प्रदेश फायर सर्विस (संशोधन) विधेयक, १९५२

(जैसा कि उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल द्वारा पारित हुआ)

कुछ प्रयोजनों के निमित्त, जो यहां पर आगे चल कर प्रतीत होंगे, यू० पी० फायर सर्विस ऐक्ट, १९४४ में संशोधन करने के निमित्त — यू० पी० ऐक्ट ३, १९४४।

विधेयक

कुछ प्रयोजनों के निमित्त, जो यहां पर आगे चलकर प्रतीत होंगे, यू० पी० फायर सर्विस ऐक्ट, १९४४ में संशोधन करना आवश्यक है, अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है— — यू० पी० ऐक्ट ३, १९४४।

१—(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश फायर सर्विस (संशोधन) अधिनियम, १९५२ होगा। — संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

(२) यह तुरन्त प्रवलित होगा।

२—यू० पी० फायर सर्विस ऐक्ट, १९४४ (जिसे यहाँ पर आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ४ में शब्द — यू० पी० ऐक्ट ३, १९४४ की धारा ४ का संशोधन।

"(1) Fire Station Officers, (2) Fire Station Second Officers, (3) Leading Firemen and (4) Drivers and Firemen."

के स्थान पर निम्नलिखित रक्खे जायं—

"(1) Chief Fire Officers,
(2) Fire Station Officers,
(3) Fire Station Second Officers,
(4) Leading Firemen and Drivers, and
(5) Firemen."

३—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय— — यू० पी० ऐक्ट ३, १९४४ की धारा ५ का संशोधन।

"Superintendence, Powers and Functions.

5. (1) The superintendence and control of the U. P. Fire Service shall vest in the Inspector General of Police, and subject to the general control of the Inspector General of Police, in the District Superintendent of Police within the area of his jurisdiction.

(2) The State Government may appoint such officers as it may think fit to assist the Inspector General of Police and the Superintendent of Police in the discharge of their duties.

(3) Subject to the provisions of sub-sections (1) and (2), the Ghief Fire Officer, Fire Station Officers and Fire Station Second Officers shall exercise such administrative powers and perform such administrative functions as may be prescribed."

यू० पी० ऐक्ट ३, १९४४ में नई धारा १९-ए का रक्खा जाना ।

४--मूल अधिनियम की धारा १९ के बाद निम्नलिखित नई धारा १९-ए के रूप में रख दी जाय ---

"Power to search premises.

19-A. (1) The Chief Fire Officer or any officer authorised by the Superintendent of Police in this behalf may enter and inspect any land, premises or building for the purpose of ditermining whether the precautions against the required to be taken on such land, premises and buildings under any law for the time being in force have been so taken.

(2) If any person voluntarily obstructs, offers any resistance to, or impedes or otherwise interferes with any officer acting in the course of his duty under sub-section (1), he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine up to Rs. 500 or with both."

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

उद्देश्य और कारण

राज्य में इस समय तीन रीजनल फायर आफिसर्स हैं, जो क्रमशः लखनऊ, कानपुर तथा इलाहाबाद में नियुक्त हैं। किन्तु फायर सर्विस ऐक्ट में उक्त स्थानों की कोई व्यवस्था नहीं है। अब यह प्रस्ताव है कि उक्त ऐक्ट को इस प्रकार संशोधित कर दिया जाय, जिससे कि उक्त अधिकारियों को, जो अब चीफ फायर आफिसर्स कहलायेंगे, वैध प्रस्थिति (लीगल स्टेट्स) तथा प्रशासकीय एवं कार्यकारी अधिकार प्राप्त हों और वे उक्त अधिनियम तथा उसके अधीन बने नियमों के अधीन कार्य करने के लिये अधिकृत हों। प्रस्तावित विधेयक में उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये इमारत तथा भूमि के निरीक्षण के निमित्त भी व्यवस्था की गयी है।

सम्पूर्णानन्द,
गृह-मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'
(देखिए पीछे पृष्ठ ९ पर)

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५२

(जैसा कि उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल द्वारा पारित हुआ।)

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६।

कुछ प्रयोजनों के निमित्त यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ को संशोधित करने का

विधेयक

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६।

कुछ प्रयोजनों के निमित्त जो यहां पर आगे चलकर प्रतीत होंगे, यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ को संशोधित करना आवश्यक है;

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

१—(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) अधिनियम, १९५२ होगा।

(२) यह तुरन्त प्रवलित होगा।

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ८ का संशोधन।

२—यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ (जिसे यहाँ पर आगे चलकर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ८ की उपधारा (१) में खंड (j) के बाद निम्नलिखित नया खंड (jj) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(jj) making arrangements for preparation of compost manure from nightsoil and rubbish;"

यू० पी० ऐक्ट २ १९१६ में नई धारा ८-ए का बढ़ाया जाना।

३—मूल अधिनियम की धारा ८ के बाद निम्नलिखित नई धारा के रूप में रखी जाय :—

"*Definitions*—8-A.—In this chapter unless there is anything repugnant in the subject or context—

(*a*) 'Assembly Rolls' mean the electoral rolls prepared for the Assembly constituencies under and in accordance with the provisions of the Representation of the People Act, 1950;

XLIII of 1950-

(*b*) 'Director of Elections (Local Bodies)' means an officer appointed by the State Government in this behalf by notification in the official *Gazette*;

(*c*) 'Election' means an election to fill a seat on a Board;

(*d*) 'Elector' in relation to a ward means a person whose name is for the time being entered in the electoral roll of that ward;

(*e*) 'Order' means an order published in the official *Gazette* or in the manner prescribed;

(*f*) 'Scheduled Castes' mean the castes specified in the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950; and

(*g*) 'Ward' means a ward provided by Delimitation Order under section 11-B."

४—मूल अधिनियम की धारा ९ के स्थान पर निम्नलिखित रक्खा जाय:— यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ९ का संशोधन।

9. Except as otherwise provided by section 10, a board shall consist of— Normal Composition of the Board.

(*a*) a President, and

(*b*) the elected members who shall not be less than 15 and not more than 50 as the State Government may, by notification in the official *Gazette* specify.

५—मूल अधिनियम की धारा ९ के बाद निम्नलिखित नई धारा 9-A के रूप में रक्खी जाय — यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ में नई धारा ९—ए का बढ़ाया जाना।

9-A. (1) Seats shall be reserved for Scheduled Castes in each board, Reservation of seats for Scheduled Castes.

(2) The number of seats reserved under sub-section (1) shall bear as nearly as may be the same proportion to the total number of seats on the board as the population of the Scheduled Castes in the municipality bears to its total population as determined at the last census held under the provisions of the Indian Census Act, 1950.

६—मूल अधिनियम की धारा १० के वर्तमान प्रतिबन्धात्मक वाक्य के स्थान पर निम्नलिखित रक्खा जाय — यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा १० का संशोधन।

"Provided that the provisions of this section shall not be applicable to a municipality which was already constituted under this Act on the day immediately preceding the commencement of the U. P. Municipalities (Amendment) Act, 1948, unless the municipality is one which, the State Government are satisfied, is subject to substantial seasonal variation of night population."

७—मूल अधिनियम की धारा १० के बाद निम्नलिखित नई धारा 10-A के रूप में रक्खी जाय — यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ में नई धारा १०—ए का बढ़ाया जाना।

Term of board.

10-A. (1) Except as provided in section 31, 31-A or 47-A every board shall continue for four years from the date of notification issued in pursuance of section 31-G that the board has been constituted:

Provided that the State Government may by notification in the official *Gazette*, extend from time to time the term of all or any board, so however, that the total extension does not in the aggregate exceed two years.

(2) The term of a board shall begin from the date of notification issued in pursuance of section 13-G that the board has been constituted.

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ११ और १३ से १७ तक का निकाला जाना ।

८—मूल अधिनियम की धारा ११ और १३ से १७ तक निकाल दी जायं ।

Delimitation of wards.

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की नई धारायें ११-ए से लेकर ११-सी तक १२-ए से लेकर १२-एच तक और १३-ए से लेकर १३-के तक का रक्खा जाना ।

९—मूल अधिनियम की धारा ११ के बाद निम्नलिखित नई धाराएं 11-A से 11-C तक, 12-A से 12-H तक और 13-A से 13-K तक रक्खी जायें ।

DELIMITATION

Delimitation Order.

11-A. (1) For purposes of elections to a board there shall be wards provided by Order under section 11-B.

(2) The representation of each ward shall be on the basis of population of that ward as ascertained at the last census and shall as far as possible be in the same proportion as the total number of seats for the municipality and its population.

11-B. (1) The State Government shall, by Order, determine—

(*a*) the wards in which each municipality shall be divided for purposes of elections to the board;

(*b*) the extent of each ward;

(*c*) the number of seats allotted to each ward; and

(*d*) the number of seats, if any, reserved for the Scheduled Castes.

(2) The draft of the Order under sub-section (1) shall be published for objections for a period of not less than 15 days and a copy of the same shall be sent to the board or boards concerned for comments.

(3) The State Government shall consider any objections and the comments filed under sub-section (2) and the draft Order shall, if necessary be amended, altered or modified accordingly and thereupon it shall become final.

Amendment of Delimitation Order.

11-C. The State Government may, after consulting the board concerned, by a subsequent Order, alter or amend the final Order under sub-section (3) of section 11-B.

Electoral Rolls

Election on the basis of adult suffrage.

12-A. Except as provided in section 10, the election of the members of a board shall be on the basis of adult suffrage.

Electoral Roll for every ward.

12-B. (1) There shall be an electoral roll for every ward which shall be prepared in accordance with the provisions of this Act under the supervision of the Director of Elections (Local Bodies).

(2) The Electoral Registration Officer shall, for purposes of preparation of the electoral rolls for the ward, adopt the Assembly rolls relatable to the area comprised in the said ward and publish the same in the manner prescribed, and upon its publication it shall, subject to any alteration, addition or modification made under or in accordance with this Act, be the electoral rolls for the ward prepared in accordance with this Act.

(3) Where any addition, omission, alteration or other amendment is made under the Representation of the People Act, 1950, or the Rules framed thereunder, in the Assembly rolls relatable to the area of the ward, a similar amendment shall be made in the corresponding electoral roll of the ward. Act XLIII of 1950.

12-C. Subject to the provisions of section 12-D, every person who is qualified to be registered in the Assembly electoral roll relatable to the area comprised in the ward or whose name is entered therein shall be entitled to be registered in the electoral roll of the ward. Qualifications for electors.

12-D. (1) A person shall be disqualified for registration in an electoral roll if he is disqualified for registration in the Assembly rolls. Disqualifications for registration in an electoral roll.

(2) The name of any person who becomes so disqualified after registration shall forthwith be struck off the electoral roll of the ward in which it is included :

Provided that the name of any person struck off the electoral roll of a ward by reason of disqualification under sub-section (1) shall forthwith be reinstated in that roll if such disqualification is, during the period such roll is in force, removed under the provisions of this Act or under any other law authorising such removal.

12-E. (1) No person shall be entitled to be registered in the electoral roll for more than one ward in the same municipality. Registration to be in one ward and in one place.

(2) No person shall be entitled to be registered in the electoral roll for any ward more than once.

12-F. The electoral roll for each ward shall be prepared by an Electoral Registration Officer who shall be such officer of the State Government or of a local authority as the State Government may designate or nominate in this behalf. Electoral Registration Officers.

12-G. The electoral roll for each ward shall be revised every year in accordance with the provisions of this Act. Annual revision of electoral rolls.

Order re: electoral rolls.

12-H. The State Government may, by order, make provisions in respect of the following matters concerning the electoral rolls, namely.—

(*a*) the date on which the electoral rolls first prepared and subsequently prepared under this Act shall come into force and their period of operation ;

(*b*) the correction of any existing entry in the electoral rolls on the application of the elector concerned ;

(*c*) the correction of clerical or printing errors in the electoral rolls ;

(*d*) the inclusion in the electoral rolls of the name of any person —

(i) whose name is included in the Assembly rolls for the area relatable to the ward but is not included in the electoral roll of the ward or whose name has been wrongly included in the electoral rolls of some other ward ; or

(ii) whose name is not so included in the Assembly rolls and who is otherwise qualified to be registered in the electoral roll of the ward ;

(*e*) annual revision of the electoral rolls ;

(*f*) custody and preservation of the electoral rolls; and

(*g*) generally for all matters relating to the preparation and publication of the electoral rolls.

Conduct of Elections

General Elections.

13-A. Except as provided in section 31 or 31-A there shall be a general election to a board before the expiry of the term or extended term, as the case may be, of the board under section 10-A on such date or dates as the State Government may, by notification in the official *Gazette*, appoint in that behalf.

Conduct of elections to be supervised by the Director of Election (Local Bodies).

13-B. The Director of Elections (Local Bodies) shall supervise the conduct of elections under this Act.

Qualification for membership of the Board.

13-C. A persons shall not be qualified to be chosen to fill a seat on a board unless,—

(*a*) in the case of a seat reserved for the Scheduled Castes he is a member of any of these castes and is an elector for any ward in the municipality ;

(*b*) in the case of any other seat, he is an elector for any ward in the municipality.

13-D. A person, notwithstanding that he is otherwise qualified, shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of a board if he,— Disqualifications for membership.

(*a*) is a dismissed servant of the State or Central Government and is debarred from re-employment therein, or

(*b*) is debarred from practising as a legal practitioner by order of any competent authority, or

(*c*) holds any place of profit in the gift or disposal of the board, or

(*d*) is disqualified under section 27 or 41, or

(*e*) is disqualified under section 146 of the Representation of the People Act, 1951 ;

(*f*) is in the service of the State or the Central Government or any local authority, or is a District Government Counsel or an Additional or Assistant District Government Counsel or an Honorary Magistrate or an Honorary Munsif or an Honorary Assistant Collector ;

(*g*) is unable to read and write Hindi, or

(*h*) is in arrears in the payment of municipal tax or other dues in excess of one year's demand to which section 166 applies, or

(*i*) is suffering from leprosy, or

(*j*) is an undischarged insolvent :

Provided that in case of (*a*) and (*b*) the disqualification may be removed by an order of the State Government in this behalf.

13-E. (1) No person who is not, and except as expressly provided by this Act, every person who is, for the time being entered in the electoral roll of any ward shall be entitled to vote in that ward. Right to vote.

(2) No person shall vote at an election in any ward if he is subject to any of the disqualifications referred to in section 12-D.

(3) No person shall vote at a general election in more than one ward and if a person votes in more than one such ward, his votes in all such wards shall be void.

(4) No person shall at any election vote in the same ward more than once, notwithstanding that his name may have been registered in the electoral roll for that ward more than once, and if he does so vote, all his votes in that ward shall be void.

(5) No person shall vote at any election if he is confined in a prison whether under a sentence of imprisonment or transportation or otherwise, or is in the lawful custody of the Police.

Method of voting.

13-F. (1) In plural member wards every elector shall have as many votes as there are members to be elected, but no elector shall give more than one vote to any one candidate.

(2) If an elector gives more than one vote to any one candidate in contravention of the provisions of sub-section (1), then, at the time of counting of votes, not more than one of the votes given by him to such candidate shall be taken into account and all other votes given by him to such candidate shall be rejected as void.

Order regarding conduct of elections.

13-G. The State Government may, by order, make provision with respect to the following matters concerning conduct of elections, that is to say—

(*a*) issue of notifications for general elections ;

(*b*) the appointment powers and duties of Returning Officers, Assistant Returning Officers, Presiding Officers and Polling Officers and clerks ;

(*c*) appointment of dates for nomination, scrutiny, withdra wals and polling ;

(*d*) the manner of presentation and the form of nomination paper, the requirements for a valid nomination, scrutiny of nominations and withdrawal of candidature ;

(*e*) appointment and duties of election agents, polling agents and counting agents ;

(*f*) procedure at general elections including death of candidate before poll, procedure in contested and uncontested elections, special procedure at elections in wards where seats are reserved for Scheduled Castes;

(*g*) identification of voters ;

(*h*) hours of polling ;

(*i*) adjournment of poll and fresh poll;

(*j*) manner of voting at elections ;

(*k*) scrutiny and counting of votes including recount of votes and procedure to be followed in case of equality of votes and declaration of results ;

(*l*) the notification of the names of the members elected for the various wards of a municipality and the due constitution of the board ;

(*m*) return or forfeiture of deposits ;

(*n*) manner in which votes are to be given by the presiding officers, polling agents or any other person who being an elector for a ward is authorized or appointed for duty at a polling station at which he is not entitled to vote ;

(*o*) the procedure to be followed in respect of the tender of vote by person representing himself to be an elector after another person has voted as such elector ;

(*p*) the safe custody of ballot boxes, ballot papers and other election papers, the period for which such papers shall be preserved and the inspection and production of such papers ; and

(*q*) generally on all matters relating to conduct of elections.

Bye-elections.

13-H. (1) Subject to the provisions of sub-section (2) and section 13-I, when the seat of a member elected to a board becomes vacant or is declared vacant or his election is declared void, the District Magistrate shall, in consultation with the board, by a notification in the official *Gazette*, call upon the ward concerned to elect a person for the purpose of filling the vacancy caused before such date as may be specified in the notification and the provisions of this Act and of the Rules and Orders made thereunder, shall apply, as far as may be, in relation to the election of a member to fill such vacancy.

(2) If the vacancy so caused be a vacancy in a seat reserved in any such ward for the Scheduled Castes, the notification issued under sub-section (1) shall specify that the person to fill that seat shall belong to the Scheduled Castes.

Certain casual vacancies not to be filled.

13-I. Where a vacancy occurs on a board by reason of death, resignation, removal or avoidance of an election of an elected member and the term of office of that member would, in the ordinary course of events, have determined within one year of the occurrence of the vacancy, the State Government may direct that the vacancy be left unfilled until the next general elections.

Electoral Offences.

13-J. (1) The provisions of sections 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135 and 136 of Chapter III of Part VII of the Representation of the People Act, 1951, shall have effect as if—

(*a*) the references therein to an election were a reference to an election held under this Act ;

(*b*) for the word "constituency" the word "ward" had been substituted ;

(*c*) in section 130 for the words "100 yards" the words "25 yards" had been substituted ; and

(*d*) in sections 134 and 136 for the words "by or under this Act or under the Representation of the People Act, 1950 (XLIII of 1950)," the words "by or under the U. P. Municipalities Act, 1916," had been substituted.

(2) If the Director of Elections (Local Bodies) has reason to believe that any offence punishable under section 129 or 134 or under clause (*a*) of sub-section (2) of section 136 of the said chapter has been committed in reference to any election to a board, it shall be the duty of the Director of Elections (Local Bodies) to cause such enquiries to be made and such prosecutions to be instituted as the circumstances of the case may appear to him to require.

(3) No court shall take cognizance of any offence punishable under section 129 or under section 134 or under clause (*a*) of sub-section (2) of section 136 unless there is a complaint made by order of or under authority from the Director of Elections (Local Bodies).

Jurisdiction of Civil Courts.

13-K. (1) No Civil Court shall have jurisdiction—

(*a*) to entertain or adjudicate upon any question whether any person is or is not entitled to be registered in an electoral roll for a Ward ; or

(*b*) to question the legality of any action taken by or under the authority of an Electoral Registration Officer or of any decision given by any authority appointed under this Act, for the revision of any such roll ; or

(*c*) to question the legality of any action taken or any decision given by the Returning Officer or by any other officer appointed in this Act in connection with an election.

(2) No election shall be called in question except by an election petition presented in accordance with the provisions of this Act.

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा २५ का संशोधन ।

१०—मूल अधिनियम की धारा २५ में से उपधारा (३) निकाल दी जाय ।

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा २९ और २९-ए का निकाल दिया जाना ।

११—मूल अधिनियम की धारा २९ और २९-ए निकाल दी जाय ।

१२—मूल अधिनियम की धारा ३१ के स्थान पर निम्नलिखित रक्खा जाय—

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ३१ में संशोधन।

"31. When a board is superseded under section 30, the following consequences shall follows —

Consequences of supersession of board.

(*a*) all members of the board including the President shall, on a date to be specified in the order, vacate their offices as such but without prejudice to their eligibility for re-election or re-nomination;

(*b*) such person or persons as the State Government may appoint in that behalf shall, so long as the supersession of the board lasts, exercise and perform so far as may be, the powers and duties of the board and shall be deemed to be the board for all purposes, and

(*c*) a fresh board shall be constituted with effect from the date of expiry of the period of supersession as though the term fixed under-section 10-A had expired."

१३—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ३१—ए के स्थान पर निम्नलिखित रक्खा जाय—

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ३१—ए का संशोधन।

"31-A. When a board is dissolved under section 30; the following consequences shall follow—

Consequences of dissolution of board.

(*a*) all members of the board—

(i) but not the President, or

(ii) where the State Government so directs, the President also,

shall on a date to be specified in the order vacate their respective offices but without prejudice to their eligibility for re-election or renomination; and

(*b*) the election or nomination of the members or the President, as may be necessary, shall be held or made, as the case may be,

(i) in a case referred to in sub-clause (i) of clause (*a*) above as though there had been casual vacancies, and

(ii) in a case referred to in sub-clause (ii) of clause (*a*) above as though the term of the board fixed under section 10-A had expired."

१४—मूल अधिनियम की धारा ३४ की उपधारा (४) में—

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ३४ का संशोधन।

(१) शब्द और संख्या 'sub-section (1)" के स्थान पर शब्द और संख्या "sub-section, (1), (1-A) or (1-B)" रख दिय जाय; और

(२) शब्द "said" और "to" के बीच में शब्द "sub section" के स्थान पर शब्द "sub sections" रक्खा जाय।

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ३५ का संशोधन।

१५—मूल अधिनियम की धारा ३५ की—

(१) उपधारा (१) में शब्द "enactment" और "the" के बीच में शब्द "or in carrying out any order made or direction issued by the State Government in exercise of any power conferred by this Act or any other enactment" रख दिये जायं।

(२) उपधारा (२) में—

(क) शब्द "performed" और "within" के बीच में शब्द "or the order or direction is not carried out" रख दिये जायं; और

(ख) शब्द "duty" और "shall" के बीच में शब्द "or executing the order or direction" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ३८ का संशोधन।

१६—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ३८ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय—

Term of office of members elected or nominated to fill casual vacancies.

"38. The term of office of a member elected or nominated to fill a casual vacancy shall be for the remainder of his predecessor's term of office."

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ४० का संशोधन।

१७—मूल अधिनियम की धारा ४० में—

(१) उपधारा (१) के खंड (बी) में शब्द और संख्या "sub section (3) of section 14" के स्थान पर शब्द और संख्या "sections 12-D and 13-D" रक्खे जायं; और

(२) उपधारा (४) के बाद नई उपधारा (५) के रूप में निम्नलिखित रक्खा जाय—

"(5) The State Government may place under suspension a member, against whom proceeding under sub-sections (3) and (4) has been commenced, until the conclusion of the enquiry and any member who has been so suspended shall not so long as the order of suspension continues to remain in force, be entitled to take part in any proceedings of the board or otherwise perform the duties of a member."

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ४१ का संशोधन।

१८—मूल अधिनियम की धारा ४१ में से शब्द "Co-option" निकाल दिया जाय।

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ४२ का निकाल दिया जाना।

१९—मूल अधिनियम की धारा ४२ निकाल दी जाय।

२०—इस अधिनियम और किसी और विधान में जो समय विशेष पर प्रचलित हो शब्द "Municipal Commissioner" के स्थान पर शब्द "Municipal Member" रखे जायं।

शब्द Municipal Commissioner के स्थान पर शब्द Municipal Member का रखा जाना।

२१—मूल अधिनियम की धारा ४७-ए की उपधारा (४) में से (१) शब्द "Co-opted" और "Co-option" निकाल दिये जायं; और (२) शब्द "take place" के स्थान पर शब्द "be held or made, as the case may be as though there had been casual vacancies" रख दिये जायं।

यू० पी० एक्ट २, १९१६ की धारा ४७-ए का संशोधन।

२२—मूल अधिनियम की धारा ४८ में—

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ४८ का संशोधन।

(१) उपधारा (२) में—

(क) खंड (ए) के स्थान पर निम्नलिखित रक्खा जाय—

"(*a*) that there has been a failure on the part of the President in performing his duties, give him a warning or remove him from office as the State Government think fit, or"; और

(ख) खंड (बी) में—

(१) उपखंड (i) में शब्द और संख्या "sub-section (3) of section 14" शब्द और संख्या के स्थान पर "sections 12-D and 13-D" रखे जायं

(२) उपखंड (v) के बाद निम्नलिखित नया उपखंड (vi) के रूप में रखा जाय—

"(vi) been guilty of gross misconduct in the discharge of his duties", और

(२) उपधारा (२) के बाद निम्नलिखित नई उपधारा (३) के रूप में रखी जाय—

"(3) The State Government may place under suspension a President against whom action is proposed under sub-clause (vi) of clause (*b*) of sub-section (2) until the proceedings are over and where a President has been so suspended he shall not for so long as the order of suspension continues be entitled—

(*a*) to exercise the powers or perform the duties of a President imposed upon him by or under this Act or any other enactment for the time being in force, and

(*b*) to take part in any proceedings of the board."

२३—मूल अधिनियम की धारा ५७ में उपधारा (२) के बाद निम्नलिखित नई उपधारा 2-A के रूप में रखी जाय—

यू० पी ऐक्ट २, १९१६ की धारा ५७ का संशोधन।

"(2-A) Every board shall, if so required by the State Government, employ in addition to or in place of the Accountant, an Accounts Officer nominated by the State Government either severally or jointly with

one or more than one board or any other local authority on the terms and conditions as may be prescribed by the State Government from time to time."

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ६०-बी का संशोधन।

२४--मूल अधिनियम की धारा ६०-बी में से शब्द "Education" निकाल दिया जाय।

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ६४ का संशोधन।

२५--मूल अधिनियम की धारा ६४ में शब्द "Executive Officer" के बाद एक कामा जोड़ दिया जाय और उसके बाद शब्द "Accounts Officer" रखा जाय।

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ६८ का संशोधन।

२६--मूल अधिनियम की धारा ६८ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"(1) A Board may, by special resolution, and if so required by the State Government, shall, appoint the principal officers of its technical departments such as Civil Engineer, Assistant Civil Engineer, Electrical Engineer, Assistant Electrical Engineer, Water Works Engineer, Assistant Water Works Engineer, Electrical and Water Works Engineer, Assistant Electrical and Water Works Engineer, qualified Overseer or Sub-overseer and also Secretary and Superintendent or Lady Superintendent of Education."

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ६९ का संशोधन।

२७--मूल अधिनियम की धारा ६९, धारा ६९ की उपधारा (१) के रूप में परिगणित की जायगी और उसके बाद निम्नलिखित उपधारा (२) के रूप में जोड़ दिया जाय--

"(2) The State Government may suspend any officer appointed under sub-section (1) of section 68 pending decision of an appeal and may alter, amend or vary the order of the board."

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ७३ का संशोधन।

२८--मूल अधिनियम की धारा ७३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

Appointment, etc. of servants on the educational establishment.

"73. (1) The power to appoint, grant leave of absence, punish, dismiss or control any servant on the educational establishment of the board--

(a) on or drawing a salary not exceeding Rs. 40 per mensem or in a city Rs. 50 per mensem.;

(b) on or drawing a salary exceeding Rs. 40 per mensem but not exceeding Rs. 50 per mensem or in a city Rs. 50 per mensem but not exceeding Rs. 75 per mensem; and

(c) any other servant other than the Superintendent or Lady Superintendent of Education shall be exercised—

(i) in the case of (a) and (b) above by the Superintendent or Lady Superintendent of Education, as the case may be, and where there is no

such Superintendent or Lady Superintendent, by the Chairman, Education Committee subject to such conditions or restrictions as may be imposed by the board:

Provided that in the case of appointments of employees under clause (*b*), where these powers are to be exercised by the Superintendent or Lady Superintendent, all such appointments shall be subject to the approval of the Chairman, Education Committee;

(ii) in the case of (*c*) above by the Chairman, Education Committee of the Board subject to such conditions or restrictions as the Board may by resolution impose in his behalf."

(2) An appeal shall lie :

(*a*) in the case of an order of dismissal or removal or any other punishment passed against servants mentioned in clauses (*a*) and (*b*) of sub-section (1)—

(i) by the Superintendent or Lady Superintendent, to the Chairman, Education Committee;

(ii) by the Chairman, Education Committee, to the President of the Board ;

(*b*) in the case of an order of dismissal or removal passed against servants mentioned in clause (C) of sub-section (1) by the Chairman, Education Committee, to the State Government; and

(*c*) in the case of an order of any other punishment passed against servants mentioned in clause (C) of sub-section (1) by the Chairman, Education Committee, to the Prescribed Authority.

२९–मूल अधिनियम की धारा ७४ में—

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ७४ का संशोधन।

(१) शब्द "on" और अक्षर "A" के बीच में शब्द "or drawing" रक्खे जायं, और

(२) शब्द "subject in the case of dismissal or removal to an appeal to the State Government which must be presented to the State Government within one month of the date upon which the order of dismissal or removal is communicated to the person in respect of whom the order is made."

के स्थान पर निम्नलिखित रक्खा जाय—

"Provided that an appeal shall lie :

(*a*) in the case of dimissal or removal, to the State Government; and

(*b*) in the case of any other punishment, to the Prescribed Authority;

and shall be presented to the State Government or the prescribed authority, as the case may be, within one month from the date on which the order appealed against is communicated to person concerned."

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ७६ का संशोधन।

३०-मूल अधिनियम की धारा ७६ में—

(१) खंड (ए) और (बी) में शब्द "servant" के बाद शब्द "on" के स्थान पर शब्द "on or drawing" रख दिये जायं।

(२) शब्द "but" और "each" के बीच में आये हुये शब्द "in such case" निकाल दिये जायं, और

(३) शब्द "punishment" के बाद कामा रक्खा जाय और उसके बाद शब्द "in respect of servants mentioned in clauses (*a*) and (*b*) above" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ९३ का संशोधन।

३१-मूल अधिनियम की धारा ९३ में-

(क) शब्द "the Superintending Engineer, Public Health Department" के स्थान पर शब्द "Chief Engineer Local Self-Government Engineering Department" रख दिये जायं, और

(ख) शब्द "the Director of Public Health or Assistant Director of Public Health" के स्थान पर शब्द "the Director of Medical and Health Services or the Assistant Director of Medical and Health Services" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ९४ का संशोधन।

३२-मूल अधिनियम की धारा ९४ की उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रक्खा जाय —

(3) "Every resolution passed by a board at a meeting, shall, as soon there after as may be, be published in a local peper published in Hindi and where there is no such local paper, in such manner as the State Government may, by general or special order, direct."

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा १२८ का संशोधन।

३३-मूल अधिनियम की धारा १२८ की उपधारा (१) में वर्तमान खंड (viii) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

(viii) an octroi on goods or animals brought within the municipality for consumption, use or sale therein"

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा १८०-ए का संशोधन।

३४-प्रतिबन्धात्मक वाक्य को छोड़कर धारा १८०-ए की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दी जाय—

"(1) Notwithstanding anything containd in this Act or any by-law made thereunder, the construction of, or any addition to, any building of public entertainment or any addition there to shall not, except with the previous approval of the State

Government, be sanctioned by a board, if the site of, or proposed for such building is —

(*a*) within a radius of one furlong from—

(i) any residential institution attached to a recognised educational institution such as a college, a high school or girls school, or

(ii) a public hospital with a large in-door patient ward; or

(iii) an orphanage containing one hundred or more inmates, or

(*b*) in any thickly populated residential area which is either exclusively residential or reserved or used generally for residential as distinguished from business purposes; or

(*c*) in any area reserved for residential purposes by any housing or planning scheme or otherwise under any enactment."

३५–मूल अधिनियम की धारा २८२ की उपधारा (१) में शब्द "the Director of Public Health" के स्थान पर शब्द "the Director of Medical and Health Services" रख दिये जायं । यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा २८२ का संशोधन।

३६–मूल अधिनियम की धारा २९६ की उपधारा (२) में खंड (B) के बाद नए खंड (C) के रूप में निम्नलिखित रक्खा जाय— यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा २९६ का संशोधन।

"(*c*) for the appointment of an ad hoc committee to advise the Board—

(i) on the preparation of a master plan for the municipality and its execution; and

(ii) on the layout of public streets, residential and non-residential areas."

३७–मूल अधिनियम की धारा २९७ की उपधारा (१) में– ऐक्ट २,१९१६ की धारा २९७ का संशोधन ।

(१) खंड (G) के मद (i) में शब्द "Chairman" के स्थान पर शब्द "President" रख दिया जाय ।

(२) खंड (K) में शब्द "the" और शब्द "period" के बीच में शब्द "conditions of service including" रख दिये जायं ।

३८–मूल अधिनियम की धारा ३०१ में शब्द "Commissioner" के स्थान पर शब्द "Prescribed Authority" रख दिये जायं । यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ३०१ का संशोधन।

३९–मूल अधिनियम की धारा ३२७ में शब्द "in his division" के स्थान पर शब्द "within his or its jurisdiction" रख दिये जायं । यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ३२७ का संशोधन

४०–मूल अधिनियम के Schedule I में- यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की अनुसूची १ का संशोधन।

(१) स्तम्भ १ में से संख्या १३ और स्तम्भ २ में से उसके संबन्ध में इन्दराज निकाल दिया जाय ।

(२) स्तम्भ २ में धारा ६८ के सामने वर्तमान इन्दराज के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"To appoint Civil Engineer, Assistant Civil Engineer, Electrical Engineer, Assistant Electrical Engineer, Water Works Engineer, Assistant Water Works Engineer, Electrical and Water Works Engineer, Assistant Electrical and Water Works Engineer, qualified Overseer or Sub-Overseer, Secretary, Superintendent or Lady Superintendent of Education."

(३) धारा 211 और 217 (1) (*A*) के सामने के इन्दराजों के बीच में निम्नलिखित रख दिया जाय—

"212-A. To control and regulate the construction of any building or street and drains beyond municipal limits, up to a distance of two miles."

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की अनुसूची २ का संशोधन।

४१—मूल अधिनियम के Schedule II में—

(१) धारा ७५ और ७६ के सामने दूसरे स्तम्भ के इंदराजों में से शब्द "permanent" और "inferior" के बीच में आया हुआ शब्द "and" निकाल दिया जाय।

(२) धारा २०३(३) के संबंध में इन्दराज निकाल दिया जाय और

(३) धारा २०४ के सामने दूसरे स्तम्भ में इन्दराज के स्थान पर निम्नलिखित रक्खा जाय—

"To receive application for permission to layout and make a street."

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की अनुसूची ७ का संशोधन।

४२—मूल अधिनियम के Schedule VII में—

(१) स्तम्भ १ में संख्या "9 (1)" के स्थान पर संख्या "9" रख दी जाय।

(२) स्तम्भ १ संख्या "16(2)" के स्थान पर संख्या "13-D" रख दी जाय।

(३) स्तम्भ २ में शब्द "sub-section" के स्थान पर शब्द "section" रख दिया जाय।

(४) धारा 13-D और 22 से संबद्ध इन्दराज के बीच में 13-I के सामने नये इंदराज के रूप में निम्नलिखित रख दिया जाय—

"13-I—To direct that a casual vacancy be left unfilled till the next general elections."

(५) धारा 34 (2) के सामने दूसरे स्तम्भ के इन्दराज में शब्द "Commissioner" के स्थान पर शब्द "Prescribed Authority" रख दिये जायं।

(६) धारा 40 (2) के सामने दूसरे स्तम्भ इन्दराज में शब्द "under clause (*d*),(*e*) or (*f*) of sub-section (1)" के स्थान पर शब्द और संख्या "under clause (*c*), (*d*) or (*e*) of sub-section (1)" रख दिये जायं।

(७) स्तम्भ १ में संख्या 57 और 58 के बीच में संख्या और अक्षर 57 (2-A) रख दिये जायं और उसके सामने स्तम्भ २ में निम्नलिखित इन्दराज रक्खा जाय—

"To nominate Accounts Officers and to lay down the terms and conditions of their service."

(८) धारा 60A और 65 के सामने के इंदराजों के बीच में निम्नलिखित नया इन्दराज रखा जाय--

"60-B. To direct that in any municipality the Principal Officers of the Electrical, Public Works, and Water Works Departments, shall with reference to their departments exercise the power under clause (*e*) of sub-section (1) of section 60;

(९) धारा 73 और 74 के सामने के इन्दराज में शब्द "President' के बाद शब्द "or Chairman, Education Committee" रख दिये जायं, और

(१०) धारा 327 और 337 के सामने के इंदराजों के बीच में निम्नलिखित नया इन्दराज रखा जाय--

"336-A. To direct that during the transition period, the Act shall have effect subject to certain adaptations, alterations and modifications."

४३--मूल अधिनियम के Schedule VIII में--

यू० पी० ऐक्ट २ १९१६ की अनुसूची ८ का संशोधन।

(१) धारा 158 (2) के सामने तीसरे स्तम्भ में शब्द और संख्या "Rs. 100" के स्थान पर शब्द और संख्या "Rs. 500" रख दिये जायं,

(२) 248 के सामने तीसरे स्तम्भ में शब्द और संख्या "Rs. 20" के स्थान पर शब्द और संख्या "Rs. 50" रख दिये जायं।

अनुकूलन।

४४-(१) कठिनाइयों को, विशेषकर ऐसी कठिनाइयों को जो मूल अधिनियम के उपबन्धों से इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों पर संक्रमण होने से सम्बन्धित हैं, दूर करने के लिये राज्य सरकार आज्ञा द्वारा निर्देश कर सकती है कि उक्त प्रकार से संशोधित मूल अधिनियम इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक बाद के बारह मास की अवधि में ऐसे अनुकूलन के साथ सप्रभाव होगा जसा वह उचित और आवश्यक समझे, चाहे वह अनुकूलन परिष्कार के रूप में हो अथवा घटाने या बढ़ाने के रूप में।

(१) उपधारा (१) के अधीन दी गई प्रत्येक आज्ञा जितना शीघ्र हो सके राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायगी।

उद्देश्य और कारण

संविधान में वयस्क मतदान (adult suffrage) का एवं साम्प्रदायिक निर्वाचन-मंडल की प्रथा के निर्मूलन का विधान है और इसे स्वीकृत कर लिया गया है । अतएव नगरपालिकाओं के चुनाव से सम्बद्ध विधि में परिवर्तन की अवाश्यकता हो गयी है । नगरपालिका के चुनाव संबंधी उपबन्धों को राज्यविधान मंडल तथा संसद् के चुनाव संबंधी विधि और नियम के अनुसार बनाने का विचार है । इसी उद्देश्य से विधेयक में यह व्यवस्था की गयी है कि राज्य विधान मंडल के लिये बनाई गई निर्वाचन नामावली को नगरपालिका के चुनावों के लिये स्वीकृत किया जाय । विधेयक में यह व्यवस्था की गयी है कि इस संबंध में चुनाव का परिचालन उसी प्रकार किया जाय जसा कि राज्य के विधान मंडल के लिये किया गया था । अल्पसंख्या वाली जातियों के स्थान की रक्षा का प्रबन्ध नहीं किया गया है, किन्तु संविधान के उपबन्धों के अनुकूल जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों के लिये स्थान सुरक्षित रक्खे गये हैं ।

२--कुछ ऐसे परिवर्तनों के लिये, जो आवश्यक समझे गये इस अवसर का लाभ उठाया गया है । मैला और गन्दगी से खाद (कम्पोस्ट) बनाने का, सदस्य तथा प्रेसीडेंट को मुअत्तल करने का अधिकार, शक्ति के दुरुपयोग के कारण प्रेसीडेंट को अलग करने का अधिकार (प्रेसीडेंट के रूप में चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों की शिक्षा संबंधी योग्यता को नियत करना) एकाउन्ट्स अफसरों की नियुक्ति, नगरपालिका के भीतर लाई गई वस्तु या जानवरों की बिक्री पर कर लगाने और बोर्ड में प्रमुख योजना (मास्टर प्लैन) की तैयारी और उसके निष्पादन एवं ऐसे क्षेत्रों का स्थापित करना, जहां लोग निवास करते हों या न करते हों तथा सार्वजनिक मार्ग (public strecets) बनाने के संबंध में सम्मति देने के लिये बोर्ड में तदर्थ समिति की नियुक्ति की भी व्यवस्था की गई है ।

तदनुसार यह विधेयक प्रस्तुत किया जाता है ।

एम० एल० गौतम,
मंत्री, स्वायत्त शासन,
उत्तर प्रदेश ।

दिनांक २९ अक्तूबर, १९५२ :

नत्थी 'ग'

(देखिए पीछे पृष्ठ ९ पर)

आगरा यूनिवर्सिटी (अनुपूरक) विधेयक, १९५२

(जैसा कि उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल द्वारा पारित हुआ)

आगरा यूनीवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ के अनुपूरण के लिये विधेयक

प्रस्तावना। यू० पी० अधिनियम ८,१९२६।

१२ दिसम्बर, १९४९ से प्रारम्भ होने वाले कार्यकाल के लिये निर्वाचित वाइस चान्सलर के कार्यकाल को बढ़ाकर आगरा यूनीवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ का अनुपूरण करना उचित और आवश्यक है ;

इसलिये निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रारम्भ और समाप्ति।

१--(१) यह अधिनियम आगरा यूनीवर्सिटी (अनुपूरक) अधिनियम, १९५२ कहलायेगा ।

(२) यह ३० अक्टूबर, १९५२ से प्रचलित माना जायगा।

(३) यह ३१ दिसम्बर, १९५३ को निष्प्रभाव हो जायगा और यू० पी० जेनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ के उपबन्ध इस प्रकार लागू होंगे मानो यह अधिनियम उस मसय किसी उत्तर प्रदेश ऐक्ट द्वारा निरस्त (रिपील्ड) किया गया था ।

यू० पी० अधिनियम ८,१९२६ की धारा ९(२) का संशोधन।

२--आगरा यूनीवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ की धारा ९ की उपधारा (२) (जिसका सम्बन्ध वाइस चान्सलर के कार्यकाल से है) १२ दिसम्बर, १९४९ से प्रारम्भ होने वाले कार्यकाल के लिये निर्वाचित वाइस चान्सलर के विषय में इस प्रकार सप्रभाव होगी मानों शब्द "shall be three years" के स्थान पर शब्द "shall continue until the 31st day of December, 1953" रख दिये गये हों ।

अध्यादेश का निरसन।

३--उत्तर प्रदेश आगरा यूनीवर्सिटी अध्यादेश, १९५२, एतद्द्वारा निरस्त (रिपील) किया जाता है।

सन्देह निवारण।

४--सन्देह निवारण के लिये एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि जब तक इसके विपरीत व्यवस्था न की जाय, इस अधिनियम के समाप्त होने पर आगरा यूनीवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ की धारा ९ की उपधारा (२) इस प्रकार सप्रभाव होगी मानो वह इस अधिनियम या उक्त अध्यादेश द्वारा कभी भी अनुपूरित अथवा परिष्कृत नहीं की गई थी ।

उद्देश्य और कारण

पिछले कुछ वर्षों में आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट के अधीन कार्यसंचालन में कुछ कठिनाइयों का अनुभव हुआ है। इसलिये सरकार का विचार इस अधिनियम में निकट भविष्य में बहुत कुछ संशोधन करने का है। जिस अवधि के लिये वर्तमान वाइस चान्सलर का निर्वाचन हुआ था, वह १२ दिसम्बर, १९५२ को समाप्त होने को है और साधारणतः अगले कार्यकाल के लिये नया निर्वाचन होना चाहिए। ऐसे समय पर जबकि मूल अधिनियम में बहुत से संशोधन करने का विचार हो, नया निर्वाचन करने में अनेक प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिये राज्यपाल ने आगरा यूनीवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ में कुछ प्रयोजनों के निमित्त संशोधन करने के लिये, एक अध्यादेश प्रचारित किया, जिससे वाइस चान्सलर का कार्यकाल दिसम्बर, १९५३ के अन्त तक बढ़ा दिया गया। किन्तु विधान मंडल के पुनः समवेत होने से छः सप्ताह की समाप्ति पर अध्यादेश समाप्त हो जायगा, इस अधिनियम से अध्यादेश के उपबन्धों को अधिनियमित करने की व्यवस्था की जा रही है।

हरगोविन्द सिंह,
शिक्षा मन्त्री।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'घ'

(देखिए पीछे पृष्ठ ९ पर)

उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का विधेयक, १९५२

(जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा संशोधित हुआ)

(विधान परिषद् द्वारा बढ़ाया गया विषय रेखांकित है तथा निकाला गया विषय कोष्ठकों '[ ]' में है)

१९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जिन जमींदारों के आस्थान हस्तगत किये गये हैं उनके ऋणों को कम करने के लिए

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ ।

विधेयक ।

यह आवश्यक है कि उन जमींदारों के ऋणों को कम करने (scaling down) की व्यवस्था की जाय, जिनके आस्थान १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी और भूमि व्यवस्था अधिनियम के अधीन हस्तगत किये जा चुके हैं ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ ।

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है --

१--(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का अधिनियम, १९५२ होगा ।

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा ।

२--विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में --

परिभाषायें ।

(क) "देय धनराशि (amount due)" का तात्पर्य उस धनराशि से है, जो यदि यह अधिनियम पारित न होता तो, देय होती ;

(ख) "केन्द्रीय सरकार" का वही अर्थ है जो जेनरल क्लाजेज ऐक्ट, १८९७ की धारा ३ में "सेण्ट्रल गवर्नमेंट" को दिया गया है ;

ऐक्ट १०, १८९७ ।

(ग) "कोर्ट आफ वार्ड्स" का तात्पर्य यू० पी० कोर्ट आफ वार्ड्स ऐक्ट, १९१२ के अधीन संघटित कोर्ट आफ वार्ड्स से है ।

(घ) "डिक्री" का वही अर्थ है, जो उसे कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ में दिया गया है ।

ऐक्ट ५, १९०८ ।

(ङ) "डिक्री जिसके विषय में यह अधिनियम प्रवृत होगा" का तात्पर्य ऐसी डिक्री से है जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के होने से पूर्व अथवा पश्चात् ऐसे वाद में दी गई हो, जिसके विषय में यह अधिनियम प्रवृत्त होता हो (a suit to which this Act applies);

(च) "ऋण" (debt)" का तात्पर्य किसी भी ऐसे ऋण (advance) से है, जो नकद या वस्तु के रूप में दिया गया हो और उसके अन्तर्गत कोई भी ऐसा संव्यवहार (transaction) है जो वास्तव (in substance) ऋण के रूप में हो, किन्तु इसके अन्तर्गत ऊपर कहा गया कोई ऐसा ऋण (advance) जिसका १ जुलाई, १९५२ को या उसके बाद अस्तित्व हुआ हो, अथवा जो निम्नलिखित को देय हो, ऋण नहीं है --

(१) केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य की सरकार,

(२) स्थानिक अधिकारिकी (local authority);

(३) शेड्यूल्ड बैंक ;

(४) सहकारी संस्था (co-operative society) तथा

(५) वक्फ, न्यास (trust) या निबन्ध (endowment) जो केवल दानोत्तर अथवा धर्मोत्तर हों।

(६) व्यक्ति, यदि ऋण उसकी ओर से कोर्ट आफ वार्ड्स द्वारा किसी संरक्षित व्यक्ति को दिया गया हो।

उत्तर प्रदेश अधिनियम १,१९५१

(छ) "दानोत्तर", "आस्थान", "प्रतिकर" "पुनर्वासिन अनुदान" तथा "धर्मोत्तर" का वही अर्थ है जो उन्हें क्रमशः १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम में दिया गया है और प्रतिकर के अन्तर्गत उक्त अधिनियम की धारा २९ के अधीन देय अन्तरिम प्रतिकर भी है।

(ज) "स्थानिक अधिकारिकी" के अन्तर्गत कैन्टूनमेंट बोर्ड भी है ;

(झ) "बन्धक" का अपने अनुरूप पदों सहित वही अर्थ होगा जो ट्रान्स्फर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ में "mortgage" को दिया गया है और उसके अन्तर्गत ऐसा भार भी है जिसकी परिभाषा (charge) के रूप में उक्त ऐक्ट की धारा १०० में की गई है।

(ञ) "बन्धककर्त्ता (mortgagor)—

(१) के अन्तर्गत यदि बन्धक किसी संयुक्त हिन्दूपरिवार के प्रबन्धक अथवा कर्त्ता के रूप में अथवा प्रतिनिधि के रूप में निष्पादित किया गया (executed) हो, तो सभी सहभागी (co-parceners) अथवा वे व्यक्ति जिनका इस प्रकार प्रतिनिधित्व किया गया है, भी हैं; और

(२) का तात्पर्य, यदि बन्धककर्त्ता के अधिकार, आगम तथा स्वत्व फरीकैन (parties) के कृत्य अथवा विधि के व्यापार (operation of law) से, दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में संक्रामित हो गये हों, तो ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों से है ;

(ट) किसी आस्थान में मातहत दार (under-proprietor), अदना मालिक (sub-proprietor), ठेकेदार, अवध का पट्टेदार दवामी या इस्तमरारी (permanent lessee in Avadh) या दवामी काश्तकार (permanent tenure-holder) के स्वत्व के बन्धक के सम्बंध में "स्वामी (proprietor)" का तात्पर्य धारा ३ और ४ के अनुसूची १ में, उक्त आस्थान के, यथास्थिति, मातहतदार, अदना मालिक, ठेकेदार, पट्टेदार दवामी या इस्तमरारी या दवामी काश्तकार से है ;

(ठ) "शेड्यूल्ड बैंक" का वही अर्थ है जो रिजर्व बैंक आफ इंडिया ऐक्ट, १९३४ में उसे दिया गया है ;

(ड) "सुरक्षित ऋण (secured debt)" का तात्पर्य किसी आस्थान अथवा किसी आस्थान तथा दूसरी अचल सम्पत्ति के बन्धक द्वारा सुरक्षित ऋण से है ;

(ढ) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है ;

(ण) "वाद जिसके बिषय में यह अधिनियम प्रवृत्त होता है" का तात्पर्य किसी ऋण से सम्बद्ध वाद अथवा व्यवहार (suit or proceeding) से है चाहे उक्त ऋण सुरक्षित हो अथवा अन्यथा ; और

(त) "संरक्षित व्यक्ति" का अर्थ वही होगा जो शब्द "वार्ड (Ward)" का यू० पी० कोर्ट आफ वार्ड्स ऐक्ट, १९१२ की धारा ३ की उपधारा (३) में किया गया है।

डिक्री देते समय ऋण का कम करना।

३--(१) किसी विधि अथवा अनुबन्ध (agreement) अथवा लेख्य (document) में किसी बात के होते हुए भी सुरक्षित ऋण से सम्बद्ध किसी ऐसे वाद में जिसके विषय में यह अधिनियम प्रवृत्त होता है, न्यायालय, देय धनराशि के अवधारित होने पर, किन्तु डिक्री देने से पूर्व [यहां पर] आगे लिखे [के] अनुसार कार्यवाही करेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१

(२) यदि बन्धक की गई सम्पत्ति (mortgaged property) में केवल आस्थान ही हो और उक्त आस्थान १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के अधीन हस्तगत कर लिया गया हो तो न्यायालय,

(क) यदि एक ही बन्धककर्त्ता हो, जो ३० जून, १९५२ ई० के उक्त आस्थान के स्वामी के रूप में अधिकारी था, अनुसूची १ में दिये हुए सूत्र (formula) के अनुसार देय धनराशि को कम कर देगा ;

(ख) यदि दो या अधिक बन्धककर्त्ता हों और उनमें से सभी या एक से अधिक ३० जून, १९५२ ई० को उक्त आस्थान के स्वामी के रूप में अधिकारी थे, तो

(१) यदि बन्धक पत्र (mortgage deed) में ऋण के लिये उनका अपना-अपना उत्तरदायित्व निर्दिष्ट किया गया है, उनके अपने दायित्व के अनुपात में (in the ratio of their liability) देय धनराशि

को [उक्त प्रकार के अधिकारी] उन अधिकृत बन्धककर्त्ताओं में विभाजित कर देगा, अन्यथा उक्त आस्थान में उनके अपने अपने अंशों के अनुपात में ; और

(२) देय धनराशि के उक्त प्रकार विभाजित होने के [बाद] पश्चात् प्रत्येक बन्धककर्त्ता के लिये विभाजित धनराशि को अनुसूची १ में दिये हुए सूत्र के अनुसार कम कर देगा।

(३) जब बन्धक की गई सम्पत्ति अंशतः उक्त प्रकार का आस्थान हो और अंशतः उक्त प्रकार के आस्थान से भिन्न दूसरी सम्पत्ति हो तो न्यायालय दोनों सम्पत्तियों पर देय धनराशि को ट्रान्स्फर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ की धारा ८२ में उल्लिखित सिद्धांतों के अनुसार अलग अलग विभाजित करेगा, मानो वे सम्पत्तियां दो ऐसे भिन्न व्यक्तियों की थीं, जिनका पृथक् तथा भिन्न स्वत्वाधिकार रहा हो और --

(क) देय धनराशि के उक्त प्रकार से विभाजित होने के पश्चात निम्नलिखित कार्यवाही करेगा--

(१) यदि केवल एक ही बन्धककर्त्ता था जो ३० जून, १९५२ को उक्त आस्थान के स्वामी के रूप में अधिकारी था तो उपधारा (२) के खंड (क) में लिखी रीति के अनुसार आस्थान द्वारा देय धनराशि को कम कर देगा मानो वह उक्त आस्थान पर भारित (charged) ऋण हो, तथा

(२) यदि दो या अधिक बन्धककर्त्ता हों और उनमें से सभी या एक से अधिक बन्धक किये हुए आस्थान के ३० जून, १९५२ को स्वामी के रूप में अधिकारी रहे हों तो यदि बन्धक पत्र में उनका अपना अपना उत्तरदायित्व निर्दिष्ट हो तो उनके दायित्व के अनुपात में आस्थान द्वारा देय धनराशि को बन्धककर्त्ताओं में विभाजित कर देगा अन्यथा उक्त आस्थान में उनके अंशों के अनुपात में ; और

(ख) जब देय धनराशि इस प्रकार विभाजित हो जाय तो न्यायालय अनुसूची १ में दिये हुए सूत्र के अनुसार प्रत्येक बन्धककर्त्ता द्वारा देय धनराशि को कम कर देगा।

डिक्री देने के पश्चात् ऋण न्यून करने का अधिकार।

४--(१) कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ या किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी कोई भी न्यायालय, जिसने सुरक्षित ऋण से सम्बद्ध डिक्री जिसके विषय में यह अधिनियम प्रवृत होगा, दी हो, डिक्रीदार (decree-holder) अथवा वाद-ऋणी (judgment-debtor) द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर आगे बताई हुए रीति के अनुसार कार्यवाही करेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१।

(२) यदि बन्धक की गई सम्पति जो डिक्री द्वारा भारित हो (charged under the decree), केवल आस्थान ही हो और उस आस्थान को १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के उपबन्धों के अधीन हस्तगत कर लिया गया हो, तो न्यायालय--

(क) यदि केवल एक ही ऐसा वाद-ऋणी हो जिसे आस्थान के स्वामी होने का अधिकार प्राप्त हो, १ जुलाई, १९५२

को देय धनराशि का हिसाब लगायेगा और तब उसे अनुसूची १ में दिये हुए सूत्र के अनुसार कम कर देगा,

(ख) यदि दो या दो से अधिक वाद–ऋणी हों जिनमें सभी या एक से अधिक ३० जून, १९५२ को बन्धक किये गये आस्थान के स्वामी होने का अधिकार रखते थे ;

(i) एक जुलाई , १९५२ को देय धनराशि का हिसाब लगायेगा;

(ii) उक्त प्रकार अधिकार रखने वाले वाद ऋणियों के बीच देय धनराशि को, यदि डिक्री में उनका अपना-अपना दायित्व निर्दिष्ट हो, उनके दायित्व के अनुपात से अन्यथा उक्त आस्थान में क्रमशः उनके अंशों के अनुपात से विभाजित करेगा, तथा

(iii) जब देय धनराशि उक्त प्रकार से विभाजित हो जाय तो अनुसूची एक में दिये हुए सूत्र के अनुसार प्रत्येक वाद ऋणी के लिये धनराशि को कम कर देगा।

(३) यदि डिक्री द्वारा भारित सम्पत्ति अंशतः आस्थान हो और अंशतः आस्थान से भिन्न अन्य सम्पत्ति हो तो न्यायालय,

(क) १ जुलाई, १९५२ को देय धनराशि अवधारित करेगा और उसको ट्रांस्फर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ की धारा ८२ में उल्लिखित सिद्धान्तों के अनुसार अलग-अलग दोनों सम्पत्तियों पर विभाजित करेगा, मानो कि डिक्री ऋण हो और वह दो सम्पत्तियां ऐसे दो व्यक्तियों की हों, जिनका पृथक् तथा भिन्न स्वत्वाधिकार हो तथा

(ख) आस्थान के सम्बन्ध में देय धनराशि का हिसाब लगाये जाने के पश्चात् न्यायालय निम्नलिखित कार्यवाही करेगा––

(१) यदि एक ही वाद–ऋणी हो जो उक्त आस्थान का ३० जून, १९५२ को स्वामी के रूप में अधिकारी था तो अनुसूची एक में दिये हुए सूत्र के अनुसार उसे कम कर देगा,

(२) यदि दो या अधिक वाद-ऋणी हों और उनमें से सब या एक से अधिक उक्त आस्थान के ३० जून, १९५२ को स्वामी के रूप में अधिकारी रहे हों तो उनके बीच देय धनराशि को, यदि डिक्री में उनका अपना–अपना दायित्व निर्दिष्ट हो तो, उनके दायित्व के अनुपात में उक्त प्रकार विभाजित करेगा अन्यथा उनके अपने–अपने अंशों के अनुसार, तथा

(३) जब देय धनराशि इस प्रकार विभाजित हो जाय तो अनुसूची १ में दिये हुए सूत्र के अनुसार प्रत्येक बन्धककर्त्ता द्वारा देय धनराशि को कम कर देगा ।

बन्धककर्त्ता अथवा वाद ऋणी को अलग अलग इकाई समझा जायगा ।

५––धारा ३ तथा ४ के प्रयोजनों के निमित्त प्रत्येक बन्धककर्त्ता अथवा वाद-ऋणी जिसका इन धाराओं के अनुसार आस्थान पर अधिकार रहा हो, पृथक् पृथक् इकाई (unit) समझा जायगा ;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति की दशा में कोई भी पिता पुंजातीय वंशानुक्रम में पुंसन्तति (male lineal descen–

dants in the male line of descent) सहित जहां तक संयुक्त सम्पत्ति का सम्बन्ध है, यदि पिता १ जुलाई, १९५२ को जीवित था, एक इकाई समझा जायगा ।

स्पष्टीकरण--८ अगस्त, १९४६ को या इसके बाद कोई बटवारा होने पर भी, परिवार संयुक्त समझा जायगा ।

कम की गई धन-राशि के लिए डिक्री ।

६--(१) देय धनराशि की धारा ३ के अधीन कम हो जाने पर, न्यायालय निम्नलिखित की डिक्री देगा --

(क) उक्त धारा की उपधारा (२) के खंड (क) के अधीन मामलों (cases) में इस प्रकार कम की गई धनराशि के लिये,

(ख) उक्त उपधारा के खंड (ख) के अधीन मामलों में ऐसी धन-राशि के लिये, जो उसके अधीन प्रत्येक बन्धककर्ता के लिये कम की गई धनराशियों के जोड़ (aggregate) के बराबर हो,

(ग) उक्त धारा की उपधारा (३) के खंड (क) के उपखंड (१) के अधीन मामलों में ऐसी धनराशि के लिए जो, आस्थान से भिन्न अन्य सम्पत्ति पर देय धनराशि तथा उक्त उपखंड के अधीन कम की गयी धनराशि के जोड़ के बराबर हो, तथा

(घ) उक्त उपधारा के खंड (क) के उपखंड (२) के अधीन मामलों में, ऐसी धनराशि के लिए जो आस्थान से भिन्न अन्य सम्पत्ति पर देय धनराशि तथा उक्त उपखंड के अधीन प्रत्येक बन्धककर्ता के लिए कम की गयी समस्त (aggregate) धनराशि के जोड़ के बराबर हो,

(२) उपधारा (१) के खंड [(ग)] (ख) और (घ) के अनुसार तैयार की गयी डिक्री में, बन्धक किये गये आस्थानों के सम्बन्ध में प्रत्येक बन्धककर्त्ता के विषय में कम की गयी धनराशि भी अलग-अलग दिखायी जायगी ।

डिक्री की अदायगी ।

७--जब धारा ४ के उपबन्धों के अधीन और उसके अनुसार देय धनराशि कम कर दी जाय तो इस प्रकार कम की गयी डिक्री के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि सभी प्रयोजनों और अवसरों के लिए उसके कम किये हुए अंश का यथावत् भुगतान हो चुका है ।

प्रतिकर की धन-राशि तथा पुनर्वासन अनुदान से ऋण वसूल किया जाना ।

८--(१) किसी अनुबन्ध लेख्य अथवा समय विशेष पर प्रचलित विधि में (agreement, document or law for the time being in force) कोई बात होते हुए भी किन्तु उपधारा (२) के उपबन्धों के अधीन सुरक्षित ऋण के सम्बन्ध में किसी ऐसे वाद में दी गयी डिक्री जिसके विषय में यह अधिनियम प्रवृत्त होता हो,

(क) जहां तक बन्धक किये गये आस्थान के प्रतिकर का सम्बन्ध है, उक्त प्रतिकर की धनराशि की तीन-चौथाई तक ही निष्पादित (execute) हो सकेगी, तथा

(ख) उक्त डिक्री या समय विशेष पर प्रचलित किसी विधि के अधीन डिक्रीदार को प्राप्त प्रत्येक अन्य साधन के अतिरिक्त और उस पर विपरीत प्रभाव डाले बिना, बन्धक किये हुए आस्थान के सम्बन्ध में देय पुनर्वासन अनुदान के विरुद्ध भी अनुदान के तीन-चौथाई भाग तक निष्पादित की जा सकेगी ।

(२) किसी विधि में किसी बात के रहते हुए भी बन्धक किये हुए आस्थानों के सम्बन्ध में धारा ३ या ४ के अधीन यथास्थिति बन्धककर्त्ता या वादऋणी के विषय में कम की गयी धनराशि ऐसे आस्थानों के सम्बन्ध में ऐसे बन्धककर्त्ता या वादऋणी को देय प्रतिकर और पुनर्वासन अनुदान में से ही विधिपूर्वक वसूल की जा सकेगी अन्यथा नहीं।

बन्धों के विरुद्ध असुरक्षित ऋण के सम्बन्ध में डिक्रियों का निष्पादन।

९--सुरक्षित ऋण को छोड़कर अन्य ऋण से सम्बद्ध कोई डिक्री जिसके विषय में यह अधिनियम प्रवृत्त हो, वाद-ऋणी को उसके आस्थान के विषय में प्रतिकर अथवा पुनर्वासन अनुदान के रूप में दिये गये बन्धों (bonds) की कुर्की या नीलाम द्वारा निष्पादित की जाय तो, डिक्री को निष्पादन करने वाला न्यायालय, किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, अनुसूची २ में बताये हुए सूत्र के अनुसार अदायगी प्रमाणित कर देगा।

भरण-पोषण की वृत्ति।

१०--आवश्यक परिवर्तनों के साथ इस अधिनियम के उपबन्ध, ऐसे गुजारा या भरण-पोषण की वृत्ति (Maintenance Allowance) की बक़ाया की वसूली की डिक्री या वाद में, जिनमें कोई भी आस्थान अकेले या अन्य सम्पत्ति सहित बन्धक किया गया हो, अथवा किसी विधि, डिक्री, अनुबन्ध (agreement) अथवा लेख्य के अन्तर्गत अन्य किसी प्रकार से भारित हो, उसी प्रकार लागू होंगे मानो गुजारा या भरण-पोषण की वृत्ति ऋण हो और धारा ३, ४ और ५ के प्रयोजनों के लिए इस प्रकार बन्धक की हुई या भारित सब अचल सम्पत्ति बन्धक की हुई सम्पत्ति समझी जायगी।

स्पष्टीकरण--पद "भरण-पोषण की वृत्ति" (Maintenance Allowance) के अन्तर्गत अवध स्टेट्स ऐक्ट, १८६९ की धारा २४ अथवा यू० पी० इस्टेट्स ऐक्ट, १९२० की धारा १३ के अन्तर्गत " annuity (वार्षिक वृत्ति) " भी है।

नियम बनाने अधिकार।

११--इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के निमित्त पूर्व प्रकाशन के बाद राज्य सरकार नियम बना सकती है।

अनुसूची १

१—धारा ३ और ४ में अभिदिष्ट (referred to) ऋण की कमी के लिए सूत्र (formula)

$$X = \frac{D \times 8}{ME}$$

२—उक्त सूत्र में—

(१) "X" का अभिप्राय धारा ३ और ४ में अभिदिष्ट कम की गयी धनराशि से है।

(२) "D" का अभिप्राय ;

(क) यदि बन्धककर्ता (mortgagor) या वाद-ऋणी (Judgment-Debtor) बन्धक किये हुए आस्थान के स्वामी के नाते एकाई के रूप में (is one unit) अधिकारी रहा हो, तो यथास्थिति निम्नलिखित में अभिदिष्ट धनराशि से है —

(१) धारा ३ की उपधारा (२) के खंड (क), अथवा

(२) उक्त धारा की उपधारा (३) के खंड (क) का उपखंड (१), अथवा

(३) धारा ४ की उपधारा (२) का खंड (क), अथवा

(४) उक्त धारा की उपधारा (३) के खंड (ख) का उपखंड (१), तथा

(ख) यदि उक्त बन्धककर्ता या वाद-ऋणी एक से अधिक हों तो यथास्थिति, निम्नलिखित में अभिदिष्ट प्रत्येक बन्धककर्ता या वाद-ऋणी की विभाजित धनराशि से है—

(१) धारा ३ की उपधारा (२) के खंड (ख) का उपखंड (१), अथवा

(२) उक्त धारा की उपधारा (३) के खंड (क) का उपखंड (२), अथवा

(३) धारा ४ की उपधारा (२) और (३) के खंड (ख) के उपखंड (ii)।

(३) "ME" का अभिप्राय यू० पी० इन्कम्बर्ड स्टेट्स ऐक्ट, १९३४ के अधीन आस्थान के मूल्य अवधारण के लिए गुणक (multiple) से है और जब कोई बन्धककर्त्ता या वाद-ऋणी ऐसे दो या उससे अधिक आस्थानों का स्वामी के रूप में अधिकारी हो जिनके लिए उक्त अधिनियम के अधीन भिन्न गुणकों की व्यवस्था की गयी हो, तो ऐसे आस्थानों के संबंध में गुणकों का औसत जिसकी गणना नियत रीति से की जायगी ;

किन्तु सदैव यह प्रतिबन्ध है कि जहां उक्त अधिनियम के अधीन ME ४० से अधिक हो, तो वह ४० के बराबर समझा जायगा और जहां २० से कम है वहां २० के बराबर समझा जायगा।

अनुसूची २

(देखिए धारा ९)

बेचे गये बन्ध (bond) में अंकित मूल्य के प्रत्येक रुपये के लिए, एसी धनराशि जो उसकी $\frac{ME}{8}$ होगी।

उक्त सूत्र में ME का तात्पर्य वही होगा जो उसका अनुसूची १ के पद २ की मद (३) में है।

उद्देश्य और कारण

जमींदारी उन्मूलन कमेटी ने मध्यवर्तियों के ऋण को कम करने के सम्बन्ध में कुछ सिफ़ारिशें की थीं। उन्होंने यह प्रकट किया था कि वर्तमान विधियों में जमींदारी के विनाश के कारण जमींदारों को अपने ऋण देने की कम हुई क्षमता का कोई समावेश नहीं है। कमेटी को यह उचित और न्याययुक्त प्रतीत हुआ कि जमींदारी विनाश के बाद जमींदारों की भूमि के कम हुए मूल्य के अनुपात में उनका ऋण भी कम कर दिया जाय। सरकार ने कमेटी की विभिन्न सिफ़ारिशों पर विचार किया और अपने निर्णय को इस विधेयक में रक्खा है जो विधान मण्डल के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस विधेयक में निम्नलिखित को देय ऋण के कम करने की व्यवस्था नहीं है :

(१) केन्द्रीय सरकार,

(२) किसी राज्य की सरकार,

(३) स्थानिक अधिकारिकी (लोकल अथारिटी),

(४) अनुसूचित बैंक,

(५) सहकारी संस्था, और

(६) वक्फ़, न्यास (ट्रस्ट) या निबन्ध (इन्डाउमेंट) जो दानोत्तर हों।

विधेयक में डिक्री देते समय सुरक्षित ऋण (सिक्योर्ड डेट) को अथवा निष्पादन से पूर्व ऐसे ऋणों को, जिनके विषय में डिक्री दी गयी हो, कम करने की व्यवस्था की गयी है। सुरक्षित ऋण को कम करने के उपरान्त कम की गयी धनराशि का प्रारम्भिक (ओरिजनल) ऋण से वही अनुपात होगा जो जमींदारी विनाश के उपरान्त जमींदारी के हस्तगत करने के लिए प्रतिकर निर्धारण के निमित्त निश्चित पक्की निकासी में संकलित ऋणी को दिये जाने वाले पुनर्वासन अनुदान के गुणक का उस गुणक के साथ होगा जो उस क्षेत्र के लिए जिसमें जमींदारी स्थित हो, य० पी० इन्कम्बर्ड स्टेट्स ऐक्ट के अधीन नियत किया गया हो, एसे ऋणों का हिसाब, जो सुरक्षित न हों, विधेयक की अनुसूची २ के अनुसार होगा। विधेयक में यह व्यवस्था भी की गयी है कि मध्यवर्ती को मिलने वाले प्रतिकर और पुनर्वासन अनुदान के चौथाई भाग के बराबर धनराशि उसके पास बच रहे।

चरण सिंह,
माल मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिए पीछे पृष्ठ ९ पर)

उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजीशन (कन्टीन्यूएंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई०

यू० पी० ऐक्ट सं० ३१, सन् १९५१
यू० पी० ऐक्ट सं० १२, सन् १९४७

उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजीशन (कन्टीन्यूएंस आफ पावर्स) (संशोधन) अधिनियम, १९५१ ई० में संशोधन करने तथा यू० पी० (टेम्पोरेरी) स्टोरेज रिक्वीजीशन ऐक्ट, १९४७ को और जारी रखने के लिए

विधेयक

क्योंकि यू० पी० (टेम्पोरेरी) स्टोरेज रिक्वीजीशन ऐक्ट, १९४७ को ३१ दिसम्बर, १९५२ तक उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजीशन (कन्टीन्यूएंस आफ पावर्स) (संशोधन) अधिनियम, १९५१ ई०, ऐक्ट द्वारा जारी रक्खा गया था और क्योंकि उक्त ऐक्ट को अब ३१ दिसम्बर, १९५३ ई० तक जारी रखने की व्यवस्था करना है।

इसलिए निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

छोटा शीर्षनाम और आरम्भ

१—(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजीशन (कन्टीन्यूएंस आफ पावर्स) (संशोधन) अधिनियम, १९५२ होगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित हो जायगा।

यू० पी० ऐक्ट सं० ३१, सन् १९५१ की धारा २ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजीशन (कन्टीन्यूएंस आफ पावर्स) (संशोधन) अधिनियम, १९५१ ई० की धारा २ में संख्या "१९५२" के स्थान पर संख्या "१९५३" रख दी जाय।

उद्देश्य और कारण

यू० पी० (टेम्पोरेरी) स्टोरेज रिक्वीजीशन ऐक्ट, १९४७ की अवधि उत्तर प्रदेश के स्टोरेज रिक्वीजीशन (कन्टीन्यूएंस आफ पावर्स) (संशोधन) अधिनियम, १९५१ ई० द्वारा ३१ दिसम्बर, १९५२ ई० तक बढ़ा दी गई थी। उक्त अधिनियम से खाद्यान्न के भरने के स्थानों की और उनके अधिग्रहण करने पर प्रतिकर अवधारित करने की व्यवस्था की गई थी। इस अधिनियम की अवधि उक्त दिनांक पर समाप्त हो जायगी। जब तक खाद्यान्न के नियंत्रण की योजना किसी न किसी रूप में जारी रहेगी, तब तक खाद्यान्न भरने के स्थान की आवश्यकता होगी और फिर यह भी आवश्यक है कि अधिकृत खाद्यान्न भरने के स्थानों पर अधिकार बना रहे। इस उद्देश्य से उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजीशन (कन्टीन्यूएंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५२ प्रस्तुत किया जाता है।

चन्द्रभानु गुप्त,
मंत्री, रसद विभाग।

नत्थी 'च'

(देखिए पीछे पृष्ठ ९ पर)

उत्तर प्रदेश फैमीन रिलीफ फंड (संशोधन) विधेयक, १९५२

यू० पी० फैमीन रिलीफ फंड ऐक्ट, १९३६ में संशोधन करने का विधेयक

कुछ प्रयोजनों के निमित्त, जो यहां पर आगे चलकर प्रतीत होंगे, यह आवश्यक है कि यू० पी० फमीन रिलीफ फंड एक्ट, १९३६ में संशोधन किया जाय :

यू० पी० ऐक्ट सं० १०, १९३६

इसलिये निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

१—(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश फैमीन रिलीफ फंड (संशोधन) अधिनियम, १९५२ होगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

यू० पी० ऐक्ट संख्या १०, १९३६ की धारा ७ की उपधारा (२) का संशोधन

२—यू० पी० फैमीन रिलीफ फंड ऐक्ट, १९३६ की धारा ७ की उपधारा (२) के बाद निम्नलिखित को उपधारा (३) के रूप में जोड़ दिया जाय —

(3) It is hereby declared that any sums required for the purposes of sub-section (2) shall be charged upon the Consolidated Fund of the State."

विधान सभा सचिवालय

उद्देश्य और कारण

यू० पी० फैमीन रिलीफ फंड ऐक्ट, १९३६ की धारा ७ (१) में व्यवस्था की गई है कि फन्ड के लेखे प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में तैयार किये जायेंगे और फन्ड के अन्तर्गत सिक्योरिटियों का मूल्य वर्ष के अंतिम दिन को उनके बाजार मूल्य के अनुसार आंका जायगा। ऐक्ट की धारा ७ (२) के अन्तर्गत यदि इस प्रकार तैयार किये हुये लेखे से पता चले कि फन्ड की अवशेष धनराशि ५५ लाख रुपये से कम है तो इस कमी को दूसरे वित्तीय वर्ष में यथाशीघ्र राज्य के राजस्व से पूरा किया जायगा जब तक कि वर्ष में किसी भी समय विशेष धनराशि ५५ लाख रु० की सीमा तक न पहुंच जाय। यदि १६ लाख रुपये से अधिक की कमी पड़ती हो तो उसे वार्षिक किस्तों में, जिसमें कि आखिरी क़िस्त को छोड़कर कोई भी किस्त १६ लाख रु० से कम न होगी पूरा किया जा सकता है। वित्तीय वर्ष के अन्त में फंड में कमी का पूर्वाभास होने पर बजट के लेखा शीर्षक "५४---दुर्भिक्ष सहायता---ख--दुर्भिक्ष सहायता निधि में संक्रामित धनराशि" में आवश्यक व्यवस्था की जाती है, और उक्त ऐक्ट की धारा ७ (२) में आदेशात्मक निर्देश (मैण्डेटरी डाइरेक्शन) होने के कारण, इस प्रयोजन के लिये उक्त व्यवस्था को प्रभृत विनियोग (चार्ज्ड एप्रोप्रियेशन) के रूप में प्रदर्शित किया जाता था।

अब भारत के संविधान के अनुच्छेद २०२ (३) के अन्तर्गत इस व्यय को राज्य के संचित निधि (कन्सालीडेटेड फन्ड) पर तब तक भारित नहीं किया जा सकता है जब तक कि राज्य विधान मंडल उसे विधि द्वारा ऐसा घोषित न कर दे। इस प्रयोजन के लिये नया विधान बनने तक ऐसे व्यय को मतदेय (वोटेड) माना जा रहा है। संविधान के अनुच्छेद २०३ (२) के अन्तर्गत विधान सभा को यह अधिकार है कि वह किसी भी ऐसे व्यय के लिये जो भारित न हो सहमति (एसेन्ट) दे अथवा सहमति देना अस्वीकार कर दे। यदि सहमति स्वीकृति नहीं की जाती है, तो उक्त ऐक्ट की धारा ७ (२) की दृष्टि से, एक अनियम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, इस स्थिति से बचने के लिय यू० पी० फैमीन रिलीफ फण्ड ऐक्ट, १९३६ में संशोधन करना आवश्यक समझा गया है।

हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम,
वित्त मंत्री।

संसदीय प्रतिष्ठान

नत्थी 'छ'

(देखिये पीछे पृष्ठ १० पर)

उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ विधेयक, १९५२

श्री आचार्य विनोबा भावे द्वारा आरब्ध भू-दान यज्ञ के सम्बन्ध में भूमि के दान तथा उनके बन्दोबस्त को सुकर बनाने के लिये

विधेयक

यह आवश्यक है कि श्री विनोबा भावे द्वारा आरब्ध भू-दान यज्ञ के सम्बन्ध में भूमि के दान को सुकर बनाया जाय और ऐसी भूमि का बन्दोबस्त भूमिहीन व्यक्तियों के साथ किया जाय :

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ

१--(१) इस अधिनियम का नाम "उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ अधिनियम, १९५२" होगा ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा ।

परिभाषायें

२--विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में--

(क) "भू-दान यज्ञ" का तात्पर्य उस आन्दोलन से है जो भूमिहीन व्यक्तियों में वितरण के उद्देश्य से स्वेच्छापूर्वक दान द्वारा भूमि हस्तगत करने के निमित्त श्री आचार्य बिनोवा भावे द्वारा आरब्ध किया गया है ;

(ख) "खाता" का अर्थ वही है जो (holding) को यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९ में दिया गया है ;

(ग) "स्वामी" (owner) का तात्पर्य किसी भूमि के सम्बन्ध में--

(१) उन क्षत्रों में जहां मध्यवर्तियों के अधिकार "rights" १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा ४ के अधीन राज्य सरकार में निहित हो गये हों, यथास्थिति, उसके भूमिधर या सीरदार से है,

(२) उन क्षेत्रों में जहां यूनाइटेड प्राविन्सेज टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९ समय विशेष पर प्रचलित हो, उसके जमींदार (landlord) से है तथा इसके अन्तर्गत माफीदार, (rent free grantee), काश्तकार, रियायती लगान (grantee at a favourable rate of rent), बागदार (grove holder) और उक्त अधिनियम की धारा २१ के खंड (क) से (च) तक में उल्लिखित काश्तकार (tenant) भी हैं,

(३) अन्य क्षेत्रों में, उसके स्वामियों (proprietors) से है और उसके अन्तर्गत ऐसा काश्तकार भी

है जिसका भूमि पर दाय योग्य हस्तांतरणीय स्वत्व (heritable and transferable interest) हो,

(घ) "नियत" (prescribed) का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा नियत से है,

(ङ) "राज्य सरकार" (State Government) का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है, और

(च) इस अधिनियम में जिन शब्दों तथा पदों (words and expressions) की परिभाषा न दी गई हो, उनका तात्पर्य—

(१) उन क्षेत्रों में जिनका अभिदेश खंड (ग) के उपखन्ड (१) में किया गया है, १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम में दिये गये अर्थ से होगा;

(२) उन क्षेत्रों में जिनका अभिदेश उक्त खन्ड के उपखन्ड (२) में किया गया है, यूनाइटेड प्राविन्सेज टेनेन्सी एक्ट, १९३९ ई० में दिये गये अर्थ से होगा;

(३) अन्य क्षेत्रों में, भूमि पर प्रवृत्त होने वाले भौमिक अधिकार (land tenure) से सम्बद्ध विधि में दिये गये अर्थ से होगा।

भूदान यज्ञ समिति की स्थापना और उसका निगमीकरण।

३—उत्तर प्रदेश के लिये एक भू-दान यज्ञ समिति [जो यहां पर आगे चलकर "समिति" (committee) कही जायगी] की स्थापना की जायगी, जिसे सतत अनुक्रम (perpetual succession) प्राप्त होगा और जो एक नियमित संस्था (body corporate) होगी और उसे यह सामर्थ्य प्राप्त होगा कि अपने नैगम नाम (corporate name) से दूसरे पर वाद प्रस्तुत कर सके और दूसरा उस नाम पर उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर सके, वह चल और अचल सम्पत्ति को उपार्जित कर सके, रख सके, उसका प्रशासन और हस्तान्तरण कर सके तथा संविदा भी कर सके।

समिति (committee) का संगठन।

४—(१) समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्

(क) राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन श्री आचार्य विनोबा भावे द्वारा नामांकित सभापति (चेयरमैन)।

(ख) चार प्रतिनिधि, या उससे अधिक किन्तु पांच से अधिक नहीं, जिन्हें श्री आचार्य विनोबा भावे नामांकित करेंगे।

(२) यदि, राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में निश्चित किये गये दिनांक या बढ़ाये गये किन्हीं दिनों के पूर्व, सभापति (चेयरमैन) या सदस्य का नामांकन न किया जाय तो ऐसे पदों या स्थानों पर, जो इस प्रकार रिक्त रह जायें, राज्य सरकार सभापति (चेयरमैन) या सदस्यों की यथास्थिति नियुक्ति करेगी।

(३) सभापति (चेयरमैन) तथा सदस्यों का नामांकन या उनकी नियुक्ति नियत रीति के अनुसार गजट में विज्ञापित की जायगी।

(४) समिति के सभापति और सदस्य उपधारा (३) के अधीन विज्ञप्ति के दिनांक से चार वर्ष के लिये अपने पद पर कार्य करेंगे और वे पुनर्नियुक्ति या पुनर्नामांकन के यथास्थिति योग्य होंगे।

५--(१) यदि किसी भी समय राज्य सरकार को यह सन्तोष हो जाय कि--
(क) समिति ने इस अधिनियम के अधीन या द्वारा लगाये गये कर्तव्यों का पालन या दिये गये कार्यों का सम्पादन किसी उपयुक्त कारण या अपदेश के (without reasonable cause or excuse) बिना नहीं किया है,
(ख) ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है कि इस अधिनियम के अधीन या द्वारा लगाये गये कर्तव्यों का पालन या दिये गये कार्यों का सम्पादन करने में समिति असमर्थ हो गई है या हो सकती है, या
(ग) अन्य कारणों से ऐसा करना उपयुक्त या आवश्यक है,
तो वह सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके--
(क) समिति को ऐसी अवधि के लिये जो निर्दिष्ट की जाय, भंग कर सकती है,
(ख) यह निदेश कर सकती है कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार समिति को पुनः संगठित किया जाय, और
(ग) यह प्रख्यापित कर सकती है कि इस अधिनियम के अधीन, उस अवधि के लिए जिसके लिये समिति भंग की गई हो, समिति के कर्तव्यों, अधिकारों और कार्यों का पालन, प्रयोग और सम्पादन ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी (authority) द्वारा और ऐसे निरोधों (Restrictions) के साथ जो नियत किये जायं, किया जायगा।

समिति को भंग किया जाना।

(२) राज्य सरकार ऐसे आनुषंगिक और पारिणामिक उपबन्धों (provisions) कर सकती है जो इस प्रयोजन के लिये आवश्यक प्रतीत हों।

६--समिति में होने वाली आकस्मिक रिक्तियों को भरने का ढंग, उसके कार्य करने की प्रक्रिया (procedure) तथा उसके कार्यों का प्रचालन वही होगा जो नियत किया जाय।

आकस्मिक रिक्तियां तथा समिति के सम्बन्ध में अन्य विषय।

७--(१) समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने में निहित सभी भूमियों का प्रबन्ध भू-दान यज्ञ के हित में करे।

समिति के कर्तव्य।

(२) समिति भू-दान यज्ञ के प्रयोजन के लिए ऐसे अन्य कार्य करेगी तथा उसे ऐसी अन्य शक्तियां प्राप्त होंगी जो ऐसी भूमि के सम्बन्ध में आवश्यक हों।

८--(१) समय विशेष पर प्रचलित किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जो भूमि का स्वामी हो, इस निमित्त नियत रीति से लिखित प्रख्यापन द्वारा (जिसे यहां पर आगे चलकर भूदान प्रख्यापन कहा जायगा) ऐसी भूमि का दान और अनुदान (donate and grant) कर सकता है।

भू-दान यज्ञ के लिये भूमि का दान।

(२) भू-दान प्रख्यापन उसके किये जाने के पश्चात् तुरन्त ही तहसीलदार के यहां प्रस्तुत कर दिया जायगा।

९--भू-दान प्रख्यापन प्राप्त होने पर तहसीलदार--
(क) उसे उज्रदारियों के लिये प्रकाशित करेगा, और
(ख) ऐसी भूमि में दाता के अधिकार, आगम और स्वत्व की सरसरी तौर से जांच करेगा।

प्रख्यापन का प्रकाशन तथा उसके सम्बन्ध में जांच

भू-दान के लिये समर्थदाता ।

१०--१९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम (यूनाइटेड प्राविन्सेज टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९ या भौमिक अधिकार से सम्बद्ध), किसी अन्य विधि में, जो लागू होती हो किसी बात के होते हुए भी कोई स्वामी भू-दान यज्ञ में ऐसी भूमि को,जो उनके पास उक्त रूप में हो, दान करने के निमित्त इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये समर्थ होगा ।

उज्रदारियों का प्रस्तुत किया जाना, उनकी सुनवाई और उनका निस्तारण

११--(१) कोई भी व्यक्ति, जिसके स्वत्वों पर धारा ८ के अधीन किये गये भू-दान प्रख्यापन का प्रभाव पड़ता हो, उक्त प्रख्यापन के प्रकाशन के दिनांक से ३० दिन के भीतर उसके सम्बन्ध में तहसीलदार के समक्ष उज्रदारी कर सकता है ।

(२) तहसीलदार ऐसी प्रत्येक उज्रदारी को, रजिस्टर में दर्ज करेगा और उसकी सुनवाई के लिये दिनांक निश्चित करेगा जिसकी सूचना प्रख्यापन करने वाले व्यक्ति, उज्रदारी करने वाले व्यक्ति तथा सम्बद्ध गांव पञ्चायत को दी जायगी ।

(३) सुनवाई के दिनांक पर या किसी ऐसे अन्य दिनांक पर, जिसके लिये सुनवाई स्थगित की जाय, तहसीलदार उज्रदारी की जांच-पड़ताल और निस्तारण की कार्यवाही आरम्भ कर देगा और धारा १२ के उपबन्धों को बाधित न करते हुए --

(क) या तो भू-दान प्रख्यापन को पुष्ट (confirm) करेगा, अथवा

(ख) उसे अधिक्रान्त (supersede) कर देगा ।

(४) यदि तहसीलदार भू-दान प्रख्यापन को पुष्ट कर देता है, तो समय विशेष पर प्रचलित किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी स्वामी (owner) के ऐसी भूमि में सभी अधिकार, आगम और स्वत्व भू-दान यज्ञ के प्रयोजनों के निमित्त भू-दान समिति को हस्तांतरित तथा उसमें निहित हो जायेंगे ।

(५) यदि उपधारा (३) के अन्तर्गत तहसीलदार भू-दान प्रख्यापन को अधिक्रान्त कर दे तो उक्त दान निरस्त हो जायगा और स्वामी के ऐसी भूमि में सभी अधिकार, स्वत्व और आगम उसी प्रकार प्रचलित रहेंगे मानो कि ऐसा कोई दान किया ही न गया हो ।

भूमि जिनका दान नहीं दिया जा सकता ।

१२--किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी कोई स्वामी इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त किसी ऐसी भूमि का दान नहीं कर सकता है जो निम्नलिखित वर्गों में से किसी के भी अन्तर्गत हो, यथा--

(क) ऐसी भूमि जो दो या दो से अधिक खातेदारों (tenure-holders) के संयुक्त खाते का भाग हो, जब तक कि सभी खातेदार दान के लिये सहमत न हों ;

(ख) ऐसी भूमि जो दान के दिनांक पर सार्वजनिक पशुचर भूमि, श्मशान अथवा कब्रिस्तान, तालाब, रास्ता अथवा खलिहान के रूप में अभिलिखित (recorded) हो,

(ग) अन्य ऐसी भूमि जिसे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा निर्दिष्ट करे ।

इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व दान दी हुई भूमि ।

१३--(१) यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व कोई भूमि भू-दान यज्ञ में दान दी गई हो तो कलेक्टर उन भूमियों को छोड़कर, जिन पर धारा १२ के उपबन्ध लागू होते हों, ऐसी सभी भूमियों की सूची तैयार करेगा और उसमें निम्नलिखित प्रदर्शित होंगे--

(क) भूमि का क्षेत्रफल तथा अन्य ब्योरे ;
(ख) दाता का नाम,
(ग) ऐसी भूमि में दाता के स्वत्व का प्रकार ;
(घ) यदि ऐसी भूमि भू-दान यज्ञ के अनुसार किसी व्यक्ति को अनुदान की जा चुकी हो तो उस व्यक्ति का नाम जिसे भूमि अनुदान की गई हो [जिसे आगे चलकर अनुदानगृहीता (grantee) कहा गया है];
(ङ) उपखंड (घ) के अन्तर्गत अनुदान (grant) का दिनांक, और
(च) ऐसे अन्य ब्योरे जो नियत किये जायं।

(२) इस प्रकार तैयार की गई सूची नियत रीति से प्रकाशित की जायगी।

(३) उपधारा (२) के अन्तर्गत सूची प्रकाशित होने पर किसी विधि में किसी विपरीत बात के होते हुए भी--

(क) दाता के ऐसी भूमि में अधिकार, आगम तथा स्वत्व, दान के दिनांक से भू-दान यज्ञ समिति को हस्तांतरित तथा उसमें निहित समझे जायेंगे मानो कि धारा ८ तथा धारा ११ की उपधारा (३) के अनुसार भू-दान यज्ञ प्रख्यापन विधिवत् किया गया था तथा उस सम्बन्ध में पुष्ट हुआ था।

(ख) यदि ऐसी भूमि का भू-दान यज्ञ के अनुसार किसी व्यक्ति को अनुदान कर दिया गया हो, तो उक्त भूमि अनुदान के दिनांक से धारा १४ के उपबन्धों के अधीन तथा अनुसार अनुदान-गृहीता को अनुदान की गई भी समझी जायगी।

भूमिहीन व्यक्ति को भूमि का प्रदान।

१४--समिति अथवा अन्य कोई प्राधिकारी अथवा व्यक्ति जिसे समिति राज्य सरकार की स्वीकृति से सामान्यतः अथवा क्षेत्र विशेष के सम्बन्ध में निर्दिष्ट करे, समिति में निहित भूमि भूमिहीन व्यक्तियों को नियत विधि से अनुदान कर सकते हैं, और भूमि का अनुदान गृहीता --

(१) यदि भूमि किसी ऐसे आस्थान में स्थित हो जो १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमीन्दारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा ४ के अन्तर्गत और अनुसार राज्य सरकार में निहित हो गयी हो, ऐसी भूमि में सीरदार के अधिकार तथा दायित्व उपार्जित करेगा, और

(२) यदि भूमि किसी अन्य क्षेत्र में स्थित हो तो ऐसे अधिकार और दायित्व एवं ऐसे प्रतिबन्धों, निरोधों और सीमाओं (such conditions, restrictions and limitations) के अधीन जो नियत किये जायं, उपार्जित करेगा, तथा अन्य किसी विधि में किसी विपरीत बात के होते हुए भी ये सप्रभाव होंगे।

भू-दान यज्ञ योजना के अनुसार ही प्रदान (ग्राण्ट) दिये जायेंगे

१५--सभी अनुदान जहां तक संभव होगा भू-दान यज्ञ योजना के अनुसार ही किये जायेंगे।

रजिस्ट्री तथा स्टाम्प ड्यूटी से मुक्ति।

१६--धारा ८ के अधीन किया गया या किया हुआ समझा गया भूदान प्रख्यापन अथवा धारा १४ के अधीन किया गया या किया हुआ समझा गया भूमि का अनुदान किसी विधि में किसी विपरीत बात के होते हुए भी रजिस्ट्री और लेख्यों के निष्पादन से सम्बद्ध विधि के अन्तर्गत स्टाम्प ड्यूटी की

अदायगी और रजिस्ट्री अथवा साक्षीकरण (ऐटेस्टेशन) से मुक्त रहेगा और सर्वदा मुक्त समझा जायगा ।

नियम बनाने का अधिकार ।

१७—(१) इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार नियम बना सकती है ।

(२) पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता को बाधित न करते हुए, ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिये व्यवस्था की जा सकेगी —

(क) समिति की स्थापना, संगठन तथा इसके सभापति अथवा सदस्यों के जैसी भी दशा हो, नामांकन और नियुक्ति से सम्बद्ध विषय ;

(ख) भू-दान प्रख्यापन का आकार-पत्र तथा रीति जिसमें वह प्रस्तुत किया जायगा ;

(ग) भू-दान प्रख्यापन के साथ साथ तत्थी किये जाने वाले लेख्य ;

(घ) भू-दान प्रख्यापन के प्रकाशन की रीति;

(ङ) धारा ९ के अधीन जांच का प्रकार, क्षेत्र तथा रीति ;

(च) उज्रदारियां प्रस्तुत करने तथा इनके दर्ज करने की रीति ;

(छ) उज्रदारियों की सुनवाई के लिये दिनांक का निश्चित किया जाना;

(ज) इस अधिनियम के अन्तर्गत नोटिसों की तामील की रीति और ढंग,

(झ) धारा ११ के अन्तर्गत उज्रदारियों की सुनवाई तथा निस्तारण में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(ञ) प्रख्यापन के पुष्टीकरण अथवा अधिक्रान्त करने से सम्बद्ध प्रक्रिया;

(ट) धारा १४ के अनुसार भूमि अनुदान से सम्बद्ध विषय, और

(ठ) वे विषय जो नियत किये जाने वाले हों और नियत किये जाय ।

उद्देश्य और कारण

गत शीत ऋतु में आचार्य विनोबा भावे ने इस राज्य के भूमि विहीन व्यक्तियों में वितरित किये जाने के हेतु भूमि प्राप्त करने के प्रयोजन से भू-दान यज्ञ आन्दोलन प्रारम्भ किया। इस राज्य की जनता ने इस योजना के प्रति अत्यन्त उत्साह प्रकट किया। जमींदारों और कृषकों ने भी आचार्य जी को अपनी-अपनी भूमि का दान दिया तथापि इस कार्य में कई विधिक कठिनाइयां थीं। जमींदारों द्वारा दिये गये दान १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा २३ के उपबन्धों के अनुसार ठीक नहीं थे। कृषकों को दान द्वारा अपनी भूमि-दान करने का कोई अधिकार ही प्राप्त नहीं था। उक्त तथा ऐसी ही अन्य विधिक कठिनाइयों को दूर करना तथा भू-दान यज्ञ में भूमि-दान देने और भूमि विहीन व्यक्तियों में वितरण के विषय में आन्दोलन की लक्ष्य सिद्धि ही, विधेयक का उद्देश्य है।

चरण सिंह,
माल मंत्री।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ज'

(देखिये पीछे पृष्ठ १० पर)

उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (संशोधन) विधेयक, १९५२

यू० पी० ऐक्ट २, १९१४।

कुछ प्रयोजनों के निमित्त यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ को संशोधित करने का

विधेयक

यू० पी० ऐक्ट २, १९१४।

कुछ प्रयोजनों के निमित्त जो यहाँ पर आगे चलकर प्रतीत होंगे, यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ को संशोधित करना आवश्यक है,

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

१—(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (संशोधन) अधिनियम, १९५२ होगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

यू० पी० ऐक्ट २, १९१४ की धारा २ का संशोधन।

२—यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ (जिसे यहाँ पर आगे चलकर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २ में से—

(१) खंड (९) निकाल दिया जाय,

(२) खंड (११) के बाद निम्नलिखित नये खंड (१२), (१३), (१४), (१५) और (१६) के रूप में दिये जायं।

"(12) "election" means an election to fill a seat on a Committee;

(13) "elector", in relation to a ward, means a person whose name is for the time being entered in the electoral roll of that ward;

(14) "Director of Elections (Local Bodies)" means an officer appointed by the State Government in this behalf by notification in the official *Gazette* and includes an officer whom the State Government may similarly appoint to perform the duites and functions of the Diretctor of Elections (Local Bodies) in any area or for any class of local authorities;

(15 "ward" means a ward provided by or under the Act; and

(16) words and expressions not defined in this Act but used in the U. P. Municipalities Act, 1916, shall have the meaning assigned to them in that Act."

यू० पी० ऐक्ट २, १९१४ की धारा ५ का संशोधन।

३—मूल अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (२) से (६) और उनके नीचे दिये हुये स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

'(2) The Committee shall consist of—

(*a*) the Chairman; and

(*b*) the elected members who shall not be less than nine and be not more than fifteen, as the State Government may, by notification in the official *Gazette*, specify."

४—मूल अधिनियम की धारा ५ के बाद निम्नलिखित नयी धारा ५-ए के रूप में रख दिया जाय—

यू० पी० ऐक्ट २, १९१४ में नयी धारा ५-ए का रखा जाना।

"5-A. (1) Seats shall be reserved for Scheduled Castes in each Committee ;

Reservation of seats for Scheduled Castes.

(2) The number of seats reserved under sub-section (1) shall bear as nearly as may be the same proportion to the total number of seats on the Committee as the population of the Scheduled Castes in the town area bears to its total population as determined at the last census held under the provisions of the Indian Census Act, 1950."

५—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

यू० पी० ऐक्ट २, १९१४ की धारा ६ का संशोधन।

"6. Except as provided in section 36, the term of a Committee shall be four years :

Term of Committee and members, etc.

Provided that the State Government may, by notification in the official *Gazette*, extend from time to time the term of all or any Committee so, however, that the total extension does not in the aggregate exceed two years.

(2) The term of a Committee shall begin from the date of notification issued in pursuance of the provisions of section 6-H that the Committee has been constituted.

(3) The term of office of a member elected to fill a casual vacancy shall be for the remainder of the Committee.

(4) If a member of a Committee wishes to resign, he shall forward his resignation in writing under his hand, addressed to the prescribed authority, and where no authority has been prescribed, to the District Magistrate, and the member shall be deemed to have vacated his office from the date of receipt by the Committee of information that his resignation has been accepted by the prescribed authority or District Magistrate, as the case may be.

(5) An outgoing member shall, if otherwise qualified, be eligible for re-election."

यू० पी० ऐक्ट २, १९१४ में नयी धाराओं का बढ़ाया जाना।

६— मूल अधिनियम की धारा ६ के बाद निम्नलिखित नयी धाराएं 6-A से लेकर 6-K तक के रूप में रखी जायं :—

"6-A, The election of the members of a Committee shall be on the basis of adult suffrage.

Elections on the basis of Adult Suffrage.

6-B. For purposes of elections of members of a Committee there shall be wards provided by Order issued under section-6-H.

Delimitation of Wards

6-C. There shall be an electoral roll for every ward which shall be prepared in the manner provided for by or under this Act under the supervision of the Director of Elections (Local Bodies).

Electoral roll for every ward.

6-D. Except as provided in section 36, there shall be a general election to a committee before the expiry of the term or the extended term, as the case may be, of the Committee under section 6 on such date or dates as the State Government may, by notification in the official *Gazette*, appoint in this behalf.

General Election.

6-E. The Director of Elections (Local Bodies) shall supervise the conduct of elections under this Act.

Election to be supervised by the Director of Elections (Local Bodies).

6-F. (1) No person who is not, and except as expressly provided by this Act, every person who is, for the time being entered in the electoral roll of any ward, shall be entitled to vote in that ward.

Right to vote.

(2) No person shall vote at an election in any ward if he is subject to any of the disqualifications provided for by or under this Act.

(3) No person shall vote at a general election in more than one ward, and if a person votes in more than one such ward, his votes in all such wards shall be void.

(4) No person shall at any election vote in the same ward more than once, notwithstanding that his name may have been registered in the electoral rolls for that ward more than once, and if he does so vote, all his votes in that ward shall be void.

(5) No person shall vote at any election if he is confined in a prison whether under a sentence of imprisonment or transportation or otherwise, or is in the lawful custody of the Police.

6—G. (1) In plural member wards every elector shall have as many votes as there are members to be elected but no elector shall give more than one vote to any one candidate;

Method of voting.

(2) If an elector gives more than one vote to any one candidate in contravention of the provisions of sub-section (1) then, at the time of counting of votes, not more than one of the votes given by him to such candidate shall be taken into account and all other votes given by him to such candidate shall be rejected as void.

6—H. The State Government may by Order, apply to an election under this Act, the provisions of the U. P. Municipalities Act, 1916, regarding :

Applications of the provisions of U. P. Act II of 1916, *rep.* Delimitation of Wards, Electoral Rolls and conduct of elections.

(*a*) delimitation of wards for purposes of elections ;

(*b*) preparation and publication of electoral rolls for each ward including qualifications and disqualifications for registration in the electoral rolls ;

(*c*) the conduct of elections ;

(*d*) the removal of disqualifications ;

(*e*) the decision on doubts or disputes relating to elections ;

(*f*) bye-elections ;

(*g*) the electoral offences and corrupt practices in such elections ; and

(*h*) all other matters concerning the conduct of elections and the due constitution of committee ;

subject to such adaptations whether by way of modification, addition, or omission, but not effecting the substance, as it may deem to be necessary and expedient.

6—I. (1) No Civil Court shall have jurisdiction—

Jurisdiction of Civil Courts.

(*a*) to entertain or adjudicate upon any question whether any person is or is not entitled to be registered in an electoral roll of a ward ; or

(*b*) to question the legality of any action taken by or under the authority of an Electoral Registration Officer or of any decision given by any authority appointed under this Act, for the revision of any such roll ; or

(*c*) to question the legality of any action taken or any decision given by the Returning Officer or by any other Officer appointed under this Act in connexion with an election.

(2) No election shall be called in question except by an election petition presented in accordance with the provisions of this Act.

Qualifications for membership of Committee.

6-J. A person shall not be qualified to be chosen to fill a seat on a Committee, unless—

(*a*) in the case of a seat reserved for the Scheduled Castes, he is member of any of these castes and is an elector for any ward in the Town Area; and

(*b*) in the case of any other seat, he is an elector for any ward in the Town Area.

Disqualifications for members and Chairman.

6-K. A person, notwithstanding that he is otherwise qualified, shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member or Chairman of a Committee, if he—

(*a*) is a dismissed servant of the State or Central Government and is debarred from re-employment therein, or

(*b*) is debarred from practising as a legal practitioner by order of any competent authority, or

(*c*) holds any place of profit in the gift or disposal of the Committee, or

(*d*) has entailed disqualification for membership of a Committee on account of any corrupt practice relating to an election under this Act, or

(*e*) is disqualified under section 146 of the Representation of the People Act, 1951, or

(*f*) is in the service of the State or the Central Government or any local Authority, or is a District Government Counsel or an Additional or Assistant Government Counsel or Honorary Magistrate or an Honorary Munsif or an Honorary Assistant Collector, or

(*g*) is unable to read and write Hindi."

यू० पी० ऐक्ट २, १९१४ की धारा ७ का निकाला जाना।

७—मूल अधिनियम की धारा ७ निकाल दी जायगी।

८--मूल अधिनियम की धारा ७-ए की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जायंगी--

यू० पी० ऐक्ट २, १९१४ की धारा ७-ए का संशोधन।

"(1) The prescribed authority or, where an authority has not been prescribed, the District Magistrate, may remove a Chairman or any member of the Committee who, in his or its opinion,--

(*a*) has been guilty of gross misconduct or failure in the discharge of his duties, or

(*b*) has failed to pay for a period of more than one year any taxes or other dues payable by him to the Committee :

Provided firstly, that before making an order removing the Chairman or the member, as the case may be, he shall be allowed an opportunity to submit his explanation on the charge or charges against him :

Provided, secondly, that no order for the removal of the Chairman shall take effect unless it is confirmed by the State Government.

(1-A) The State Government may on the recommendation of the prescribed authority referred to in sub-section (1) or the District Magistrate, as the case may be, place under suspension a Chairman or member against whom action has been commenced under sub-section (1) and, where the Chairman or the member has been so suspended, he shall not for so long as the Order of suspension is in force, be entitled—

(*a*) to exercise the powers or perform the duties imposed upon him by or under this Act or any other enactment for the time being in force, and

(*b*) to take part in any proceedings of the Committee.

९--मूल अधिनियम की धारा ८-ए में--

यू० पी० ऐक्ट २, १९१४ की धारा ८-ए का संशोधन।

(१) खंड (३) में शब्द "Resignation of Chairman" के बाद शब्द, "or where the election has been set aside in pursuance of an election petition presented under this Act" रख दिये जायं।

(२) खंड (४) में शब्द "of office of the members" निकाल दिये जायं, और

(३) खंड (४) के बाद निम्नलिखित नया खंड (4-A) के रूप में रख दिया जायगा--

"(4-A) No election of the Chairman shall be called in question except by an election petition presented to such authority and in such manner as may be provided for by or under this Act."

यू० पी० ऐक्ट २, १९१४ की धारा १० का संशोधन।

१०--मूल अधिनियम की धारा १० की उपधारा (२) में शब्द और संख्या "Rs. 15" के स्थान पर शब्द और संख्या "Rs. 30" रख दिये जायंगे।

यू० पी० ऐक्ट २, १९१४ में एक नयी धारा ११-ए का रखा जाना।

११--मूल अधिनियम की धारा ११ के बाद निम्नलिखित नई धारा (11 A) के रूप में रख दी जाय--

Appointment of Accounts Officers.

"11-A. A Committee, if so required by the State Government, shall employ an Accounts Officer nominated by the State Government either exclusively or jointly with one or more local authorities on such terms and conditions as may be prescribed by the State Government."

यू० पी० ऐक्ट २, १९१४ की धारा १४ का संशोधन।

१२--मूल अधिनियम की धारा १४-क की उपधारा (१) में वर्तमान खंड (एफ) के बाद निम्नलिखित नया खंड (जी) रखा जाय--

"(g) any other tax being one of the taxes mentioned in sub-section (1) of section 128 of the U. P. Municipalities Act, 1916;"

यू० पी० ऐक्ट १, १९१४ की धारा ३६ का संशोधन।

१३--मूल अधिनियम की धारा ३६ की उपधारा (२) के खंड ((ए)) में शब्द "reconstituted" के बाद शब्द "as though the term fixed under section 6 had expired" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट २, १९१४ की धारा ३९ का संशोधन।

१४--मूल अधिनियम की धारा ३९ में से खंड (ए), (बी) और (सी) निकाल दिये जायं।

संसदीय प्रलेख

उद्देश्य तथा कारण

स्थानीय संस्थाओं के चुनाव का आधार वयस्क मतदान के होने तथा संविधान द्वारा साम्प्रदायिक निर्वाचन की प्रथा को हटा देने के कारण, टाउन एरिया कमेटियों के निर्वाचन से संबद्ध विधि में संशोधन करना आवश्यक हो गया है। अतएव यह विचार है कि उक्त उपबन्धों को जहां तक सम्भव हो राज्य विधान मंडल तथा संसद् से संबद्ध विधि एवं नियमों के अनुसार कर दिया जाय। इस उद्देश्य से विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि टाउन एरिया कमेटियों के निर्वाचन के प्रयोजनों के निमित्त, राज्य विधान सभा की निर्वाचन नामावली को स्वीकृत कर लिया जाय। विधेयक में यह भी व्यवस्था की गई है कि निर्वाचन का परिचालन उसी प्रकार किया जाय जैसा कि राज्य विधान मंडल के लिये होता है। टाउन एरियाज ऐक्ट में अल्प संख्यक जातियों के स्थानों की सुरक्षा को हटा दिया गया है, किन्तु संविधान के उपबन्धों के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिये जन-गणना के आधार पर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है।

इस अवसर पर ऐसे अन्य संशोधन भी किये गये हैं जो आवश्यक प्रतीत हुये हैं। उदाहरण के लिये निम्नलिखित हैं :—

सभापति और सदस्यों के मुअत्तल करने का अधिकार, एकाउन्टस अफसरों की नियुक्ति, टाउन एरिया द्वारा वर्तमान करों के अतिरिक्त म्युनिसिपल करों का लगाया जाना और कमेटी के सेवकों को दंड देने का सभापति का अधिकार।

विधेयक तदनुसार प्रस्तुत किया जाता है।

मोहन लाल गौतम,
स्थानीय स्वशासन मंत्री
उत्तर प्रदेश।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'झ'

(देखिए पीछे पृष्ठ १० पर)

उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई०

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१।

कुछ प्रयोजनों के लिये, १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम को संशोधित करने का

विधेयक

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१।

यह आवश्यक है कि कुछ प्रयोजनों के लिये, जो यहां पर आगे चल कर प्रतीत होंगे, १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम में संशोधन किया जाय;

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है--

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रारंभ।

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९५२ कहलायेगा।

(२) इसे, इसकी धारा ३४ को छोड़कर जो तत्काल प्रचलित हो जायगी, दिनांक १ जुलाई, १९५२ ई० से प्रचलित समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा ३ का संशोधन।

२--१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम (जिसे आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ३ में:--

(१) खंड (११) निकाल दिया जाय:

(२) खंड (२६) में:--

(क) शब्द "दवामी काश्तकार" के पहले शब्द "क्षेत्रपति" रख दिया जाय, एवं "Permanent tenure holder" से पहले "Land holder" रख दिया जाय; और

(ख) शब्द "सीर" के बाद शब्द "काश्तकार" रख दिया जाय, एवं "Sir" के बाद "Tenant" रख दिया जाय;

(३) खंड (२७) के बाद निम्नलिखित नये खंड (२८) के रूप में रख दिया जाय:--

"(२८) भाग १ में निजी जोत की भूमि के बारे में किसी भी अभिदेश (reference) का तात्पर्य, अवध के पट्टेदार दवामी या इस्तमरारी के नाते, उसकी निजी जोत के अन्तर्गत भूमि से है।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा ६ का संशोधन।

३--मूल अधिनियम की धारा ६ में:

(१) खंड (क) के उपखंड (१) में शब्द "(गांव की आबादी, खातों और बागों के भीतर स्थित निजी कुओं से भिन्न) कुओं" निकाल दिये जायं; और

उ० प्र० अधिनियम ३, १९४९।

(२) खंड (घ) में शब्द "हो" और "ऐसे" के बीच में शब्द "या १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय कृषि-आय-कर ऐक्ट के अन्तर्गत कृषि आय पर लगाये गये कर की ऐसे समय की बकाया" रख दिये जायं।

४—मूल अधिनियम की धारा ९ में शब्द "ऐसे सब निजी कुएं, जो खातों, बाग अथवा आबादी में हों या" और शब्द "उन कुओं या" निकाल दिये जायं । उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा ९ का संशोधन।

५—मूल अधिनियम की धारा १० की :— उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा १० का संशोधन।

(१) उपधारा (१) में शब्द "वार्षिक मालगुजारी पर देय हो" और शब्द "उस भूमि का मौरूसी काश्तकार" के बीच में शब्द" या मातहतदार, अदना मालिक या दवामी काश्तकार की दशा में उसके द्वारा प्रतिवर्ष देय लगान २५० रुपये से अधिक हो" रख दिये जायं।

(२) उपधारा (१) के बाद निम्नलिखित, नयी उपधारा (१—क) के रूप में रख दिया जाय:—

"(१—क) जब भूमि दो या दो से अधिक मध्यवर्तियों की संयुक्त सीर हो जिनमें से केवल कुछ मध्यवर्ती उपधारा (१) में उल्लिखित श्रेणी के हों, तो काश्तकार, भूमि के उस भाग का मौरूसी काश्तकार समझा जायगा, जो उक्त भूमि में उपधारा (१) में उल्लिखित मध्यवर्तियों के अंश के अनुपात में हो; और

(३) उपधारा (२) में शब्द और संख्या "उपधारा (१)" के स्थान पर शब्द और संख्या "उपधारा (१) और (१—क)" रख दिए जायं।

६—मूल अधिनियम की धारा १५ की उपधारा (१) में शब्द "मध्यवर्ती के पास" और शब्द "कोई भूमि" के बीच म शब्द "उस भूमि को छोड़ कर जिसमें धारा १० या १६ के अन्तर्गत मौरूसी अधिकार उत्पन्न होते हों तथा जो पट्टा दवामी अथवा इस्तमरारी पर ली गयी हो" रख दिये जायं। उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा १५ का संशोधन।

७—मूल अधिनियम की धारा १६ के अन्तर्गत स्पष्टीकरण के खंड (१) में:— उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा १६ का संशोधन।

(१) उपखंड (क) में शब्द "स्थानिक कर देने वाले" तथा शब्द "अथवा" के बीच में निम्नलिखित रख दिया जाय:

"या मातहतदार, अदना मालिक अथवा दवामी काश्तकार की दशा में, ऐसे मध्यवर्ती जिसके द्वारा देय लगान २५० रु० प्रतिवर्ष से अधिक हो।"

(२) उपखंड (ख) अर्थात् शब्द "धारा १० की उपधारा (२) में अभिदिष्ट मध्यवर्ती" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

"(ख) ऐसा मध्यवर्ती, जो निहित होने के दिनांक पर धारा १० की उपधारा (२) के खंड (१) से (६) तक में निर्दिष्ट वर्गों में से किसी वर्ग का व्यक्ति हो।"

८—मूल अधिनियम की धारा १७ में शब्द "सीर न समझी जायगी" के बाद का सारा अंश निकाल दिया जाय। उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा १७ का संशोधन।

९—मूल अधिनियम की धारा १८ की उपधारा (१) में:— उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा १८ का संशोधन।

(१) खंड (घ) के बाद शब्द "अथवा" रखकर निम्नलिखित नये खंड (ङ) के रूप में जोड़ दिया जाय:

"(ङ) बागदार के पास हो," और

(२) शब्द "पट्टेदार या काश्तकार" के स्थान पर शब्द "पट्टेदार, काश्तकार, माफीदार, या बाग़दार" रख दिये जायं।

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा १९ का संशोधन।

१०--मूल अधिनियम की धारा १९ में:--

(१) शब्द "रही समझी जाय," और शब्द "यह समझा जाय" के बीच में शब्द "उस दशा को छोड़कर जिसकी व्यवस्था धारा १८ की उपधारा (१) के खंड (ध) में दी गयी है" रख दिये जायं।

(२) खंड (७) के अन्त में शब्द "और" रख दिया जाय;

(३) खंड (८) निकाल दिया जाय; और

(४) वर्तमान खंड (९) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय:--

"धारा १७ में अभिदिष्ट ऐसी सब भूमि जो उक्त दिनांक पर किसी व्यक्ति के पास दवामी या इस्तमरारी पट्टे पर हो।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा २० का संशोधन।

११--मूल अधिनियम की धारा २० में:--

(१) खंड (क) में शब्द "सीर का ऐसा काश्तकार" के पहले शब्द "उस स्थिति को छोड़कर जिसकी व्यवस्था खंड (ग) में की गयी है" रख दिये जायं,

(२) खंड (ख) में शब्द "बाग भूमि से भिन्न" के पहले शब्द "उस स्थिति को छोड़ जिसकी व्यवस्था खंड (ग) में की गयी है" रख दिए जायं।

(३) खंड (ग) में:--

(क) शब्द "जिसका नाम" के बाद शब्द "बाग भूमि या" रख दिये जायं।

(ख) उपखंड (१) में शब्द "निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर उस भूमि पर काबिज रहा हो या जिसे उक्त दिनांक पर यूनाइटेड प्राविन्सेज टेनेंसी (अमेंडमेंट) ऐक्ट, १९४७ की धारा २७ की उपधारा (१) के खंड (सी) [Clause (c)] के अनुसार कब्जा वापस पाने का अधिकार हो" के स्थान पर शब्द "१३५६ फसली में उस भूमि पर काबिज रहा हो" रख दिये जायं।

(ग) उपखंड (२) में शब्द "और जो पूर्वोक्त दिनांक पर उस भूमि पर काबिज रहा हो" निकाल दिये जायं, और

(४) खंड (ग) के बाद निम्नलिखित, नया खंड (घ) के रूप में जोड़ दिया जाय:--

"(घ) ऐसा व्यक्ति जो ऐसी भूमि का जिसे धारा १६ लागू होती हो, अध्यासी (occupant) के रूप में --

(१) यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू, ऐक्ट १९०१ के चैप्टर ४ के अन्तर्गत पुनरक्षित (revised) या किसी क्षेत्र में वार्षिक रजिस्टरों को शुद्ध करने के लिये, राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से नियुक्त अधिकारी द्वारा शुद्ध किये गये (corrected) अभिलेख में अभिलिखित हो, किन्तु जो १३५९ फसली में काबिज न रहा हो, अथवा

(२) यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की धारा ३२ के खंड (e) के अधीन तैयार किये गये १३५९ फसली के अधिकार अभिलेख में अभिलिखित हो, किन्तु जो १३५९ फसली में काबिज न रहा हो,

(५) स्पष्टीकरण निकाल दिया जाय।

१२--मूल अधिनियम की धारा २० के बाद निम्नलिखित नई धारा २०-क के रूप में रख दिया जाय :--

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा २० में नई धारा का रखा जाना।

बाग भूमि के अध्यासी

"२०-क--प्रत्येक व्यक्ति जो निहित होने के दिनांक के ठीक पहले के दिनांक पर धारा २० के खंड (ग) में कथित रीति के अनुसार किसी बाग-भूमि के अध्यासी के रूप में अभिलिखित हो, उस भूमि का असामी कहलायेगा बाग-भूमि के अध्यासी और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उस भूमि पर कब्जा करने अथवा रखने का अधिकारी होगा"

१३--मूल अधिनियम की धारा २१ के खंड (घ) में:--

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा २१ में संशोधन।

(१) शब्द, अक्षर और कोष्टक "(ख) और (ग)" के स्थान पर "(ख), (ग) तथा (ङ)" रख दिये जायं, और

(२) शब्द, संख्या और कोष्टक "खंड (१) से (९) तक" के स्थान पर शब्द, संख्या और कोष्टक "खंड (१) से (७) तक और (९)" रख दिये जायं।

१४--मूल अधिनियम की धारा २३ की उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :--

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा २३ में संशोधन।

"(२) उपधारा (२) में कोई भी बात निम्नलिखित पर लागू न होगी :--

(क) रुपया अदा करने के लिये किसी डिक्री या आज्ञा के निष्पादन में, न्यायालय की आज्ञा के अधीन किया गया विक्रय (सेल); अथवा

(ख) किसी वक्फ, न्यास (Trust), निबन्ध (endowment)या संस्था (society) के, जो पूर्णतः दानोत्तर प्रयोजनों के लिये स्थापित की गयी हो, पक्ष में किया गया कोई विक्रय या दान जब तक कि राज्य सरकार किसी विशेष दशा में अन्यथा निर्देश न दे।

स्पष्टीकरण--उपधारा (२) के प्रयोजनों के लिये, "संस्था" का तात्पर्य ऐसी सोसायटी से है जो सोसायटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १८६० के अन्तर्गत रजिस्टर्ड हो।"

१५--मूल अधिनियम की धारा ३० में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य के रूप में जोड़ दिया जाय :--

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा ३० में संशोधन।

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि धारा ९९ के खंड (क) अथवा खंड (ग) के उपखंड (१) में अभिदिष्ट किसी भी वक्फ, न्यास अथवा निबन्ध की दशा में अन्तरिम प्रतिकर उक्त धारा के अन्तर्गत देय वार्षिक वृत्ति में से काट लिया जायगा और उससे संधानित कर दिया जायगा।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा ३९ का संशोधन।

१६--मूल अधिनियम की धारा ३९ में:--

(१) खंड (क) के उपखंड (२) में शब्द "और" के बाद शब्द "यदि उक्त अधिनियम में ऐसी गणना के लिये व्यवस्था न की गयी हो तो नियत रीति से, और" जोड़ दिये जायं,

(२) खंड (क) के अन्तर्गत स्पष्टीकरण में संख्या "१०" निकाल दी जाय, और

(३) खंड (ग) के अन्तर्गत वर्तमान स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण (१) के रूप में परिगणित किया जायगा और उसके बाद निम्नलिखित, स्पष्टीकरण (२) के रूप में रख दिया जायगा:-

"स्पष्टीकरण (२)--इस धारा के प्रयोजनों के लिये 'सायर' के अन्तर्गत, जहां तक वह मध्यवर्ती के बाग से संबद्ध है, उसकी लकड़ी अथवा फलों की बिक्री की आय नहीं है।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा ७३ का संशोधन।

१७--मूल अधिनियम की धारा ७३ में प्रथम प्रतिबन्धात्मक वाक्य के बाद निम्नलिखित, द्वितीय प्रतिबन्धात्मक वाक्य के रूप में रख दिया जाय:--

"और प्रतिबन्ध यह है कि धारा ९९ के खंड (क) अथवा खंड (ग) के उपखंड (१) में वर्णित वर्गों के किसी भी वक्फ, न्यास अथवा निबन्ध को उक्त धारा के उपबन्धों के अनुसार, ऐसे वक्फ, न्यास अथवा निबंध द्वारा देय मालगुजारी चाहे कितनी भी हो, पुनर्वासन अनुदान दिया जायगा।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा ७४ का संशोधन।

१८--मूल अधिनियम की धारा ७४ में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य के रूप में जोड़ दिया जाय:--

"प्रतिबन्ध यह है कि धारा ९९ के खंड (क) तथा खंड (ग) के उपखंड (१) में अभिदिष्ट वक्फ, न्यास अथवा निबन्ध को, निहित होने के दिनांक से, पुनर्वासन अनुदान देय होगा।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा ११४ का संशोधन।

१९--मूल अधिनियम की धारा ११४ में:--

(१) खंड (ख) निकाल दिया जाय, और

(२) स्पष्टीकरण (२) निकाल दिया जाय।

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा ११७ का संशोधन।

२०--मूल अधिनियम की धारा ११७ के अन्त में निम्नलिखित, नये प्रतिबन्धात्मक वाक्य के रूप में जोड़ दिया जाय:--

"और प्रतिबन्ध यह भी है कि राज्य सरकार के लिये यह वैध होगा कि खंड (१) से (७) तक में वर्णित सभी विषयों के या उनमें से किसी के संबंध में वह पूर्वोक्त प्रख्यापन करे, और ऐसा करने में वह ऐसे अपवाद अथवा प्रतिबन्ध रखे जिन्हें कि वह विज्ञप्ति में निर्दिष्ट करे।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ में नई धारा ११७-क का रखा जाना।

२१--मूल अधिनियम की धारा ११७ के बाद निम्नलिखित, नई धारा ११७-क के रूप में जोड़ दी जाय:--

"११७-क--धारा ११७ में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा प्रख्यापित कर सकती है कि ऐसे दिनांक से जो निर्दिष्ट किया जाय, किसी भी गांव में स्थित किसी भी क्षेत्र के विषय में उक्त धारा के खंड (१) से (७) तक में निर्दिष्ट सभी या कोई विषय जो इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार में निहित थे, उक्त गांवों के लिये स्थापित किसी भी स्थानिक आधिकारिकी (local authority) में निहित होंगे।

(२) जब कोई भूमि किसी अन्य स्थानिक आधिकारिकी में इस प्रकार निहित हो तो एसी स्थानीय आधिकारिकी ऐसे क्षेत्र के संबंध में ऐसे अपवादों या परिष्कारों के अधीन जिसे राज्य सरकार इस संबंध में सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निर्दिष्ट कर, ऐसे कार्यों को करेगी, अधिकारों को प्रयोग में लायेगी और कर्त्तव्यों का पालन करेगी, जो इस अधिनियम के अन्तर्गत या द्वारा किसी गांव, गांव सभा, गाँव पंचायत अथवा धारा १२१ के अन्तर्गत स्थापित किसी समिति को अभ्यर्पित किये जायं,. दिये जायं अथवा उस पर लगाये जायं।"

(३) उक्त स्थानिक आधिकारिकी इस धारा के अन्तर्गत अपने कार्यों, अधिकारों और कर्त्तव्यों के संपादन, प्रयोग तथा पालन में ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगी जो नियत की जाय।

(४) धारा १२६ तथा १२७ के उपबंध, उपधारा (१) में अभिदिष्ट स्थानिक आधिकारिकी पर, ऐसे प्रतिबन्ध और परिष्कारों के अधीन जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे, आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

२२--मूल अधिनियम की वर्तमान धारा १२१, धारा १२१ की उपधारा (१) के रूप में पुनः परिगणित की जाय और उसके बाद निम्नलिखित, नई उपधारा (२) के रूप में जोड़ दिया जाय:---

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा १२१ का संशोधन।
यू० पी० ऐक्ट २६, ११४७।

"(२) जब उपधारा (१) के अन्तर्गत बनाये गए नियमों के अनुसार समिति को किसी वर्ग के वादों अथवा व्यवहारों को आरंभ करने या उनका प्रतिवाद करने का अधिकार गांव सभा की ओर से और गांव सभा के लिये दे दिया जाय, तो उक्त समिति का सभापति अथवा अन्य कोई कार्य का अधिकारी या सदस्य, जैसा भी नियत किया जाय, यू० पी० पंचायत राज्य ऐक्ट, १९४७ में अथवा उसके अन्तर्गत किसी बात के होते हुए भी किसी भी लेख्य पर हस्ताक्षर करने का अथवा अन्य दूसरे ऐसे कामों के करने का अधिकारी होगा, जो वाद अथवा व्यवहार के प्रचालन के हेतु आवश्यक हो।"

२३--मूल अधिनियम की धारा १२२ में प्रथम प्रतिबन्धात्मक वाक्य के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:--

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा १२२ का संशोधन।

"प्रथमतः प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी प्रसंग (केस) में ऐसे सदस्यों की संख्या ५ से कम हो, तो कलेक्टर गांव समाज के ऐसे सदस्यों में से उतने सदस्य नामांकित करेगा जिससे कि सदस्यों की कुल संख्या ५ हो जाय।"

२४--मूल अधिनियम की धारा १३३ में:--

(१) वर्तमान खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:-

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा १३३ में संशोधन।

"(क) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो आस्थानों के हस्तगतीकरण के परिणामस्वरूप धारा ११, १३, २० क अथवा २१ के अन्तर्गत असामी हो जाए"

(२) वर्तमान खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:--

"(घ) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो किसी अन्य प्रकार से इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अथवा अन्तर्गत असामी के अधिकार प्राप्त कर ले।"

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा १३४ का संशोधन।

२५--मूल अधिनियम की धारा १३४ में--

(१) उपधारा (१) में--

(क) शब्द "परगना के अधिकारी" निकाल दिये जायं, और

(ख) निम्नलिखित स्पष्टीकरण के रूप में जोड़ दिया जाय:--

"स्पष्टीकरण--इस उपधारा में भूमि के अन्तर्गत भूमि का अंश भी है।"

(२) उपधारा (२) के बाद निम्नलिखित उपधारा (३) के रूप में जोड़ दिया जाय:--

"(३) उपधारा (१) में अभिदिष्ट धनराशि नकदी में, या यदि राज्य सरकार नियत करे तो बन्धों (bonds) में, अथवा अन्य प्रकार से भी अदा की जा सकती है।"

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा १३५ में संशोधन।

२६--मूल अधिनियम की धारा १३५ के शब्द "खजाने (treasury) का एक ऐसा चालान भी" के स्थान पर शब्द "यदि धनराशि नकद दी जाय तो खजाने (treasury) का ऐसा चालान, या किसी अन्य स्थिति में, ऐसा कोई लेख्य या प्रमाण" रख दिया जाय और शब्द "साथ" के पूर्व कामा रखा जाय।

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा १३७ में संशोधन।

२७--मूल अधिनियम की धारा १३७ में:--

(१) उपधारा (२) में शब्द "के ठीक बाद के कृषि वर्ष के प्रारम्भ" निकाल दिये जायं; और

(२) उपधारा (२) के बाद निम्नलिखित, नई उपधारा (२-क) के रूप में जोड़ दिया जाय:--

"(२-क) यदि कृषि-वर्ष के प्रथम दिनांक से भिन्न अन्य किसी दिनांक को प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाय तो भूमिधर द्वारा उपधारा (२) के खंड (ख) के अन्तर्गत उस कृषि वर्ष के अवशिष्ट भाग के लिये जिसमें प्रमाण पत्र प्रदान किया जाय, देय मालगुजारी उस रीति से अवधारित की जायगी, जो नियत की जाय।"

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ में नई धारा १३७-क का रखा जाना।

२८--मूल अधिनियम की धारा १३७ के बाद निम्नलिखित, धारा १३७ क के रूप में रख दिया जाय:--

निरसन

१३७--क-धारा १३७ के अनुसार दिया गया प्रमाणपत्र "प्रमाण पत्र का राज्य सरकार अथवा हित रखने वाले (interested) किसी व्यक्ति द्वारा प्रार्थना पत्र दिये जाने पर, निम्न लिखित कारणों में से किसी के आधार पर निरस्त अथवा परिष्कृत (cancelled or modified) किया जा सकता है:--

(क) कि प्रमाण पत्र, असिस्टेंट कलेक्टर के समक्ष छलपूर्वक झूठा सुझाव प्रस्तुत करके अथवा असिस्टेंट कलेक्टर के मामले से सम्बद्ध कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाकर, प्राप्त किया गया था,

(ख) कि प्रमाण पत्र किसी ऐसे तथ्य के असत्य कथन द्वारा प्राप्त किया गया था जो विधि की दृष्टि से उसके प्रदान के समर्थन के लिये आवश्यक था, चाहे ऐसा कथन अज्ञानवश अथवा असावधानी के कारण किया गया हो,

(ग) कि उस खाते के विषय में जिसके संबंध में प्रमाणपत्र दिया गया था, किसी वाद अथवा व्यवहार में किसी समर्थ न्यायालय द्वारा पारित

डिक्री अथवा आज्ञा से यह प्रदर्शित होता हो कि प्रार्थी प्रमाण पत्र पाने का अधिकारी नहीं था।"

(२) जब उपधारा (१) के अधीन प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया जाय, तो वह व्यक्ति जिसने धारा १३४ में अभिदिष्ट धनराशि जमा कर दी हो, उसके लौटाये जाने का अधिकारी हो जायगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि धारा १३७ की उपधारा (२) के खंड (ख) के अन्तर्गत देय मालगुजारी की कम की हुई मात्रा के बराबर धनराशि इससे काट ली जायगी।

२९--मूल अधिनियम की वर्तमान धारा १३८, धारा १३८ की उपधारा (१) के रूप में पुनः परिगणित की जायगी और निम्नलिखित, नई उपधारा (२) के रूप में बढ़ा दिया जायगा:--

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा १३८ का संशोधन।

"(२) उपधारा (१) के अन्तर्गत किसी वाद में कोई भी दूसरा भूमिधर जो खाते में ऐसे अंश का भूमिधर होने के नाते अधिकारी हो, न्यायालय के समक्ष अपने अंश के बटवारे के लिये प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर सकता है और उसे न्याय शुल्क देने पर अपने अंश का अलग करवाने का अधिकार होगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि विचारणीय विषयों (Issues) के निश्चित तथा लिखित होने के बाद ऐसा कोई प्रार्थना पत्र नहीं लिया जायगा।"

३०--मूल अधिनियम की धारा १४३ की उपधारा (१) में जहां कहीं भी शब्द "कलेक्टर" आया हो वहां वहां उसके स्थान पर शब्द "परगने के अधिकारी असिस्टेंट कलेक्टर" रख दिये जायं।

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा १४३ का संशोधन।

३१--मूल अधिनियम की धारा १४४ की उपधारा (१) में जहां कहीं भी शब्द "कलेक्टर" आया हो वहां वहां उसके स्थान पर शब्द "परगना का अधिकारी असिस्टेंट कलेक्टर" रख दिये जायं।"

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा १४४ का संशोधन।

३२--मूल अधिनियम की धारा १४६ में शब्द "और उसमें जिस प्रकार की चाहे उस प्रकार की उन्नति करे" निकाल दिये जायं।

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धार १४६ का संशोधन।

३३--मूल अधिनियम की धारा १४७ से १५१ तक निकाल दी जायं।

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा १४७ से १५१ तक का निकाल दिया जाना।

३४--मूल अधिनियम की धारा १६१ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:--

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा १६१ का संशोधन।

"(१) कोई भी भूमिधर किसी दूसरे भूमिधर से और कोई भी सीरदार किसी दूसरे सीरदार से, ऐसी भूमि को जो उसके पास क्रमशः भूमिधर या सीरदार के नाते है, विनिमय (exchange) कर सकता है;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी विनिमय, जिसके परिणाम स्वरूप विनिमय करने वाले किसी भी पक्ष के पास उसके परिवार द्वारा

अध्यासीन भूमि को मिला कर उत्तर प्रदेश में कुल भूमि ३० एकड़ से अधिक हो, ठीक और वैध न होगा ।

प्रतिबन्ध यह भी है कि कोई भी सीरदार असिस्टेंट कलेक्टर की अनुज्ञा को पहले से बिना प्राप्त किये विनिमय न कर सकेगा । यदि विनिमय में दी गई भूमि की देय मालगुजारी विनिमय द्वारा प्राप्त भूमि की देय मालगुजारी में उसका दस प्रतिशत मिला कर, उससे अधिक हो, तो असिस्टेंट कलेक्टर अनुज्ञा नहीं देगा ।"

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा १७१ में संशोधन ।

३५—मूल अधिनियम की धारा १७१ में खंड (ड) के बाद निम्नलिखित खंड (ड ड) के रूप में रख दिया जाय :—

"(ड ड) बहिन का पुत्र"

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा १९८ का संशोधन ।

३६—मूल अधिनियम की धारा १९८ की उपधारा (१) में :—

(१) खंड (क) के बाद निम्नलिखित, नये खंड (क क) के रूप में रख दिया जाय :—

"(क क) उस मंडल में रहने वाला खेती से संबंधित ऐसा मजदूर (Agricultural Labourer) जिसके पास भूमि न हो ।"

(२) खंड (ग) के बाद निम्नलिखित, नये खंड (ग ग) के रूप में रख दिया जाय :—

"(ग ग) भूमिधर जिसपर धारा १८ की उपधारा (२) अथवा धारा १३७ लागू होती हो और जिसके पास उस मंडल में ६–१।४ एकड़ से कम क्षेत्रफल की भूमि हो ।"

(३) खंड (ख) और (घ) निकाल दिये जायं; और

(४) द्वितीय प्रतिबन्धात्मक वाक्य में शब्द और अक्षर "खंड (ख) और (ग)" के स्थान पर शब्द और अक्षर "खंड (ग) और (ग ग)" रख दिये जायं ।

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा २०२ का संशोधन ।

३७—मूल अधिनियम की धारा २०२ में :—

(१) खंड (ख) में शब्द, संख्या और कोष्टक, "खंड (क) के उपखंड (१), (२), (३), (६) और (७) या" निकाल दिये जायं और शब्द "खंड (ग)" और "में उल्लिखित" के बीच में शब्द "या धारा २१ के खंड (क), (ख), (ग), (ङ) और (छ)" रख दिये जायं ।

(२) खंड (ग) में शब्द "धारा १३३ के खंड (क) के उपखंड (४)" के स्थान पर शब्द "धारा २१ के खंड (घ)" रख दिये जायं;

(३) खंड (घ) में शब्द "धारा १३३ के खंड (क) के उपखंड (५) में उल्लिखित वर्ग का है" के स्थान पर शब्द "धारा ११ के अन्तर्गत असामी है" रख दिये जायं ;

(४) खंड (ङ) में शब्द "धारा १३३ के खंड (क) के उपखंड (८)" के स्थान पर शब्द "धारा २१ के खंड (च)" रख दिये जायं; और

(५) खंड (६) में :—

(१) शब्द "धारा १३३ के खंड (क) के उपखंड (९) में उल्लिखित वर्ग का है" के स्थान पर शब्द "धारा १३ के अन्तर्गत असामी है" रख दिये जायं; और

(२) शब्द और संख्या "धारा १३" के स्थान पर शब्द "उक्त धारा" रख दिये जायं ।

३८--मूल अधिनियम की धारा २०३ में शब्द "धारा १५० के अधीन निर्धारित प्रतिकर, यदि कोई हो, घटाने के बाद" निकाल दिये जायं। उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा २०३ में संशोधन।

३९--मूल अधिनियम की धारा २०९ में शब्द "या गांव सभा" के स्थान पर शब्द "गांव सभा या कलेक्टर" रख दिये जायं। उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा २०९ का संशोधन।

४०--मूल अधिनियम की धारा २१२ में शब्द "रहते हुये भी" और शब्द "गांव सभा" के बीच में शब्द "कलेक्टर या" रख दिये जायं। उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा २१२ का संशोधन।

४१--मूल अधिनियम की धारा २३२ की उपधारा (१) में संख्या और शब्द "६ मास" के स्थान पर शब्द "एक वर्ष" रख दिये जायं। उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा २३२ का संशोधन।

४२--मूल अधिनियम की धारा २३३ के बाद निम्नलिखित नई धारा २३३-क के रूप में रख दिया जाय-- उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ में एक नई धारा २३३-क का रखा जाना।

"२३३-क--यदि अधिवासी का लगान जिन्सी हो या खड़ी हुई फसल के अनुमान या कूत के अनुसार या बोई हुई फसलों के अनुसार बदलती रहने वाली दरों पर या ऐसे ढंगों में से अंशतः एक पर और अंशतः दूसरे या दूसरों पर निर्भर हो तो असिस्टेंट कलेक्टर स्वतः, और गांव सभा अथवा उस अधिवासी के, जिसके द्वारा लगान देय हो, अथवा क्षेत्रपति के, जिसको लगान देय हो, आदेश पर तो अवश्य, ऐसी निश्चित धनराशि के रूप में लगान का नक़दी में परिवर्तन करेगा जो हिसाब लगाने पर मौरूसी दरों के १३३-१/३ प्रतिशत से अधिक न हो।" लगान का परिवर्तन

४३--मूल अधिनियम की धारा २३४ में :-- उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा २३४ का संशोधन।

(१) शब्द "कोई अधिवासी निम्नलिखित आधारों को छोड़ किसी दूसरे आधार पर अपनी भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकेगा" के स्थान पर शब्द "कोई भी अधिवासी अपनी भूमि से निम्नलिखित आधारों पर बेदखल किये जाने के योग्य होगा" रख दिये जायं।

(२) शब्द "वादों से संबंध रखने वाले" के स्थान पर शब्द "वादों तथा प्रार्थना पत्रों से सम्बद्ध प्रक्रिया तथा प्रस्तुत करने के स्थान (कोरम) से संबंध रखने वाले" रख दिये जायं।

४४--मूल अधिनियम की धारा २३५ की उपधारा (१) में से शब्द "परगना के अधिकारी" निकाल दिये जायं। उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारम २३५ का संशोधन।

४५--मूल अधिनियम की धारा २३८ में संख्या "२३४" के स्थान पर संख्या "२३५" रख दी जाय। उ० प्र० अधिनियम। १, १९५१ की धारा २३८ का संशोधन।

४६--मूल अधिनियम की वर्तमान धारा २४५, धारा २४५ की उपधारा (१) के रूप में पुनः परिगणित की जाय और इस पुनः परिगणित उपधारा (१) में :-- उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा २४५ का संशोधन।

(क) खंड (ख) में शब्द "खंड (घ)" के स्थान पर शब्द "खंड (घ) और (ङ)" रख दिये जायं।

(ख) वर्तमान खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायगा :—

"(ग) यदि वह धारा १८ की उपधारा (२) के अधीन भूमिधर हुआ हो तो ऐसी धनराशि जो निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर उसके द्वारा उक्त भूमि के लिये देय लगान के आधे के अथवा १९४९ ई० के संयुक्त प्रान्तीय काश्तकार (विशेषाधिकार उपार्जन) विधान की धारा ४ के अन्तर्गत देय समझे गये लगान के बराबर हो"

(२) मूल अधिनियम की उपधारा २४५ की उपधारा (१) के बाद निम्नलिखित, नई धारा (२) के रूप में रख दिया जाय :—

"(२) यदि उपधारा (१) के खंड (ख) में अभिदिष्ट भूमिधर द्वारा देय लगान निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर जिन्सी था, या खड़ी फसल के अनुमान या कूत के अनुसार या बोई हुई फसल के अनुसार बदलती रहने वाली दरों पर या ऐसे ढंगों में से अंशतः एक पर और अंशतः दूसरे या दूसरों पर निर्भर था, तो असिस्टेंट कलेक्टर द्वारा उस रीति से तथा उन सिद्धान्तों के आधार पर जो नियत किये जायं, अवधारित की जाने वाली धनराशि, पूर्वोक्त खंड के प्रयोजनों के लिये, उसके द्वारा देय लगान समझी जायगी।"

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा २४६ का संशोधन

४७—मूल अधिनियम की धारा २४६ की उपधारा (१) में, खंड (क) के बाद निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य के रूप में जोड़ दिया जाय :—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि पूर्वोक्त देय लगान बोये हुये क्षेत्र के अनुसार अथवा बाल पंचट के आचारानुसार बदलता हो, तो मालगुजारी ऐसी धनराशि होगी जो उक्त दिनांक से ठीक पहले के दस वर्षों में देय वार्षिक लगान के औसत के बराबर हो।"

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ में नई धारा २४७ क का जोड़ा जाना

४८—मूल अधिनियम की धारा २४७ के बाद निम्नलिखित, नई धारा २४७-क के रूप में जोड़ दिया जाय :—

"धारा २४५, २४६ और २४७ में लगान का अर्थ।

२४७-क—धारा २४५, २४६ और २४७ में पद "देय लगान" या "देय लगान के आधे" के अन्तर्गत, जब तक कि प्रसंग अन्यथा न हो, वह धनराशि भी है जो यू० पी० लोकल रेट्स ऐक्ट, १९१४ की धारा ७ या ८ अथवा यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ की धारा १११ के अधीन सम्बद्ध भूमिधर अथवा सीरदार से भूस्वामी (लैन्ड लार्ड) द्वारा वसूल करने योग्य हो।"

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा २४९ का संशोधन।

४९—मूल अधिनियम की धारा २४९ की उपधारा (१) में शब्द "मालगुजारी के अंतर्गत" और शब्द "उतना ही अब्वाब" के बीच में शब्द "उस स्थिति को छोड़ कर जिसकी व्यवस्था धारा २४७-क में की गई है," रख दिये जायं, और शब्द "अन्तर्गत" के बाद कामा रखा जाय।

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा २५९ का संशोधन।

५०—मूल अधिनियम की धारा २५९ में शब्द "कमिश्नर" के स्थान पर शब्द "लैण्ड रिफार्म्स कमिश्नर" रख दिये जायं।

५१--मूल अधिनियम की धारा २६७ के बाद निम्नलिखित, नई धारा २६७-क के रूप में रख दिया जाय :--

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ में एक नई धारा २६७-क का रखा जाना।

"२६७-क--यदि बन्दोबस्त के प्रचलित रहते हुए कोई भूमिधर, अपने खाते का कोई भाग हस्तान्तरित कर देता है, तो खाते के प्रत्येक भाग के सम्बन्ध में देय मालगुजारी को कलेक्टर नियत रीति से अवधारित करेगा।"

खाते के भागों की मालगुजारी अवधारित करने का अकार।

५२--मूल अधिनियम की धारा २६८ की उपधारा (२) में शब्द "असामी" के स्थान पर शब्द "असामी या अधिवासी, जैसी भी दशा हो" रख दिए जायं।

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा २६८ का संशोधन।

५३--मूल अधिनियम की धारा २७३ में शब्द "कमिश्नर" के स्थान पर शब्द "लैण्ड रिफार्म्स कमिश्नर" रख दिए जायं।

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा २७३ का संशोधन।

५४--मूल अधिनियम की धारा २८१ में द्वितीय प्रतिबन्धात्मक वाक्य के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :--

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा २८१ का संशोधन।

"और यह भी प्रतिबन्ध है कि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अन्तर्गत देय किसी भी बकाया के लिए (उस खाते के सम्बन्ध में बकाया को छोड़कर जिसका कि वह भूमिधर अथवा सीरदार हो), गिरफ्तारी या निरोधन का भागी न होगा।"

५५--मूल अधिनियम की धारा २९१ में शब्द "कमिश्नर" के स्थान पर शब्द "लैण्ड रिफार्म्स कमिश्नर" रख दिए जायं।

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा २९१ का संशोधन

५६--मूल अधिनियम की धारा ३३२ में :--

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा ३३२ का संशोधन।

(१) उपधारा (१) में शब्द "किसी ऐसे फरीक को, जिसे वह ऐसा आदेश देना उचित समझे, आदेश देगा कि वह ऐसी आज्ञा से तीन मास की अवधि के भीतर अधिक्षत्र युक्त न्यायालय में ऐसे प्रश्न के, अवधारण (determination) के लिये वाद प्रस्तुत करे और तदुपरान्त जब तक पूर्वोक्त अवधि समाप्त न हो जाय तब तक के लिये, और यदि कोई वाद प्रस्तुत कर दिया गया हो, तो जब तक उक्त वाद का निर्णय न हो जाय तब तक के लिये, अपने सामने चल रहे वाद या व्यवहार को स्थगित कर देगा" के स्थान पर शब्द "आगम सम्बन्धी प्रश्न का विचारणीय विषय (Issue) निश्चित तथा लिख करके अभिलेख को केवल उस विचारणीय विषय के निर्णय के हेतु किसी समर्थ दीवानी न्यायालय के पास भेज देगा" रख दिए जायं।

(२) उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण के रूप में रख दिया जाय :--

"स्पष्टीकरण--भूमि के आगम के सम्बन्ध में तर्क (Plea) स्पष्टतः अमान्य (untenable) हो और जो केवल माल न्यायालय के अधिक्षेत्र को निष्कासित करने के लिए उठाया गया हो, इस धारा के प्रयोजनों के लिए उक्त भूमि के सम्बन्ध में आगम सम्बन्धी प्रश्न नहीं समझा जायगा।"

(३) उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :--

"(२) दीवानी न्यायालय विचारणीय विषय (Issue) को, यदि आवश्यक हो पुनः निश्चित करके केवल इस विचारणीय विषय को निर्णीत करेगा और उस सम्बन्ध में अपनी उपपत्ति (finding)

सहित अभिलेख को प्रस्तुत करने वाले माल न्यायालय के पास भेज देगा।

(४) उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(३) तब माल न्यायालय, अभिदिष्ट विचारणीय विषय (Issue) पर दीवानी न्यायालय की उपपत्ति को स्वीकार करके, वाद का निर्णय करना आरम्भ करेगा।"

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा ३३९ का संशोधन।

५७—मूल अधिनियम की धारा ३३९ में :—

(१) शब्द "धारा ४ के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने के" के स्थान पर शब्द "निहित होने के" रख दिए जायं।

(२) खंड (ख) में शब्द "असंगत होंगे" और शब्द "निवर्तित" के बीच में शब्द "और जहां तक उनका सम्बन्ध उक्त क्षेत्र में लागू होने का है" रख दिए जायं।

(३) खंड (ग) में शब्द "संशोधित" के पहले शब्द "जहां तक उसका सम्बन्ध उक्त क्षेत्र में लागू होने का है" जोड़ दिये जायं।

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा ३४२ का संशोधन।

५८—मूल अधिनियम की धारा ३४२ की उपधारा (२) में शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "दो वर्ष" रख दिये जायं।

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की अनुसूची २ का संशोधन।

५९—मूल अधिनियम की अनुसूची २ में :—

(१) क्रम संख्या ८ के सामने स्तम्भ २ के इन्दराज में संख्या "२०९" के स्थान पर संख्या "२०६" रख दी जाय, और

(२) क्रम संख्या २२ के सामने स्तम्भ २ में संख्या "३१२" के स्थान पर संख्या "३१४" रख दी जाय।

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की अनुसूची ३ में संशोधन।

६०—मूल अधिनियम की अनुसूची ३ की :—

(१) सूची (१) में :

(क) क्रम संख्या ७ के इन्दराज के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ दिए जायं :—

"७—क—दि बुन्देलखंड इनकम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९०३ (यू० पी० ऐक्ट संख्या १, १९०३)"

"७—ख—दि बुन्देलखंड एलीनियेशन आफ लैण्ड ऐक्ट, १९०३ (यू० पी० ऐक्ट २, १९०३)"

(ख) क्रम संख्या १६ के इन्दराज के बाद निम्नलिखित नया इन्दराज बढ़ा दिया जाय :

"१७—दि यू० पी० लैण्ड यूटीलाइजेशन ऐक्ट, १९४७ (यू० पी० ऐक्ट संख्या ५, १९४८)"

(२) सूची २ में क्रम संख्या २८ के सामने के स्तम्भ २ के इन्दराज में शब्द और संख्या "(चैप्टर्स ५ से ७ तक)" के स्थान शब्द "(चैप्टर्स ५ से ८ तक)" रख दिए जायं।

यू० पी० ऐक्ट ३, १९०१ का संशोधन।

६१—किसी क्षेत्र के विषय में निहित होने के दिनांक से यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१, जहां तक उसका सम्बन्ध उक्त क्षेत्र में लागू होने से है, अनुसूची के स्तम्भ में उल्लिखित आयति पर्यन्त (to the extent of) संशोधित समझा जायगा और एतद्द्वारा संशोधित किया जाता है।

अनुसूची]

यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू, ऐक्ट, १९०१

(धारा ६१)

क्रम-संख्या	धारा	परिष्कार या संशोधन
१	५	शब्द "under this Act" निकाल दिए जायं।
२	२१	शब्द "halka" के स्थान पर शब्द "halkas" रख दिया जाय।
३	२३	शब्द "appoint" और "halka" के बीच में शब्द "a patwari to each" रख दिये जायं।
४	३०	शब्द "tenure holder or Gaon Sabha" के स्थान पर शब्द "tenure holders or gaon Sabhas" रख दिये जायं।
५	३४	उपधारा (३) में शब्द "mortgagee or" निकाल दिए जायं।
६	४०	(क) उपधारा (२) में शब्द "the" और "Tahsildar" के बीच में शब्द "Collector or the" रख दिए जायं। (ख) स्पष्टीकरण में शब्द "or on such transfer and changes as are dealt with in section 39" निकाल दिए जायं।
७	५०	शब्द "Gaon Sabha" के स्थान पर शब्द "Gaon sabhas" रख दिए जायं।
८	२१५	संख्या "1887" के स्थान पर संख्या "8061" रख दी जाय।
९	२२७	(क) खंड (२) में शब्द "owners" के स्थान पर शब्द "tenure holders or Gaon Sabhas" रख दिए जायं। (ख) खंड (५) में शब्द और संख्या "sections 35 and 39" के स्थान पर शब्द और संख्या "section 35" रख दिए जायं। (ग) खंड (६) निकाल दिया जाय। (घ) खंड (८) में शब्द और संख्या "sections 40 to 43" के स्थान पर शब्द और संख्या "sections 40, 41 and 43" रख दिये जायं।
१०	२३३	(क) खंड (a) में शब्द "Circles" के स्थान पर शब्द "halkas" रख दिया जाय। (ख) खंड (b) में शब्द और संख्या "sections 23, 25, or 45" के स्थान पर शब्द और संख्या "sections 23 and 25, रख दिए जायं।
११	२३४	खंड (f) से (u) तक निकाल दिए जायं।

उद्देश्य और कारण

१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, दिनांक २६ जनवरी, १९५१ को प्रचलित हुआ और इसकी धारा ४ के अन्तर्गत निहित होने की आज्ञा दिनांक १ जुलाई, १९५२ को प्रचारित की गई। तत्पश्चात् इस पर और विचार करने से और विशेषकर प्रतिकर निर्धारण तालिकाओं के तैयार करने में प्राप्त अनुभव से इसमें कुछ ऐसी कमी पाई गई, जिन्हें दूर करने के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस विधेयक के प्रमुख उपबन्ध निम्नलिखित हैं :—

(१) यह प्रस्ताव किया गया है कि निजी कुएं चाहे खाता, बाग अथवा गांव की आबादी में स्थित न हों, कुओं के स्वामियों के स्वामित्व में ही रहेंगे।

(२) मध्यवर्तियों की सीर भूमि के उन काश्तकारों की स्थिति, जो स्थानिक कर नहीं अदा करते थे, तथा ऐसे काश्तकारों की स्थिति, जो उन मध्यवर्तियों की सीर जोते हुए हों, जिनमें से कुछ २५० रुपये या इससे अधिक मालगुजारी प्रतिवर्ष देते हों, या दूसरे जो इससे कम मालगुजारी देते हों, स्पष्ट कर दी गई है।

(३) बागदार को सीधे भूमिधर प्रख्यापित कर देने का प्रस्ताव है।

(४) धर्मोत्तर तथा दानोत्तर वक्फों, न्यासों तथा निबन्धों को उनके द्वारा देय मालगुजारी १०,००० रु० प्रतिवर्ष से अधिक होने पर भी वार्षिक वृत्तियां दी जायंगी। ये वार्षिक वृत्तियां निहित होने के दिनांक से दी जायंगी तथा ऐसे वक्फों, न्यासों इत्यादि के अन्तरिम प्रतिकर को वार्षिक वृत्तियों के अन्तर्गत संधानित किया जायगा न कि प्रतिकर के अन्तर्गत।

(५) गांव समाज तथा भूमि प्रबन्धक समितियों के संगठन को सरल बना दिया गया है।

(६) उस भूमि के प्रबन्ध के लिए व्यवस्था कर दी गई है जो किसी स्थानीय संस्था की सीमा से बाहर हो, किन्तु जो राजस्व ग्राम (रेवेन्यू विलेज) के अन्तर्गत हो।

(७) भूमिधरी अधिकारों के उपार्जन के उपबन्ध और भी अधिक सरल बना दिए गये हैं।

(८) निम्नतम क्षेत्र जिससे कम के क्षेत्र का बंटवारा नहीं किया जा सकेगा, ३-१/८ एकड़ कर दिया गया है।

(९) धारा १९८ में प्राथमिकता के क्रम में कृषि सम्बन्धी भूमिहीन श्रमिक को द्वितीय स्थान दिया गया है।

(१०) इस बात की व्यवस्था की गई है कि कोई भी व्यक्ति जिसके ऊपर मालगुजारी बकाया हो गिरफ्तार (arrested) किया जा सकता है और निरुद्ध (detained) किया जा सकता है; तथा

(११) माल न्यायालयों द्वारा आगम (title) के प्रश्न को निर्णय करने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया को संशोधित कर दिया गया है।

चरण सिंह,
माल मंत्री।

पी० एस० यू० पी०—६२ एल० ए०—१९५२—८३०